खण्ड-229, अंक-1
सोमवार, 26 चैत्र, शक संवत् 1884
(16 अप्रैल, 1962 ई0)

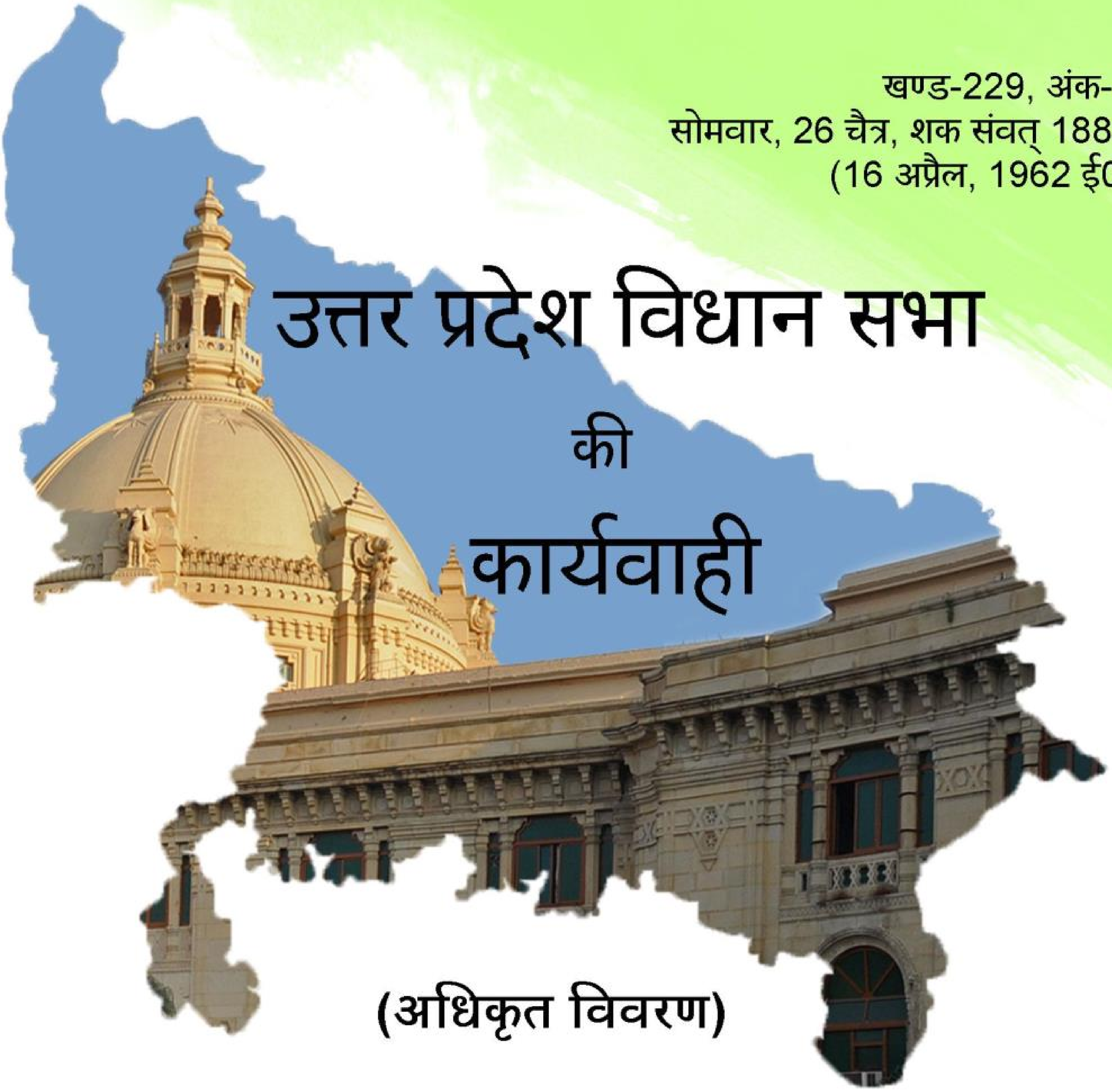

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१—५
कार्य-सूची में त्रुटि	६
प्रश्नोत्तर	६—२२
प्रश्नों के संबंध में जानकारी	२२—२३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (संसद तथा राज्य विधान मण्डल के कतिपय श्रेणियों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की) नियमावली, १९६२ तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ (मेज पर रखी गयीं)	२३—२४
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	२४
उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८११—एस/१८ सी—२०४२—६१, दिनांक २६ मार्च, १९६२ के अधीन प्रख्यापित इकाइयों से संबद्ध नियम (मेज पर रखे गये)	२४
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया) ..	२४
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अप-व्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	२४
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	२५
एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	२५
उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	२५
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	२५
इलाहाबाद नगर पुलिस द्वारा लाठी तथा गोली चलाने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी गयी)	२५—२८
रामपुर में गन्ने के कारखानों द्वारा कोयले के अभाव के कारण कारखाने बंद करने के नोटिस दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव	२८—३०

विधानसभा

विषय	पृष्ठ संख्या
आजमगढ़ जिले में चेचक के प्रकोप के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३०–३३
उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम	३३
प्रदेश की जूट मिलों के श्रमिकों को अन्तरिम भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	३३–३४
रिहन्द पावर हाउस से उत्पादित बिजली का उपयोग न होने के कारण राज्य कोष को हानि के संबंध में वक्तव्य	३५–३९
१९६२–६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद	३९–६७
इलाहाबाद नगर पुलिस द्वारा लाठी तथा गोली चलाने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद (स्वतः समाप्त) ..	६७–९०
नत्थियां	९१–१२०

विधान सभा प्रदेश उत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४२१

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथ बहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री

गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणश चन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री

नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भगवानदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री

महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नू सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
राम आसरे, श्री
रमाकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरनशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर

लक्ष्मीशंकर, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्ति चन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा नन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्री राम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्त सिंह युसूफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य-सूची में त्रुटि

श्री अध्यक्ष—पूर्व इसके कि आज का कार्य प्रारम्भ हो मैं सदन को बता दूं कि मुझे यह देख कर खेद हुआ कि आज जो कार्य-सूची माननीय सदन के आदरणीय सदस्यों के पास भेजी गयी, उसमें समय "३ बजे" लिखा गया। जिस रोज हम उठे थे उस रोज मैंने इस सदन में घोषणा कर दी थी कि हम ११ बजे आज १६ तारीख को फिर बैठेंगे। इस संबन्ध में, जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने सचिव, विधान सभा सचिवालय से पूछा। जो प्रति प्रेस में भेजी गयी थी उसमें स्पष्ट है कि समय "११ बजे दिन" लिखा था। पता नहीं कि क्यों यह गलती हो गयी। इसका खेद है कि यह समय गलत लिखा गया और मुझे विश्वास है कि इस सदन के आदरणीय सदस्यों को उससे कोई भ्रम न हुआ होगा।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १६ अप्रैल, १९६२

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

वाराणसी में मद्य निषेध योजना लागू करने की प्रार्थना

****१—**श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार ने वाराणसी में पहली अप्रैल, १९६२ से जो मद्य-निषेध योजना लागू होने जा रही थी उसे स्थगित कर दिया है? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने भारत सरकार से भी कोई राय ली थी? यदि हां, तो वह क्या है और योजना को क्यों स्थगित कर दिया गया?

आबकारी राज्य मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—अभी हाल में वाराणसी में ऐसी कोई योजना लागू होने नहीं जा रही थी। अतः उसे स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई राय नहीं ली गई थी। अतः आगे का प्रश्न ही नहीं उठता।

****२—श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि दशाश्वमेध घाट (वाराणसी) वाली सड़क पर एक शराब की दुकान का ठेका दिया गया है?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से हरद्वार में इस नशेबन्दी को पूर्णरूप से लागू कर दिया है उस तरह से वाराणसी में तीर्थस्थान को देखते हुए सरकार वहां भी इस योजना को लागू करने पर विचार करेगी?

डाक्टर सीताराम—उसी संबंध में बतलाया गया है कि भारत सरकार से इस संबंध में पत्र-व्यवहार चल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यह सूचित किया गया है कि प्राहीबीशन करने में जो भी खर्चा हो और जो रेवेन्यू का लास हो उन दोनों को केन्द्रीय सरकार दे दे तो प्रदेशीय सरकार को वाराणसी को मद्य-निषेध क्षेत्र घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि भारत सरकार मद्य-निषेध के कारण लास में ५० फीसदी देने को तैयार है? यदि हां, तो सरकार को ५० फीसदी ले लेने में क्या कठिनाई है?

डाक्टर सीताराम—यह सत्य है कि भारत सरकार ५० फीसदी देने को तैयार है, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना सन् ६१ से लागू हो गयी है और जो साधन उपलब्ध थे उन्हीं को देखते हुये यह योजना बनायी गयी, और बीच में ही उतना लास होगा तो अभी तो ४ साल बाकी हैं, इससे काफी लास होगा और ५० फीसदी जो प्रान्तीय सरकार को मिल रहा है उससे प्रान्तीय सरकार सहमत नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि जो ५० फीसदी मालगुजारी का नुकसान होगा वह कितनी रकम होगी और प्रदेशीय सरकार को कोई उपाय ऐसा समझ में आता है कि बगैर कोई टैक्स लगाये इस योजना को लागू कर सके ?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में यदि केन्द्रीय सरकार की बात मान ली जाय तो उत्तर प्रदेश की सरकार को पांच साल में करीब-करीब ८०—८५ करोड़ रुपये का घाटा होगा जिसको यह सरकार वहन नहीं कर सकती।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि चूंकि कतिपय स्थानों पर मद्य-निषेध योजना लागू होने के कारण योजना सफल नहीं हुई है वरन सरकार को हानि उठानी पड़ रही है अतएव इस योजना को समाप्त कर दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम—यह कहना कि ११ जिलों में जो यह योजना लागू हुई है वह पूर्ण-रूपेण कामयाब नहीं हुई है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। योजना सफल हुई है।

विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन

**३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली), श्री बेदराम (जिला एटा) तथा श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या शिक्षा मन्त्री यू० पी० विश्वविद्यालय आयोग की एक प्रति सदन की मेज पर रखते हुये बतायेंगे कि सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें मान ली हैं तथा उस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री केशभान राय)—विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और शासन के विचाराधीन है। रिपोर्ट गोपनीय है, अतः जनहित में इस समय सदन की मेज पर रखना उपयुक्त न होगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वह कब तक रिपोर्ट सदन में रख देंगे ?

श्री केशभान राय—अभी ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—सरकार को यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और कब तक विचाराधीन रहेगी ?

श्री केशभान राय—यह रिपोर्ट दिसम्बर, १९६१ में प्राप्त हुई और जैसा अभी मैंने कहा यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि कब तक विचाराधीन रहेगी।

इण्डियन शुगर मिल ओनर्स एसोसियेशन के पूर्वी जिलों की शाखा का स्मृति-पत्र

**४—श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के चीनी मिल मालिक फेडरेशन की ओर से मार्च, सन् १९६२ के द्वितीय पक्ष में कोई स्मृति-पत्र (Memorandum) सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? और उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया है यह भी बताने की कृपा करेगी ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—इस प्रदेश में ऐसी कोई संस्था नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं अर्ज कर दूं, माननीय सदन के सूचनार्थ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न कुछ अस्पष्ट रहते हैं । प्रश्न यह है कि "क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के चीनी मिल मालिक फेडरेशन की ओर से मार्च, सन् १९६२ के द्वितीय पक्ष में कोई स्मृतिपत्र (Memorandum) सरकार को प्राप्त हुआ है ?" मैं चाहूंगा कि जब इस प्रकार के प्रश्न सरकार से किये जायं तो विषय लिख दिया जाय ताकि सदन को मालूम हो जाय कि किस विषय के सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा जा रहा है । स्मृतिपत्र जो भेजा गया है वह स्मृतिपत्र किस विषय में था जिसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्नकर्त्ता इच्छुक हैं, यह लिख दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा । मैंने यह सिर्फ सुझाव दिया है, कोई निर्णय नहीं किया है ।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं भी एक सुझाव ही देना चाहता हूं कि क्वेश्चन आवर का वक्त बड़ा कीमती होता है और अगर आप कोई सुझाव क्वेश्चन आवर समाप्त होने के बाद दें तो हम लोगों को भी कुछ कहने का अवसर मिल जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इण्डियन शुगर मिल ओनर्स एसोसियेशन की तरफ से सरकार को कोई स्मृतिपत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री बनारसीदास—इंडियन शुगर मिल ओनर्स एसोसिएशन के पूर्वी जिलों की शाखा की तरफ से सरकार के पास एक मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है ।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इंडियन शुगर मिल ओनर्स एसोसिएशन ने जो स्मृतिपत्र सरकार को दिया है उसमें उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार ने क्या उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

श्री बनारसीदास—उनकी मुख्य मांग यह है कि पश्चिमी जिलों की शुगर फैक्टरियों के मुकाबले में पूर्वी जिलों की फैक्टरियों में मुनाफा काफी कम है, उन्होंने उसके आधार पर परचेज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी आदि के अन्दर भी कुछ सुविधायें मांगी हैं । उसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत सी फैक्टरियों को ११ हजार मैट्रिक टन के नीचे ही गन्ना क्रश करने की अनुमति है इसलिये उनकी मांग है कि उनको ११ हजार मैट्रिक टन तक या उससे ज्यादा गन्ना क्रय करने की अनुमति दी जाय । अभी तक सरकार ने उन मांगों के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया है और केन विभाग के अन्दर इस पर विचार किया जायगा ।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन मांगों में एक मांग यह भी है कि प्रदेश में जो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की आवाज उठी है, उसका उसमें विरोध भी किया गया है और सरकार से आशा प्रकट की गयी है कि ऐसी बात नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है या क्या करने जा रही है ?

श्री बनारसीदास—उस मेमोरेंडम में शुगर फैक्टरियों का नेशनलाइजेशन हो या न हो, इसकी कोई चर्चा नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—जैसाकि माननीय उद्योग मंत्री ने बतलाया कि अधिक गन्ना पेरने के लिये भी मिल मालिकों ने कहा है, तो क्या सरकार अभी तक उस पर विचार ही कर रही है या उनको इजाजत दे दी है कि वे अधिक गन्ने को पेर लें ?

श्री बनारसीदास—जहां तक ११ हजार मैट्रिक टन तक या उससे अधिक गन्ना क्रश करने का सवाल कोई आता है तो सरकार बराबर केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करती है। इस प्रकार की जो मांगें फैक्टरियों की तरफ से आयी हैं उनकी सिफारिश कर दी गई है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके प्रतिवेदन में जो बात लिखी है कि उनको बराबर घाटा हो रहा है, तो तथ्य की जांच उन्होंने कर ली है कि वास्तव में घाटा हो रहा है या यह झूठ है और उन्होंने ऐसे ही लिख दिया है ?

श्री बनारसीदास—जैसा कि मैंने बतलाया, उनका कहना यह है कि पश्चिमी जिलों की फैक्टरियों के मुकाबले में पूर्वी जिलों की फैक्टरियों में मुनाफा कम हो रहा है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मिल मालिक फेडरेशन की ओर से मांग की गई है कि अब गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और इस लिये गन्ने का दाम कम किया जाय ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि क्या मिल मालिक असोसियेशन ने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों की रिकवरी में भेद है और क्या सरकार ने इसको देखते हुये इस बात की जांच कराई कि पूर्वी जिलों में रिकवरी पश्चिमी जिलों से कम नहीं है ?

श्री बनारसीदास—इस पर तो जांच हो रही है।

श्री उग्रसेन—पूर्वी और पश्चिमी जिलों की रिकवरी में क्या अन्तर है इसकी जांच कराई गई ?

श्री बनारसीदास—असोसियेशन ने अपने मेमोरेन्डम में यह रिकवरी का प्रश्न नहीं उठाया है बल्कि उसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि किस तरह से प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़े और उसका विकास हो और वह असोसियेशन चाहता है कि यह कार्य उन पर न छोड़कर यह सरकार और केन्द्रीय सरकार करें।

रिहन्द बांध से उत्पादित बिजली के वितरण की रूपरेखा

**५—श्री चन्द्रजीत—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध से उत्पादित होने वाली बिजली के वितरण की कोई रूप-रेखा सरकार ने तैयार कर ली है ? यदि हां, तो उसका विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—जी हां। रिहंद बांध से उत्पादित बिजली का वितरण मुख्यतः इस प्रकार किया जायगा—

१—बड़े उद्योगों के लिये	५१ प्रतिशत
२—मध्यम तथा छोटे उद्योगों के लिये	११ प्रतिशत
३—रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण के लिये	१५ प्रतिशत
४—सिंचाई के लिये	५ प्रतिशत
५—नगर तथा ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये ..	८ प्रतिशत
६—मध्य प्रदेश के लिये	१० प्रतिशत

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त रिहन्द बांध से कितनी बिजली उत्पन्न हो रही है और उसमें से ५१ प्रतिशत बिजली जो बड़े उद्योगों को दी जा रही है तो क्या यहां उन बड़े उद्योगों की व्यवस्था हो गई है जिन को कि यह ५१ प्रतिशत बिजली दी जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इसके बारे में आज ही मैं बाद में एक स्टेटमेंट देने वाला हूं, उसमें यह तमाम डिटेल दे दूंगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भिन्न-भिन्न कामों के लिये यह जो बिजली ईयरमार्क की गई है उसके लिये क्या रेट्स होंगे इसका भी निर्णय हुआ है या नहीं ? यदि हां, तो डोमेस्टिक कन्जम्पशन के रेट्स क्या वर्कआउट किये गये हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—रेट्स तो अलग-अलग निश्चित हुये हैं, अगर वह पूछना चाहेंगे तो मैं डिटेल दे दूंगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सिंचाई को ५ प्रतिशत और छोटे उद्योगों को ११ प्रतिशत ही देने का कारण यह है कि उन के लिये मांग ही कम है या सरकार उनको देना कम चाहती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—अभी तो उसके लिये मांग कम है, जितनी मांग होगी उसके अनुसार बिजली दी जायगी ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज सूबे भर में जो इस बात की चर्चा है कि बड़े उद्योगों को जो बिजली दी जायगी वह सस्ते दर पर दी जायगी और अन्य उद्योगों के लिये महंगी दर पर, क्या यह बात सही है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि स भदभाव की नीति का कारण क्या है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—बड़े उद्योगों को सस्ती बिजली मिलने का खास कारण यह होता है कि वहां पर सेन्ट परसेन्ट या ९० प्रतिशत लोड फैक्टर आता है जिस पर बिजली का इस्तेमाल होता है । इसी हिसाब से वहां बिजली दी जाती है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अल्मूनियम फैक्टरी को और ५ प्रतिशत सिंचाई के लिये जो बिजली दी जाती है वह किस दर पर दी जाती है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—रेट्स तो मेरे पास इस समय नहीं हैं, अगर वह कहेंगे तो मैं सूचना दे दूंगा । लेकिन यह बात सही है कि उन दोनों के रेट्स में अन्तर है ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—यदि सिंचाई के लिये किसानों को अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ी तो क्या दूसरे क्षेत्रों से काटकर किसानों की बिजली की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—बिजली तो हम बहुत ज्यादा बना रहे हैं ।

श्री गेंदासिंह—मंत्री जी ने बताया कि बड़े उद्योगों को मिलने वाली बिजली और कृषि के लिये दी जाने वाली बिजली की दरों में कुछ फर्क रहेगा । तो मैं ऐसा समझता हूं कि कृषि, सिंचाई के लिये जो बिजली दी जायगी उसकी दर कुछ कम होगी । यही राय है, या दूसरी राय है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैं बता दूं कि कृषि में जो बिजली दी जाती है उससे बड़ा भारी इस स्टेट को घाटा होता है और जो बड़े उद्योगों के लिये बिजली देते हैं उससे मुनाफा होगा । कृषि के लिये जो बिजली देते हैं, अभी मेरे पास लेटेस्ट आंकड़े नहीं हैं, लेकिन पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कृषि को बिजली देने में करीब डेढ़ करोड़ रुपये साल का घाटा रहा है ।

श्री चन्द्रजीत—मंत्री जी बतायेंगे कि जब रिहन्द डैम का निर्माण हो रहा था उस समय सरकार ने कहा था कि पूर्वी जिलों में छोटे उद्योगों के विकास के लिये और विशेष रूप से सिंचाई के लिये बिजली पैदा की जायगी । मगर अब आप कह रहे हैं कि कृषि के लिये बिजली देने में सरकार को घाटा होता है । तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पूर्वी जिलों में सिंचाई के साधन और उद्योग कम हैं वहां बिजली कुछ सस्ते रेट पर देगी ताकि उनका विकास हो सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—बिजली तो देने की बात है ही और पूर्वी जिलों को बिजली देंगे । रिहन्द को गोरखपुर और मऊ से इसीलिये जोड़ भी रहे हैं ताकि पूर्वी जिलों में ज्यादा दूर तक बिजली पहुंचा सकें । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस रेट पर सिंचाई के लिये बिजली देते हैं उससे सरकार को घाटा होता है, फायदा नहीं होता ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि कृषि में जो बिजली दी जाती है उसमें घाटा होता है, तो वह घाटे का कारण जो बड़ी इंडस्ट्रीज को सब्सीडाइज्ड रेट्स पर बिजली दी जाती है उसके कारण उस घाटे की पूर्ति करने में घाटा होता है या दोनों के रेट्स में प्रोडक्शन चार्जेज में घाटा होता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैं जरा समझा दूं कि जब कृषि को बिजली देते हैं तो कृषि वाले कांस्टेंटली बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं । उदाहरण के लिये एक ट्यूबवेल के लिये ५ किलोवाट बिजली दी, बड़ी इंडस्ट्रीज तो बिजली २४ घंटे इस्तेमाल करती हैं उसमें सब्सीडाइज्ड करने का सवाल नहीं है उसमें स्टेट का फायदा होता है, लेकिन ट्यूब वेल में बिजली तभी इस्तेमाल की जाती है जब किसानों को पानी लेने की आवश्यकता होती है । तो उनके लिये स्टैन्ड बाई रखना पड़ता है, लाइन भी दूर तक खींचनी पड़ती है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ट्यूबवेल के लिये बिजली दी और वर्षा हो गई तो कोई भी उस ट्यूबवेल से पानी नहीं लेता जिसके कारण सरकार को वह डेड लास हो जाया करता है ।

विधायकों की आवास व्यवस्था

**६—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त कितने विधायकों का रहने का प्रबन्ध सरकारी कमरों में हो गया है और कितनों का नहीं हुआ है ? जिनको कमरे मिल चुके हैं, उनमें ऐसे विधायक कितने हैं, जिनको सिंगिल सीटेड छोटे कमरे दिये गये हैं, और क्या उन्हें सरकार कोई क्षति पूरक भत्ता देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—इस समय तक ३६० विधायकों के रहने का प्रबंध सरकारी कमरों में हो चुका है तथा १४१ विधायकों के लिये नहीं हुआ है । कुल ५१ विधायक छोटे कमरों में रह रहे हैं जिनको क्षति पूरक भत्ता देने तथा उसकी धनराशि का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गणेशचन्द—क्या सरकार बतायेगी कि जो विधायक छोटे कमरों में रह रहे हैं उन्हें कब से क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जायगा; यह कब तक तय हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—कब तक की तो कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता हूं, लेकिन यह प्रश्न विचाराधीन है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी तय हो जायगा । यह भी बता दूं कि जब यह प्रश्न तय हो जायगा तो गालिबन हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जब से यह कमरे लोगों ने लिये तभी से उनको इनका भत्ता दे दिया जायगा ।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सदस्यों को अभी तक कमरे नहीं मिले हैं उनको कमरा दिलाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं इस बात को जानते हुये कि यह जिम्मेदारी उनकी है ?

श्री राममूर्ति—जितने कमरे सरकार के पास हैं वे सब भर गये हैं और इस बात की कोशिश की गई कि जो गैर-सरकारी इमारतें हैं उनको किसी तरह से ले लिया जाय, लेकिन उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है । बड़ी मुश्किल से ६ कमरे निशातगंज में हासिल किये गये हैं और उनके लिये सरकार की तरफ से जो लोग कमरा चाहते हैं उनको खबर दे दी गई है । उनका किराया बहुत कम है, साढ़े २२ रुपया मासिक उनका किराया होगा ।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुये कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह एलान किया था कि एक विधायक को एक कमरा दिया जायगा और उसकी व्यवस्था जल्दी की जायगी तो यह व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

श्री अध्यक्ष— उन्होंने कहा कि इसके लिये कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, लेकिन प्रयत्न हो रहा है ।

श्री झारखंडेराय—लेकिन यह कहा गया था कि एक विधायक के लिये एक कमरा बनाया जायगा, वह उद्देश्य कब तक पूरा हो सकेगा, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राममूर्ति—मैं उम्मीद करता हूं कि नवम्बर या दिसम्बर तक ३० कमरे और बन कर तयार हो जायेंगे और एक जमीन बड़ी मुश्किल से डेरा के राजा साहब की है उनसे लेने की कोशिश हो रही है । अगर मिल गई तो ३० कमरे और बन जायेंगे । इस तरह से ६० कमरे, १०, १२ महीने के अन्दर बन जायेंगे । फिर शायद ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

श्री भगवानदास (जिला आगरा)—दारुलशफा के कमरों में जिस तरह से मच्छर और खटमल बढ़ गये हैं और उन्होंने विधायकों का खून चूसा है उसके कम्पेनसेशन के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ?

(हंसी—कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

श्री गेंदासिंह—सभी लोगों को कमरे मुहइया नहीं किये जा सकते तो वह प्राथमिकता किस को दी जाय इसके लिये सरकार ने क्या कोई कसौटी नियत की है ? मेरी जानकारी यह है कि जो लोग परिवार के साथ रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जायगी, क्या यह सही है ?

श्री राम मूर्ति—कमरे एलाटमेंट करते वक्त इस बात का खयाल किया गया था कि पार्टियों को उनके सदस्यों के अनुपात में कमरे मिलें । यह भी खयाल किया गया कि हर जिले के लोगों को कुछ न कुछ कमरे दे दिये जायं ताकि विधायक आपस में मिल कर रह सकें । कांग्रेस को ७३ फीसदी, पी० एस० पी० को ६०.४ फीसदी , सोशलिस्ट को ६०.७ फीसदी, जनसंघ ५५.८ फीसदी, कम्युनिस्ट ७१.५ फीसदी, निर्दलीय ६५.२ फीसदी, स्वतंत्र पार्टी ५० फीसदी, रिपब्लिकन को ७७.७ फीसदी कमरे दिये गये । मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दू महासभा, जिसके दो सदस्य हैं, को एक भी कमरा हम नहीं दे पाये और मैं इस कोशिश में हूं कि उनको शीघ्र ही कमरा दे दिया जाय ।

श्री उग्रसेन—उदाहरण के लिये मैं जानना चाहता हूं कि सोशलिस्ट्स को २४ में से ९ को कमरे नहीं मिले हैं तो ६० फीसदी कैसे आ गया ?

(जवाब नहीं दिया गया ।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जिन विरोधी दल के विधायकों को कमरे एलाट किये गये थे उनके एलाटमेंट को कांग्रेस विधायकों ने कैंसिल करा कर जबरदस्ती अपने नाम एलाटमेंट कर लिया, ऐसा किया गया तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—ऐसा नहीं किया गया है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो परसेंटेज उन्होंने पढ़ कर सुनाया उसमें उन्होंने बतलाया कि ५५ प्रतिशत जनसंघ को एलाट किये गये तो इस प्रकार की कृपा करने का क्या कारण है जब कि अन्य दलों को ६० से ७० प्रतिशत तक कमरे एलाट किये गये ?

श्री राममूर्ति—वाकया यह है कि एलाटमेंट की पर्ची माननीय सदस्यों के पास भेजी गयी। लेकिन बहुत से मेम्बर्स पहले से रह रहे थे और यह भी सही है कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बर बहुत ज्यादा थे, उनमें से जो गये वे किसी दूसरे को अपने कमरे बैठा गये। १५ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनके नाम एलाटमेंट किया गया तो उनको कमरा नहीं मिला और लोग गासिबाना कब्जा करके बैठ गये हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं प्रिविलेज का सवाल उठाता हूं। अभी-अभी इसके पहले मंत्री जी ने झूठ बयानी की कि ऐसा नहीं किया गया। आप मेरी नोटिस ले लीजिये, मैं बाद में लिख कर दे दूंगा।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—एक बात का जवाब मंत्री जी ने गलत दिया है। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेरे नाम १२३ नम्बर का कमरा एलाट हुआ था। वे कहते हैं कि यह बात गलत है। यह बात बिलकुल ठीक है कि ताले तोड़ कर जबरदस्ती कमरों पर कब्जे किये गये और मेरे कमरे पर भी कब्जा किया गया था। उसके बाद वह कमरा उन्हीं को एलाट कर दिया गया।

पराजित मन्त्रियों व विधायकों की अवैधानिक आवास व्यवस्था

**७—श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सच है कि दो पराजित मंत्री अब भी सरकारी कोठियों में निवास कर रहे हैं ? यदि यह सच है, तो क्या सरकार ने कोई जाब्ते की कार्यवाही उनसे उक्त कोठियों को खाली कराने के लिये की है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—जी हां। दोनों भूतपूर्व मंत्रियों से आवास खाली करने का आग्रह किया जा चुका है। शहर में मकान तलाश कर रहे हैं। एक के घर के बच्चों के इम्तहान हो रहे हैं। दोनों सज्जनों ने यह आश्वासन दे दिया है कि मकान व फर्नीचर का किराया तथा टैक्स आदि देंगे।

**८—श्री दीपनारायणसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस आम चुनाव में चुन कर न आ पाने वाले कई पुराने विधायक अब भी विधायक निवासों में अवैधानिक ढंग पर रह रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—केवल ४ हारे हुए पुराने विधायक, विधायक निवास में रह रहे हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन भूतपूर्व मंत्री हैं जो कि कायदे के खिलाफ अब भी सरकारी मकानों में रह रहे हैं जब कि मुझ जैसे विधायक को, जिसने ७ फरवरी, १९६२ को दरख्वास्त दी थी, अभी भी बिना मकान के रहना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति—एक हैं माननीय हरगोविंद सिंह जी और दूसरे हैं रऊफ जाफरी साहब।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये दोनों मंत्रिगण इन बंगलों को कब तक खाली कर देंगे ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि इन दोनों ने मुझे यह खबर दी है कि वे मकान तलाश रहे हैं और जैसे ही मकान मिल जायगा वैसे ही वे खाली कर देंगे।

श्री राजबेन्द्रप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन चार विधायकों ने कमरे नहीं खाली किये हैं वे कौन लोग हैं और किस दल के हैं ?

श्री राममूर्ति—चार विधायकों में एक तो लेडी हैं जो कौंसिल का चुनाव लड़ रही हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम भी अर्ज कर दूं। एक स्वर्गीय ठाकुर मलखानसिंह जी हैं। उनके बच्चे रह रहे हैं। उनको मकान एलाट कर दिया गया है लेकिन चूंकि अभी मकान खाली नहीं हुआ है इसलिये अभी उसमें वे लोग नहीं जा पाये हैं। दो और सज्जन हैं जिनके बच्चों का इम्तहान हो रहा है। एक सज्जन की लड़की का बी० ए० का इम्तहान हो रहा है और दूसरे साहब के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही इम्तहान हो जायेंगे वे कमरे खाली कर देंगे।

सरकार का नैनीताल न जाने का निर्णय

**९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६२ में सरकार का नैनीताल जाने का विचार है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। मितव्ययता एवं प्रशासकीय कारणों को दृष्टि में रखते हुए ऐसा किया गया।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन प्रशासकीय कारणों पर विचार प्रकट करने की कृपा करेंगे जिनके कारण नैनीताल का जाना स्थगित किया ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—बहुत एतराज हुआ करता था कि नैनीताल जाने से अधिकारिवर्ग जो यहां कदाचित् ज्यादा काम कर लेते हैं वे वहां जा कर आराम करते हैं। इस तरह की आपत्तियां और आलोचनायें समय-समय पर सुनने को मिलती थीं और उन आपत्तियों और आलोचनाओं को सामने रखते हुये और अधिकारिवर्ग और मंत्रियों को उन आलोचनाओं से बचाने के लिये पिछले वर्ष इस बात का निर्णय लिया गया था और वही निर्णय इस साल भी सरकार ने लिया है।

श्री चन्द्रजीत—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि नैनीताल नहीं जायेंगे तो इस वर्ष के बजट में नैनीताल में विधायकों के निवास-स्थान बनाने की क्यों व्यवस्था की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विधायकों के निवास के लिये पिछले वर्ष रुपया रखा गया था और इस वर्ष नैनीताल को एक टूरिस्ट्स सेंटर के रूप में डिक्लेयर करना चाहते हैं तो जो विधायक वहां जायेंगे और दो महीने रहना चाहेंगे उनके लिये निवास-स्थान होने चाहिये। जो कमरे वहां पर हैं उनको किराये पर उठाया जायगा। हम चाहते हैं कि सरकार के न जाने से जो नुकसान नैनीताल निवासियों को होगा उनसे उनको इस तरह से बचाया जा सके कि अधिक से अधिक संख्या में लोग नैनीताल जायं और वहां ठहरें। जब पहले सरकार वहां जाती थी तो अधिक संख्या में विधायक जाते थे, अब भी वे वहां जायं और अपना समय वहां व्यतीत करें और उस क्षेत्र की जनता को सरकार के न जाने से जो असुविधा हो रही है उसकी पूर्ति करें।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि गर्मी के मुकाबिले में हर एक व्यक्ति सर्दी में अधिक काम करता है और सरकार का काम वहां पर अधिक होता था ? इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस पर भी विचार कर लिया है और तमाम पहलुओं को तोल लिया है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको सामने रखकर निर्णय लिया है।

श्री मेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिना सरकार के गये माननीय सदस्यों को वहां जाने की सुविधा प्रदान की है तो क्या उन्होंने मंत्रिमंडल के स्तर पर विचार कर लिया है कि बिना सरकार गये मंत्रिगण नैनीताल जायेंगे या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मंत्रियों को पिछले वर्ष भी यह अधिकार था कि वे नैनीताल जायं और खर्चा स्वतः वहन करें और कुछ गये भी थे और उन्होंने खर्चा तथा मकान का किराया इत्यादि दिया था ।

हैवी एलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स स्थापित करने की योजना

**१०—श्री चन्द्रजीत—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार ने हमारे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत Heavy Electrical Manufacturing plants, Antibiotice plants Fertilizer Factory and Diesel Locomotive plants देने का जो निश्चय किया है उसके कारखाने किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी लागत से और कब तक खुल रहे हैं ?

**११—क्या सरकार उपरोक्त बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में एक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—प्रत्येक कारखाने के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१–९२ पर)

श्री चन्द्रजीत—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस सूचना में यह कहा गया है कि गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर्स की फैक्टरी लगने वाली थी या बनारस में जो डीजिल लोकोमोटिव प्लान्ट लगने वाला था, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपना निर्णय बदलने का निश्चय किया है कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर्स की फैक्टरी न लगे । बनारस में जो प्लान्ट लगने वाला था उसके सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय नहीं किया है । भारत सरकार ने किन आधार पर गोरखपुर में फर्टिलाइजर्स की फैक्टरी न लगाने का निश्चय किया है और अब तक बनारस के सम्बन्ध में निर्णय क्यों नहीं लिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो मुझे नई सूचना मिली है कि सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि गोरखपुर में यह फैक्टरी नहीं लगेगी । मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है । प्रदेशीय सरकार तो बराबर कोशिश में लगी हुई है कि फर्टिलाइजर्स की फैक्टरी गोरखपुर में ही लगे ।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि भारत सरकार ने फर्टिलाइजर्स की फैक्टरी को वहां से हटाने का निश्चय किया है और मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं है तो वह इसको स्पष्ट करने की कृपा करें कि कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री अध्यक्ष—देखिये, उत्तर में दिया है कि "परन्तु भारत सरकार यह निश्चय बदलने का विचार कर रही है ।" यह नहीं है कि निश्चय बदल दिया है ।

श्री चन्द्रजीत—पूरा उत्तर पढ़ें तो उससे स्पष्ट हो जायगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी उत्तर को साफ किया । मैं अभी इस सम्बन्ध में दिल्ली गया था । मेरी बराबर कोशिश है और इस सरकार की यह इच्छा है कि जो बचन इस सरकार ने फर्टिलाइजर फैक्टरी को गोरखपुर में लगाने का दे रखा है वह पूरा किया जाय और केन्द्रीय सरकार से इसी कारण वह बराबर आग्रह कर रही है कि केन्द्रीय सरकार फैक्टरी के लगाने के स्थल को न बदले । और यदि केन्द्रीय सरकार हमारे आग्रह को स्वीकार न करे तो फिर बनारस, मिर्जापुर और जौनपुर इत्यादि ऐसे स्थान हैं जहां इस विषय पर विचार करने के लिये जोर दिया जायगा ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय राज्यपाल ने और माननीय मुख्य मंत्री ने अनेक सभाओं में यह आश्वासन दिया और वादा किया कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी लगेगी ? क्या कारण है कि इस बीच में सरकार का फैसला बदलने जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो स्थान फैक्टरी लगाने के लिये सेलेक्ट किया गया था वह स्थान उस जगह से नजदीक है जहां कि एरोड्रोम बना हुआ है। केन्द्रीय रक्षा विभाग उस एरोड्रोम को एयर वेज के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। जब हमारे सामने यह सवाल प्रस्तुत किया गया था तो उस समय हमने केन्द्रीय सरकार के सुरक्षा विभाग से यह निवेदन किया था कि कसिया में एक एरोड्रोम बना हुआ है वह कसिया एरोड्रोम को एअर वेज बना लें और फैक्टरी को यहां लगाने की इजाजत दे दें। परन्तु बाद में हमें यह बताया गया कि गोरखपुर और कसिया दोनों एरोड्रोम उनके काम के लिये जरूरी हैं। कुछ फौज की स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि दो एरोड्रोम की आवश्यकता होती है, यदि किसी एक एरोड्रोम को एयर वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अभी इस विषय की चर्चा केन्द्रीय सरकार से चल रही है। केन्द्रीय सरकार ने कोई इस विषय का निर्णय नहीं लिया है। केन्द्रीय सरकार के अधिकारिगण कदाचित् उस जगह को देखने के लिये जाने वाले हैं और अन्य जगहों को भी देखने वाले हैं। यह नहीं हो सकता कि प्रदेश की सरकार इस बात को मंजूर करे कि पहले जो बचन प्रदेशीय सरकार ने दे रखा है वह बचन पूरा न किया जाय। और यदि केन्द्रीय सरकार उन कारणों से जिनकी मैंने चर्चा की, यह फैसला करे कि उस जिले में फैक्टरी न लगायी जाय तो नजदीक के जिलों में जहां उसकी व्यवस्था की जा सकती है, फैक्टरी लगायी जाय। हमारी बराबर इस बात की कोशिश रहेगी कि फैक्टरी प्रदेश के बाहर न जाने पाये और पहली प्राथमिकता गोरखपुर में ही लगाने की प्रदान की जाय।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जितनी अड़चनें गोरखपुर में हैं वे एक भी जौनपुर में नहीं हैं बल्कि उसके अतिरिक्त जौनपुर में एक सुविधा है कि वहां छोटी और बड़ी दोनों रेलवे लाइनें हैं, वहां फैक्टरी लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिन कारणों को उन्होंने बताया, जब उस जमीन का इंतखाब हो रहा था तो क्या यह बात उनके सामने नहीं थी ? यदि हां, तो क्यों आश्वासन दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस समय गोरखपुर के 'एयरोड्रोम को एयरवेज के रूप में इस्तेमाल करने का प्रश्न न तो प्रदेशीय सरकार के सामने था और न केन्द्रीय सरकार के सामने था। नैपाल में जो परिस्थितियां पैदा हुईं और नैपाल के नजदीक उधर चीन में जो परिस्थितियां पैदा हुईं कदाचित् उन्हीं परिस्थितियों ने सरकार को मजबूर किया कि वह गोरखपुर के एयरोड्रोम को एयरवेज के रूप में इस्तेमाल करे। इसलिये जब फर्टिलाइजर फैक्टरी गोरखपुर में स्थापित करने का प्रश्न उठा था उस समय गोरखपुर के एयरोड्रोम को एयरवेज बनाने का प्रश्न सरकार के समक्ष नहीं था।

पुलिस लाइन, लखनऊ के खजाने से चोरी

**१२—श्री उग्रसेन, श्री टम्बेश्वरी प्रसाद तथा श्री शिवेंद्रप्रताप (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री को पता है कि दिनांक ३ अप्रैल, १९६२ को स्थानीय पुलिस लाइन, लखनऊ के गारद रक्षित खजाने से रहस्यमय तरीके से ६१,१०२·१० रु० की चोरी हो गई ? यदि हां, तो क्या मंत्री उसका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां। ६१,५१८ रु० ५२ न० पै० की चोरी हुई। संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३ पर)

*१३—श्री उग्रसेन, श्री टम्बेश्वरी तथा श्री शिवेंद्रप्रताप—क्या यह सही है कि सिपाहियों का वेतन अभी तक पुलिस लाइन लखनऊ में नहीं बटा है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय अधिकारियों को कब इस बात का पता चला कि ६१ हजार रुपये उस तिजोरी से गायब हो गये ?

श्री नवलकिशोर—जो अधिकारी थे उनको करीब साढ़े बारह बजे ३ अप्रैल को इस बात का पता चला उस सन्तरी के द्वारा जो ड्यूटी पर था कि तिजोरी का ताला खुला हुआ है। जब उसने इत्तला दी तो जो कर्मचारी थे उन्होंने जाकर देखा कि ६१ हजार ५१८ रुपये ५२ नये पैसे उसमें से गायब हैं।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि इसके पहले एक विभागीय उच्च अधिकारी ऐसा एस० पी० या डी०आई०जी० इस बात की जांच कर गये थे और उन्होंने रपट लिखी थी कि ताला कुंजी सब ठीक है ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उदल—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह जो उनका वेतन अभी तक नहीं बंटा है उसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, उसके लिये कुछ टेक्निकल फार्मेलिटीज होती हैं, सप्लीमेंटरी बिल्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। इस बात की कोशिश हो रही है और आदेश दे दिये गये हैं कि सप्लीमेंटरी बिल्स बनाकर भेज दिये जायं और उनकी स्वीकृति दे दी जाय ताकि उनका वेतन बंट जाय।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो साहब इस रुपये का गबन किये हैं यही पहले भी वेतन बांटते थे या कोई दूसरे साहब बांटते थे और अब की मर्तबे उन्होंने बांटा है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, आमतौर से वेतन यही महानुभाव बांटते थे जो सस्पेंड हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो सूबेदार इसमें मुलाजिम हैं उन पर पहले भी इस किस्म के चार्जेज लगे थे, मगर दबा दिये गये थे और वह पुनः बहाल करके उसी पद पर रखे गये थे ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

आर्म्ड पुलिस हेडकान्स्टेबुल, रामनाथसिंह के विरुद्ध थाना हसनगंज, लखनऊ में रिपोर्ट

**१४—श्री यादवेंद्रदत्त, श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना हसनगंज, लखनऊ में दिनांक १७ दिसम्बर, १९६१ को मोह०शेखापुर, बड़ा चांदगंज, लखनऊ के नागरिकों की ओर से कोई रिपोर्ट मारपीट, भ्रष्टाचार आदि से संबंधित, उसी मोहल्ले में रहने वाले आर्म्ड पुलिस के कर्मचारियों के विरुद्ध लिखाई गई थी ?

श्री नवलकिशोर—जी हां। श्रीमती धनपती ने अन्य तीन व्यक्तियों के साथ इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि हेड कान्स्टेबुल आर्म्ड पुलिस रामनाथ सिंह ने उसे मारा व गालियां दीं व उसकी पुत्री को भी गालियां दी।

****१५—श्री यादवेंद्रदत्त, श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—क्या सरकार यह भी बतायेंगी कि इस सम्बन्ध में उक्त दिनांक को ही इंसपेक्टर पुलिस लाइन्स, लखनऊ तथा १० जनवरी व १२ जनवरी, १९६२ को क्रमशः तत्कालीन गृह मंत्री तथा डी० एस०पी० (कम्प्लेन्ट्स), लखनऊ को भी आवेदन-पत्र दिये गये ?

श्री नवलकिशोर—एक प्रार्थना-पत्र रिजर्व इन्सपेक्टर पुलिस लाइन्स के नाम और दूसरा १०-१-६२ को गृह मंत्री के नाम दिया गया था।

****१६—श्री यादवेंद्रदत्त, श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**—यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—शिकायत की जांच की गई। हेड कांस्टेबुल द्वारा प्रार्थिनी को मारना सही पाया गया। अतः उसकी आचरण पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्यवाही की जा रही है। घटना कान्स्टेबुल के किसी सरकारी कार्य से संबंधित नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या यह सही है कि उस कांस्टेबुल ने इस प्रकार की पहले भी मारपीट की २,४ वारदातें की थीं ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इस बात को देखते हुये कि वह हेड कांस्टेबुल अब उन लोगों को वहां पर अधिक धमकी देता है तो क्या सरकार उसको वहां से स्थानान्तरण करने का विचार करेगी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, इस प्रकार की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है कि वह किसी को इस प्रकार की धमकी देता है।

तारांकित प्रश्न

****१-३—श्री बेदराम, श्री श्रीराम (जिला बिजनौर) तथा श्री बसन्त सिंह**—[३० अप्रैल, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

स्वायत्त शासन संस्थाओं के कम्पाउन्डरों का वेतन बढ़ाने पर विचार

****४—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों में काम करने वाले कम्पाउन्डरों का जो वेतन-क्रम बढ़ाया गया है वह स्वायत्त शासन संस्थाओं के काम करने वाले कम्पाउन्डरों पर कब तक लागू हो जायेगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—राजकीय अस्पतालों में काम करने वाले कम्पाउन्डरों के वेतन-क्रम बढ़ाने के जो आदेश हुये हैं वे स्वायत्त शासन की संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। परन्तु स्वायत्त शासन संस्थाओं में काम करने वाले कम्पाउन्डरों के वेतन-क्रम को बढ़ाने का प्रश्न अलग से सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पतालों के कम्पाउन्डरों का वेतन-क्रम बढ़ाया गया था और स्वशासन संस्थाओं में काम करने वाले कम्पाउन्डरों का वेतन बढ़ाने का प्रश्न सरकार के कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—राजकीय चिकित्सालयों के कम्पाउन्डरों का वेतन-क्रम १-४-१९६० को बढ़ाया गया था।

श्री रामसुन्दर—स्वशासन संस्थाओं में काम करने वाले कम्पाउन्डरों का वेतन बढ़ाने का प्रश्न कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसके लिये संबंधित विभागों को सूचना एकत्रित की जा रही है और ज्यों ही सूचना एकत्रित हो जायगी निर्णय होने में शीघ्रता की जायगी।

सैदपुर में जल-कल व्यवस्था के लिये ट्रायल ट्यूबवेल

*५—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के टाउन एरिया में जलकल की व्यवस्था के लिये कोई ट्रायल ट्यूबवेल मंजूर हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या हो रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां, इस कार्य के लिये स्टेट हेल्थ बोर्ड ने सन् १९५४ में २०,१०० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया था। लेकिन टाउन एरिया कमेटी द्वारा १९५९ तक भूमि उपलब्ध न कर सकने के कारण तथा उसके बाद बोरिंग रिंग स्थान पर न पहुंचने के कारण, नलकूप की बोरिंग हाथ द्वारा सन् १९६०-६१ में २९४ फीट की गहराई तक की गई परन्तु दुर्भाग्यवश पानी नहीं मिल सका। रिंग द्वारा ५०० फीट की गहराई तक नलकूप की बोरिंग के लिये एक रिवाइज्ड तखमीना तैयार किया गया था जिसके लिये स्टेट हेल्थ बोर्ड से ३२,०००रु० का अनुदान अगस्त, १९६१ में प्राप्त हुआ है। इस कार्य के लिये स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा टेन्डर आमंत्रित किये जा चुके हैं और टेन्डर स्वीकृत होने के पश्चात, बोरिंग की जायगी।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर टाउन एरिया की जनता को पानी पीने की व्यवस्था कब तक ठीक हो जायेगी और सरकार उसके लिये क्या-क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—ट्रायल ट्यूब वैल के सफल होने के पश्चात् तथा टाउन एरिया कमेटी से मुख्य अभियन्ता का शुल्क अग्रिम प्राप्त होने पर वृहत योजना (Detailed Project) का निर्माण किया जायगा और योजना बन जाने पर यह भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास टेक्निकल स्वीकृति हेतु भेज दी जायगी। और वहां से स्वीकार होने पर तथा धन प्राप्त होने के पश्चात योजना कार्यान्वित करने के लिये कमेटी को ऋण देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*७—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर टाउन एरिया की सड़क और नालियों की व्यवस्था बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो सरकार उसको ठीक कराने के लिये क्या इमदाद दे रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—शासन के पास सैदपुर टाउन एरिया की सड़क और नालियों की व्यवस्था खराब होने के संबंध में कोई शिकायत या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतएव उनको ठीक कराने के लिये सरकार द्वारा इमदाद देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव—क्या मंत्री जी बतालने की कृपा करेंगे कि चेक नम्बर १५९/१ दिनांक ३-१-१९६० को एक हजार रुपया मुख्य अभियन्ता को शुल्क दिया जा चुका है लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट बनाने में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, उत्तर में कहा गया है कि अभी वहां रिंग मंगाया गया है। वह आ जायगा तो खोदने का प्रयत्न किया जायगा। अगर पानी निकलेगा और खुदाव सक्सेसफुल होगी तो उसकी सूचना सेन्टर के पास भेजी जायगी और फिर आगे कार्यवाही होगी।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी वहां से सूचना मंगायेंगे कि वहां की नालियां आदि खराब हैं और यदि हां तो क्या उनको बनवाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इस प्रकार की सूचना सरकार के काम के लिये नाकाफी है।

*८—**श्री रामसुन्दर**—[१० मई, १९६२ के लिये प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कुमायूं फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशें

*९—**श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री बेदराम तथा श्री बसन्तसिंह**—क्या वन मंत्री कुमायूं फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखते हुये बतायेंगे कि सरकार ने कौन-कौन सिफारिश मान ली है और इस दिशा में वह क्या आज करने जा रही है ?

वन मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त)—कुमायूं फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें हैं और अभी उन पर सम्पूर्ण विचार नहीं हो पाया है, इसलिये इस समय यह संभव नहीं है कि रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जा सके अथवा जो सिफारिश निर्मित हो चुकी हैं उनका विवरण दिया जा सके।

श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पर कब तक विचार हो जायगा और कब तक वह सदन की मेज पर आ जायगी ?

श्री हरीदत्त—कोशिश इस बात की हो रही है कि जल्द से जल्द विचार हो जाय। सिफारिशें १०० से ऊपर हैं जिनमें से कुछ पर विचार हो चुका है और जब सब पर विचार हो चुकेगा तो वह सदन में जायेगी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन सिफारिशों पर विचार हो चुका है और जिनको सरकार ने मान लिया है वह कौन कौन हैं ?

श्री हरीदत्त—बहुत सी सिफारिशों पर विचार हुआ है। कुछ पर निर्णय हो चुका है, कुछ अधूरी हैं और इसलिये उनका पूरा ब्योरा मुमकिन नहीं है।

वाराणसी जिले को गलबैनाइज्ड आयरन शीट का कोटा

*१०—**श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)**—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर तथा जिला को सन् १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कितनी गलबैनाइज्ड आइरन शीट का कोटा दिया गया ?

*११—१९६१-६२ में उक्त कोटे के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उनमें से कुल कितने लोगों को परमिट मिले ?

*१२—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्षों में कितना स्टाक समय से वितरण न होने से स्टाकिस्ट सेल के लिये रिलीज हो गया ?

रसद उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक आ जायगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जल्द से जल्द ।

*१३-१४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[१० मई, १९६२ के लिये प्रश्न ५-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१५—**श्री लखपतराम शर्मा** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—[३० अप्रैल, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी में जिला वापसी चुंगी प्रथा लागू करने की प्रार्थना

*१६—**श्री लखपतराम शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी नगरपालिका द्वारा तथा झांसी की जनता द्वारा भी सरकार से तुरन्त झांसी में बिला वापसी चुंगी प्रथा लागू करने की मांग की ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । यों तो व्यापार मण्डल, झांसी तथा नगरपालिका, झांसी के इस संबंध में प्रस्ताव क्रमशः सन् १९५६ तथा सन् १९५७ में प्राप्त हुये थे । किन्तु नगरपालिका का प्रस्ताव अवैधानिक तथा अपूर्ण था । तदुपरान्त सन् १९६१ में कमिश्नर, झांसी डिवीजन के माध्यम से नगरपालिका का तत्संबंधी औपचारिक प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ, उस पर शासन ने विचार करने पर कुछ त्रुटियां पाई तब आदेश दिये गये कि नगरपालिका अपना संशोधित प्रस्ताव पुनः सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करके शासन के स्वीकृत्यर्थ भेजे । किन्तु उक्त संशोधित प्रस्ताव शासन को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ।

*१७—**श्री रक्षपालसिंह** (जिला इलाहाबाद)—[३० अप्रैल, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

फतेहपुर नगरपालिका द्वारा नाजायज टैक्स वसूल करने की शिकायत

*१८—**श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका फतेहपुर ने हाईकोर्ट के निर्णय सन् १९६१ के बाद भी नागरिकों से वाटर टैक्स या वाटर चार्ज वसूल किया है ? यदि हां, तो किस नियम अथवा किस समझौते के अनुसार ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—हाई कोर्ट के निर्णय के पश्चात् फतेहपुर नगरपालिका ने जल-कर वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की परन्तु कुछ लोगों ने स्वयं जल-कर जमा कर दिया था । जहां तक वाटर चार्जेज (जल का मूल्य) के वसूली का प्रश्न है उसे नगरपालिका ने अपने जल वितरण नियमों के अन्तर्गत केवल उन्हीं लोगों से लिया जिन्होंने नगरपालिका से निजी पानी का कनेक्शन ले रक्खा था ।

श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन टैक्सों को इल्लीगल डिक्लेयर किया जा चुका है उनको वापस कराने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस सरकार के पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, अगर कोई सूचना आयेगी तो उस पर विचार किया जायगा ।

भरथना टाऊन एरिया को नगरपालिका बनाने की प्रार्थना

*१९—**श्री सहदेव सिंह** (जिला इटावा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य में कुछ नागरी क्षेत्र समितियों (Town Area Committees) को नगरपालिका (Municipality) स्तर की बनाया जा रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—टाउन एरिया कमेटी मौदहा (हमीरपुर), मोदीनगर (मेरठ), पिथौरागढ़ और भरथना (इटावा) को नगरपालिका में परिवर्तित करने के प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्राप्त हुए हैं।

*२०—**श्री सहदेव सिंह**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिला अन्तर्गत भरथना टाउन एरिया कमेटी को म्युनिसिपैलिटी बनाने की सिफारिश की गयी है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां।

*२१—**श्री सहदेवसिंह**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त भरथना टाउन एरिया कमेटी को म्युनिसिपेलिटी कमेटी बनाने के प्रश्न पर क्या निर्णय हुआ है ? यदि विचाराधीन है, तो कब तक इसका निर्णय हो पायेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—टाउन एरिया कमेटी, भरथना की ऐसी आय न होने के कारण कि वह नगरपालिका बनाये जाने के फलस्वरूप होने वाला अतिरिक्त व्यय बहन कर सके। शासन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त प्रस्ताव को, एक वर्ष अथवा अधिक के लिये, जब तक टाउन एरिया, उक्त अतिरिक्त व्यय को स्वयं वहन करने में समर्थ न हो सके, स्थगित कर दिया जाय।

*२२—**श्री रघुवीर सहाय** (जिला फतेहपुर)—[३० अप्रैल, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। नियमावली के नियमों के अनुसार भी और सदन की परम्पराओं के अनुसार भी कोई भी सूचना प्रश्नों के समय में नहीं दी जा सकती। आज हमें जो आपने सूचना एजेन्डे में ११ बजे के बजाय ३ बजे छपने के संबंध में दी वह मेरे खयाल से नियमों के विरुद्ध थी और उसको प्रश्नों के बाद आपको देना चाहिये था।

दूसरे इस सूचना देने में प्रश्नों का समय तीन मिनट लगा और प्रश्न कम लिये गये। सवालों का समय भी पहले समाप्त कर दिया गया। तो इस संबंध में क्या आप हमें अपना कोई निर्णय देंगे।

श्री अध्यक्ष—वह मैंने सदन को सूचना नहीं दी थी बल्कि सदन से क्षमा याचना की थी कि यह गलती हो गयी है और उसकी वजह से सदन को कष्ट हुआ। क्षमा तो मैं हमेशा ही मांग सकता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—दूसरी गलती के लिये क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपया बैठिये। अब प्रश्नों के संबंध में माननीय गेंदा सिंह जी ने ठीक ही कहा कि उनके संबंध में अगर कुछ कहना हो तो बाद में कहा करूं। मेरा निवेदन यह था कि हमारा और सदन का सबका, प्रयत्न यह होना चाहिये कि जितने भी प्रश्न हों वह समाप्त कर दें। उसमें २ बातें होती हैं। एक तो यह होती है कि एक ही लिखित प्रश्न में बहुत से प्रश्नों का समावेश हो जाता है। परिणाम यह होता है कि स्वरूप में या वाह्य रूप में तो सूची में प्रश्न एक ही होता है किन्तु उसमें अनेक प्रश्न और अनेक बातों का समावेश होता है। तो मेरा निवेदन यह था कि एक ही प्रश्न में कई एक प्रश्न न जुड़ जायं बल्कि एक प्रश्न किया जाय। उसके बाद अलग-अलग दूसरे प्रश्न कर लिये जायं ताकि हमें मालूम हो जाय कि इन प्रश्नों के संबंध में सदन में पूरे उत्तर आ जायेंगे और सब को मालूम हो जायगा, अन्यथा बहुत अधिक संख्या में प्रश्न हो जायेंगे और उनका उत्तर देना संभव न होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं प्रश्नों के संबध में केवल एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं । यों तो सदन में आप जो कुछ भी कहते हैं वह सभी लोगों को शिरोधार्य चाहिये लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि हम विरोधी दल के लोग तो आप की बातों का ज्यादा आदर करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से कुछ कम आदर, अब मैं कैसे कहूं, होता है, लेकिन सरकार का ध्यान उन बातों की तरफ कम जाता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि कुछ ऐसे नियम या कोई इस तरह की परिपाटी बन जाय जिससे माननीय सदस्यों को प्रश्न करने में सुविधा मिले । मैं तो केन्द्र में जो पार्लियामेंट है उसमें देखता हूं कि अगर किसी प्रकार से टेढ़े मेढ़े प्रश्न भी माननीय सदस्यों ने कर दिये तो उनको भी शुद्ध कर लिया जाता है और उनको खारिज करने की कोशिश नहीं की जाती है । उनके लिये कागज भी सदस्यों को मुहैया किया जाता है । इन सब बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । कृपा करके आप किसी समय इन सब बातों पर पार्लियामेंट की परिपाटी , और दूसरी विधान सभाओं की परिपाटियां देखने का कष्ट करें और उनके अनुसार यहां भी कार्यवाही कराने की चेष्टा करें तो हमको बड़ी सुविधा होगी ।

श्री अध्यक्ष—जो बात माननीय गेंदासिंह जी ने कही वह आलोचना मेरे विचार से सरकार की नहीं है किन्तु मेरे ऊपर है और मेरे कार्यालय पर है । इस माननीय सदन के सदस्यों को यह अधिकार है और अधिकार ही नहीं, उनका यह अधिकार और कर्तव्य दोनों है कि जहां पर मै सरकार के प्रति किसी नियम के उल्लंघन को बरदास्त करूं तो वे मुझसे कह सकते हैं । नियमों का पालन करना, सदन की मर्यादाओं का संरक्षण करना, प्रत्येक सदस्य के अधिकारों को सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है । अगर किसी समय उनके हृदय में या किसी माननीय सदस्य के हृदय में ऐसी आशंका हो कि मैं अपने कर्तव्यों के पालन में, जो नियमों के अन्दर आते हैं, असावधानी बरत रहा हूं तो वह आकर मुझ से बता सकते हैं और मैं यह यत्न करूंगा कि इस प्रकार की असावधानी न हो ।

दूसरी बात जो माननीय गेंदा सिंह ने कही, उस संबंध में मैं ध्यान दे रहा हूं और मैं स्वयं प्रश्नों को ठीक करता हूं और कर देता हूं ताकि नियमों के अन्दर आ जायं । उस संबंध में प्रश्नों को देखते हुये, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना खेद प्रकट कर रहा हूं, कि माननीय सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वह हमारी नियमावली को पढ़ लें और देख लें कि उसके अनुसार किस तरह प्रश्न उपस्थित किये जाते हैं और उनके अनुकूल और अनुरूप अपने प्रश्नों को रखें तो मुझे भी सुविधा होगी अन्यथा दो तरीके होते हैं । एक तो मैं उन प्रश्नों को अस्वीकृत कर दूं, लेकिन उसमें मुझे बड़ा कष्ट होता है । आज नियमों को देखते हुये मैंने यह भी देखा कि मुझे अधिकार है कि प्रश्नों को वापस कर दूं और माननीय सदस्य को बुलाकर उनसे कहूं कि उसे शुद्ध कर दें । मैं यथाशक्ति यही कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर गलत प्रश्न हैं उनको संशोधित रूप में सदन के सामने लाऊं और अब मैं यह भी करूंगा कि माननीय सदस्यों को, जिनके प्रश्न आते हैं, उनको बुलाकर स्वयं शुद्ध करा लूंगा ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (संसद तथा राज्य विधान मण्डल के कतिपय श्रेणियों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की) नियमावली, १९६२* तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के चुनने की) नियमावली, १९६२*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—श्रीमन्, स्वायत्त शासन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६९३-बी/९-ए-२७-आर-६१, दिनांक १७ मार्च, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (संसद तथा राज्य विधान मंडल के कतिपय श्रेणियों के सदस्यों के

*छापी नहीं गयीं ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

प्रतिनिधित्व की) नियमावली, १९६२ तथा विज्ञप्ति संख्या ७१९–बी/९–ए–५–आर—६१, दिनांक १७ मार्च, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मन्त्री के सभा सचिव (श्री गणेशीलाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम०–बी–आर–ए०–एम–(४१)–२५८–टी० एम०/३०–बी, दिनांक २८ फरवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८११–एस० १८सी०-२०४२–६१, दिनांक २६ मार्च, १९६२ के अधीन प्रख्यापित इकाइयों से सम्बद्ध नियम*

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाउदयाल खन्ना)—श्रीमन्, मैं उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८११–एस/१८–सी–२०४२–६१, दिनांक २६ मार्च, १९६२ के अधीन प्रख्यापित इकाइयों, से संबद्ध नियम को उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ की धारा १५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सदन की की मेज पर रखता हूं—

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९४–११२ पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सदन की मेज पर रखता हूं—

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अप-व्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११३–१२० पर)

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा ३ अप्रैल, १९६२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक १० अप्रैल, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है ।

एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा ४ अप्रैल, १९६२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १२ अप्रैल, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा ४ अप्रैल, १९६२ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के १२ अप्रैल, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ जो विधान सभा द्वारा ३ अप्रैल, १९६२ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १० अप्रैल, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस पर क्या कार्यवाही होगी ? यह तो बिना किसी सिफारिश के वापस आया है । कुछ में तो यह लिखा हुआ है कि बिना किसी संशोधन के वापस आया और कुछ में यह है कि बिना किसी सिफारिश के वापस आया ।

श्री अध्यक्ष—धन विधेयक (मनी बिल) में वहां पर कोई संशोधन नहीं हो सकता, केवल सिफारिश कर सकते हैं । दूसरे विधेयकों में संशोधन भी कर सकते हैं । दोनों में यही अन्तर है ।

श्री गेंदासिंह—इसमें लिखा हुआ है कि बिना किसी सिफारिश के वापस आ गया ।

श्री अध्यक्ष—नियम यह है कि अगर कोई बिल बिना किसी सिफारिश या संशोधन के वापस आ जाता है तो वह पास समझा जाता है और वह गवर्नर को जायगा ।

इलाहाबाद नगर पुलिस द्वारा लाठी तथा गोली चलाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं । माननीय नेता विरोधी दल (श्री दुबे जी), माननीय जेड० ए० अहमद, माननीय नरसिंह नारायण जी, माननीय

[श्री अध्यक्ष]

कल्याणचन्द मोहिले, माननीय झारखंडे राय तथा माननीय रामसुन्दर पांडेय जी की ओर से आये हैं। जितने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आये हैं सभी इलाहाबाद गोलीकांड से संबंधित हैं। यद्यपि प्रारम्भ में मेरा ऐसा खयाल हुआ था कि चूंकि बजट के ऊपर आज से सामान्य विवाद प्रारम्भ हो रहा है इसलिये माननीय सदस्यगण पर्याप्त चर्चा कर सकेंगे किन्तु इस विषय के महत्व को देखते हुये और यह देखते हुये कि विशेष रूप से इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता है, मैंने यह निश्चय किया कि इसकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री जी को भेज दूं और कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही इन प्रस्तावों को अनुमति दूं। पहले नियम ६१ के अनुसार इस बात की आवश्यकता है कि प्रस्तावक, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के लिये इस सदन से अनुमति मांगे। चूंकि मैंने माननीय नेता, विरोधी दल के प्रस्ताव को प्रमुखता दी है, अतः वे सदन की अनुज्ञा मांगें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में पुलिस के द्वारा जो फायरिंग हुई है, इसका अपना एक अलग महत्व है। यह सही है, जैसा कि आपने कहा—बजट सेशन में इस पर विवाद हो जाता, पर इसके अन्दर कुछ बहुत महत्व की बातें हैं और बजट का अपना अलग ही महत्व है और उसी के बाद विवाद के साथ इसको भी रखा जाता है तो उचित न होगा। इसलिये मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन इसकी स्वीकृति दे।

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव इस प्रकार है—

"इलाहाबाद नगर पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण जनता पर अमानुषिक लाठी एवं गोली वर्षा से प्रदेश की जनता में क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इलाहाबाद की जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। पुलिस द्वारा दमन चक्र चल रहा है एवं तथ्यों को छिपाया जा रहा है। यह विषम परिस्थिति तो इस सरकार की लापरवाही एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों से उत्पन्न हुई है, पर विचार करने हेतु सदन अपनी आज की कार्यवाही स्थगित करता है।"

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की चर्चा अभी एक कार्य- स्थगन प्रस्ताव क द्वारा माननीय विरोधी दल के नेता ने की है, मैं भी चाहता हूं कि उस विषय की जानकारी सदन को करा दूं। जितनी बातें अभी आपके सामने आयी हैं उनमें से कुछ प्रश्न उठते हैं जिनकी और जानकारी प्राप्त करने के लिये मैंने अभी अभी अधिकारियों को आदेश दिये हैं। तो जहां तक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है, उसकी तो मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि जैसा स्वतः अभी आपने बतलाया है, सदन को काफी मौका, जब बजट पेश है, उस पर बहस होने वाली है, मिलेगा, उन तमाम बातों को सदन के समक्ष रखने के लिये जिनकी चर्चा अभी इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव में की गयी है। परन्तु जहां तक सदन की जानकारी का, इन तमाम बातों का सिलसिला है, मैं स्वतः चाहता हूं कि सदन को जानकारी कराऊं और मैं समझता हूं कि कल व्योरेवार जितनी बातें वहां हुई हैं, घटी हैं उनकी चर्चा में एक वक्तव्य के द्वारा सदन के समक्ष करूं। तो मेरा विनम्र निवेदन आपसे यह है कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे कल इस विषय में बयान देने का अवसर प्रदान करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं कि जैसा अभी मुख्य मंत्री ने कहा कि यह जो घटना हुई है, इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करके सारे तथ्य को इस सदन में रख दिया जाय, कदाचित् आज न हो सके।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में आपको क्या कहना है?

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब आपने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है और सदन के समक्ष इसकी अनुज्ञा मांगी है, तो आवश्यकता इस बात की है

कि आप इसकी अनुज्ञा के लिये सदस्यों को खड़े होने के लिये कहें। मेरी मांग यह है कि अगर पूरी जानकारी न होने की वजह से आज वाद-विवाद में भाग न लिया जा सके, तो इस पर कल भी विवाद हो सकता है, परन्तु मैं यह चाहूंगा कि एग्डजर्नमेंट मोशन को ऐडजर्नमेंट मोशन के रूप में ही कल लिया जाय, दफा ५२ या किसी स्टेटमेंट की दृष्टि से इसको न लिया जाय :

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, सभी दल के नेताओं ने कामरोको प्रस्ताव दिया है, हमारी तरफ से श्री नरसिंह नारायण ने कामरोको प्रस्ताव दिया है लेकिन आपने दुबे जी के कामरोको प्रस्ताव को नेता विरोधी दल के रूप में उन्हें सदन में पढ़ने के लिये कह दिया और अनुज्ञा मांगने का उन्हे आदेश दे दिया तथा उन्होंने सदन से इसकी अनुज्ञा मांगी भी। तो प्रक्रिया नियमावली के अनुसार इसे कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत ही आना चाहिये और उसी के अन्तर्गत इस पर वाद विवाद भी होना चाहिये। इसलिये आप इसे कामरोको प्रस्ताव ही करार दें।

श्री अध्यक्ष—आप जो कह रहे हैं....

श्री उग्रसेन—मेरा नम्र निवेदन है कि आपने कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किया है तो उसी के अनुसार अब कार्यवाही होनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष—मैं कहां कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी कल वक्तव्य देना चाहते हैं, अगर यह स्वीकार हो तो मैं अनुमति ले लूं। विचार आज के बजाय कल हो जाय तो अच्छा है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही होगी तो वह सदन के नियमों के अनुसार होगी। यह हो सकता है कि ज्यादा सूचना के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी समय मागें लेकिन ऐसा होने से डर इस बात का है कि इस तरह से नियम का उल्लंघन होने लगे और एक दिन के बजाय इसके लिये २-३ दिन का समय भी लिया जाने लगे। नियम ६२ जो इस संबंध में है उसमें लिखा है कि "यदि ऐसा प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिये साधारणतया नियत समय से एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निदेश दें, तो ऐसे पूर्व समय पर जब कि दिन का कार्य समाप्त हो जाय, उस प्रस्ताव को लिया जायगा।" इस के अनुसार कार्य स्थगन प्रस्ताव इसीलिये आता है कि उस दिन के कार्य को स्थगित कर के वह जरूरी कार्य किया जाय, महत्ता को देखते हुये, अब तक की परम्परा भी यही रही है कि टेलीफोन से सरकार सूचना मंगा कर देती है और शाम को अन्त में उस पर बहस होती है। अतः अगर किसी तरह से आज यह चीज कल के लिये टलती है तो नियम का उल्लंघन होता है, नियम तो सदन ही परिवर्तित कर सकता है, वह एक, दो सदस्य की राय से नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य कार्य-स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(९६ सदस्य खड़े हुये)

श्री अध्यक्ष—चूंकि ९६ माननीय सदस्य इस के पक्ष में हैं अतः इस पर सदन की अनुमति है।

अभी माननीय चन्द्रजीत जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया है। नियम ३१५ के अन्दर यह संभव था कि मैं किसी नियम को स्थगित कर दूं लेकिन वह उसी हालत में होना चाहिये जबकि पूरा सदन एकमत हो। परन्तु चूंकि माननीय चन्द्रजीत जी इस मत के नहीं हैं इसलिये आज ही ४ बजे से इस पर बहस होगी।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आपने अभी घोषणा की कि ४ बजे से कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जायगा, उस का समय ५ बजे तक न होकर २ घंटे का होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—वह तो होगा ही, जो नियम है २ घंटे का उसके अनुसार ही बहस होगी ।

रामपुर में गन्ने के कारखानों द्वारा कोयले के अभाव के कारण कारखाने बन्द करने के नोटिस दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत ५–७ सूचनायें आई हैं । उनमें से मने श्री रियासत हुसेन की सूचना को स्वीकार किया है । वह सूचना इस प्रकार से है कि—"रामपुर में गन्ने के दोनों कारखानों में कोयला न होने की वजह से १६–४–६२ से काम बन्द करने का नोटिस दे दिया है जिसकी वजह से हजारों काश्तकारों का गन्ना सूख जावेगा और सैकड़ों मजदूर बेकार हो जावेगा । कुछ दिन पहले भी कोयला न होने की वजह से ऐसा नोटिस मिला था मगर दूसरे कारखानों ने उधार कोयला दे दिया था जिसकी वजह से कारखाने बन्द नहीं हुये थे ।

इस बार ऐसी उम्मीद नहीं है जो उधार कोयला मिल सके । इसलिये जनाब मंत्री साहब इस तरफ फौरन ध्यान दें ।"

इसकी जो शब्दावली है वह ठीक नहीं है । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह जरा नियम का अध्ययन करके प्रस्ताव देते । लेकिन मैंने इसको स्वीकार कर लिया है, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बात कही उसी विचार से ।

माननीय खाद्य मंत्री इस संबंध में कुछ कहेंगे ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने प्रतापगढ़ के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां चल रहे ....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य नियम देख लेते जिसमें यह है कि एक ही प्रस्ताव एक दिन में इस तरह का लिया जा सकता है । उसी नियम के मातहत मैंने माननीय रियासत हुसैन का प्रस्ताव अधिक महत्व का समझा ।

रसद मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, एक तार इस प्रकार का हमारे कार्यालय को मिला था, तुरन्त ही २१ वैगन कोयला डी० एम० बरेली के द्वारा उनको दिला दिया गया था डिस्ट्रिक्ट कोटे में से और डी० एम० मुरादाबाद को भी यह लिख दिया गया था कि ढाई टन कोयला इनको दे दें और यह आशा की जाती है कि उनको यह मिल गया होगा ।

जहां तक कोयले का सवाल है जितनी माहवारी रिक्वायरमेंट हमारी इस इंडस्ट्रीज के कोयले के लिये होती है वह ६ हजार वैगन्स की है और हमारा मन्थली अलाटमेंट ३०७१ वैगन है और मई में अब हमें जो मिलने जा रहा है वह ३०७१ वैगन्स में से २३२६ वैगन कोयला होगा जो कि माहवारी कोटे से भी कम है । केन्द्रीय सरकार को इसके मुताल्लिक लिखा जा चुका है तथा माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वतः केन्द्रीय मंत्री तथा वहां के अधिकारियों से इस संबंध में मिल कर बातचीत भी की पर अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला है । यद्यपि इस वक्त तक यह फैक्टरी, जैसे पहले उधार ले कर चलती रही है और अब भी चल रही है तथा इसके अतिरिक्त कलकत्ता में जो हमारा लायजां अफसर रहता है उसको यहां से रेडिओ ग्राम भी दे दिया गया है तथा डिप्टी कोल कन्ट्रोलर को तार दे दिया गया है कि वह तुरन्त ही हमारे अप्रैल माह के कोटे को भेज दें । मगर प्रश्न यह है कि इस तरह की कठिनाइयां पेश होती रहेंगी क्योंकि हमारी माहवारी रिक्वायरमेन्ट्स ६ हजार वैगन्स की है जिसमें से हमारा माहवार अलाटमेंट

मई से २३२६ वैगन्स रह जायगा । अब यह नई कठिनाई हमारे सामने आई है । मगर अभी तक तो हम किसी तरह इधर उधर से ले कर अपना काम चलाते रहें हैं और चला रहें हैं और मेरा खयाल है इस फैक्टरी के बन्द होने का कोई सवाल नहीं पैदा होगा ।

श्री गेंदासिंह—(जिला देवरिया) पूरी सूचना तो मंत्री जी ने दी नहीं सिर्फ संभावना बतायी है । अतः उचित होगा यदि वह पूरी सूचना मंगा लें और उसके बाद सदन को तथा आपको पूरी सूचना दे दें तो हमको ज्यादा आसानी होगी ।

श्री अध्य—यह नोटिस नियम ५२ का है । मंत्री जी को स्वतः जितनी सूचना है वह दे चुके हैं । अब अगर कोई प्रश्न पूछना है तो स्पष्टीकरण की दृष्टि से आप पूछ सकते हैं और अगर कोई माननीय सदस्य समझते हैं इसके बाद भी, किसी प्रश्न की आवश्यकता है तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करके पूछ सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है । अतः जो सूचना मंत्री जी को देनी थी वह दे चुके हैं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है अक्सर ऐसा होता है कि प्रदेश में एक साथ ही कई महत्व की घटनायें हो जाती हैं और नियम यह है कि एक सदस्य एक समय एक ही नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव दे सकता है । तो कई घटनायें होने के बाद भूतपूर्व अध्यक्ष ने यह व्यवस्था की थी कि उन घटनाओं को एक-एक करके संबंधित मंत्रियों को वह निर्देश या आदेश देते थे कि वह उस पर वक्तव्य दे दिया करें । यह व्यवस्था उन्होंने की थी । मैं जानना चाहता हूं कि उस व्यवस्था का पालन आपकी ओर से भी है तो हम लोगों को सुविधा होगी, क्योंकि कई घटनायें इधर महत्व की हुई हैं जिनको आपने स्वीकार किया है । इसके अलावा दूसरा प्रश्न असिस्टेंट इंजीनियर्स का भी है नियम ५२ में जो विचाराधीन है । ऐसे ही अनेक प्रश्न होंगें । अतः उन तमाम प्रश्नों पर जिनको आप महत्वपूर्ण समझते हैं, अगर एक से अधिक आ जायं तो उन पर भी सरकार से वक्तव्य दिला दिया करें ताकि हम लोगों को जनमत को प्रकट करने का अवसर मिल सके ।

श्री अध्यक्ष—ये चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोग आपस में बैठ कर विचार कर सकते हैं, सदन में इस पर विचार नहीं हो सकता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—किसानों का जो गन्ना सूख रहा है मिलों के बन्द होने के कारण तो क्या गन्ने का हर्जाना मिल मालिक अदा करेंगे ?

श्री अध्य—अभी जवाब दिया जा चुका है कि मिलें बन्द नहीं हुई हैं ।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी को इस बात की सूचना कब मिली मिल की तरफ से कि कोयला का अभाव है और सरकार से कब मांग की गयी कि कोयला हमें दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—११ को टेलीग्राम सरकार को मिला और १२ को हमने तार दे कर कार्यवाही कर दी ।

श्री गेंदासिंह—क्या कोयले का ऐसा माकूल प्रबन्ध कर दिया गया है कि जब तक गन्ना मिलता रहेगा तब तक फैक्ट्री चलती रहेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जहां तक कोयले का सवाल है हर फैक्टरी को इधर से, उधर से उधार कोयला ले कर पहुंचा दिया जाता है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि मिल के पास सरकार का दिया हुआ कोयला अभी तक पहुंचा नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मेरा खयाल है कि बरेली का पहुंच चुका है। मुरादाबाद वाला पहुंचता होगा। ६० टन के लिये और लिखा है।

आजमगढ़ जिले में चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—आजमगढ़ जिले में चेचक की बीमारी महामारी के रूप में नवम्बर, १९६१ के अन्त में आरम्भ हुई। मऊ नगरपालिका तथा मुबारकपुर टाउन एरिया में इसका सबसे ज्यादा जोर था। आजमगढ़ नगरपालिका में भी इसका असर था। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति इस प्रकार है :

मऊ नगरपालिका—

दिसम्बर, ६१ से ७ अप्रैल ६२ तक की अवधि में ५९८ व्यक्ति रोगग्रस्त हुये तथा ३८३ मौतें हुईं। नगरपालिका ने जिला स्वास्थ्य विभाग की सहायता से सामूहिक रूप से टीके लगाने की योजना चालू की। इस कार्य के लिये जिले के स्टाफ में से २८ ऐपरेन्टिस वैक्सीनेटर्स तैनात किये गये। संक्रामक रोग नियमों के अन्तर्गत नगर में टीका लगाना अनिवार्य कर दिया गया। मऊ नगरपालिका के अध्यक्ष ने स्वयं दरवाजे-दरवाजे टीका लगाने की योजना में कर्मचारियों की सहायता की। उन्होंने जनता को टीका लगवाने के लिये प्रोत्साहित किया। दिसम्बर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में शहर में कुल १३,१८२ टीके लगाये गये। महामारी इस समय पूर्णतया काबू में है।

मुबारकपुर टाउन एरिया—

इस मौसम में मुबारकपुर टाउन एरिया में भी चेचक का बड़ा जोर था। पहला केस २४ नवम्बर, १९६१ को हुआ, लगभग ३५० रोगग्रस्त व्यक्तियों में से कुल १८९ मौतें हुईं।

दरवाजे-दरवाजे सामूहिक रूप से टीका लगाने की योजना चालू की गयी।

इस कार्य के लिये जिला स्टाफ में से १२ ऐप्रेंटिस वैक्सीनेटर्स तैनात किये गये। स्थानीय सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने स्वयं इस योजना में सहायता की क्योंकि स्थानीय जनता ने टीके लगाने की योजना का काफी विरोध किया था। टाउन एरिया में १९४७ टीके लगाये गये। बीमारी यहां अब काबू में है।

आजमगढ़ नगरपालिका—

यहां दिसम्बर, १९६१ से मार्च १९६२ की अवधि तक ५९ व्यक्तियों के रोगग्रस्त तथा १९ व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली। शहर में सामूहिक रूप से टीके लगाने की योजना चालू की गयी जिसके फलस्वरूप ७,२३० टीके लगाये गये। यहां बीमारी अब पूर्णतया काबू में है।

ग्रामीण क्षेत्र—

दिसम्बर, १९६१ से जिले के २८ गांवों में चेचक फैलने की सूचना प्राप्त हुई है। दिसम्बर, १९६१ से मार्च, १९६२ तक की अवधि में १९१ व्यक्तियों के रोगग्रस्त तथा ५६ व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है। जहां जहां बीमारी फैली थी वहां सामूहिक रूप से टीके लगाने की योजना चालू की गई जिसके फलस्वरूप ४६,४०३ टीके लगाये गये। बीमारी अब केवल ४ गांवों में है, बाकी सब जगह बीमारी पर पूरा काबू पा लिया गया है।

इस साल जिले के ४७ गांवों में मीजिल्स तथा चिकेन पाक्स की भी बीमारी के रूप में फैलने की सूचना प्राप्त हुई है। ग्रामीण जनता इन बीमारियों को भी चेचक समझ लेती है जिसके कारण भ्रम उत्पन्न हो जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । इस तरह के जो वक्तव्य सदन में माननीय मंत्रियों की ओर से सुनाये जाते हैं अच्छा होता कि उनकी एक कापी जिन सदस्य के द्वारा वह प्रश्न उठाया जाता है उनको भी मिल जाती जिससे कि जानकारी करने में तथा सप्लीमेंटरी प्रश्न करने में सहायता मिलती ।

श्री अध्यक्ष—इस बात को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे । आप एक सुझाव अपने नेता माननीय गेंदा सिंह को दे दीजिये ताकि उस पर हम लोग विचार कर लें । लेकिन यह सदन का विषय नहीं है ।

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन २८ गांवों की सूची उनके पास है उसमें अतरौलिया, बनकट, कोयलसा, महाराजगंज और दुबारी गांव भी शामिल हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—यह तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता । २८ गांवों की सूची इस समय मेरे पास नहीं है । चार गांवों की सूचना जिनमें हम अभी काबू नहीं पा सके हैं मेरे पास है ।

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष जी, हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से जो २८ गांवों की सूची है वह भी अपूर्ण है । हमारी इत्तला है कि चार, पांच सौ गांवों में यह बीमारी फैली हुई है । मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये यह निवेदन करूं कि वे फिर से इस बात की जानकारी हासिल करें कि क्या अतरौलिया, महाराजगंज, कोयलसा, दुबारी नाम के गांव जहां यह बीमारी फैली हुई है इस सूची में शामिल हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—यह जानकारी उनके पास इस वक्त है नहीं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जिन स्थानों में चेचक की बीमारी फैलने की बात मंत्री जी ने कही वहां मौतें होने की भी चर्चा उन्होंने की है और जितने पीरियड की की है उतने ही पीरियड में इस बात को देखते हुये कि पहले कभी भी इतनी बीमारी नहीं फैली थी और न इतनी मौतें ही हुईं, तो इसका क्या मुख्य कारण है इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसका कारण तो कोई बतलाया नहीं जा सकता । यह बीमारी फैल गयी है, भगवान की तरफ से बीमारी फैलती है । इसका कारण क्या बतलाऊं ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी इन सारी बीमारियों को भगवान के आसरे छोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न यह था कि क्या वे उन कारणों की जांच कराने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जांच कराने की कोशिश की जायगी ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मऊ की तरफ से एक सभा करके प्रस्ताव भेजे गये थे कि जितने बड़े पैमाने पर चेचक निकली है और मृत्यु हुई हैं, उनके सही आंकड़े तैयार नहीं किये गये हैं । जो आंकड़े तैयार किये गये हैं उनसे ज्यादा लोग मरे हैं और इस बीमारी में ग्रसित हुये हैं, ऐसी सूचना सरकार को मिली है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है । एक विशेष अधिकारी वहां भेजकर आंकड़े तैयार कराये गये हैं और जो जानकारी हासिल हुई है वह सदन में पेश कर दी गई है । यदि आप कोई गलती बतायें तो उसकी फिर से जांच करा ली जायगी ।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—मऊ शहर में यह आम चर्चा है कि जो आंकड़े जमा किये गये हैं वे बिलकुल गलत हैं। जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे बहुत ज्यादा बच्चे मरे हैं, तो क्या सरकार इसके लिये तैयार है कि एक अफसर मुकर्रर किया जाय जो वहां आकर जांच करे और पब्लिक तथा एम०एल०एज के कोआपरेशन से सरकार को सही आंकड़े दें ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—एक अफसर वहां भेजे गये थे, वे जांच करके आंकड़े ले आये हैं। जब तक कोई ऐसी बात न हो कि शक किया जाय कि आंकड़े सही नहीं हैं तब तक विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—उनका जवाब यह है कि सरकार की तरफ से एक अधिकारी मुकर्रर हुये थे और उन्होंने जांच की। मंत्री जी ने कहा है कि अगर उनकी जांच गलत है तो दूसरा प्रबन्ध होगा। अब आप कोई प्रश्न करना चाहें तो कर लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी ने डाक्टर जेड० ए० अहमद का सुझाव नहीं माना तो मेरा सुझाव मान लें। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे जुडीशियल इंक्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन अफसर वहां गये थे, कितने दिन ठहरे थे और क्या उन्होंने एम०एल० एज के परामर्श से जांच की ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—जो रिकार्ड वहां था उसके आधार पर उन्होंने जांच कर ली। जो माहवार मृत्युयें हुई हैं और जितने लोग ग्रसित हुये हैं, उसके आंकड़े मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कौन गये थे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अधिकारी का नाम तो मैं इस समय नहीं बता सकूंगा। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इन आंकड़ों के ऊपर काफी विवाद और मतभेद है और श्री जेड० ए० अहमद वहां जांच कर आये हैं तो सरकार ने जिस आफिसर को भेजा है उससे किसी ऊंचे आफिसर को भेजकर इस विवाद को मिटाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर कितने आदमी मरे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अगर वे माहवारी आंकड़े मुझे मालूम हो जायं जैसे कि मेरे पास हैं तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात पर आकृष्ट करूंगा कि जो विवाद है वह यह है कि आपने जो अभी उत्तर में कहा था कि जो कागज पर आंकड़े थे उन्हीं को देख कर अधिकारी ने रिपोर्ट दे दी। माननीय डाक्टर अहमद ने यह कहा आन दि स्पाट इंक्वायरी के आधार पर आंकड़ों में शंकायें हैं। तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है अगर किसी आदमी को भेज कर पता लगायें कि इन दोनों बातों में कितना तथ्य है। इस संबंध में जांच करा कर सदन के सामने रखे, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—वह आंकड़े मिल जायं, जो काउंटर केस हैं, तो जरूर जांच करवा लेंगे। लेकिन जब तक काउंटर केस न हो, मसलन मैं यह कहता हूं कि दिसम्बर में २१२ रोग ग्रस्त हुये और १५४ लोगों की मृत्युयें हुईं, यह आंकड़े मेरे पास हैं,

अब अगर दूसरे आंकड़े आप यह बतायें कि ५०० रोगग्रस्त हुये और ४०० की मृत्युयें हुईं तो उसकी जांच करवा लेंगे। लेकिन जब तक दूसरे आंकड़े न हों, केवल यह कह देना कि आंकड़े गलत हैं, तो किस बात की जांच करवायी जाय। जांच के लिये कोई कंट्रोवर्सी होनी चाहिये जिसकी जांच करवायी जाय।

श्री रामसुन्दर—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि आजमगढ़ की पालिका में, जो आजमगढ़ शहर है, उसमें कितने नागरिक मरे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—मैंने यह बताया कि आजमगढ़ नगर पालिका में दिसम्बर, १९६० से मार्च, १९६२ की अवधि में ६९ व्यक्ति रोगग्रस्त हुये और १९ व्यक्तियों की मत्युयें हुईं।

श्री रामसुन्दर—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतायेंगे कि यह सही है कि चेचक के टीके लगाने वाले कार्यकर्त्ता और दवाइयों का अभाव होने के कारण ही इस जिले में चेचक की बीमारी फैली है और वहां के स्वास्थ्य अधिकारी ने सरकार को या डाइरेक्टर को बार बार लिखा लेकिन फिर भी दवाई और कार्यकर्त्ताओं का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—नहीं, यह बात तो गलत है कि बार बार सूचना के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। जहांतक चेचक की दवाइयों का ताल्लुक है, चेचक की कोई दवाई नहीं है। वैक्सिनेशन जरूर होता है, टीका लगाने का प्रयत्न किया गया। ज्योंही खबर मिली कि बीमारी बढ़ रही है, टीका लगाने का इंतजाम कर दिया गया। टीका का बहुत से लोग विरोध करते हैं। यह कोशिश की गयी कि वह टीका लगवायें। टीका लगाने का विरोध करने के कारण बीमारी कुछ ज्यादा फैल गयी। यदि शुरू से कोआपरेशन करते तो शायद बीमारी इतनी न फैलती।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)—इस बात को देखते हुये कि महामारी में इतनी अधिक संख्या में लोगों की मृत्युयें हुईं, कोई एक मेडिकल बोर्ड भेजने पर सरकार विचार करेगी, जो इस बात की जांच करे कि बीमारी क्यों बढ़ी, इसका क्या कारण है और इसके निदान के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसके लिये एक अधिकारी भेज कर जांच करवा दी जायगी।

श्री उग्रसेन—वह मेडिकल बोर्ड की बात कर रहे हैं और वह अधिकारी की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि हम जांच करवा लेंगे।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—नम्बर १३ के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति, मेरा विचार था, कि इस मास में हो जाय, लेकिन चूंकि छुट्टियां हो रही हैं इसलिये मैंने २ मई, १९६२ की तिथि नियुक्त की है। नामिनेशन उसके एक दिन पूर्व, १ मई, १९६२ को होगा नियमों के अनुसार।

प्रदेश की जूट मिलों के श्रमिकों को अन्तरिम भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मेरे पास माननीय श्रम मंत्री जी ने १६-४-६२ को यह लिखकर के भेजा है कि वह आज जूट मिलों में अन्तरिम बोनस देने के संबंध में कोई वक्तव्य देंगे। वह वक्तव्य आज ही के लिये रखा हुआ भी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह वक्तव्य आज देंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष—वह वक्तव्य १४ नम्बर पर है और मैं उसी को लेने जा रहा हूं। इतनी जल्दी आप क्यों कर रहे हैं।

श्रम उप-मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से श्री नरसिंह नारायण पांडेय द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई नोटिस के बारे में वक्तव्य देता हूं।

जूट उद्योग के केंद्रीय वेतन मंडल ने जूट उद्योग के श्रमिकों को १ अक्तूबर, १९६० से २ रुपया ८५ न०पै० प्रति मास और १ जनवरी, १९६१ से ३ रुपया ४२ न०पै० प्रतिमास, की दर से अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की। भारत सरकार ने अपने २५ जनवरी, १९६१ के संकल्प द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किया और राज्य सरकारों से इन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

राज्य सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर एक त्रिदल समिति में इस राज्य की तीन जूट मिलों के सेवायोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बात-चीत करने का निश्चय किया और अन्ततः इस समिति की बैठक २९ मार्च, १९६१ को की गई। सेवायोजकों के प्रतिनिधियों ने इस बात की शिकायत की कि चूंकि इस राज्य की और पश्चिमी बंगाल की परिस्थितियों में अन्तर है अतः उन्हें अपने श्रमिकों को उसी दर से वेतन वृद्धि देने के लिये, जिस दर से पश्चिमी बंगाल में दी जाती है, आदेश देना अनुचित है। उनको यह बतलाया गया कि वेतन मंडल ने इन सभी बातों पर विचार कर लिया है और चूंकि ये सिफारिशें सर्वसम्मति से की गई हैं तथा वेतन मंडल में सेवायोजकों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं अतः इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना उनका कर्त्तव्य है।

जे०के०जूट मिल्स, कानपुर, महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर तथा महाबीर जूट मिल्स, सहजनवां नामक तीन जूट मिलों के सेवायोजकों ने इस आधार पर इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता प्रकट की कि ये मिलें वेतन वृद्धि का व्यय उठाने में असमर्थ हैं। सेवायोजकों का ऐसा रुख देखकर सरकार ने वेतन मंडल की सिफारिशें, संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट की धारा ३ के अधीन २५ अप्रैल, १९६१ को एक आज्ञा जारी करके लागू कर दीं।

इसके तुरन्त बाद उक्त तीनों जूट मिलों के प्रबन्धकों ने हाई कोर्ट में रिट पेटीशन दायर कर दी जिन पर मई, १९६१ के प्रारम्भ में हाई कोर्ट ने उक्त राजाज्ञा का परिपालन स्थगित करने का आदेश दे दिया।

इसी बीच भारत सरकार ने भी इन तीनों मिलों के सेवायोजकों को वेतन मंडल की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये समझाने का प्रयत्न किया परन्तु इससे कोई लाभ न हुआ। राज्य सरकार द्वारा इन रिट पेटीशनों का विरोध किया गया और अन्ततः २३ मार्च, १९६२ को हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट के फैसले के तुरन्त बाद राज्य सरकार के श्रमायुक्त को वेतन मंडल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश जारी किये गये। उनकी जो रिपोर्ट सरकार को अभी अभी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जे० के० जूट मिल, कानपुर के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच एक समझौता हो गया है जिसके अन्तर्गत वेतन मंडल द्वारा दी गई वेतन वृद्धि चालू माह से श्रमिकों को दी जायेगी और पिछला बकाया भी चार किस्तों में अदा कर दिया जायगा। इन किश्तों का भुगतान अप्रैल, जून, जुलाई तथा सितम्बर मास में कर दिया जायगा। लगभग इसी तरह का समझौता शेष दोनों मिलों के प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच भी हो गया है तथा यह आशा की जाती है कि बढ़े हुये वेतन का भुगतान इन मिलों में भी शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा।

रिहन्द पावर हाउस से उत्पादित बिजली का उपयोग न होने के कारण राज्य कोष को हानि के सम्बन्ध में वक्तव्य

*नियोजन उप मन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—माननीय नेकराम शर्मा ने रिहन्द की बिजली का उपयोग न होने से राज्यकोष को जो आर्थिक हानि हो रही है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में स्थिति यह है कि जब रिहन्द बांध योजना के समाप्त होने में अभी कई वर्ष रह गये थे तभी सन् १९५९ में ५५,००० किलोवाट बिजली देने का एक मोहाइदा हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन से किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने रिहन्द योजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना के कोर में इसी शर्त पर रखा था कि उसके उत्पादन में से ४०,००० किलोवाट बिजली रेलवेज को दी जायेगी। इतनी मात्रा में बिजली इन दो पार्टियों को देने के बाद जो बिजली बचती है उसको इलाहाबाद, मिर्जापुर राबर्ट्सगंज, वाराणसी तथा अन्य पूर्वी जिलों में बांटने की व्यवस्था की गयी थी। इस व्यवस्था के अनुसार रिहन्द से बिजली की लाइनें एक ओर मिर्जापुर तक और दूसरी ओर मुगलसराय तक बनाकर समय से तैयार कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त एक ३३,००० वोल्ट की अस्थायी लाइन मिर्जापुर से इलाहाबाद तक की भी बना दी गई है। इन लाइनों के द्वारा लगभग ३,५०० किलोवाट बिजली इलाहाबाद में इस समय दी जा रही है। उसके अतिरिक्त लगभग ३,००० किलोवाट गवर्नमेंट सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क को, १००० किलोवाट मिर्जापुर को, ४००० किलोवाट साहू कैमिकल्स को तथा लगभग ४००० किलोवाट मुगलसराय और वाराणसी के शहरों को दी जा रही है। इसके अतिरिक्त लगभग डेढ हजार किलोवाट हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन को फैक्टरी स्थापित करने के काम में प्रयोग करने के लिये भी दी जा रही है। और पिपरी इत्यादि का जितना लोड है वह भी रिहन्द से ही पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार तकरीबन १७,००० किलोवाट तथा १८,००० किलोवाट बिजली रिहन्द से इस्तेमाल की जा रही है।

यह सत्य है कि रिहन्द में इस समय ३ मशीनें पहले ही से तैयार हैं और बाकी २ भी कुछ दिनों के बाद चलाई जा सकती हैं परन्तु जब तक रेलवेज या हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन अपना अपना पूरा लोड लेने के लिये तैयार नहीं है तब तक इन मशीनों के चलाने से कोई लाभ नहीं है। हिन्दुस्तान एल्यूमोनियम कारपोरेशन से जो हमारा समझौता हुआ है उसके मुताबिक उनको सन् १९६२ के शुरू में ही बिजली लेने के लिये तैयार होना चाहिये था परन्तु क्योंकि बहुत पहले से यह बात नहीं कही जा सकती थी कि रिहन्द प्रोजेक्ट या एक इतनी बड़ी फैक्ट्री ठीक किस तारीख तक तैयार हो जायगी इसलिये उनके समझौते में यह शर्त है कि जब से हम बिजली देने के लिये तैयार होंगे उससे एक साल तक वास्तव में जितनी बिजली कम्पनी इस्तेमाल करेगी उतने की ही कीमत उसको देनी होगी। लेकिन उस तारीख से एक साल व्यतीत हो जाने के पश्चात् चाहे वे बिजली इस्तेमाल करें या न करें कम से कम १९,९७,७१७ रुपये हर तीन महीने के लिये उनको देना ही होगा। शासन की ओर से हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन को १९ अगस्त, १९६१ को नोटिस दे दिया गया था कि हम १ दिसम्बर, १९६१ से रिहन्द से उनको बिजली दे सकेंगे। अतः पहला एक साल का समय ३० नवम्बर सन् ६२ को समाप्त हो जायगा। इन शर्तों के मुताबिक जो नुक्सान हमको हो रहा है उसके एवज में हमको अपना मिनिमम चार्ज १ दिसम्बर, १९६२ से मिलने लगेगा।

जहां तक रेलवेज का संबंध है उनको भी शासन की ओर से कई महीने पहले से लिखा जा रहा है कि हम लोग बिजली देने के लिये दिसम्बर, ६१ से तैयार हो जायेंगे और वे भी अपना इन्तजाम पूरा करलें। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको तो बिजली बिहार के राज्य विद्युत परिषद को देनी है और बिहार का राज्य विद्युत परिषद उस बिजली को रेलवेज को वितरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

करने का प्रबन्ध करेगा। इस कार्य में उनको बहुत देर हो गई है जिस कारण से रेलवेज को भी अभी बिजली नहीं दी जा सकती। हम लोगों के बार बार लिखने पर और जोर देने पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार राज्य विद्युत परिषद का काम अगले जून तक पूरा हो जायगा और तभी रेलवेज को बिजली दी जा सकेगी। यह भी उम्मीद है कि हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन भी कम से कम दस या बारह हजार किलोवाट बिजली इस माह के अन्त तक या अगले माह के शुरू तक लेने लगेगा और पूरा लोड शायद जून तक ये लोग ले सकें।

जो मैंने ऊपर कहा उससे यह विदित होगा कि जहां तक उत्तर प्रदेशीय शासन का संबंध है हमने कोई कसर इस मामले में नहीं उठा रखी बल्कि भरसक यत्न किया कि रेलवेज और हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन दोनों जल्दी से जल्दी बिजली के इस्तेमाल करने की शुरुआत करें और उनके नहीं तैयार होने पर जितनी भी बिजली हम दूसरी जगह वितरण कर सकते हैं उसका भी हमने प्रबन्ध किया। अब प्रायः एक ही दो महीनों की बात है और उसके बाद रिहन्द की लगभग पूरी ही बिजली का प्रयोग होने लगेगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें प्रश्न बिलकुल स्पेसिफिक है कि ८०,००० रुपये प्रतिदिन की हानि हो रही है। इसको जरा माननीय मुख्य मंत्री स्पष्ट कर दें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने अपने स्टेटमेंट में यह पढ़ा कि हमारी एल्यूमिनियम फैक्टरी से यह शर्त थी कि जब हम उनको नोटिस देंगे उसके एक वर्ष बाद तक जितनी बिजली वह इस्तेमाल कर सकेंगे उतना ही वह देंगे और उसके बाद जो मैंने फीगर्स अभी पढ़े कि १९,९७,७१७ रुपये हर तिमाही वह जरूर देंगे चाहे वह बिजली इस्तेमाल करें या नहीं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—लेकिन नुकसान ८० हजार का हो रहा है, या कम या ज्यादा का, यह असली बात उन्होंने बतलायी नहीं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—अब दोनों वक्तव्य दे दिये गये हैं और मुझ से कहा गया था कि नियम ५२ में न आ सकें तो कम से कम इन पर वक्तव्य तो अवश्य दिलवा दें। तो माननीय सदस्यों के विचारों का आदर करते हुये यह वक्तव्य देने के लिये मैंने दोनों मंत्रियों को कह दिया था और आदेश दिया था कि इस पर वक्तव्य हो जायं। अब वक्तव्य दे दिये गये और यह नियम ५२ के अन्तर्गत थे नहीं। एक प्रश्न जो उठता था वह मैंने सफाई के लिये पूछ दिया और उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जब माननीय मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया तो प्रश्न पूछने का अधिकार हमें हो जाता है। किस नियम के अन्तर्गत आप यह अधिकार हमें नहीं दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—आपने जो मुझ से बातें की थीं।

श्री उग्रसेन—यह मैंने कभी नहीं कहा था कि हम अपना प्रश्न करने का अधिकार दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको कार्यवाही दिखला दूंगा। आप आ जाइयेगा।

श्री उग्रसेन—प्रश्न करने का अधिकार तो हमें मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन—बैठ तो मैं रहा हूं। लेकिन....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आपने जो ८० हजार रुपये वाली बात पूछी थी उसी का उत्तर मिल जाय ।

श्री अध्यक्ष—कृपया आप बैठें । मैं आप से निवेदन कर दूं कि मैंने उस दिन इस बात का निर्णय दे दिया था और यह तय हुआ था कि वक्तव्य होगा । मेरा निर्णय हो गया था ।

श्री उग्रसेन—आप स्वच्छंद हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है कि मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर वे प्रश्न करें । (व्यवधान) मेरा निवेदन सुन लें । यह मामूली प्रश्न नहीं है । जूट मिल के मजदूरों का मामला और रिहन्द की बिजली का मामला, इसमें बड़ी ढोल में पोल है । इसमें आपका व्यक्तिगत क्या है ?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—यह बड़े महत्व का प्रश्न है । मैंने जब आपके सामने यह प्रश्न उपस्थित किया था तो मुझ से आपकी कोई बात नहीं हुई थी और फिर जब वक्तव्य सदन में होता है तो उस पर प्रश्न होना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है । इतने महत्व के प्रश्न पर किस नियम के अन्तर्गत आप रूलिंग देंगे कि हम इस पर प्रश्न नहीं कर सकते । आपने भी एक प्रश्न किया था कि ८० हजार रुपया रोज खर्च हो रहा है और उसका भी उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—हो गया । मैंने समझ लिया ।

श्री उग्रसेन—तो आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री अध्यक्ष—मैं कह रहा हूं । आप बैठ जायं । एक तो नियम ५२ में मैं किसी विषय को इतना महत्वपूर्ण न समझूं कि मंत्री जी से कहूं कि नियम ५२ में आप वक्तव्य दें, लेकिन हो यह सकता है कि मैं मंत्री महोदय से यह कहूं कि नियम ५२ में यदि न भी आता हो तो भी आप उस विषय पर अपना वक्तव्य दें । तो 'विविध वक्तव्यों' में वह अपना वक्तव्य देते हैं । अब यह वक्तव्य जो दिया जाता है उससे माननीय सदस्यों को जो तथ्य उस विषय से संबंधित हों उनसे परिचय हो जाता है और फिर वे चाहें तो उन तथ्यों के आधार पर अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं और इसी विचार से मैंने उस दिन सदन में घोषणा कर दी थी । आप कृपा करके कार्यवाही देख लें ।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय दिया है वह ऐसा है कि जब सदन में भाषण होते हैं तब भी माननीय सदस्यों को अधिकार होता है कि वह प्रश्न करें । फिर आपने जब प्रश्न को महत्वपूर्ण समझा और जब आपका यह निर्णय हो गया कि वक्तव्य उस पर हो तब माननीय सदस्यों को यह अधिकार हो जाता है कि वे उस पर प्रश्न करें । अभी उस दिन एक वक्तव्य ऐसा ही महत्वपूर्ण हुआ था । इस प्रदेश में ओले पड़े फसलें नष्ट हो गयीं । आपने उसको स्वीकार किया और वक्तव्य हुआ लेकिन उस पर हमको आजतक मौका नहीं मिला कि हम प्रश्न करें । यह जो टालने की बात है उससे हमें मौका नहीं मिलता है और आप प्रश्न भी एलाऊ नहीं करते हैं । आपके इस निर्णय के विरोध में हम ५ मिनट के लिये सदन से वाक आउट करते हैं ।

(माननीय सदस्य ने ५ मिनट के लिये सदन का त्याग किया ।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जूट मिल के मजदूरों का यह मामला है । ४ जूट मिल हैं । उनके साथ बड़ी जबरदस्ती हो रही है । सरकार ने यह वादा किया था कि १६ पूर्वी जिलों को बिजली रिहन्द से दी जायगी लेकिन अब बिजली बिड़ला को दी जा रही है । चाहे कलकत्ता के बिड़ला हो और चाहे ये लखनऊ के बिड़ला, दोनों बिड़लाओं ने मिल करके यह काम

[श्री उग्रसेन]

किया है और इसकी सारी जिम्मेदारी उन दोनों पर है। अब उस पर सरकार ने एक वक्तव्य दे दिया है और आप उस पर हमें प्रश्न भी नहीं करने देते। हम आपके निर्णय से असहमत हैं और उस असहमति को प्रकट करते हुये हम सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन का त्याग १ घंटे के लिये करते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं सदन से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। कार्यवाही में जो बातें हुई हैं वह इसी प्रकार से हैं जैसा मैं कह रहा हूं। अगर सदन को यह तरीका वक्तव्य दिलवाने का पसन्द न होगा तो फिर मैं नियम ५२ के अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत जैसा होगा करूंगा।

श्री उग्रसेन—मैंने अभी आपसे कहा कि यह जो व्यवस्था आपने दी है उससे हम पूरी असहमति प्रकट करते हैं और हम सभी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन का त्याग करते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सब सदस्य सदन से चले गये।)

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बतलाता हूं कि सदन के अन्दर जो कार्यवाही हुई थी उसमें आप देखेंगे, मैंने यह कहा था कि यह नियम ५२ के अन्दर नहीं आता। तो श्री उग्रसेन जी ने कहा कि आप उस पर वक्तव्य दिला दें। तो मैंने वक्तव्य दिला दिया।

श्री उग्रसेन—(बाहर जाते हुये) मैंने यह नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष—अब आप जा रहे हैं तो आप जायं। जो बात है वह मैं बतला रहा हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक यह परम्परा इस सदन की रही है, जहां तक मुझे याद है, कि अगर कोई कामरोको प्रस्ताव आया और अध्यक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया किन्हीं कारणों से लेकिन अगर वह समझते हैं कि वह महत्वपूर्ण विषय है तो उस कामरोको प्रस्ताव को नियम ५२ के अन्दर प्रस्ताव के रूप में निर्धारित करके स्वयं ही मान लिया करते थे। उसके बाद वक्तव्य होने पर सवाल करने का अधिकार हम लोगों का होता था और हम लोग उस पर सवाल करते थे। यह परम्परा थी और एक स्वस्थ परम्परा थी। मैं समझता हूं कि आपके मस्तिष्क में भी यह बात अवश्य रही होगी कि यह महत्वपूर्ण विषय है जब आपने इस कामरोको प्रस्ताव को इस तरह से मंजूर किया था।

श्री अध्यक्ष—वह कामरोको प्रस्ताव नहीं था।

श्री झारखंडेराय—वह कामरोको प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बतला दूं जो आदेश है। अध्यक्ष ने उस पर निर्णय यह दिया था कि संबंधित मंत्री उक्त विषय पर १६-४-६२ को सदन में वक्तव्य देंगे।

श्री झारखंडेराय—वह कामरोको प्रस्ताव के रूप में था।

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप ठीक कह रहे हैं वह कामरोको प्रस्ताव के रूप में था।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—कृपा करके जो मूल प्रस्ताव है उसको पढ़ने की कृपा करें, सदन के सामने जब आपने एक प्रकार से काम रोको को कनवर्ट किया दफा ५२ के अन्तर्गत तो कृपा करके आप हमारी सुविधाओं का भी ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष—मैं जरूर गौर करूंगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव मंत्री के वक्तव्य से प्रारम्भ होकर सदन की चर्चा का विषय बनते रहे हैं। नियम १०६ में यह है कि प्रस्ताव द्वारा भी किसी विषय पर चर्चा उठा सकते हैं, लेकिन दूसरा प्रस्ताव हम नहीं दे सकते

कि किसी विषय पर चर्चा उठायी जायगी। लेकिन जब आप आज्ञा दे देते हैं कि मंत्री वक्तव्य दें तो मैं यह समझता हूं कि इससे यही तात्पर्य है कि उस वक्तव्य से हमको निश्चित जानकारी प्राप्त हो जायगी। इस प्रकार के प्रश्न तभी उठते हैं जब मंत्री महोदय कोई विषय जान-बूझकर छिपाना चाहते हैं। ऐसी ही परिस्थितियां आपके सामने निर्माण हो गयी हैं तो हम चाहेंगे कि आप हम लोगों को प्रश्नों की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। १०६ भी और नियम ५० भी है जिससे उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक सुझाव माननीय झारखंडे राय ने दिया है उस पर विचार करना है। उसका तो मैंने आदेश दे दिया था, उसी का पालन किया जाय।

श्री भगवानसहाय—जब आप उस प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार हैं तो मैं आशा करता हूं कि उसको भी आप खुला रखेंगे। अगर आपकी राय हो कि हम प्रस्ताव एलाउ करेंगे तो कर दें। वरना इसमें हमें शंका होती है। हमारे कामरोको प्रस्ताव को आप खुला रखें।

श्री अध्यक्ष—जजमेंट इन ऐंटीसिपेशन नहीं होता है। आप नोटिस देंगे तो मैं विचार करूंगा।

१९६२-६३ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इलेक्शंस के बाद नयी सरकार बनी और नये वित्त मंत्री भी आये। हमको आशा थी कि उनके भाषण और बजट में कुछ नयी दिशा होगी, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष समाप्त होकर दूसरा चल रहा है, तो प्रदेश के उत्थान के लिये, अपने जन-जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से कुछ उनके विचारों की आदर्शों की झलक भी होगी। परन्तु ज्यों ज्यों बजट भाषण मंत्री महोदय, पढ़ते गये मेरे मन में यह एक ही प्रक्रिया हुई कि अगर सन् १९६१-६२ के भूतपूर्व वित्त मंत्री का बजट रख दिया जाय और पढ़ने वालों के नाम बदल दिये जायं तो भाषा, भावनायें, सारी चीजें एक हैं। यह केवल पुनरावृत्ति मात्र ही है और उसी बात की पुनरावृत्ति हुई जोकि पिछला बजट पेश करते हुये माननीय वित्त मंत्री ने रखी थीं।

केवल एक ही परिपाटी का, जो वर्षानुवर्ष पांच वर्षों से देखता आ रहा हूं, इस मंत्रिमंडल ने पालन किया कि डेफिसिट बजट पेश करेंगे और फिर वर्ष समाप्त होते होते कहेंगे कि हम कितने बुद्धिमान हैं हमने डेफिसिट पूरा कर लिया। वही चीज इस बार भी आई। यदि आप आज्ञा दें तो मैं निवेदन करूं कि १९५५-५६ का जो बजट पेश हुआ था वह ७५८.६७ लाख का डेफिसिट बजट था और वर्ष का अन्त आते आते ५.३ लाख का सरप्लस दिखाकर इस सरकार ने अपना घाटा पूरा कर लिया। इसी प्रकार से ५६-५७ में ४.५ और ५७-५८ में ३.३ करोड़ का डेफिसिट था। क्या तमाशा है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ये जो बजट पेश करते हैं वह प्रान्त के आर्थिक चित्र का पूर्ण रूप नहीं होता। शुरू में डेफिसिट और समय आते आते कहते हैं कि हमने सब पूरा कर लिया। यदि मैं सही समझा हूं—यदि गलत समझा होऊंगा तो मंत्री महोदय सही करेंगे-तो उसी प्रकार के कथन का दिग्दर्शन हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच के पृष्ठ १४ पर किया है कि फिलहाल राजस्व में जितने घाटे का अनुमान है उसकी पूर्ति की कोई व्यवस्था न की जाय। अगर घाटा है तो उसकी पूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिये। परन्तु माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं इसका अर्थ यह समझूं कि वास्तव में घाटा नहीं है क्योंकि अगर वह घाटा न दिखायें तो टैक्सेशन की जो मांग है या जो धमकी है उसका क्या जस्टीफिकेशन जनता के सामने देंगे? और मुझे विश्वास है कि वास्तव में यह घाटे का बजट नहीं है। वर्ष का अन्त आते आते ये कहेंगे कि घाटा पूरा हो गया, सेविंग्ज हो गई हैं। सेविंग्ज आपने कहां से दिखाईं? साधारणतया एस्टीमेट्स से सेविंग्ज दिखाते हैं। इसके मान हुए कि एस्टीमेट्स सही नहीं होते।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं मानेंगे कि इस प्रान्त में जितनी भी स्कीम्स सरकार ने बनाईं, चाहे वह रिहन्द की हो, माताटीला की हो, सभी के एस्टीमेट्स प्रारम्भ में कुछ रहे और अन्त आते आते चौगुने पंचगुने का अन्तर हो गया। क्या अर्थ है? यही आपकी प्लानिंग है? प्लानिंग का अर्थ तो मैं यह समझता हूं यही होना चाहिय कि जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके साधन हैं और जो आपको करना है, उनमें समन्वय होना चाहिये। दस पांच परसेंट का वैरिएशन तो समझ में आता है लेकिन अगर दो सौ तीन सौ का वैरिएशन हो जाय तो आश्चर्यजनक है। इसपर यह कहना पड़ेगा कि या जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको स्वयं पता नहीं कि किसके लिये प्लानिंग कर रहे हैं और क्या प्लान है या वे बेचारे इतने अपात्र हैं कि काल्पनिक चित्र खड़ा कर देते हैं जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। और मेरा यह आरोप है इस सरकार पर कि इस राज्य की आर्थिक स्थिति का जो चित्र खींचा जाता है वह सत्य नहीं होता और फिर हमसे कहा जाता है कि सरकार के लिये सिवाय इसके कोई दूसरा विकल्प नहीं कि कि १३.३५ करोड़ रुपये के संसाधन अतिरिक्त कर लगाकर जुटावे।

एक ओर आप चित्र स्पष्ट नहीं करते, हमारे सामने और जनता के सामने स्पष्ट कहते नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है और दूसरी ओर आप कहते हैं कि टैक्स लगायेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी भाषण देने में बड़े प्रवीण हैं, बड़ी सुन्दर भाषा में और भावात्मक ढंग से कह गये कि भावी पीढ़ी के सामने, इतिहास के सामने हम जिम्मेवार ठहरेंगे। और अन्त में उन्होंने अपील इस बात की की कि हम त्याग करें, कष्ट उठावें। सही है, लोग कष्ट उठाने को तैयार हैं, परन्तु पहले आपकी सरकार भी तो जनता में इस तरह का विश्वास पैदा करे कि अभी जो टैक्स है या जो टैक्स हमारे ऊपर लगेगा उसका पाई पाई सही माने में प्रदेश के उत्थान में खर्च होगा। लेकिन इस विश्वास के लिये आप और हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के मन में यह बात है और सब जगह इसकी चर्चा होती है कि सरकार फजूलखर्च है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिस समय पहली बार आप मुख्य मंत्री होकर इस सदन में पधारे थे तो बड़ी सिंह गर्जना की थी कि हम एकोनामी करेंगे, और उधर के उनके प्रमुख लेफ्टिनेंट ने तो यहां तक कह डाला कि हम जो एकोनामी मेजर ला रहे हैं उससे १२–१३ करोड़ रुपया बच जायगा। मुझे आनन्द हुआ कि कम से कम १२–१३ करोड़ रुपया बच जायगा लेकिन आज वही मुख्य मंत्री जी बजट लाये हैं, उन्हीं की सरकार यह बजट लायी है जिसमें १२–१३ करोड़ रुपये का घाटा है। यह एकोनामी क्या हुई? तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कम से कम इतना बतायें कि क्या मैं एकोनामी शब्द का अर्थ फजूल खर्च करना ही समझूं? दो चार या दस चपरासियों को निकाल देने से क्या एकोनामी होगी? आपका मंत्रिमंडल जो अभी एक्सपेंड ही होता जा रहा है, उसमें अभी ४५ सदस्य हैं, उसकी तुलना में सम्पूर्ण भारत के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कम ही है। आपका मंत्रिमंडल तो सुरसा की तरह से है जो बढ़ता ही जा रहा है। इसका जस्टिफिकेशन यह दिया गया कि हमारी आबादी बहुत है, हमारी समस्यायें बहुत हैं। ठीक है, मान लिया लेकिन क्या आपकी सारी आबादी, सारी समस्यायें हिन्दुस्तान से भी ज्यादा हो गयी हैं। उत्तर प्रदेश जहां की आबादी ६–७ करोड़ के करीब है, यहां के मंत्रिमंडल से कुछ छोटा ही सम्पूर्ण भारत का मंत्रिमंडल है जहां की आबादी ४० करोड़ से ऊपर ही है। तो क्या ४० करोड़ आबादी की समस्याओं से ६ करोड़ आबादी की समस्यायें ही अधिक हैं? अगर दोनों की तुलना की जाय तो मैं नहीं समझता कि यह एकोनामी है, बल्कि इकोनामी के नाम पर यह फिजूलखर्ची ही है।

अब अगर यह विचार किया जाय कि काम बहुत है इसलिये लोग बढ़ाये गये, जैसा कि उस दिन मुख्य मंत्री ने बहुत जोर से यह कहा था कि कार्य में एफिशियेंसी बढ़ाने के लिये आदमी बढ़ाये गये हैं, तो मैं समझ नहीं पाया, कि क्या इससे यह समझा जाय कि संख्या की दृष्टि से चूंकि भारत सरकार के मंत्रिमंडल में कम सदस्य हैं। इसलिये वे कम एफिशियेंट हैं बनिस्बत यहां के मंत्रिमंडल के? मैं समझता हूं कि यह बात वास्तविकता और सत्य से परे है। अगर आप चाहते हैं

और आप अपेक्षा करते हैं तथा समाज को आह्वान करते हैं कि वह कोई बड़ा त्याग करे या कष्ट उठावे, तो आप सबसे पहले त्याग करे और एकोनामी आप ऊपर से शुरू करें। आप यह नहीं कर सकते कि चपरासियों को घटावें और कमिश्नरों को बढ़ावें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बजट को देख कर। इस बजट में जितने राज्य के खर्चे हैं, मैं सारे प्रशासन के खर्चे को नहीं लेता सम्पूर्ण राज्य के चालन के भिन्न भिन्न खर्चों को यदि जोड़ा जाय तो वह बजट का ६२ प्रतिशत आता है। यह आश्चर्यजनक बात है। जिस राज्य में एमालूमेंट्स का व्यय जिस में वेतन, टी०ए०, डी०ए० शामिल है ६२ प्रतिशत जोड़कर हो जाय तो वह फजूलखर्ची नहीं तो क्या है? यहां पर तमाम डुप्लीकेशन आफ डिपार्टमेन्ट्स मौजूद हैं, यह डुप्लीकेशन फजूलखर्ची नहीं है तो क्या है? एक तरफ ब्वाय स्काउन्ट्स हैं, गर्ल्स गाइड्स की संस्था है, जो काम यह करते हैं वही काम भारत सेवक समाज करता है। उसी काम को दो दो विभाग करते हैं। यह पोलिटिकल पैट्रनेज क्यों है? यह भारत सेवक समाज नहीं है यह तो अगर मैं कहूं कि कांग्रेस सेवक समाज है तो गलत न होगा। किसी भी दलगत सेवक समाज को राज्य के पैसे से चलाना गलत है और फजूल खर्ची है। इस तरह का और तमाम डुप्लीकेशन विभागों में है। अगर हम जनता से नये टैक्स की मांग करते हैं तो उस से पहले आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्वयं एकानामी करे। इस विषय में जो कुछ सुझाव मेरी समझ में आये हैं वह मैं भी सजेस्ट करना चाहता हूं।

आज भी सेक्रेटेरियट लेविल पर रिआर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। एक वेस्टेड इन्टरेस्ट से हो गये हैं और १५-१५ सालसे लोग यहां मौजूद हैं। ऐसे लोग जिन को कि एड-मिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है, जिन को जिलों की प्राब्लम्स की जानकारी नहीं है लेकिन वह बने हुये हैं। आज यहां सेक्रेटरी भी हैं और कमिश्नर भी बने हैं जो सेक्रेटरी हैं उसी को कमिश्नर क्यों बनाया गया है? अगर आप को उन को ग्रेड देना है, उन का वेतन बढ़ाना है तो उन को किसी दूसरी जगह ले जाइये। साधारणतया मैं समझता हूं कि प्रशासन में रोटेशन होना चाहिये जो कि आज यहां नहीं हो रहा है। बहुत से सेक्रेटरीज ऐसे हैं कि जो बर्सों से यहां जमे हुये हैं और अपनी एक डाइनेस्टी बनाये हुये हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत से अनुभवी लोग सेक्रेटेरियट में हैं उनकी आवश्यकता जिला स्तर पर हो ताकि उन का गाइडेंस, ट्रेनिंग और अनुभव हो जाय। आज रा-हैन्ड्स जिलों में डाल दिये गये हैं उन को कोई गाइडेंस या ट्रेनिंग नहीं है। जो सरकूलर जी०ओ० और डी०ओ० यहां से जाते हैं वह उन को नहीं समझते और वैसे ही डाल देते हैं। इससे प्रशासन ढीला होता चला जाता है, आज जिस चुस्ती और जिस एक लक्ष्य की जरूरत है वह नहीं है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि आज कोई भी प्रशासन का अधिकारी इनिशियेटिव या ड्राइव लेने को तैयार नहीं है। वह केवल समस्याओं को एक दूसरे पर डालते हैं और कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। मैंने कई अधिकारियों से पूछा कि जरा जरा सी छोटी बातों पर तुम निर्णय ले सकते हो, वह क्यों नहीं लेते? वह कहते हैं कि अगर ऊपर कोई नाराज हो जाय तो झंझट में क्यों पड़ें। वह निर्णय लेते हुये डरते हैं और इसी कारण से वह हर चीज को टाला करते हैं और इस तरह से पासिंग दि ब्रेक हो रहा है। इस का परिणाम यह हो रहा है कि समस्याओं का हल नहीं निकलता और जब तक ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक कागज दौड़ता है ६ महीने बीत जाते हैं तब तक वस्तुस्थिति ही बदल जाती है और दूसरी समस्यायें पैदा हो जाती हैं और वे नई शक्ल ले लेती हैं। इससे लोगों के अन्दर एक अविश्वास पैदा हो जाता है और उन के मन में एक भावना भरती जाती है कि यह शासन कुछ नहीं कर सकता और जब जनता में इस तरह की भावना घर कर जाय तो निश्चित है कि समाज अराजकता की ओर जायगा। ऐसी हालत में समाज को, अराजकता की ओर जाने से प्रशासन नहीं रोक सकता।

आज जरायम की जो बढ़ती हुई संख्या है उसका कारण यही है। आज पुलिस अधिकारी हिम्मत नहीं करते और दुख के साथ में कहूंगा कि इस का कारण है उसको नौकरी करनी है और जो आदमी नौकरी करने निकला है उसके सामने अपना कैरियर होता है। कितना ही हम यहां आदर्शवाद की बात करें लेकिन मनुष्य की जो कर्त्तव्य शक्ति को चालना देती है वह उसके कैरियर की भावना होती है और अगर मेरे हाथ में अधिकार है और किसी मेरे आदमी को कि

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

विशेष अपराध में पकड़ा और मैंने उसको हुक्म दे कर छुड़ा दिया तो प्रशासक की हिम्मत छूट जाती है । माननीय चरण सिंह जी जब पुलिस मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि सब पार्टीज में ऐसे लोग घुसे हुये हैं जो असामाजिक हैं, जिनके क्रिमिनल रेकार्ड्स हैं । मैं जानना चाहता हूं ऐसे कितने क्रिमिनल रेकार्ड वाले लोगों को पकड़ा गया और दंड दिया गया ? कोई नहीं । और मैं यह जानता हूं कि अगर कोई कदम उठाया भी गया तो लोगों ने यहां से स्ट्रिन्ग पुलिंग करके, ऊपर से आदेश दिला करके उसको छुड़वा दिया । नतीजा यह होगा कि जो जुर्म करने वाले हैं उनका सम्बन्ध जब राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी से हो जायगा और आप अपनी दलगत सत्ता के आधार पर उनको प्रश्रय देने लगेंगे तो निश्चित है आपका प्रशासन भ्रष्ट होगा, और भ्रष्ट हुआ है । आज इस ओर आपने क्या ध्यान दिया ? बजट में कहीं भी इस तरह की नीति का कोई भी निर्देश मात्र नहीं है कि आप इस बढ़ते हुये जुर्म को रोकने का कोई प्रयास करें । इसका कोई निर्देश नहीं कि आप शासन और पुलिस प्रशासन की ऐफीशियेन्सी बढ़ा रहे हैं ।

बारबार सदन में कहा गया कि प्रशासन को ठीक करने के लिये ऐफीशियेन्सी आडिट आप लाइये । परन्तु अभी तक सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया । क्यों नहीं लाते, क्यों आपके अधिकारी इससे घबड़ाते हैं ? ऐफीशियेंन्सी आडिट आने का अर्थ होगा कि जो अधिकारी ऐफीशियेन्ट होगा अपने काम में उसको आगे प्रोमोशन मिलना चाहिये । परन्तु आज प्रोमोशन ऐफीशियेन्सी के आधार पर नहीं होते । कहने के लिये हम कह सकते हैं, नारे भी लगते हैं कि ऐफीशियेन्सी के आधार पर प्रोमोशन देते हैं, परन्तु आप आज सेक्रेटेरियेट के लोगों को जो प्रोमोशन दिये हुये हैं उनके वर्क ऐफीशियेन्सी की अगर जांच की जाय तो निश्चित पायेंगे कि उनका वर्क आउट पुट सबसे कम रहा । मैं देखता हूं कि कितने ही लोग टी-स्टाल पर सुबह से शाम तक परेड करते दिखाई देते हैं । मेरी समझ में नहीं आता यह अधिकारी केवल चाय पीने के लिये रखे गये हैं या कुछ काम भी करते हैं । मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जानता हूं कि कई अधिकारियों के पास कोई काम नहीं है, केवल ४०० लोगों के तनख्वाहों के बिल पर दस्तखत करने के लिये हैं । क्या अर्थ है ? इस सब का सीधा अर्थ है कि आज प्रोमोशन और नियुक्तियां इस मापदंड पर नहीं होती कि कार्य के अन्दर क्षमता बढ़े, ऐफीशियेन्सी बढ़े परन्तु जैसी ब्यूरोक्रेसी की पद्धति है सेल्फ ऐक्सपेंडिंग, उसके अनुरूप आज ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है ।

एक सीधा सा सुझाव पिछली बार मैंने दिया था जिससे आपके खर्चे की बचत होगी, ऐफीशियेन्सी बढ़ेगी । जैसे हैड आफ दि डिपार्टमेन्ट है और उसी विभाग का सेक्रेटरी है, इन दोनों के रखने की क्या आवश्यकता है ? जो कुछ भी नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट के यहां हुई उसी की पुनरावृत्ति दूसरे शब्दों में सेक्रेटरी के यहां नीचे के क्लर्क से लेकर ऊपर तक होती है । यह डुप्लीकेशन आफ वर्क है । क्यों नहीं इन दोनों को मिला देते हैं ? जैसे कांटीनेंट में होता है । वहां डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, मिनिस्ट्रीज हैं । सेक्रेटरी भी उसके अन्दर हैं, परमानेन्ट हैड भी हैं और चीफ इंजीनियर भी उनका उसी के अन्दर है और दोनों का डायरेक्ट सम्बन्ध है । तो इस प्रकार जब अमेल्गेमेशन करेंगे, मिनिस्ट्रीज के रूप में खड़ा करेंगे, निश्चित है आपके यहां खर्चे की बचत होगी ।

(इस समय १ बजकर ३४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद पीठासीन हुये ।)

जब आप बचत दिखायेंगे और कार्य की ऐफीशियेन्सी बढ़ायेंगे तब आप जनता से कह सकते हैं कि हम तुम से टैक्स चाहते हैं समाज और देश के उत्थादन के लिये । लेकिन जब तक आप एकोनामी का भाषण देंगे तब तक एकोनामी के भाषण से ही जनता के अन्दर त्याग करने की भावना को कदाचित प्रोत्साहन नहीं मिल सकता ।

दूसरे मंत्री जी ने जो टैक्सेशन की बात कही है, उसे उन्होंने गोल करके रखी है । उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है कि आखिर कौन सा टक्स लगेगा ? उस टैक्स का इंसिडेंस किस पर होगा

और किन चीजों पर पड़ेगा । आप चाहते हैं कि हम आपको टैक्स लगाने का अधिकार दें लेकिन आप बतलाने को तैयार नहीं हैं कि आप कौन सा टैक्स लगायेंगे । यह क्यों आप कर रहे हैं ? निश्चित है कि लोगों के मन में इस बात के लिये शंका खड़ी हो रही है और माननीय मंत्री जी कृपया इस शंका को अपने भाषण में निर्मूल करें ।

आज चर्चा बड़े जोरों से हो रही है कि लगान बढ़ाये जायेंगे और तर्क यह दिया जाता है कि किसान आज जो गल्ला बेचता है उस पर उसको ४-५ गुने दाम मिलते हैं। इसका थोड़ा सा निर्देश हमारे राजस्व मंत्री जी ने राज्यपाल के भाषण के समय बोलते हुं दिया था कि आज किसान अच्छा खाता है, अच्छा रहता है, गांव गांव में साइकिलें हैं, पक्के मकान हो गये हैं । मुझे उसी दिन खटका था कि इस प्रकार का भाषण कहीं उस भूमिका की रचना तो नहीं है और वह सरकार की उस नीति की ओर तो इंगित नहीं कर रहा है कि लगान बढ़ाया जाय ।

यह तो बार बार इस सदन में कहा गया कि किसान की आमदनी बढ़ गयी और बड़े लम्बे चौड़े आंकड़ों से साबित करने की कोशिश की गई । सन् ३० में जो मूल्य थे आज उसके ५ गुने मूल्य मिलते हैं । यह बात समझ में नहीं आ पाती जिस किसान की यहां कल्पना की जाती है, जिसके पास इतना हरप्लस गल्ला हो कि सारा परिवार उसका भोजन कर सके, स्वयं भी खा सके, एक जीवन के स्तर पर भी रह सके और उसके बाद गल्ला उसके पास बचे जिससे वह मुनाफा ले सके, इस प्रकार के किसान कितने हैं इस सूबे में ? मैं कह सकता हूं कि अधिक नहीं तो ७० फीसदी किसान इस सूबे में ऐसे हैं जिनको दिन में दो बार आज खाना नहीं मिलता । आपकी पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है देहातों में लेकिन आज भी देहातों में वही खपरैल मौजूद है, आज भी छप्पर वैसे ही चूता है । तो अगर यह काल्पनिक किसान जिसकी ५ गुना आमदनी बढ़ गयी वह सूबे में हो नहीं और केवल आपकी कल्पना में वह हो तो आप अपनी कल्पना से वास्तविक किसान के जीवन स्तर को नष्ट कर देंगे और इस प्रकार उस पर टैक्स बढ़ाना अनुचित होगा । टैक्स बढ़ाने के लिये जो तर्क दिया जाता है वह गलत है ।

एक बात और बतलाऊं कि जब किसान की आमदनी की हम चर्चा करते हैं तो उसके खर्चे को भूल जाते हैं । किसान भी आदमी है । गल्ला खाने के बाद जो सरप्लस गल्ला बचता होगा, अगर उन्हीं के काल्पनिक किसान की बात मैं मान लूं तो भी वह उसे बेच कर कपड़ा लाता होगा, जूते लाता होगा, बैल खरीदता होगा, खेती से सम्बन्धित सारे उपयोगी सामान लाता होगा । उनके मूल्य भी आपके सामने होंगे । आपके ही मंथली बुलेटिन और स्टेटिस्टिक्स हैं, उसमें से, दो तीन आंकड़े मैं देता हूं कि उसमें सन् ३० के क्या भाव दिये हैं जिसके कारण साढ़े १२ परसेंट लगान में छूट दी गयी थी, उन भावों को जरा ध्यान में रखें और देखें कि आज के भाव क्या हैं । यह मोटी धोती है ९.७१ पर पेयर जो किसान आज पहनता हैं उत्तर प्रदेश में और सन् १९३० में मोटी धोती का दाम १४ आने से ले कर १८ आने जोड़ा तक था । यानी ९ गुना राइज हुआ है । अब जनानी धोती को देखिये । आखिर हमारे तथाकथित अधिक मुनाफा कमाये हुये किसान की स्त्री धोती तो पहनेगी, ही वह पंचवर्षीय योजनाओं के कागज को चारों तरफ लपेट कर तो रहेगी नहीं । आज जनानी धोती १०.२६ रुपये है जबकि सन् ३० में ढाई, तीन रुपये का जोड़ा मिलता था । यानी पांच, छः गुना दाम यहां भी बढ़ा । इसके बाद जूता देखिये । इतना तथ्य है कि सर्वसाधारण किसान जूता खरीद कर नहीं पहन सकता परन्तु जो खरीद सकता है उसे भी आज ४.२६ रुपये देने पड़ते हैं जोकि ८, १० आने में सन् ३० में मिल जाता था । किसान के दैनिक जीवन की आवश्यकता में मिट्टी का तेल भी है। आज उसका दाम, ३१ रुपया प्रति २४ औंस की बोतल है, जो सन् ३० के मुकाबले में ५ गुना बढ़ गाया है । तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि गलत चित्र एक तो हमारी आर्थिक स्थिति का रखा जाता है और सरकारी फिजूलखर्ची को पूर्ण करने के लिये जो हमारे ऊपर टैक्स लगाने का चित्र रखा जाता है, खासतौर से किसानों के बारे में कि वह बड़ा धनाढ्य हो गया है वह बिलकुल गलत है । उसके लिये जो आवश्यक उपभोक्ता सामग्री है उसका दाम ५, ६ और ८ गुना तक बढ़ गया है ।

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

श्रीमन्, किसान बेचारे की सायकिल की बड़ी चर्चा की जाती है कि हर घर में सायकिल हो गयी । मैं तो जौनपुर शहर में रह रहा हूं । हो सकता है कि हमारे मित्र कहें कि देहात के बारे में ये क्या जानें परन्तु कभी हमारे किसान के प्रेमी मित्रों ने उसकी सायकिल का सर्वे किया है कि गांवों में कौन सायकिल अधिकतर हैं ? क्या जो सायकिल गांवों में हैं वह नकद मूल्य दे कर खरीदी गयी हैं या हायर परचेज पर ली गयी हैं । अगर आप देखें तो जितनी महंगी सायकिलें हैं, जैसे सनबीम, हम्बर ये जो क्लास सायकिल कही जाती हैं ये गांवों में हजारों में एक मिलेंगी । सिर्फ सायब्रो, नार्टन और इंडिया सायकिल्स ही मिलेगी और ये सब हायर परचेज पर जाती हैं ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह गलत है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—हमारे मित्र कहते हैं कि यह गलत है । चलिये मैं जौनपुर में दिखा दूं, अन्यान्य जिलों में दिखा दूं और वैसे कहने को तो—

मूंदहु आंख कतहुं कोई नाहीं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्या सब यहीं हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—अब मैं क्या बताऊं ? अगर हमारे राजस्व मंत्री सुनने को भी तैयार न हों तो मजबूरी है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सुनता तो मैं बहुत गौर से हूं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—सुनते तो हैं, लेकिन सोते भी बहुत हैं ।

तो मैं कह रहा था कि रूरल इंडेटेडनेस का अगर अप सर्वे करायें तो पायेंगे कि गांवों में खासतौर से सायकिलें हायर परचेज पर ली गयी हैं और हायर परचेज एक कर्जा है । इसको आप यह नहीं कह सकते कि यह हमारी खुशहाली का कारण है । इसलिये मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस विषय पर जरूर स्पष्टीकरण करें और मेरी शंका को अपने भाषण में निर्मूल करें कि वे लगान नहीं बढ़ाना चाहते हैं । अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यह एक गलत चीज होगी ।

श्रीमन्, यहां माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बड़े जोरों से यह कहा, विशेषतः कृषि के ऊपर, हम अपने कृषि के उत्पादन में बहुत सफल हुये हैं और हमारी सारी कृषि योजनाओं ने किसानों को बहुत ऊंचा उठाया है और विशेषकर उन्होंने कृषि पंडित का नाम लिया कि उन्होंने एक एकड़ में ३८ मन गेहूं पैदा किया । ठीक है, लेकिन इसमें विचार करने की बात यह है कि इसमें लागत कितनी लगी है । इसके बारे में कोई आंकड़े नहीं दिये हैं और न कोई सूचना ही दी गई है । चूंकि घाटे या मुनाफे की बात तभी कह सकते हैं जब लागत भी हमारे सामने हो । अगर एक एकड़ में ३८ मन गेहूं पैदा करने में लागत दूनी लग गई हो तो इससे क्या फायदा है तब तो घर से देना पड़ जायगा । मैं भी जानता हूं कि यह खेल कैसे होता है । यह ऐसे होता है कि एक छोटा-सा टुकड़ा ले लेते हैं और उसे खाद आदि से खूब सैचूरेट करते हैं और उसको सैचूरेशन प्वाइंट पर पहुंचा देते हैं तब स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन बढ़ जायगा । इसीलिये इसमें कहीं भी लागत का वर्णन नहीं आया ।

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं माननीय दोस्त को एक बात बताना चाहता हूं कि यह एक एकड़ की पैदावार नहीं है बल्कि सारे गांव की है, ३५० एकड़ की पैदावार है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, मैं क्या जानूं ? माननीय वित्त मंत्री जी सारे गांव की बात कर रहे थे या एक व्यक्ति की बातकर रहे थे। इस संबंध में प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अहरौरा के निवासी श्री नाथीसिंह के उदाहरण का अनुकरण करके अब मैं उनकी भाषा की प्रशंसा करूं या क्या कहूं ? यह आश्चर्यजनक है। सिवाय बधाई देने के और क्या करूं ? एक मंत्री गांव के लिये कहते हैं और दूसरे मंत्री व्यक्ति के लिये कहते हैं।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—आप कह रहे थे कि आप यह सब खेल जानते हैं तो आप क्या जानते हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं खेल जानता हूं, लेकिन भाषा के लिये क्या कहूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—भाषा के समझने के लिये कुछ और चाहिये न।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, भाषा को समझने के लिये कुछ चाहिये, लेकिन स्पष्ट करने के लिये और जादूगरी के लिये भी कुछ और चाहिये। लेकिन देखना यह है कि इस पैदावार के होने में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। यह कहीं नहीं है। जब तक यह नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी पैदावार हुई। यह आदर्श या मापदंड उसी समय सफल माना जा सकता है जब वह सर्वसाधारण के मीन्स में आ सके। अगर दस हजार रुपया लगाकर पैदावार बढ़ा दी जाय तो क्या यह एक किसान को सम्भव हो सकता है ? इससे काम चलने वाला नहीं है। जो चाहिये था वह तो किया नहीं गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी कोआपरेटिव फार्मिंग के ऊपर कह रहे थे कि इसमें क्या आपत्ति है ? मिल जुलकर काम करो। मैं किसी और की बात नहीं कहता लेकिन चौधरी चरण सिंह ने एक किताब लिखी है उसमें उन्होंने यह लिखा है, अगर आप आज्ञा दें तो अंग्रेजी में है पढ़ दूं—

"The Planning Commission recently carried out a survey of 22 Co-operative Farming Societies in the country. They were not a representative sample by any means because the State Governments recommended only the more successful societies for study".

इसके मानी यह हैं कि औसत सोसाइटी को नहीं दिया, जिनको सफल राज्य सरकार ने समझा उनको रेकमेंड किया।

"It was found that joint Cultivation is practised only in 16 out of the 22 Societies. In seven of these Societies the land has been obtained from the Government ; in three of them it has been obtained in one block or two by lease or purchase from a landlord. Thus there are only twelve Societies in which members have pooled their existing holdings. But in eight of these twelve, most or all the members do not perform any farm work. In seven Societies out of twenty-two members also hold land outside the farm ; in one, their parents do so."

हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि मिल-जुलकर काम करने में क्या गुनाह है ? सब से बड़ा गुनाह आपके बड़े बुद्धिमान और समझदार कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपनी पुस्तिका में दिया है। आगे सुनिये कि क्या गुनाह है :—

"It appears, therefore that most of the so called Co-operative Farming Societies are either settlement societies or societies run on capitalist lines by groups of absentee landowners having all the work done by hired labour—A kind of joint stock estate farm established by joint families or extended families merely to secure the concessions given by Government in the form of loans or subsidies."

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

इसका सीधा अर्थ यह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग का सबसे बड़ा दोष यह है कि मनुष्य केवल सरकार से पैसा लेने की चिन्ता में रहता है खेती की कोई उन्नति नहीं होती । यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं । बड़े बुद्धिमान और समझदार कृषि मंत्री चौधरी साहब की पुस्तिका से कोट कर रहा हूं । आगे आप कहते हैं :

"Co-operative Societies in the sub-mountain regions of Uttar Pradesh, consisting either of political workers who had fought against the British or of refugees from Pakistan (who, too, had gone through a common crucible of suffering) were established in 1950 on land reclaimed by Government. They proved an utter failure after a working of two or three years; some proved even still-born. Government is now finding it difficult to realise its loans."

यह श्रीमन्, कोआपरेटिव फार्मिंग, जिसकी बड़ी चर्चा, बड़ी गाथा, बड़ी आत्मश्लाघा से प्रशंसा मंत्रिमंडल करते नहीं थकता, उसके विषय में, हमारे बड़े समझदार, बुद्धिमान चौधरी साहब का स्वयं का यह विचार है । उसी की ओर इंगित किया वित्त मंत्री ने, अपने बजट में । तो अगर साधारण आदमी यह समझे कि कोआपरेटिव फार्मिंग जनहित के लिये नहीं रखी गयी हैं खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये नहीं रखी गई हैं, बल्कि केवल राजनीतिक पैट्रोनेज के लिये रखी गई है, धन प्राप्त करने के लिये रखी गई है, तो कोई गलत नहीं होगा ।

श्रीमन्, अगर वह खेती की हालत सुधारना चाहते हैं तो उसके लिये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं । पहली आवश्यकता यह है कि किसान के पास जमीन होनी चाहिये । यह सत्य है कि आज इस सूबे के अन्दर कुछ लोगों के पास सब जमीन है और अधिकांश लोगों के पास भूमि नहीं है । उन्होंने भूमि बांटने का ऐक्ट पास किया । लेकिन वह ऐक्ट भी क्या आश्चर्यजनक है । जिस ऐक्ट के तीन चौथाई भाग में यह व्यवस्था की गई हो कि इस प्रकार की भूमि नहीं ली जायगी, उस ऐक्ट में कोई भूमि मिलेगी ? और जिस ऐक्ट की ढोल इतनी पिटी हो कि सारे लोगों ने स्वयं जमीन बांट ली हो और वह भी एक फर्जी ढंग से बांट ली हो तो जमीन कैसे मिलेगी ? इसलिये आज श्रीमन्, आवश्यकता है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड होना चाहिये । अगर आपने जमीन का बटवारा नहीं किया तो यह जो एक बड़ा भारी वर्ग है हमारे पास जिसकी भूमिक्षुधा आज तृप्त नहीं हैं, उसकी भूमिक्षुधा का लाभ लेकर समाज की बिघटनकारी शक्तियां आज ऊपर उठने का प्रयास कर रही हैं । अगर आपको इन समाज के अन्दर की बिघटनकारी शक्तियों को रोकना है तो उनकी इस भूमि क्षुधा को तृप्त करना होगा । और यह बड़ी स्वाभाविक चीज है, हर एक आदमी को अधिकार है अपनी जमीन रखने का । उसके पास उसकी व्यक्तिगत भूमि भी कुछ होनी चाहिये । मैं फिर श्रीमन्, चौधरी साहब की किताब से अपनी बात की पुष्टि करता हूं (व्यवधान) ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं पेश करना चाहता हूं । हमारे विरोधी दल के नेता चौधरी साहब का जो जिक्र कर रहे हैं और बार-बार उनकी किताब से हवाला दे रहे हैं तो यह उनका व्यक्तिगत खयाल है, कांग्रेस सरकार के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर वह आयद नहीं होता है । यह तो उनका अपना खयाल है ।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया बैठ जायं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं क्या बताऊं ? हमारे मित्र शायद समझ नहीं पाते या फिर मेरा ही दोष होगा, मेरी भाषा का दोष होगा । मैं चौधरी साहब की पुस्तक को कोट कर रहा हूं । उसमें न कोई कांग्रेस का प्रश्न उठता है न हमारे और किसी मित्र का प्रश्न उठता है । प्रश्न श्रीमन्, यह है कि व्यक्ति का जमीन के प्रति कितना प्रबल मोह

है और उसकी उस भूमि क्षुधा को तृप्त न किया गया तो उसके कितने भीषण परिणाम होते हैं, उसका चौधरी साहब ने एक उदाहरण दिया है। रूस के बारे में वह कहते हैं:—

"By far the most eloquent proof of the ineradicable individualism of the peasants is furnished by the fact that 'in 1941 during the first months of German occupation in remote villages where after the retreat of the Soviet Army, the Russians peasants felt free to act according to their own wishes, in all cases they dissolved the kolkhoz farms at once and turned to individual farming".

श्रीमन्, यह कितनी स्पष्ट बात है कि जिस रूस में ४० वर्ष तक राज्य के सब तंत्र, सब दंड, सब प्रचार यंत्र, इस बात के प्रयास में लगे हों कि मनुष्य का स्वभाव व्यक्तिगत भूमि के प्रेम से बदलकर समष्टिगत कर दिया जाय, वहां भी जिस समय वह राजतंत्र टूटता है व्यक्ति की जो भूमि प्राप्ति की इच्छा है, वह जैसी की तैसी उठ खड़ी होती है। यह बराबर इस बात का प्रमाण है कि आज जो भूमि हीन हैं उनकी भूमि क्षुधा को आप तृप्त नहीं करेंगे तो उसका परिणाम भीषण हो सकता है। इसलिए श्रीमन्, आज भूमि का बटवारा होना चाहिए और फिर इसके साथ-साथ उन्हें भूमि का स्वामित्व मिलना चाहिए।

आज चकबन्दी के नाम पर उनका स्वामित्व भूमि पर से उठ रहा है। आज किसान को विश्वास नहीं है कि यह चक उसका है या नहीं है। मैं कई जगह जानता हूं श्रीमन्, और राजस्व मंत्री अगर चाहेंगे तो मैं उदाहरण दे दूंगा, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद चकबन्दी कमेटी में इस बात के ऊपर विचार हुआ था और निर्णय भी हुआ था कि लोगों के घर के पीछे के चक उनको ही मिलने चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि घर एक आदमी का यहां है और यहां का चक दूसरे को दिया गया और उसका चक उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया गया। जौनपुर में चकबन्दी के नाम पर ऐसा हुआ है कि चकबन्दी के पहले जिसके पास दस बीघे जमीन थी चकबन्दी के बाद उसके पास २० बीघे हो गई और जिसके पास २० बीघे थी चकबन्दी के बाद उसके पास ५ बीघे रह गई। जिसने कुछ पैसे टिका दिये उसकी जमीन बढ़ गई। यह सब गड़बड़ी चकों के मूल्यांकन में हुई है। इसके कारण आज किसानों का विश्वास अपनी भूमि पर नहीं रह गया है। यह विश्वास आज उनके अन्दर पैदा करने की जरूरत है और यह तब पैदा होगा जब आप उसको भूमि पर स्वामित्व देंगे।

स्वामित्व के साथ-साथ श्रीमन्, खेती की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यकता इस बात की होगी कि एकोनामिक प्राइस नीति आपकी हो। कोई मूल्यांकन निर्धारण नीति आपकी होनी चाहिए। आज आपकी मूल्य निर्धारण नीति कुछ नहीं है। बहुत आप यह करते हैं कि यदि दाम घटने लगे तो निश्चित मूल्य पर गल्ला खरीदने के लिये बाजार में आ जाते हैं। अगर दाम बढ़ने लगे तो सरकार एक निश्चित मूल्य पर गल्ला बेचती है। मैं यह पूछता हूं कि यह गल्ला निर्धारण नीति एकांगी नहीं होनी चाहिये किन्तु सर्वांगीण होनी चाहिये। जीवन की सब आवश्यक चीजों के लिये मूल्य निर्धारण होना चाहिये। अगर आपने प्राइसेज का कंट्रोल नहीं किया तो आपकी प्लान्ड योजनायें खर्चीली हो जायंगी और योजनाओं के सफल होने में कठिनाई हो जायगी।

आज महंगाई क्यों बढ़ रही है। आप देखें कि गल्ला प्रोड्यूस प्राइस में और फिनिश गुड्स प्राइस में कितना अन्तर है। दुनिया के किसी देश में इतना अन्तर इनमें नहीं है। परन्तु यहां पर अन्तर बढ़ता जाता है। उसकी वजह यही है कि आपके पास प्राइस कंट्रोल नीति नहीं है। अगर आप प्राइसेज का कंट्रोल नहीं करेंगे और बारबार सदन में यही कहते रहेंगे कि बजट अधिक इसलिये रखा गया है कि महंगाई बढ़ गई इस वजह से खर्चा भी बढ़ गया और आप इसको रोकते नहीं हैं और गल्ले की प्राइस निर्धारित नहीं करते हैं। इन रिलेशन टु फिनिश गुड्स तो गल्ले के दाम जरूर तेज होंगे और उसके अनुसार चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, तब किसान की क्रय शक्ति नष्ट हो जायगी।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

आज आप श्रीमन्, देखें कि योजनाओं के अन्दर गलत दृष्टिकोण होने के कारण देहातों की क्रय शक्ति घट गई, उनकी परचेजिंग पावर घट गई, देहात की आमदनी घट गई। गरीबी बढ़ गई और कुछ लोग जो केन्द्रित उद्योगों के मालिक थे वे अमीर होते गये। इसके साथ ही जो आयकर के देने वाले थे उनकी संख्या भी घटी है, और उनकी आमदनी बढ़ी है। इस देश में आयकर देने वालों की संख्या १९५५-५६ में ५,२७,३३७ थी जिनसे ७८४.९१ करोड़ आमदनी थी। सरकार कहती है कि आय में वृद्धि हुई। उसी आयकर देने वालों की संख्या कम हो गई। ५ लाख से ऊपर देने वालों की संख्या ८७७ थी जिनसे १६१.७८ करोड़ आय थी। उसमें सर चार्ज मिलाकर ८५.४७ करोड़ और थी। अगर इस आय को प्रति व्यक्ति औसत बांटा जाय तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से देश का कल्याण हो सकता है। यह एक कारण है कि जिससे ये कठिनाई योजनाओं में आ रही है कि सरकार के पास कोई प्राइस कंट्रोल की पालिसी नहीं है। जब सरकार के पास प्राइस कंट्रोल की पालिसी होगी और फिनिश गुड्स की प्राइस गल्ले के अनुसार होंगी तो किसान को कुछ सुविधा मिल सकती है। उसकी खेती की जो आमदनी है उसके अनुसार अगर बाजार से उस को चीजें मिलती हैं तो यह एक सुविधा की बात हो सकती है। आज यदि खेती की पैदावार के दाम घटते हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि रूरल क्रेडिट फाइनेंसिंग का प्रबन्ध हो क्योंकि यह कृषि का एक मूलभूत आधार है जिससे उनकी उन्नति हो सकती है किन्तु आपके बजट में उसके लिये कोई प्राविजन नहीं है। आज किसान तबाह होता है अपनी पैदावार के अभाव में। उसके अभाव में चाहे वह सरकार से तकावी ले या महाजन से करजा ले या अपनी भूमि को बेचे या गिरवी रखे उसकी फसल ६ महीने से पहले उसकी नहीं मिल सकती है। तो उसको जो पैसे की आवश्यकता होती है वह कहां से पूरी करे? उसकी प्रतीक्षा वह गल्ले के पैदावार तक नहीं कर सकता है इस कारण वह पैसे के अभाव के कारण गल्ले के उत्पादन पर निर्भर नहीं है। इस वजह से गांव में मजबूरी की हालत में वह गल्ले का भाव खोलता है। तब वह मजबूर होता है कि अपने गल्ले को सस्ते भाव पर बेचे। इसलिये जरूरत है कि रूरल क्रेडिट फाइनेंसिंग की योजना बनाई जाय। जैसे व्यापारी अपना माल बैंक में रखकर अपना काम चलाता है उसी प्रकार से किसान को अपनी पैदावार रखने की सुविधा होनी चाहिये जिससे फसल की इकोनामिक प्राइस किसान को मिलती रहे ताकि समय पर वह अपनी आवश्यकता को पूरा कर ले। यह तभी हो सकता है जब उनको रुरल क्रेडिट फाइनेंसिंग के द्वारा पैसा मिलता रहे।

इसके साथ-साथ आवश्यक क्राप इंश्योरेंस चाहिये। आज की खेती जुआ है। अतिवृष्टि हुई, बाढ़ आ गयी और सब नष्ट हो गया। आज तो मैं देखता हूं कि ज्यों ज्यों योजना बढ़ती जाती है त्यों त्यों वाटर लार्गिंग बढ़ती जाती है और यह इरिगेशन इंजीनियर्स की बलिहारी है, उन्हीं की देन है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता लेकिन खेती में जो जुआ है उसमें आप किसान की सहायता नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि तकावी लो, लेकिन जिसकी साल भर की आमदनी नष्ट हो जाय क्या उस पर और कर्जा लाद कर आप उसकी भलाई करने की सोचते हैं। ऐसा कर आप उसकी भलाई नहीं कर सकते। उसकी क्षतिपूर्ति तो हुई नहीं, तकावी लेने से उस पर कर्ज बढ़ गया। इसके लिये क्राप इंश्योरेंस की आवश्यकता है। उससे किसान की क्षतिपूर्ति होगी। जैसे आदमी की जिन्दगी का बीमा होता है उसी प्रकार खेती में क्षति होने पर उसका नुकसान किसान को मिलना चाहिये।

इसके साथ-साथ सिंचाई अजीब महंगी है। आप स्वयं बजट के पेज १३५ पर 'मेमोरेंडम आन दि बजट एस्टीमेट्स' में इस बात को स्वीकार किये हैं। इसके साथ ही साथ इसमें आप देखें कि बराबर घाटा हुआ। १९६१ में लाभ और हानि का प्रतिशत ९ आया है। १९६१-६२ में आया है ८.३ परसेंट और फिर १९६२-६३ में बढ़ गया है ९.१ परसेंट। यह किस बात का द्योतक है? इस घाटे के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपने सिंचाई के साधन वहां उपलब्ध कराये जहां आवश्यकता नहीं थी या समय पर पानी नहीं दिया या फिर सिंचाई की दर इतनी महंगी है कि लोग उसका फायदा उठाना नहीं चाहते। इस घाटे के यही तीन

कारण हो सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूं। (व्यवधान) मेरे मित्र कहते हैं कि एक उदाहरण से क्या होगा, लेकिन हांडी का एक ही चावल देखा जाता है। जौनपुर में पानी का बहाव उत्तर से दक्षिण को है, लेकिन गूलें बनी हुई है दक्षिण से उत्तर की ओर और सिंचाई इतनी महंगी है कि किसान ले नहीं पाता और आपके साधनों का उपयोग पूरे सूबे में नहीं हो पाता। इसलिये आवश्यकता है कि आप इसे नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चलायें। इसमें सरकार मुनाफा न ले। मैं समझता हूं कि पानी पर मुनाफा करना रोजगार की बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके अतिरिक्त लगान आधा होना चाहिये। यह मैं इसलिये कहता हूं कि किसान को आज रिलीफ की आवश्यकता है। किसान की क्रय शक्ति घट गयी है। उसकी गरीबी बढ़ी है और ऐसी स्थिति में आपको उसे रिलीफ देना चाहिये। जब आप ऐसा करेंगे तो उसकी खेती अच्छी होगी और यह स्वाभाविक है कि जब किसी काम में आदमी को रुपया मिलेगी तो वह उसे अच्छी तरह करेगा। आज जो लोग गांव छोड़ कर शहर की ओर भाग रहे हैं उसका एक कारण खेती में हानि होना भी है और इसे रोकने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त हमें किसान को स्थानिक उद्योग भी देना चाहिये। आज भी मैं सुन रहा था कि जितने भी उद्योग आपने निर्माण किये हैं वह सब केंद्रित उद्योग हैं। इनमें एक तो पूंजी बहुत लगती है और दूसरे उनका फल भी लोगों को देर में मिलता है। मैं पिछले वर्ष से एक ही गाथा सुनता आ रहा हूं कि लखनऊ की प्रिसिशन फैक्टरी इतनी से इतनी हो गयी, चुर्क की इतनी से इतनी हो गयी, अब पूरी हुई तब पूरी हुई। क्या १ ही योजना १० वर्षीय योजना हो गयी? इतनी बड़ी योजनाओं में पैसा ज्यादा लगता है और जो प्रत्यक्ष लाभ होना चाहिए, समाज की बेकारी दूर करने में और उत्थान करने में वह नहीं हो पाता। तो जल्दी किस से लाभ हो? वह छोटे उद्योग हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी इससे संतोष कर लेंगे कि हम कुटीर उद्योग तो चला रहे हैं। गाजीपुर में परदा बना लिया या मऊ में लुंगी बना ली तो क्या यह कुटीर उद्योग हो गया? यह काटेज इंडस्ट्री हो सकती है, लघु उद्योग नहीं। जनसंघ का स्पष्ट कहना है कि हैंडलूम और चरखे से काम नहीं चलने वाला है। हमारे छोटे उद्योगों के लिए पावर होनी चाहिए, पावर लूम्स होने चाहिए जैसे कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण जापान में है, अमेरिका में है।

श्रीमन्, लोगों को आश्चर्य होता है। वह समझते हैं कि अमेरिका और जापान में जो कि सेंट्रलाइज्ड उद्योग के देश हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वास्तव में वे डिसेंट्रलाइज्ड उद्योग के देश हैं, जर्मनी भी है। आपके यहां जो थोड़ा कुटीर उद्योग चरखे इत्यादि का बढ़ गया तो परदे और झाड़ फानूस बने, लेकिन अमेरिका का तो २० परसेंट लघु उद्योग पर आधारित है। खैर, अमेरिका को छोड़ दीजिये, पंजाब में मोटर पर सड़क पर जाइये तो आपके गांव खुशहाल दिखाई देंगे। मैंने अपनी आंख से देखा है कि पंजाब में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, साइकिल पार्ट्स बनाने के, रेडियो के बकसे बनाने के, अनेक प्रकार के उद्योग गांव-गांव में लोग कर रहे हैं। क्या आप मानने के लिये तैयार हैं कि केवल पंजाब के लोग ही ज्यादा उद्यमशील हैं या वहां की सरकार लोगों को उद्योग की तरफ ले जाने में ज्यादा उद्यमशील है? कारण यह है कि उन्होंने सब साधन दिये हैं, आप नहीं देते हैं। यहां फेहरिस्त कागज पर बना लेते हैं। इंडस्ट्री विभाग कुछ कर्जा बांटता है।

जौनपुर में घड़ी के पुरजे बनाने के लिए ५ हजार रुपया बांट दिया। मैंने पता लगाना शुरू किया कि कहां फैक्टरी लगी तो मालूम हुआ कि घड़ी की सफाई करने के लिये मशीन खरीद लिये हैं और शीशा बना लिया, बस घड़ी का सामान पूरा हो गया। जौनपुर में ग्लास बीड्स और चूड़ी बनाने के लिए कर्जा दिया गया। किसको दिया गया, यह छोड़ देता हूं, लोग समझ लें। आज डेढ़ साल हो गया, न ग्लास बीड्स बने, न चूड़ियां। इस प्रकार पोलिटिकल पैट्रोनेज पर रुपया दिया जाता है। पंजाब सरकार की ओर से बिजली के साधन, पावर की सुविधाएं लोगों को इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती हैं और गाइडेंस मिलती है। यहां आपका जो ब्युरोक्रेटिक रूप है उसके अनुसार जिसको इंडस्ट्री चाहिए वह दफ्तर में आये, दरख्वास्त दे, तरह-तरह की

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

फारमैलिटीज हैं, कितना लम्बा प्रोसेस है। इससे आदमी घबरा कर और छोड़ कर बैठ जाता है क्यों नहीं "लेट दि माउंटेन कम टु दि प्रोफेट ?" क्यों नहीं आपके उद्योग विभाग के अधिकारी स्कूलों में जाते हैं जहां के लोग जीवन में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं ? वहां जाकर वह उन विद्यार्थियों को बताते हैं कि यह उद्योग हैं, ये साधन है, इतनी पावर मिल सकती है, तुम दर्ख्वास्त दो और उद्योग शुरू करो। यहां कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं कि उद्योग विभाग को अगर कोई दर्ख्वास्त देते हैं तो सालों उसकी सुनवाई नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि देहात के लोगों को भी काम मिले, और बेकारी घटे तो वह तभी हो सकता है जब आप विकेन्द्रित उद्योग लगायेंगे।

मैं जर्मनी और जापान के विकेन्द्रित उद्योगों का उदाहरण दे दूं। जर्मनी में विकेन्द्रित उद्योग के आधार पर नेशनल इनकम १२ परसेन्ट बढ़ी लेकिन प्राइस इन्डेक्स एक परसेन्ट बढ़ा इसी प्रकार से जापान में नेशनल इनकम १२.२ परसेन्ट बढ़ी और प्राइस इन्डेक्स केवल दो परसेंट बढ़ा। आप इसमें मूल निर्धारिण नीति का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, परन्तु मंहगाई घटेगी और ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती जायगी, डिमान्ड्स भी बढ़ती जायंगी तो डिमान्ड्स को मीट करने के लिये उत्पादन की आवश्यकता होगी, इससे लोगों को काम भी मिलेगा, बेकारी घटेगी। इस दृष्टि से बेकारी को घटाने के लिये बजट में कहीं एक अक्षर का भी वर्णन नहीं किया गया है। केवल रुदन मात्र है कि हमने यह किया, वह किया, लेकिन क्या बतायें दुर्भाग्य है घाटा हो गया और अब तो कर्जा भी लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तो क्या मैं मान लूं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस प्रान्त की स्थिति का जो चित्रण किया है वह अब इतना निराशाजनक है कि उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। प्रान्त के उत्थान की दृष्टि से जो ब्लू प्रिन्ट या पालिसी का मार्गदर्शन चाहिये वह नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि इस दृष्टि से भी मन्त्री जी सोचें। अगर आप चाहते हैं कि प्रान्त की बेकारी घटे और जो अर्बेनाइजेशन हो रहा है, लोग गांवों को छोड़-छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं उनको वहीं पर काम मिल सके तो आपको उद्योगों को विकेन्द्रित करना है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि सभी उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, कुछ उद्योगों का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा परन्तु उपभोक्ता सामग्री से संबंधित जितने उद्योग हैं उनका विकेन्द्रीकरण सरल है। जापान में बड़े-बड़े जेनरेटर्स और टरबाइन्स की वाइंडिंग घर घर होती है। उनको पैटर्न और कापर वायर इत्यादि दे दिया जाता है और उनकी वेज निश्चित हो जाती है। इस प्रकार से पूंजी का केन्द्रीकरण नहीं होता। लेकिन यहां पर पूंजी का केन्द्रीकरण हो रहा है। आपकी योजनाओं के बाद भी देश और प्रदेश में गरीबी बढ़ी है और साथ ही कुछ लोगों की अमीरी ज्यादा बढ़ी है। यह आपकी योजनाओं के गलत दृष्टिकोण के कारण परिणाम हुआ है। अन्यथा कारण क्या है ? योजनायें बनाई गई जनहित के लिये तो यह भी निहित है कि पूंजी का केन्द्रीकरण न हो। जब कैपिटल फार्मेशन नहीं होगा, पूंजी का निर्माण नहीं होगा तब उद्योग भी नहीं बढ़ेगा और जब पूंजी किसी के हाथ में केन्द्रित हो जायगी तब भी उद्योग नष्ट होंगे। दोनों योजनाओं में सरकार इस दृष्टि से असफल रही है। इसका कारण यह है कि योजना की नींव गलत थी, दृष्टिकोण गलत था और उसका परिणाम इस रूप में आया।

अब श्रीमन्, सरकार की जो कर्जमन्द नीति है उस पर कुछ कहना चाहता हूं। पिछली बार कहा गया कि सूबे की सरकार पर कर्जा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने बड़े जोर से कहा था कि यह हमारी एक्सपेंडिंग एकोनामी है और बढ़ती हुई एकोनामी में अगर कर्जा बढ़ता है तो कोई बात नहीं है। अब श्रीमन्, जरा विचार करें। अब कर्जे के आंकड़ें में लाख में कहता हूं इतने लाख करोड़ हैं बाकी छोड़ देता हूं। सन् १९५९ में वह ३ करोड़ कुछ था, सन् १९६० में ३ करोड़ ७५ हजार हुआ, मार्च सन् १९६१ में ४ करोड़ ११ लाख हुआ और मार्च सन् ६२ में ४ करोड़ ७० लाख है।

एक सदस्य—यह अरबों में हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैंने लाख करोड़ों में पढ़ा है। अब अगर यह कर्जा बढ़ता है तो कहां से देंगे? यह कहते हैं कि हम यह सारा पैसा लगाते हैं उस पैसे से हमारा सारा नियोजन का कार्य चलता है और उस नियोजन से जो पैसा हमें मिलेगा हम उससे उस कर्जे को चुका देंगे। परन्तु कभी क्या यह विचार किया गया कि अगर हम कर्जा सूबे पर लादते चले गये तो इस सूबे का हश्र क्या होगा। यह कब तक कर्जे से काम चलता रहेगा और फिर कहीं ऐसा न हो जाय कि कर्जा लेते-लेते आप इस सूबे को बैंकरप्सी कोर्ट दिखा दें। हमारे मंत्री जी ने कई जगह कहा है कि यह जो हमारे रिजर्व्स हैं उनसे हम घाटे को प्लान करते हैं। अब श्रीमन्, रिजर्व्स के ऊपर कब तक ड्रा किया जायगा। रिजर्व्स इसलिये रहते हैं कि वह हमारे, समय कुसमय में काम आवे और अगर आप उन पर बराबर चलते रहे तो फिर क्या हाल होगा? इस प्रकार कर्जा अन्धाधुन्ध लेना गलत है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री उसको रोकें क्योंकि मेरा मत है कि इस राज्य की जितनी आमदनी है इसका ठीक से प्रबन्ध हो, मैंने प्रश्न किया था अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं मिला कि कानपुर की सारी फैक्टरीज पर सरकार को देय कितना बाकी है। मेरा अनुमान है कि वह करोड़ों की संख्या में होगा और अगर वह वसूल हो जाय और जितना इसका लीकेज सारो रेवेन्यूज का है अगर हम उनको ठीक से प्लग कर सकेंगे और जो पैसा हमारा लैप्स हो जाता है अगर उन लैप्सेज का हम ठीक से उपयोग कर सकें तो इस सूबे की इतनी आमदनी है कि इस सूबे के उत्थान के लिये पैसे की कमी पड़ ही नहीं सकती। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये। हमारे यहां क्यों ऐसा है कि हम कह देते हैं कि हमारे साथ भारत सरकार ने ऐसा किया है।

हमारे वित्त मंत्री ने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा कि जो सारा गड़बड़ हुआ है वह भारत सरकार के कारण है। मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार को क्यों दोष देते हैं? क्या भारत सरकार के मन में यह बात नहीं आती है कि आप अपने फाइनेंसेज का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके शेयर को जो भारत सरकार ने कम किया तो क्या उसके लिये आपने भारत सरकार से विचार-विनिमय किया? केरल तो बराबर कहता रहा कि तुम स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हमारे साथ करते हो मगर हमारी सरकार क्या सोचती है? वह सारा दोष भारत सरकार के मत्थे मढ़ देते हैं। क्या आप अपने रिसोर्सेज का ठीक से उपयोग कर पा रहे हैं? आपके यहां पी०ए०सी० है, एस्टीमेट्स कमेटी है। एकोनामी की दृष्टि से इतनी रिपोर्टें उनकी रखी हुई हैं। जितनी भी एकोनामी कमेटियां बैठीं उन सब की रिपोर्ट मेरा खयाल है कि सरकार ने पिजनहोल कर दिया—हमारा साहित्य पिजनहोल में मिलता है। सरकार ने भी उन सभी रिपोर्टों को पिजनहोल में डाल कर समाप्त कर दिया है। तो हम पहले अपने रिसोर्सेज को ठीक करें और जब वह ठीक हो जायेंगे तो मेरा मत है कि उससे जितनी आपकी आमदनी होगी उससे आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होगी।

अब श्रीमन्, एक चीज में और कहूंगा। हमारे वित्त मंत्री कह सकते हैं कि यह जनसंघ वाले कहते हैं कि लगान कम करो, आप इंश्योरेन्स करो। हमारे वित्त मंत्री जब शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने बड़े जोरों से घोषणा की थी कि हम दर्जा ८ तक की फीस माफ कर देंगे। वह आये, पुराने वित्त मंत्री गये और मुझे ऐसा लगता है कि वह सारी घोषणा गोमती की अतीव बाढ़ में उन्होंने बहा कर उसको उसमें से पार कर दिया। सौभाग्य से वे वित्त मंत्री होकर लौट आये, तो मैं आशा करता था कि वे अपने बजट भाषण में उस घोषणा की पुनरावृत्ति करेंगे। उस समय तो वे यह कह कर निकल गये थे कि हम क्या करें, जितना हम कर सकते थे और उस समय के वित्त मंत्री ने हमारी योजना के लिये जितना स्वीकार किया उतना हमने किया। परन्तु इस समय वह भी उन्होंने नहीं कहा क्योंकि इस समय वे स्वयं वित्त मंत्री हैं।

यह सत्य है कि हमारे प्रान्त में या किसी भी देश में जबतक शिक्षा नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारा विकास पूर्णरूपेण नहीं हो सकेगा। जब आप देखें कि हमसे जो छोटे राज्य हैं, शिक्षा की दृष्टि से उनका विकास बहुत है। आसाम की आबादी ३४.३ परसेंट बढ़ी है और शिक्षा में पर थाउसेंड

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

२५० वृद्धि हुई है । केरल की तो बात ही छोड़ दीजिये, उसकी आबादी हमसे बहुत कम है लेकिन शिक्षा में वह हमसे बहुत आगे है । गुजरात जो एक नया सूबा बना है वहां पर शिक्षा २६.८० परसेंट है और हमारे उत्तर प्रदेश में १६.६७ परसेंट है । आखिर क्यों इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया ? जब हम विकास की बात कहते हैं और हम प्लान्ड विकास करते हैं तो टैक्सेशन काफी होगा और उस काफी टैक्सेशन को आप कहां से प्राप्त करेंगे । जनसंघ की ओर से बराबर इस बात को कहा गया है कि इस कमी को दूर करने के लिये आवश्यक है कि आप उस अंश में यहां टेक्निकल एजूकेशन दें । उस दृष्टि से मैंने बजट को बहुत पढ़ने की कोशिश की लेकिन उस ओर कोई खास कदम नहीं उठाया गया है । माननीय वित्त मंत्री जी ने सिर्फ एक दो टेक्निकल स्कूल खोलने की बात कही है लेकिन सोचने की बात है कि इतने बड़े सूबे में एक दो टेक्निकल स्कूल खुलने से क्या होगा ? वास्तव में जो प्राब्लम है, जो आर्तरिक जड़ है उसमें जाने का प्रयास नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि सरकार यह करे कि ये जो एक्जीस्टिंग स्कूल्स ह्यूमनिटीज व आर्टस के हैं, उनके बहुत बड़े भाग को कनवर्ट कर दिया जाय टेक्निकल स्कूल्स में । क्योंकि जब हम लघु उद्योगों का निर्माण करना चाहते हैं, देश के लोगों को काम दिलाना चाहते हैं तो खाली क्लर्कस बनाने से ही देश का निर्माण नहीं हो सकेगा । इसके बजाय टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ावा दिया जाय जिससे १८ वर्ष की अवस्था में ही लड़के अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी रोटी कमा सकें । एक दो नये टेक्निकल स्कूल या एक दो पोलिटेक्निक खोलने से यहां की समस्या हल नहीं होगी । इसलिये मैं तो मांग करता हूं और जनसंघ इसी दृष्टिकोण से कहता है कि ये जो सारे स्कूल्स हैं इनके बहुत बड़े अंश को टेक्निकल स्कूल्स में कनवर्ट किया जाय जहां लोगों को लघु उद्योग जैसे मोटर मेकेनिक्स, पावर वर्किंग, रेडिओ मेकेनिक्स, मशीनों के द्वारा पाउडर कास्टिंग आदि की ट्रेनिंग दी जा सके । जब तक आप नये स्कूल खोलेंगे तब तक तो समस्या और भी भीषण बन जायगी इसलिये अच्छा यही है कि एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ही टेक्निकल स्कूल्स में कनवर्ट कर दिया जाय ।

जहां तक नेशनल इंटिग्रेशन की बात है इसकी आवाज बड़े जोरों में उठायी जाती है । माननीय गोविन्द सहाय की बात मैं क्या कहूं, वे तो समाजवाद के महान पंडित ही कहे जाते हैं । आज देश में इंटिग्रेशन की बहुत आवश्यकता है, मैं भी इस बात को मानता हूं लेकिन मैं तो आज आरोप लगाऊंगा कि डिसइंटिग्रेशन को प्रोत्साहन देने का जो प्रयास है उसके पीछे राजनीतिक सत्ता हथियाने की इच्छा होती है । मैं दूर नहीं जाता, मैं आपको बतलाऊं कि सत्तारूढ़ दल की मेरठ में जो यूनिट है उसने इस बात का प्रस्ताव पास किया कि जिस व्यक्ति को सत्तारूढ़ दल ने टिकट दिया वह व्यक्ति साम्प्रदायिक है उसको टिकट नहीं देना चाहिये और उसका इतिहास भी है लेकिन केवल सत्ता लेने के लिये ताकि हमारा गुट विशेष प्रभावित रहे उसको टिकट दिया जाता है । कल का मुस्लिम लीगी केवल टोपी बदलने से आज का कांग्रेसी हो जाता है । इस तरह से ओवरनाइट चेन्ज नहीं हो सकता, किस तरह से विचारधारा बदल गई ? क्या यही उनका इमोशनल इन्टेग्रेशन है । इस तरह से शिक्षा का अभाव है और जो शिक्षा दी भी जाती है वह टेररिज्म पैदा करती है ।

कारागार राज्य मन्त्री (श्री गोविन्दसहाय)—टोपी बदलने से नहीं बल्कि टोपी का रंग बदलने से परिवर्तन होता है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—टोपी का रंग नहीं बदलता, वह वही रहता है । लेकिन अग्नि शिखा एक ही रहती है । हृदय के परिवर्तन की जरूरत है, वह चीन या रूस से आई हुई बुद्धि से नहीं होगा । उस परिवर्तन के लिये इमोशनल इन्टेग्रेशन चाहिये परन्तु इस प्रकार की शिक्षा के लिये यहां कोई स्थान नहीं है । आप देखें कि टेररिज्म की शिक्षा यहां खूब हो रही है । लोगों के अन्दर इस प्रकार का भाव खड़ा हो रहा है कि आदर्शवाद के विचार का कोई स्थान नहीं और आज इसी प्रकार की विचारधारा को परिश्रम दिया जा रहा है । इस प्रकार की शिक्षा की नीति

होनी चाहिये लेकिन उनकी तो कोई नीति ही नहीं है। उनकी केवल एक ही नीति है कि हमको पैसा दो वर्ना हमें कर्ज लेना पड़ेगा और टैक्स लगाना पड़ेगा।

मैं एक बात और आप के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा कि आज यहां श्रमिकों की भी भारी समस्या है। माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण बहुत सुन्दर देते हैं और श्रमिकों के बारे में बहुत अच्छा कहते हैं। आप ने सही ही कहा, मैंने अखबार में देखा कि आपने कानपुर में श्रमिकों के विषय में कहा कि श्रमिकों को मिलों के प्रबन्ध में हिस्सा मिलना चाहिये। अगर सही बात है तो ठीक है वर्ना वह मुझे सही कर देंगे। उन्होंने ठीक ही कहा मैं उनकी बात को मानता हूं। लेकिन मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि यदि वह इस सिद्धान्त को मानते हैं तो वह पहले उसको अपनी राजकीय फैक्ट्रीज में लागू करें और उस मिसाल से मिल मालिकों को प्रदेश के प्रभावित करें और दिखला दें कि श्रमिक अपने जिन अधिकारों से वंचित हैं उनको वह हम दे रहे हैं। मैं दूसरी जगह की बात नहीं करता, मैं उदाहरण दूं, समाजवादी ढांचे के प्रमुख समर्थक राज्य की जो इसी प्रदेश में सीमेंट की चुर्क फैक्ट्री है वहां का एक ही उदाहरण मैं दूंगा। वहां का प्रशासन एक आदमी को निकालता है उस पर रिट हाईकोर्ट में हुआ और उस पर वह बहाल हुआ, आज्ञा हुई कि पूरा वेतन दिया जाय लेकिन आज तक उसको फिर से काम पर नहीं लगाया गया। रोज नये बहाने किये गये। दोबारा फिर अपील हुई तो कोर्ट से सरकार हारती है लेकिन उसको नहीं लिया जाता। क्या यही आदर्श सरकार अपने फैक्ट्री का पेश करती है मिल मालिकों के सामने? इसी की निश्चित ही मिल मालिक अपने यहां नकल करेंगे। इसका परिणाम यह है कि आज कानपुर में जो मजदूर काम करते हैं उनमें से केवल एक तिहाई ही स्थायी हैं और बाकी सब अस्थायी हैं, ८–१० साल की सर्विस के बाद भी उनको स्थायी रखा जाता है। जब आप स्वयं अपने मजदूरों के साथ वही हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो मिल वाले अवश्य करेंगे। मजदूर २४० दिन पूरे करने के बाद स्थायी होता है लेकिन उसको इतना समय पूरा करने से पहले ही नोटिस मिल जाता है और नोटिस के दूसरे दिन उसको रख लिया जिससे उसकी सर्विस में ब्रेक होता है। बेचारे ८, १० साल से काम कर रहे हैं लेकिन आज तक परमानेन्ट नहीं हुये और श्रम विभाग इसको जानता है। पर आज तक कोई कदम इस संबंध में नहीं उठाया गया। और अगर लेबर कमिश्नर इसको नहीं जानते तो मैं कह सकता हूं कि भगवान मजदूरों को ऐसे लेबर कमिश्नर से बचाए।

एक और विशेष तमाशा है। लेबर यूनियन्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी पक्षपात होता है। आई०एन०टी०यू०सी० के द्वारा भेजी गई यूनियन्स बहुत जल्दी रजिस्टर्ड हो जाती है तथा अन्य यूनियन्स के रजिस्ट्रेशन में १०० तरह की दिक्कतें पैदा होती है। जो लेबरर्स यूनियन्स में काम करते हैं वह प्रोटेक्टेड वर्कर्स कहलाते हैं उसको जो लिस्ट लेबर कमिश्नर के यहां से जाती है उसकी तुरन्त घोषणा होती है। परन्तु बीच में इतना समय लगा देते हैं कि मिल मालिक जब उस लिस्ट को जान लेते हैं तो ऐसे प्रोटेक्टेड वर्कर्स जो लेबर यूनियन्स में काम करते हैं वह निकाल दिये जाते हैं। इस तरह लोगों को प्रश्रय नहीं मिल सकता है। जब सरकार अपने कारखाने में इस तरह की नीति बरतती है तो कैसे प्राइवेट फैक्ट्रीज से आशा की जाय कि वह आदर्श स्थापित करेंगी।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखें वहां जैसे जैसे आमदनी बढ़ी है मजदूरी घटी है और मैं आंकड़े देता हूं। १९४८ में १,२०० कर्मचारी जिनका १३,५०,००० मूल वेतन तथा १८,५०,००० मंहगाई थी, कुल वेतन ३२,००,००० रु०, लेकिन १९६१ में २,४०० कर्मचारी हो गये, २३,००,००० मूल वेतन, १५,५०,००० रु० मंहगाई, टोटल वेतन ३८,५०,००० रु०। कर्मचारियों की संख्या दुगुनी हो गई परन्तु टोटल वेतन केवल ६५,००,००० रु० बढ़ा। नतीजा यह हुआ तुलनात्मक दृष्टि से कि कर्मचारी दुगुने हुये, मूल वेतन १५ प्रतिशत कम, मंहगाई ५८ प्रतिशत कम तथा कुल वेतन ४० प्रतिशत कम हो गया। आश्चर्य की बात है कि मजदूर बढ़ गये पर उनका वेतन घट गया, ४० रु० प्रति व्यक्ति। क्यों? यह तो राज्य उद्योग है और समाजवादी ढांचे का राज्य है। अतः इस प्रकार की जो चीजें हुई हैं वे गलत हैं। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इसको सही करने के लिये फिर से उनके वेतन बढ़ने चाहिये और उसके लिये पे-कमीशन बैठाया जाय जिससे जो अन्याय वेतन में हुआ है उसको दूर किया जा सके।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

आज जो श्रमिक को बोनस मिलता है वह मुनाफे पर दिया जाता है। कहने में आसान है कि मुनाफा होगा तो बोनस देंगे। लेकिन मैं ऐसी फैक्ट्रीज जानता हूं जो ८, १० साल से घाटे का हिसाब दे रही हैं। अब प्रश्न यह होता है कि अगर इतने साल से घाटा हुआ तो फैक्ट्रीज चल कैसे रही हैं कानपुर की फैक्ट्रीज हैं। अतः अगर मुनाफे पर बोनस देने को रखा जायगा तो मिल मालिक कम हिसाब बना कर देगा। वास्तव में बोनस प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पर होना चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करे।

श्रीमन्, इस राज्य के अन्दर अस्थायी कर्मचारी बहुत हैं जिसका परिणाम यह होगा और हो रहा है कि कार्य पूर्णरूपेण नहीं हो रहा है। मन लगाकर कोई काम नहीं करता उनके मन में एक ही भाव है कि कितना कमा लें। इससे करप्शन बढ़ता है। इसलिये चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ये जितने अस्थायी कर्मचारी हैं इनको स्थायी करने का प्रयास करें। महंगाई बढ़ने के कारण मूल्यों में और वेतन में जो अन्तर हो गया है इसके लिये आप सैकेंड पे कमीशन बैठायें। हमारे मुख्य मन्त्री जी पहले पे कमीशन के सदस्य थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि १० वर्ष के बाद फिर पे कमीशन बैठायेंगे। इसलिए बढ़ती हुई महंगाई तथा क्रय शक्ति में जो अन्तर हो गया है इसमें सन्तुलन लाने के लिये आवश्यकता है कि यह चीज हो।

प्रशासन की दृष्टि से यह चीज भी आवश्यक है कि बजट यहां से पास हो कर फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता है और उसकी सैंक्शंस जाते जाते नवम्बर, दिसम्बर हो जाता है। इतनी लेट सैंक्शंस से काम देर में शुरू होते हैं और ३० मार्च से १ अप्रैल तक अन्धाधुन्ध पेमेंट होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कार्य पूरा नहीं हुआ और रुपया अफसरों के प्राइवेट एकांउट में डाल दिया जाता है जिसमें गड़बड़ी हो जाती है। इसको रोकने की आवश्यकता है। उसके लिये उपाय यही है कि बजट जब सैंक्शन हो जाय तो उसकी कापी सारे डिपार्टमेंट्स को भेज देनी चाहिये। फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को बार बार स्टेडी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिये और जो एमाउन्ट लैप्स हो जाय उसका रिएप्रोप्रियेशन हो सके। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो शक्ति है इसे डिसेंट्रलाइज किया जाय डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और वहां आडिट तथा फाइनेंस एडवाइजर रखा जाय जो एकाउन्ट्स को स्वयं वहां कन्ट्रोल करे। होता यह है कि खर्चा हो गया। दो साल बाद आडिट होता है तब गड़बड़ी का पता चलता है। फिर वह गड़बड़ी पी० ए० सी० के सामने आती है तब तक वह आफिसर वहां से चला जाता है। इसलिये एट दी स्पाट चेकिंग होनी चाहिये। इसलिये एक अधिकारी फाइनेंस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेविल पर रखें जिसमें सब पावर्स डेलिगेटेड हों। उससे जो लिखा-पढ़ी होती है और एनर्जी का वेस्टेज होता है वह समाप्त हो जायगा।

बड़ा हल्ला है कि हमने जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया है, लेकिन उसका सेपरेशन वास्तविक होना चाहिये। जुडिशियल अफिसर्स का जो कैरेक्टर रोल है और उनको छुट्टी देने का अधिकार है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वह उसके हाथ से निकाल कर हाईकोर्ट को दिया जाय ताकि वास्तविक सेपरेशन हो सके, नहीं तो वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कठपुतली रहेंगे।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि जिनके केरेक्टर रोल में एंट्री हो, जो इन इफिशियेंट और करप्ट हों उनको हटाइये, उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दी जाय। मेरे पास अनेक उदाहरण हैं जिनको देने में दिन भर लग सकता है। लेकिन एक ही उदाहरण दिये देता हूं। एक सेल्स टैक्स आफिसर हैं। उनके ऊपर हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया, डिपार्टमेंट को मामला रेफर हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने गलत टी० ए० बिल बनाया। गलत स्टेटमेंट दे कर कि लड़की की शादी है सरकार से रुपया लिया जबकि कोई लड़की थी ही नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजे गये। उन्होंने निकम्मा साबित किया। लेकिन उन्होंने इलेक्शन में साथ दिया इसलिये सारी एंट्रीज एक्सपंज कर दी गईं,

करेक्टर रोल धोकर साफ कर दिया गया। इस प्रकार से इनफिशियेंट, इनकाम्पीटेंट आफिसर्स, जो सर्विज के लिये अभिशाप हैं, कलंक हैं, उनकी एंट्रीज साफ करना सर्विसेज के मारेल को तोड़ना है। अगर मुख्य मन्त्री जी नाम चाहेंगे तो मैं नाम सप्रमाण उनको दे दूंगा, लेकिन मैं उनसे आग्रहपूर्वक कहूंगा कि इस प्रकार के अधिकारी के प्रति आप कड़ा कदम उठायें और दूसरों के लिये एक उदाहरण पेश करें। आपने रेवेन्यूज को प्लग करने के लिये तनख्वाहें तो बढ़ायीं लेकिन अगर आपने ईमानदार अधिकारी नहीं रखे तो रेवेन्यूज प्लग नहीं होंगे।

अन्त में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं मैक्सिको के बारे में। मुख्य मन्त्री जी को वह अच्छा लगे या न लगे लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमारे यहां जब गल्ले की कमी होती है तो आप सस्ते गल्ले की दुकानें खोलते हैं। उनमें मुनाफा होता है। वास्तव में उस अनाज का दाम सस्ता होता है लेकिन चूंकि दूकानदार को मुनाफा देना आवश्यक होता है इसलिये जो गल्ला जाता है उसके अन्दर वह प्राफिट निकालता है कन्ज्यूमर से और वह भी ऐसे कन्ज्यूमर से जिसकी क्रय शक्ति नष्ट हो गई है। मैक्सिको सरकार ने दूसरा प्रयास किया है। उसने बसेज के ६४ ट्रेलर्स खरीदे और सर्वसाधारण की आवश्यकता की चीजें उनमें रखीं और हर चीज का दाम १ पीसे होता है जो ३८ नये पैसे के बराबर होता है। हर ट्रेलर का अपना एक दायरा होता है और उसी दायरे के अन्दर वह जाता है। आप भी अपने साधनों और स्थिति को देख कर अगर समझते हैं कि आपकी जनता को सस्ती वस्तुयें मिलनी चाहियें तो आप भी ऐसा प्रबन्ध करिये। इससे प्राइस कन्ट्रोल की पालिसी को भी मदद मिलेगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझ इस बात का बड़ा दुख था कि वित्त मन्त्री ने कोई नया मोड़ नहीं रखा और कोई परफारमेंस भी नहीं रखा। आपने हास्पिटल और स्कूल खोलने की बात कही परन्तु इसी सदन में यह कहा गया कि अस्पताल हैं तो डाक्टर नहीं हैं और कहीं डाक्टर भी हैं तो दवा नहीं है, स्कूल हैं तो इक्विपमेंट नहीं हैं। तो हालत यह है कि आपका परफारमेंस पूरा नहीं होता है और जब तक आपका परफारमेंस पूरा नहीं होता तब तक आप जनता से टैक्स की मांग नहीं कर सकते और अगर आप करेंगे तो जनता के अन्दर विद्रोह होगा। आज आपके देश की जनता टैक्स के बोझ से इतनी दबी है कि उसकी राहत का प्रश्न है न कि उसके ऊपर टैक्स लगाने का।

एक बात मैं पुलिस के बारे में भी कह देना चाहता हूं हालांकि अभी उसके बारे में चर्चा होगी। आपकी पुलिस के बारे में जस्टिस मुल्ला ने जो स्ट्रिक्चर पास किया है वह मैं समझता हूं, जनतन्त्र में बड़ा महत्व रखता है। आपने उसे हटवाने के लिये सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की, लेकिन वह नहीं हटा। आपकी पुलिस की वास्तविकता उस स्ट्रिक्चर ने खोल कर रख दी। अगर आपको जनतन्त्र की रक्षा करनी है तो आवश्यक है कि पुलिस फोर्स का पुनर्गठन हो। यह भी आवश्यक है कि इस फोर्स के अन्दर जो लालेसनेस है उसको कर्ब किया जाय। मैं आशा करता था कि वित्त मन्त्री जी एक नया मोड़ देंगे और समाज के हित की बात कहेंगे परन्तु उनका भाषण मैक्बेथ के इस वाक्य के समान है--

"It is a tale told by a minister full of sound and theory signifying nothing".

वन मंत्री क सभा सचिव (श्री हरीदत्त)--श्रीमन्, नेता विरोधी दल के भाषण के बाद ही मुझे आपने कृपा करके बोलने का अवसर दिया कि मैं भी इस बजट विवाद में हिस्सा लूं। नेता विरोधी दल ने इस वर्ष तमाम पुराने रिकार्डों को अपने लम्बे भाषण में इतना समय लेकर तोड़ दिया है। हम आशा करते थे कि उनके लम्बे भाषण से कुछ रोशनी मिलेगी और सदन को कुछ नई बातें मालूम पड़ेंगी। मैं उनके सारे व्याख्यान में मौजूद था लेकिन कोई रोशनी प्राप्त नहीं हुई। यह बात सही है कि यह उनका दूसरा स्तर है और जैसा उनका व्याख्यान होता था उससे उन्होंने थोड़ा सा इधर बढ़ने की कोशिश की है और प्रयत्न किया है कि विवाद का स्तर ऊंचा रहे। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, पौने दो घंटे में जितनी बातें उन्होंने कही है उनके लिये इतने थोड़े से समय में मेरे लिये यह संभव नहीं होगा कि मैं

[श्री हरीदत्त]

प्रत्येक बात का विश्लेषण करके जवाब दूं और न इसकी आवश्यकता ही है क्योंकि पांच दिन तक इस पर बहस चलेगी और जो बोलने वाले हैं वे जवाब दे देंगे ।

श्रीमन्, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह जिक्र किया और पुराने बजट के ऊपर डेफिसिट और सरप्लस की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि लगातार कई वर्षों से हमारे प्रदेश का बजट डेफिसिट होता चला आ रहा है और अन्त में जाकर वह सरप्लस हो जाता है । इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी यही होने वाला है । यह जो १३ करोड़ का डेफिसिट इस समय है यह आगे चलकर सरप्लस में परिणत हो जायगा यह उन्होंने कल्पना की इस घाटे की पूर्ति के संबंध में, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा है कि इस घाटे की पूर्ति के संबंध में हम बाद को सोचेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो सदन के समक्ष लायेंगे । इस बात से उनकी जो कल्पना हुई उससे उन्होंने किसानों का पक्ष इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित किया । जब उन्होंने किसानों का पक्ष उपस्थित किया तो मुझे उनकी बातों को देखकर आश्चर्य हुआ । उन्होंने एक पुलिया का उदाहरण दिया और कहा कि पानी उल्टा नहीं बहता है और जौनपुर का उन्होंने उदाहरण दिया और उसको सारे राज्य पर लागू करना चाहा । लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री की इस बात को नहीं माना जब उन्होंने कृषि का जिक्र करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया था कि किसी गांव में ३८ मन प्रति एकड़ गेहूं पैदा किया । उन्होंने कहा कि सारे मीन्स को लगाकर और पैदावार से ज्यादा खर्चा करके इतना पैदा किया होगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना उनका लम्बा व्याख्यान हुआ लेकिन उससे विशेष लाभ नहीं हुआ ।

इसी प्रकार उन्होंने शिकायत की कि सेक्रेटेरियेट में बहुत ज्यादा स्टाफ और आफिसर्स हैं और उन्होंने कहा कि वे बीसियों ऐसे आफिसर्स को दिखा सकते हैं जिनका काम पेबिल पर दस्तखत बना देना है और इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं है । अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता विरोधी दल को तो इस सदन का सदस्य रहते हुए छठा साल है । यह ज्यादा अच्छा होता कि बजाय इसके कि वह सदन से कहते उस मामले को अपने पास जमा रखते । अच्छा होता कि वह इसकी सूचना सरकार को पहले दे देते । बहैसियत एम० एल० ए० के और मुल्क के नागरिक के उनको केवल आलोचना करने का ही अधिकार नहीं है बल्कि उनको शिकायत करने का भी अधिकार है । लेकिन उन्होंने इसकी शिकायत सरकार से पहले नहीं की । लेकिन वह उसको एक पूंजी के तौर पर रखे रहे और सदन में आकर उसको खोला । मैं नहीं जानता कि उसमें कहां तक तथ्य है ।

कई तरह की बातें कही गयीं । फिजूलखर्ची की बात कही गयी । इस मंत्रिमंडल की तुलना केन्द्रीय मंत्रिमंडल से की गयी । बहुत सी बातें कही गयीं जिनका सबका जवाब देना इतने समय में सम्भव नहीं है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जनसंघ की तरफ से भी कभी कभी ऐसी चर्चा हो जाती है जिसमें सोशलिज्म की झलक भी आये । जैसे उन्होंने जमीन के बटवारे की बात कही ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---आपने इसको मान लिया ?

श्री हरीदत्त---जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है उसकी नीति स्पष्ट ही है । सीलिंग के द्वारा हम भूमिहीनों को जितनी भूमि उपलब्ध हो सके दें, नयी जमीनें तुड़वाकर भूमिहीनों को भूमि दें । यदि उनको जमीन नहीं दे पाते हैं तो जीवकोपार्जन के लिए नये उद्योग धंधे खोलें । यह खुली बात है हर गांव और शहर बोल रहा है । मगर जब जनसंघ की तरफ से ऐसी बातें सुनते हैं तो भी खुशी होती है और थोड़ा ताज्जुब भी होता है ।

उनके सारे व्याख्यान भर में जो मौलिक खामी थी वह यह थी कि जिस प्रकार उन्होंने हमारे सामने जर्मनी, जापान, कनाडा आदि के उदाहरण दिये, और उन देशों से इस देश की तुलना की उसमें खामी यह थी कि वह यह समझ कर चले कि भारतवर्ष उतना ही खुशहाल और उन्नत है जितना कि वे दूसरे देश हैं । वह भारतवर्ष की वास्तविक हालत भूल गये । उस स्तर पर भारत नहीं है । लेकिन चूंकि पौने दो घंटे तक व्याख्यान चालू रखना था इसलिये

कहना चाहिये था। इस बात को कौन नहीं जानता कि देश को आजाद हुये केवल १५ साल हुये हैं। हम तीसरी योजना में प्रवेश कर रहे हैं और यथासंभव अपने सीमित साधनों द्वारा इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं कि अपने मुल्क को आगे बढ़ायें। हमने अपने सीमित साधनों को देखते हुये तरक्की की है। चर्चा इस बात की होनी चाहिये कि हमने कितनी प्रगति की है और जितनी तरक्की होनी चाहिये उतनी की है या नहीं। अगर नहीं की है तो उसमें क्या कमी है और क्या सुधार होना चाहिये। इस बात का सुझाव मिलता तो फायदा होता। लेकिन नेता विरोधी दल चले इस बात को लेकर कि भारतवर्ष उसी स्तर का देश हो जिस स्तर के अन्य देश जो आर्थिक दृष्टि से, टेक्निकल दृष्टि से इतने उन्नत हैं। उनके साथ भारतवर्ष का मुकाबला करना और सदन का समय लेना उससे कोई फायदा विशेष नहीं होता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मंत्री जी बीस बार वही बात कह चुके हैं। बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय कांडपाल जी, आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री हरीदत्त—उन्होंने कुछ जादूगरी की बात कही। वह यही समझते थे कि शासक दल के पास ऐसा जादू था जिसके जरिये आज मुल्क आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजनायें लागू हुईं। वही जादू का डंडा घुमाने से मुल्क की हालत बदल जाती। वह यही चाहते थे जो हो नहीं सकता। वह क्रम क्रम से ही होगा। इस बात का साक्षी है सारा मुल्क, और इस बात का सबूत आम चुनावों ने भी दिया। जिन किसानों का नाम ले कर यहां बड़ा बड़ा चित्रण किया गया, कि किसान हायर परचेज के द्वारा साइकिलें खरीद कर लाता है, और दूसरी चीजों का जिक्र किया गया, इन बातों का उत्तर जनरल एलेक्शन में किसान ने दे दिया।

कोआपरेटिव फार्मिंग का जिक्र किया गया। चौधरी साहब की किताब का उद्धरण दिया गया यह भी कहा गया कि गुप्ता जी ने एलेक्शन के दौरे में अलग-अलग कहा था कि मिलजुल कर काम करने में क्या नुकसान है? इसका भी जवाब किसानों की ओर से मिला जिसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि जनता का विश्वास किस पर है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि उन्होंने विवाद का स्तर ऊंचा करने की जरूर कोशिश की लेकिन उनके पौने दो घंटे के भाषण से सदन को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बजट हम लोगों के सामने पेश है, उस बजट को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बजट उस राज्य का नहीं है जिस राज्य का लक्ष्य समाजवादी समाज की व्यवस्था करना हो। यह बजट उस राज्य का नहीं है जिसके कर्णधारों को जन-कल्याण के लिये राज्य की स्थापना करनी हो बल्कि ध्यानपूर्वक देखने से इस बात का पता चलता है कि यह बजट अंग्रेजी अभिमुख फैशन परस्त, फिजूलखर्च लोगों का है जिनकी संख्या इस राज्य के अन्दर एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। इस बजट पर गौर करने के साथ-साथ यह बात भी प्रकट होती है कि जिन लोगों ने इस बजट को तैयार किया है उनके सामने भारत सरकार का या कांग्रेस पार्टी का जो उद्घोषित लक्ष्य है समाजवादी समाज की व्यवस्था करना, उसके बारे में, उसके विषय में कोई नकशा वह नहीं रखते। पुराने जमाने से दकियानूसी किस्म का जो बजट चलता आ रहा है उसी में कहीं इधर उधर के आंकड़े इकट्ठा करके जो उनके पहले के खर्चे हैं उन्हीं को फिर से दिखला दिया गया है और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने इस बात की कोशिश की है कि आने वाले वर्षों में दो चार औषधालय और स्कूल इधर-उधर खोल करके वह यह दिखलाने की कोशिश करें कि इस राज्य की जनता की शिक्षा में, चिकित्सा में, और कृषि में वह उन्नति कर रहे हैं। अगले साल में सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर केवल १२ नये औषधालयों की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में यह नहीं कहा गया कि पिछले दस सालों में हम शिक्षा में कितनी उन्नति किये और अगले कितने वर्षों में हम अपने राज्य से अशिक्षा को मिटाने जा रहे हैं। आप जानते हैं, अभी

[श्री काशीनाथ]

हमारे माननीय दुबे जी ने जो आंकड़े पेश किये और सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम भी है कि सारे हिन्दुस्तान में आज शिक्षा का प्रतिशत १६ है। १६ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और उत्तर प्रदेश में साढ़े सोलह प्रतिशत हैं। आप कह सकते हैं कि जब अंग्रेजी राज यहां पर था तो दस प्रतिशत लोग शिक्षित थे। पिछले पंद्रह सालों के अन्दर हम शिक्षा में केवल ६ प्रतिशत प्रगति कर पाये हैं। अगर प्रगति की यही रफ्तार चलती रही तो बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री और सरकारी पक्ष के लोग स्वयं हिसाब लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सात करोड़ जनता को शिक्षित करने में कितने वर्ष लगेंगे और इस तरह से सारे हिन्दुस्तान को शिक्षित करने में कितने साल लगेंगे ? अगर १०० म ६ आदमियों को आप पंद्रह साल में शिक्षित कर पाये हैं तो ८४ आदमी को शिक्षित करने में शायद सवा सौ या डेढ़ सौ साल आपको लगेंगे। इस तरह से किसी भी योजना को ले लें तो पता चलेगा कि हिन्दुस्तान को आधुनिक युग में लाने के लिये जो हमारे सामने नक्शा है और जो हमारे कर्णधारों के सामने नक्शा है वह यही है कि हमारा राज्य यूरोप और अमेरिका के जो उन्नतिशील देश हैं उनके बराबर आ जाय और वैसा होने में इस योजना के चलते ३०० वर्ष से कम नहीं लगेंगे।

अभी जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि विरोधी दल के नेता के सामने तो अमेरिका और रूस का चित्र है, हिन्दुस्तान का नहीं, तो वह बात कुछ गलत सी कह गये। असल में योजना बनाते समय हमारे कर्णधारों के सामने चित्र यूरोप के देशों का ही रहा है। बहुत से हमारे बड़े-बड़े नेता यदाकदा यूरोप और अमेरिका की सैर किया करते हैं और वहां जाकर वहां की रंगीन दुनिया को देखकर उनकी तबियत मचल उठती है। वह यह सोचने लगते हैं कि हिन्दुस्तान भी वैसा ही हो जाय। उनका स्वप्न, उनकी यह इच्छा बहुत ही अच्छी है। लेकिन क्या हिन्दुस्तान अपने सीमित साधनों के साथ और उत्तर प्रदेश इस अपने पिछड़ेपन के साथ जिसके पास कि साधन बिलकुल नाममात्र को हैं, रूस और अमेरिका का मुकाबला इनकी इन योजनाओं के द्वारा कर सकता है ? अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी यह सारी योजना केवल एक नकल पर आधारित है और हमारे राज्य की वस्तु-स्थिति को देखकर यह योजना नहीं बनायी गयी।

कृषि का जहां तक सवाल है कि इस बजट के अन्दर हमारे वित्त मंत्री ने यह दिखलाया है कि पिछली अधिक अन्न उपजाओ योजना पर ४ करोड़ २० लाख रुपया खर्च किया गया और केवल पिछले साल १ करोड़ कुछ लाख रुपया खर्च किया गया। इस तरह से ५ करोड़ रुपया इस राज्य में अधिक अन्न उपजाओ योजना पर खर्च हो चुका है। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी ने यह बतलाने की कोशिश नहीं की कि क्या इसके बाद आज भी हमारा उत्तर प्रदेश अन्न के मामले में भरपूर हो गया है ? क्या हमको अन्न की आवश्यकता बाहर से मंगाने की अब नहीं रह गई ? लेकिन आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि दस साल के अन्दर भी अन्न के मामले में हम भरपूर नहीं हो पाये हैं, दूसरे राज्यों से हमें अन्न बराबर मंगाना पड़ता है।

आपको साफ-साफ कहना चाहिये था, इस बात का भी बजट आपको तैयार करना चाहिये था कि कितनी नयी जमीन आप तोड़ने जा रहे हैं, कितनी नयी जमीन आप खेती करेंगे और में गेहूं, चावल, चना, फल, तरकारी आदि जो कि एक आदमी का सन्तुलित भोजन होता है, वह आप उसको दे पायेंगे। लेकिन इस वस्तुस्थिति को छिपाकर केवल आप यह कहना चाहते हैं कि यहां पर बिजली इन्तजाम करके इतनी सिंचाई बढ़ायेंगे, इतना अधिक, अन्न उपजाओं पर खर्च करेंगे और इतनी उन्नति करेंगे। आज जिस तरह से फिजूलखर्ची अधिक अन्न उपजाओ योजना पर हुई है और जो रुपया उस पर बरबाद हुआ है अगर उस रुपये को नयी जमीन को तोड़ने में और अन्न सेना की भरती करते तो ५० हजार आदमियों को आप इस सूबे के अन्दर काम दे सकते थे। ५ करोड़ रुपया जो अन्न उपजाओ योजना पर खर्च किया गया है उससे ५० हजार अन्न सेना तैयार हो सकती थी और उस भरती से आप राज्य के अन्न की पैदावार भी बढ़ा सकते थे। कम से कम पहले साल २० हजार एकड़ जमीन तोड़ सकते थे लेकिन आपने

अन्न सेना की भरती न करके कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे राज्य के अन्दर जनता अन्न के मामले में भरपूर हो सके।

इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखा गया है समाजवादी व्यवस्था को लाने का समाजवादी व्यवस्था उससे नहीं आ सकती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षा की व्यवस्था राज्य में चालू है उससे समता देश में आयेगी? मैं तो समझता हूं उससे विषमता ही बढ़ेगी। आपने जो ८ आने वाले स्कूल चलाये हैं गांवों के अन्दर उनसे प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। यदि उसका औसत देखा जाय कि इन स्कूलों में प्रति बच्चे पर क्या औसत आता है तो वह करीब करीब २ रुपया सालाना खर्च आकर पड़ता है। दूसरी तरफ हमारे राज्य में सेंट एगनिस स्कूल, ला मार्टिनियर कालेज, देहरादून और मंसूरी में पब्लिक स्कूल हैं जहां पर करोड़पतियों के लड़के और मिनिस्टरों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके खर्चे का हिसाब लगाया जाय तो आपको पता चलेगा कि फी लड़के पर सरकार का ८,१० रुपया सालाना खर्च आता है। इस प्रकार से शिक्षा का स्तर रखकर प्रदेश या देश के अन्दर समता नहीं लाई जा सकती है और न समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को भेजें और यहां पर विषमता न रहे तो यह नहीं हो सकता है। वे स्कूल तो अंग्रेजी जमाने में यहां पर चलाये जाते थे जो अपने बच्चों को अलग रखना चाहते थे। आज जरूरत इस बात की है कि उन स्कूलों को तोड़ा जाय और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी के स्कूल हैं उनकी हालत को सुधारा जाय। मैं तो समझता था कि आपका लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था को लाने की तरफ है लेकिन आज जो उन पब्लिक स्कूलों को कायम रखा जा रहा है उससे यह लक्ष्य सरकार का मालूम नहीं होता है। वे तो अंग्रेजों के जमाने में इस वजह से चलाये जाते थे कि वह हिन्दुस्तानी बच्चों से नफरत करते थे और वे समझते थे कि हमारे बच्चे हिन्दुस्तानी बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन अब उन खर्चीले स्कूलों की क्या जरूरत है? लेकिन मैं देखता हूं कि उन स्कूलों को बढ़ाने की ओर संकेत किया गया है। इसके साथ-साथ हमारे यहां देहात में जो स्कूल हैं उनकी दुर्दशा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार के सामने प्रश्न यह होना चाहिये कि देहात के अन्दर जो स्कूलों की दुर्दशा है उसको कैसे सुधारा जाय। जो नये स्कूल २,५०० या ३,००० खुल रहे हैं उनसे भी गांवों का कल्याण होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के जितने गांव हैं क्या उन सभी गांवों में बेसिक स्कूल खोलने की योजना है? खुद बलिया जिले की हालत जानता हूं। सैकड़ों गांव सभा ऐसी हैं जहां पर बेसिक स्कूल नहीं खुले हैं। अगर सरकार की शिक्षा बढ़ाने की योजना थी तो सरकार को स्कूल खोलना जरूरी था और अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी चाहिये थी कि इतने वर्षों के अन्दर हर गांव सभा के अन्दर एक प्राइमरी स्कूल कायम कर दिया जायगा और हमा सारे राज्य को शिक्षित बना देंगे। मैं समझता था कि समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति के लिये इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया जायगा जिससे तीनों योजनाओं की पूर्ति हो जायगी। बजट में तीन मौलिक योजनाओं का संकेत होना चाहिये था अन्न की योजना, शिक्षा की और तीसरे पानी और दवा की योजना। इन तीनों योजनाओं में जितना राज्य का पैसा खर्च होता है अगर उसका हिसाब लगायें तो वह बहुत कम रुपये में तैयार हो सकता है जितना कि बजट में रखा गया है उससे कम में ये तीनों योजनायें तैयार हो सकती हैं।

जहां तक चिकित्सा का सवाल है पिछले १० वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश के ५२ जिलों में, जो अस्पताल हैं, वह किस स्तर पर काम कर रहे, हैं इसका अनुमान मैं अपने जिले के अस्पताल से लगा सकता हूं। बलिया जिले के अस्पताल को देखकर ऐसा मालूम होता है कि वह बिलकुल नरक कुण्ड बना हुआ है। अगर वहां कोई मरीज चला जाता है तो वह वहां पर और अधिक रोगी बन जाता है। आज तक भी वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आप समझ सकते हैं कि वह मरीज किस तरह से वहां पर रह सकता है? एक तरफ तो आपका बजट बढ़ता चला जाय और दूसरी तरफ समाज सेवा के कामों की यह दशा है कि पिछले १० साल से वही दुर्दशा वहां पर चल रही है। जनता पर तो टैक्स का भार बढ़ता चला जाता है, राज्य सरकार

[श्री काशीनाथ]

की आमदनी बढ़ती चली जाती है लेकिन उस हिसाब से शिक्षा पर, चिकित्सा पर और सामाजिक सेवाओं पर बिलकुल कम खर्च होता है। जनता से जितना पैसा आप वसूल करते हैं वह अधिकांश में आपकी फिजूल खर्ची में जाता है और फैशनपरस्ती में जाता है और आधुनिक ढंग के जो आप साज-सामान बनाते हैं उन पर खर्च होता है। लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद जैसे शहरों में जो बड़े-बड़े लोगों के रहने के मुहल्ले हैं उनके सफाई, एयर कंडीशनिंग आदि पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं और गांव के रहने वालों की शिक्षा, सफाई और पढ़ाई-लिखाई पर कोई ध्यान नहीं देते।

मैं यह बजट पढ़ रहा था, उसमें जहां बाढ़ रोकने की व्यवस्था है, उसमें केवल नगरों में ही बाढ़ रोकने की व्यवस्था पर खर्च करने की बात है। केवल साठ प्रमुख नगरों में बाढ़ रोकने पर खर्च होना है। मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ आने पर क्या केवल नगरों की ही क्षति होती है गांवों की नहीं? गांव में भी किसान की फसल नष्ट होती है, उसका घर गिर जाता है और उसका असर सारे राज्य पर पड़ता है। वहां की बाढ़ रोकने के लिये आपके पास कौन-सी योजना है? इसके अलावा गोरखपुर, देवरिया और बलिया में गंगा और घाघरा के कटान से बड़ा नुकसान होता है। जमीन बराबर कटती जाती है। पिछले १०० सालों से गंगा नदी मुतवातिर बलिया को काटती रही है और वहां के किसानों की ३०,००० एकड़ जमीन बिहार में चली गयी है। यह झगड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों में बराबर चल रहा है और वहां हर साल ५, ७ लाशें गिर जाती हैं। इसके अलावा बलिया जिले के किसान अपनी जमीनों से बेदखल किये जाते हैं लेकिन सरकार के पास उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यह कौन सी व्यवस्था है, यह कौन-सा कानून है कि यदि हमारी जमीन दूसरे प्रदेश में चली जाती है और वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है तो हम तो अपनी जमीन से बेदखल कर दिये जायं और सरकार की ओर से न तो कब्जा दखल दिलाने की बात होती है और न तो उस कटान को रोकने की कोई व्यवस्था की जाय? उत्तर प्रदेश सरकार के सामने यह बड़ा भारी सवाल है और बजट में इस समस्या के समाधान के लिये कोई बात नहीं की गयी है। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट चन्द, जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं, चन्द जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं एक प्रतिशत, उन्हीं की स्वार्थ पूर्ति के लिये बनाया गया है। वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी बहादुरी से इस सदन में एलान किया था कि सप्लाई अफसरों की तनख्वाह और बढ़ेगी।

इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि इस राज्य में सप्लाई अफसर के ओहदे की कोई जरूरत नहीं है। यह बेमतलब और फिजूल है। इनसे हमारे राज्य पर और खर्च बढ़ता है। सप्लाई अफसर के जिम्मे जो काम है वह बड़ी खूबी के साथ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन या जिला परिषद् के चेयरमैन कर सकते हैं। अगर आप उनको कुछ एलाउन्स दें तो वे इस काम को खूबी के साथ कर सकते हैं। उनकी तनख्वाह बढ़ाने के साफ मानी यह हैं कि आप उच्च मध्यम वर्गीय लोगों का खयाल रखते हैं लेकिन जो गरीब हैं, कम तनख्वाह पाने वाले हैं, मजदूर और मेहनतकश हैं उनके स्वार्थों का आपको कोई ख्याल नहीं है। जैसा दुबे जी ने कहा, ठीक है कि आज हमारे सप्लाई अफसरों और दूसरे अन्य अफसरों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी आ गयी है और इसके लिये आप एक जांच कमेटी बैठायें और जिस दो, ढाई सौ रुपये पाने वाले अफसर ने एक साल में १० हजार की गाड़ी खरीद ली है उसकी माली हालत की आप जांच करायें। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर सदन विचार करे। मंत्री जी ने, जो बजट पेश किया है वह उसे इस सदन में पास कराने की कोशिश करेंगे किन्तु मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि बजट की मदों को यह सदन रिजेक्ट कर दे।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता का भाषण मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उनसे आशा की गयी थी कि वह अपने इस लम्बे-चौड़े भाषण में बजट के संबंध में कोई ठोस सुझाव देंगे, लेकिन इस भाषण में भी उन्होंने ऐसी बहुत-सी बातें कहीं जिन्हें वह पहले से कहते आये हैं और पिछली बार महामान्य राज्यपाल

के संबोधन के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव पर विवाद के समय जिन्हें वह कह चुके थे उन्हीं को फिर भारत सेवक समाज की बात लाकर रख दी। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और भारत सेवक समाज यह दो संस्थायें क्यों रखी गयी हैं ? मैं उनकी बात समझ नहीं सका। भारत सेवक समाज कोई सरकारी संस्था नहीं है। वह एक गैर-सरकारी संस्था है जिसमें सभी दलों के लोग हैं। सरकार भी उसको सहायता देती है और फिर उसकी बात इसमें क्यों आ जाती है ? पता नहीं कैसे कहा जाता है कि केवल कांग्रेस ने अपने आदमियों को संतुष्ट करने के लिये इसे कायम कर रखा है। उसमें कांग्रेस के ही नहीं, बहुत-सी पार्टियों के लोग हैं और सभी के सहयोग से देश के हित की बात उसमें की जाती है।

इसी प्रकार उन्होंने जौनपुर का उदाहरण दिया। मैं भी जौनपुर से आता हूं। उन्होंने साइकिलों की बात कही कि वहां जितनी साइकिलें ली गयी हैं वे सब हायर परचेज सिस्टम पर ली गयी हैं। मान्यवर, मेरा भी सैकड़ों लोगों से ताल्लुक है और लोगों की बात जाने दीजिये, सैकड़ों हरिजनों से मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक है, उनको मैं जानता हूं। उनके पास जितनी साइकिलें हैं वह सब नकद खरीदी गयी हैं, लेकिन पता नहीं किस आधार पर माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि जितनी साइकिलें हैं सब हायर परचेज पर ली गयी हैं। इस प्रकार की बातें कह कर सही बात छिपाने की कोशिश की जाती है।

इसी तरह उन्होंने चकबन्दी की बात कही कि जौनपुर में जिसका १० बीघा खेत था उसका १५ और २० बीघा हो गया और जिसका ५ बीघा था उसका ३ बीघा रह गया। चकबन्दी का तो यह नियम है कि जमीन की कीमत के आधार पर किसान का चक छोटा बड़ा हो जाता है। अगर किसी को दूसरे या तीसरे नम्बर की जमीन मिलती है तो उसे १० बीघे की जगह १५ या २० बीघे जमीन मिल सकती है और अगर उसकी साधारण ५ बीघे जमीन है तो बढ़िया जमीन उसे तीन बीघे ही मिल सकती है। यह मैं समझ नहीं सका कि उसमें बात क्या थी जो उन्होंने कही। जमीन के मूल्य के मुताल्लिक किसानों का चक छोटा या बड़ा बन जाया करता है। अगर सही मानों में जमीन की कीमत लगायी जाय तो चकबन्दी में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती।

इसी प्रकार उन्होंने केसा के श्रमिकों का वेतन बढ़ाने की बात कही और यह भी कहा कि एक दूसरा पे कमीशन नियुक्त होना चाहिये और वेतन निर्धारण फिर से होना चाहिए। इसके साथ ही लगान आधा करने की बात उन्होंने कही। यह परस्पर विरोधी बातें हैं। लगान भी आधा कर दिया जाय और पे कमीशन भी नियुक्त किया जाय और उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी जायं, यह उचित और संभव नहीं है।

लोग कहते हैं कि प्रदेश की आय दिनों दिन कम हुई, बढ़ी नहीं। मान्यवर, १९५१ में आबादी थी ६ करोड़ ३२ लाख, १९६१ में हुई ७ करोड़ ३७ लाख। कुल १६.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५१ में २५९.६२ रुपये प्रति व्यक्ति आय थी जो १९६१ में २६८.७१ रुपये हो गयी। इसमें २०.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९५१ की अपेक्षा १९६१ में आय में वृद्धि हुई यद्यपि वह थोड़ी हुई। हां, हमारे देश के स्तर पर हमारी राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति जो आय हुई उसकी अपेक्षा हमारे प्रदेश की वृद्धि उतनी नहीं हुई, यह बात सही है। क्योंकि हमारे देश की आबादी सन् ५१ में ३६.१८ करोड़ और इस समय ४७.८० करोड़ है। वह वृद्धि २१.१ प्रतिशत हुई। सन् ५१ में प्रति व्यक्ति आय २४७.५ रुपये थी और सन् ६१ में २८८.८ रुपये हुई और इस तरह से ४१.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह से सारे देश में मिलाकर १७.३ प्रतिशत वृद्धि हुई। यह बात सही है कि हमारे सूबे में प्रति व्यक्ति की आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई और उस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये। इसका कारण जैसा कि अभी उस दिन मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश में भारी उद्योगों की बहुत कमी है। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं और उन्होंने यह भी व्यक्त किया था कि हमारे प्रदेश में उतने टैक्सेज नहीं लगे हैं, वसूली भी उतनी नहीं होती है इसी कारण हमारे सूबे में ज्यादा उद्योग नहीं खुल पाते। तो इस तरफ भी हमारा खयाल है कि हमारी सरकार अब कदम उठाने जा रही है।

[श्री माताप्रसाद]

मद्य निषेध के सम्बन्ध में मैं यह कहता हूं कि ११ जिलों में और ३ धार्मिक नगरियों में हमारे सूबे के अन्दर यह योजना लागू है। मेरा जिला जौनपुर ऐसा जिला है जहां मद्यनिषेध योजना लागू है। मेरा अपना अनुभव यह है कि वास्तव में मद्य निषेध की सभी चीजें शराब या गांजा सभी बहुत ही ज्यादा बिक रही हैं। जब पीने वाले लोग मिलते हैं उनसे पूछिये तो वे कहते हैं जितनी भी नशे की जितनी तादाद में हम खरीदना चाहें हर जगह खरीद सकते हैं। कहने के लिये तो यह आदर्श योजना हमारी मद्यनिषेध की है लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर लागू की जा सके तो सारे सूबे में एक साथ लागू होनी चाहिये और अगर नहीं लागू होती है और कुछ ही स्थानों पर लागू होती है तो उसका कोई भी असर नहीं होता है। इससे राजस्व की भी हानि होती है और पीने वाले दूना दाम देकर इन चीजों को खरीदते हैं ही। अगर सरकार में हिम्मत हो, आर्थिक नुकसान उठाने के लिये तैयार हो, तो सारे सूबे में एक साथ लागू करे और अगर वह इस स्थिति में न हो तो मेरा यह स्पष्ट मत है कि कुछ जगहों पर इस योजना को लागू करने से अच्छा तो यही है कि इसको खत्म करके सरकार की ओर से दूकानें खुल जायं।

तीसरी बात, मान्यवर, हरिजनों के विषय में कहना चाहता हूं। हम देखते हैं जो हरिजन छात्र पढ़ते हैं सरकार ने उनको स्कालरशिप की सुविधा दी है। उसके लिये मैं सरकार का बहुत आभारी हूं और सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन हरिजनों की जो सबसे बड़ी समस्या आजकल है वह है बेकारी की और लोगों की अपेक्षा उनकी समस्या जटिल इसलिये है कि अगर लोग जब बेकार होते हैं तो उनके पास खेती-बारी और जीवननिर्वाह के अगर दूसरे साधन होते हैं, वे लोग शिक्षा पा कर अपनी खेती या अपना घरेलू कारोबार नहीं करते हैं। लेकिन हरिजन बेकारों की समस्या यह है कि वे जब बेकार होते हैं तो उनके पास कोई और रोजी रोजगार नहीं होता है और वह उसके लिये अलग परेशानी का कारण होता है। इसके लिये पिछली प्रान्तीय गवर्नमेन्ट ने एक कमीशन श्री राधाकृष्ण के सभापतित्व में बैठाया था और उसने एक रिपोर्ट भी सरकार को दी। मैं चाहता हूं कि सरकार उस रिपोर्ट को सदन के सम्मुख रखे और बतावे कि उसमें जो सिफारिशें की गयी हैं उनका पालन कहां तक हुआ है? खासकर पबलिक सर्विस कमीशन में हरिजनों का प्रतिनिधित्व या और बहुत-सी ऐसी मांगें हैं जिनपर सरकार को विचार करना चाहिये। आश्चर्य मुझे यह होता है कि हमारे जिले के अधिकारी लोग यह कह देते हैं कि हमें योग्य हरिजन कार्यकर्ता नहीं मिलते इसलिये नहीं रखते। जब कि आज भी हमारे सूबे में ८ ऐसे लोग हैं जो इस साल सूबे से आई०ए०एस० में आये हैं, आई०ए०एस०, पी०सी०एस० और बी०डी०ओ० जैसी बड़ी बड़ी पोस्टें जो होती हैं उसमें तो आ जाते हैं। लेकिन पंचायत सेक्रेटरी या लेखपाल या जो दूसरी पोस्टें हैं जो मिडिल पास या प्राइमरी पास या हाई स्कूल पास की होती हैं उस पर हरिजन नहीं रखे जाते हैं। इस तरह से सरकार को इस तरह का आदेश करना चाहिये कि सरकार के कर्मचारी और अधिकारी नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें।

तीसरी बात भूमि सुधार के संबंध में कहना चाहता हूं। सरकार ने भूमि वालों की सुविधा के लिये काफी कानून बनाये। अभी भूमि सीमा आरोपण का कानून बनाया गया, लेकिन भूमि की सीमा और जो पाबन्दी उसमें रखी उसकी वजह से लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ। कहा गया था कि १४ लाख एकड़ जमीन निकलेगी जो भूमिहीनों को दी जायगी और वह सहकारिता के आधार पर खेती करेंगे। बाद में वह १ लाख एकड़ कही गयी और फिर कोई भी जमीन नहीं बची। लोगों ने उस कानून की वजह से अपनी जमीनों को गलत ढंग से अपने घर वालों के एक दूसरे के नाम लिख दिया, उल्टा इससे काफी नुकसान इसलिये हुआ कि बृहत जोतकर से जो ३ करोड़ की आमदनी होती थी वह बच गयी। बड़े-बड़े काश्तकारों के बाग बच गये और गरीब भूमिहीनों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिये सरकार भूमि की सीमा और कम करे और ऐसी व्यवस्था करे कि जो लोग भूमि को जोतते हैं, उत्पादन करते हैं उन्हीं के पास ज्यादा से ज्यादा भूमि आये और ऐसे लोगों के पास भूमि पड़ी न रहे जो दूसरों के भरोसे पर खेती करते हैं पैदावार नहीं बढ़ाते।

आज जनता की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करते हैं तो उसी के पास जांच के लिये जाती है । अगर एक लेखपाल के विरुद्ध कलेक्टर के पास दरख्वास्त गयी तो वह कानूनगो के पास पहुंच जायगी और कानूनगो और लेखपाल का एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध होता है इसलिये उसका कोई नतीजा नहीं होता है । इसलिये अगर उस विभाग के कर्मचारी को भी रखना हो तो उसको लेकर दूसरे विभाग के कर्मचारी जांच करें । साथ ही मंत्रिगण को एक-एक, दो-दो जिले दे दिये जायं जहां वह महीने में एक-दो बार जरूर जायं, वहां कोई शिकायत उनके सामने आये तो मौके पर जांच करें और संबंधित अधिकारी भी वहां रहें, वहीं पर वह निर्णय कर दें । मुझे जानकारी है कि मद्रास में ऐसा है और पंजाब में यह व्यवस्था लागू हो गयी है । उसके कारण अधिकारी और कर्मचारी वहां डरते हैं । इस तरह से यहां भी गड़बड़ियां रुक जायंगी ।

यह आशंका व्यक्त की गयी है कि हमारे बजट में टैक्स लगने वाले हैं, अगर टैक्स लगे तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि गरीबों पर न पड़ करके ऐसे लोगों पर पड़े जो काफी संपन्न हैं या ऐसे लोगों पर पड़े जो समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना करके अपनी आवश्यकताओं पर अधिक धन व्यय करते हैं । इन शब्दों के साथ में अपने विचार प्रकट करता हूं ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट एक दर्पण होता है जिसमें साफ जाहिर होता है कि साल भर में प्रदेश की जनता के लिये कहां क्या क्या होने वाला है और उससे खासतौर से गरीब पब्लिक, जिसकी गरीबी हल करने का साधन बजट होता है, उसको क्या लाभ होने वाला है । साथ ही जिस सरकार की ओर से यह बजट पेश किया गया है और जिसकी यह घोषणा है कि समाजवादी समाज की रचना के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं, इन दो बातों का खयाल करने के बाद इस बजट को देखना पड़ेगा कि क्या सही मानों में समाजवादी समाज की रचना होने वाली है, एक कदम भी उस गरीब पब्लिक, उस कम आमदनी वाले की आमदनी, बढ़ाने के लिये, उसको राहत देने के लिये उठाया गया है या नहीं ।

श्रीमन्, लगातार ११ वर्षों से इस सदन में मैं इस प्रकार के बजटों को देख रहा हूं । इन सालों में यहां पर बजट देखने के बाद बार-बार हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गरीब पब्लिक, खासतौर से जिसको इस प्रदेश में हरिजन कहते हैं, उसके उत्थान के लिये ११ वर्षों में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है जिससे उनका घर बन सकता, उनको रोजी का साधन मिल सकता । आज भी उनकी मजदूरी वही पुराने जमाने की सामन्तशाही युग की १२ नये पैसे है जिसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सका । श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी जानते हैं कि पूर्वी जिलों का हरिजन आज भी गोबरहा खाता है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बजट से हजारों वर्षों से सताये हुये और पिछड़े हुये हरिजन परिवार को कोई राहत मिलेगी ? डेढ़ करोड़ की आबादी वाले हरिजनों को यदि इस बजट से कोई राहत मिल सकती तो मैं कहने के लिये तैयार हो सकता कि समाजवादी रास्ते पर ले जाने वाला यह बजट है । लेकिन इस बजट को मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा, कहीं भी नहीं मिला कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये मुफ्त सहायता दी जायगी, वही हरिजन जिसका आज सारा परिवार, जिसमें पिता, माता, पतोहू, सभी एक झोपड़ी में होते हैं, उसकी नरक की जिन्दगी है । मैं आज भी अपने जिले की बात कहता हूं कि आजमगढ़ में २०० गांव ऐसे हैं जिनके हरिजन एक-दो फर्लांग से कुएं या गड़ही का पानी लाकर पीते हैं । आज उस हरिजन परिवार के लिये स्वराज्य का क्या अर्थ हो सकता है जो गड़ही का पानी पीता है ।

इस बजट में आगे चलकर कहा गया है कि १३.३५ करोड़ का घाटा पूरा किया जायगा । इस संबंध में हम लोग टटोल रहे हैं, अगर स्पष्ट इशारा हो गया होता तो शायद टटोलने की जरूरत नहीं पड़ती । हमें अफसोस है कि शायद यह १३.३५ करोड़ का भार उन्हीं अधिकांश गरीबों पर पड़ेगा जिनको आज आप गरीब कहते हैं, अकिंचन कहते हैं । मैं इस सदन से और

[श्री रामसुन्दर]

माननीय मंत्री जी से मिन्नत करना चाहता हूं कि आप यह न सोचियेगा कि जो हर तरह से दबे हुये हैं, हर तरह से तकलीफ में हैं उन्हीं से १३.३५ करोड़ वसूल करें और इस प्रदेश के जो बड़ी-बड़ी आमदनी वाले हैं उनको मुक्त किया जाय ।

श्रीमन्, इस बजट से बड़ी आशा थी अपने प्रदेश के छोटे-छोटे कर्मचारियों को । जिस दिन १२ तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी ने हाउस में बजट पेश किया था, जब मैं अपने कमरे में गया तो बीसों चपरासी और दारुलसफा के छोटे-छोटे कर्मचारी आये और पूछने लगे कि क्या इस बजट में हम लोगों के लिये भी कुछ है ? उत्तर मिलता है—सारे प्रदेश के चपरासी, जितने प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापक हैं, जूनियर हाई स्कूल्स व हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अध्यापक हैं, जिनको सही माने में कहा जा सकता है कि उनकी उन्नति से ही समाजवाद समाज की रचना हो सकती है, इस बजट में कहीं भी खोजिये, गरीबों या मेहनत करने वालों को राहत देने के लिये उनके वेतन में एक पाई की भी बढ़ोत्तरी नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह समाजवादी समाज की रचना का बजट है ?

श्रीमन्, आगे देखें इस बजट में, जहां एक तरफ सन् ५२ में ६५ करोड़ बजट था, वहां उस बजट को चलाने के लिये थोड़ी तादाद में मंत्री थे, जब गवर्नर का शासन था, तब इस प्रदेश में उनके तीन सलाहकार थे । सन् ५२ में तो मंत्री थोड़ी तादाद में हुये और सन् ५७ में उनकी तादाद ३० हुई और सन् ५९ में उनकी तादाद २३ हो गयी और आज उनकी तादाद बहुत है । मैं माननीय चौधरी चरण सिंह जी से प्रार्थना करूंगा और चाहूंगा कि वे माननीय वित्त मंत्री को भी एक सलाह दे दें कि जब पिछले साल यहां का बजट पेश हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मंत्रियों के पास जो बड़ी बड़ी कारें हैं उनको उनसे छीन लेनी चाहिये, उनके पास नहीं रहनी चाहिये । मैं समझता हूं कि उससे हमारे प्रदेश के गरीबों की गाढ़ी कमाई का कुछ पैसा कम हुआ लेकिन आज क्या है ? मैं चौधरी चरण सिंह जी के हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी पिछली बातों पर ध्यान दें और आज जो सुरसा की तरह से मंत्रि-परिषद् बढ़ता जा रहा है, वे क्यों नहीं मुख्य मंत्री गुप्ता जी को अपनी राय देते कि मत बढ़ाओ, उसके बढ़ाने से क्या फायदा होता है ।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि अभी से एक दो मास पहले तक माननीय वित्त मंत्री जी हम लोगों की तरह से ही साधारण सदस्य थे । मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं इस चीज को देखता हूं कि पहले वे हमलोगों के साथ घूमते फिरते थे किसी तरह का कोई डर नहीं था, कोई रखवाली करने वाला नहीं था लेकिन जहां वे वित्त मंत्री हुए कि १५ सिपाही बन्दूक लेकर खड़े हो गये घेरा पड़ा है । जब वे जिले में जाते हैं तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट एक लारी लेकर चलते हैं, साथ में कलेक्टर, डिप्टी क्लेक्टर व तहसीलदार होते हैं । हम चाहते हैं कि इस प्रथा को बन्द कर दिया जाय, मंत्रियों, उपमंत्रियों के यहां जो खेमे पड़े हैं उनको बन्द कर दिया जाय । इससे आपका लाभ होगा और मेरा खयाल है कि कम से कम एक दो लाख रुपये का लाभ है ।

एक चीज की तरफ मैं और इशारा कर दूं कि आज से चार, पांच साल पहले माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक सरक्यूलर जारी किया था कि मंत्री लोग जब जिले के दौरे में जायं तो खासतौर से वे डिप्टी कलेक्टर मंत्री के साथ हर्गिज न घूमें जिनकी अदालत में उस दिन कोई मुकदमा हो । मैं फिर चौधरी चरण सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि अभी चुनाव के दौरान में जब आप आजमगढ़ गये थे तो क्या आपके साथ कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर नहीं थे ? अगर थे तो आपको हुक्म देना चाहिये था कि चलो अदालत देखो । श्रीमन्, मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि इस प्रदेश में जहां मंत्रियों की तादाद बढ़ती जाती है वहां जिले की हालत क्या हो रही है ? जिले की ओर देखें तो एक मुअक्किल, जिसका एक मुकदमा चार-पांच साल से लगा हुआ है, अपना सबूत लेकर अदालत में आता है और मंत्रियों की भरमार तो ऐसी है कि कोई जिला खाली नहीं है जिसमें एक दिन कोई न कोई मंत्री न रहे, और हम तो बदकिस्मत जिले में

रहते हैं । रोजाना कोई न कोई मंत्री पहुंचे रहते हैं, लाखों रुपया रोज बरबाद हो रहा है, वह पैसा जनता का बरबाद होता है मंत्रियों का नहीं लेकिन वह पैसा जो जनता का बरबाद होता है वह भी मंत्रियों का, सरकार का और जनता का ही है । अदालतों को छोड़कर हाकिम मंत्रियों के पीछे जाते हैं, घूमते हैं, उनका पैसा अलग खर्च होता है और मुवक्किल का पैसा अलग खर्च होता है । अगर आप इसको बिलकुल न रोक सकें तो कम से कम कृपा करके इतना तो कर दें कि जिस हाकिम की अदालत में मुकदमा लगा हो और जिसको किसी तारीख में मंत्री के साथ घूमना है तो कम से कम दस दिन पहले मुवक्किल को इत्तला तो करा दें और दूसरी तारीख के समन जारी करा दें कि इसके बजाय वह तारीख पड़ेगी ताकि गरीब मुवक्किल के पैसे तो बच जायं और उसको परेशानी न हो । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जो बैठे हैं वह मेरे इस सुझाव को स्वीकार करें और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी समझा बुझा कर तैयार कर लें ।

(इस समय ३ बज कर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

एक बात मैं और कहूंगा वह यह है कि इसमें कृषि कार्य-क्रम में बताया है कि तकावी की वसूली और देने का तरीका बहुत आसान कर दिया गया है । लेकिन जो हालत है गांव की वह मैं बताऊं अभी हमारे गांव के पास आग लगी, सब कुछ जल गया, न बैठने की जगह रही, न खाने को दाने रहे और कोई सामान कपड़े नहीं बचे, जो कपड़े शरीर पर रह गये वही रह गये । मुफ्त सहायता दस बीस रुपया और तकावी भी १०-२०-५० रुपया दी जाती है । मैं सरकार से कहूंगा कि ऐसे गाढ़े वक्त में जब कि खलियान, कपड़े, घर सब कुछ स्वाहा हो गया हो, खाने को दाने और बरतन न रहे तो जो निरीह अकिंचन हो जाय और खानाबदोश हो जाय तो उसको नियमों में उदारता बरत कर के एक खासी इमदाद मिलना चाहिये । आज तकावी भी और सहायता भी उन्हीं को दी जाती है कि जिनके पास कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ नहीं । तो यह क्या सुधार हुआ ? यह कृषि का ऐसा विषय है जिस पर किसान के मरने जीने का सवाल निर्भर है ।

अखबारों में निकला है कि मालगुजारी बढ़ेगी । सुनकर ही हमारा रुआं कांपता है । अभी तो पुराने सामन्तवादी लोगों की कायम की हुई मालगुजारी के देने में ही अपने जेवर बेचता है लेकिन यह बढ़ी हुई मालगुजारी किसान कैसे दे पायेगा यह सरकार के सोचने की बात है । ऐसा न हो कि जो मालगुजारी आप कायम करने जा रहे हैं वह इस तरह से न लगे कि बालू वाले खेत की मालगुजारी ज्यादा और अच्छे खेत की कम । जो जमींदार विदेश में रहता था उसने निर्दयतापूर्वक मालगुजारी बढ़ाई थी और वही मालगुजारी यदि आज भी बढ़ाई जाती है तो उचित न होगा । मैं चाहता हूं कि मालगुजारी लगाने की पद्धति में आमूल परिवर्तन किया जाय, मालगुजारी जमीन की मालियत और उसकी आय पर लगनी चाहिये और पुराना तरीका खत्म किया जाय । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने बड़े-बड़े किसानों के खेतों को छीनने के लिये टैक्स लगाया उससे कितने भूमिहीनों को लाभ हुआ है ? (लाल बत्ती होने पर) ५ मिनट, श्रीमान्, और दिये जायं . . . .

श्री अध्यक्ष--२ मिनट आपके अभी बाकी हैं, २ मिनट और मिल जायेंगे ४ मिनट आप और बोल लें ।

श्री रामसुन्दर--बाढ़ों की रोकथाम की भी इसमें चर्चा है । माननीय वित्त मंत्री जी वहीं से आते हैं जहां से हम आते हैं और जहां पर घाघरा, गंगा और गंडक के कटाव से हजारों एकड़ भूमि हर साल बरबाद होती है । उसको रोकने के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है । शहरों की बाढ़ रोकने के लिये है लेकिन देहातों के लिये नहीं । वहां गरीब बसते हैं, मूक बसते हैं, उनके पास अखबार नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है जिस बोलने की ताकत से सरकार डरे और उनकी रक्षा के लिये कुछ करे । लेकिन मैं चाहता हूं उधर भी ख्याल कीजिये जिनके घर कट रहे हैं । मेरे यहां देखिये आपने एक बांध बनवाया है उस पर आदमी बसे हुये हैं । १ घर है, १० प्राणी हैं, छप्पर चू रहा है इतनी तेज धूप है उसी में जिन्दगी

[श्री रामसुन्दर]

काट रहा है । ऐसे लोगों की रक्षा के लिये कोई प्राविधान इस बजट में नहीं है । मैं चाहता हूं उन खानाबदोशों को आदमी बनाने के लिये इस बजट में कोई प्रावीजन होना चाहिये ।

कृषि की उपज तभी अच्छी हो सकती है जब कि किसान, जो सामान पैदा करता है, उसकी कीमत में और मिल से उत्पादित सामानों की कीमतों में संतुलन हो । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक किसान गरीब रहेगा और कारखानों वाला अमीर रहेगा । बड़े-बड़े कारखाने में जो सामान पैदा होता है उसकी कीमत को रोक नहीं पाते हैं और किसान को अपने रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिये सस्ते दाम पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है । उन चीनी मिल मालिकों की ओर ध्यान दीजिये । प्रदेश के २० लाख परिवार गन्ने की खेती पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं । ६६ मिल मालिक हैं, जिन पर करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है । तकावी, मालगुजारी और टैक्स की वसूली करने के लिये किसान के बैल, भैंस और बरतन कुर्क किये जाते हैं लेकिन चीनी मिल मालिकों के जिम्मे जो किसान का रुपया पड़ा हुआ है उसको किसान को दिलाने की हिम्मत सरकार दिखा नहीं पाती है । मैं चाहता हूं अगर सरकार किसान का बकाया रुपया नहीं दिला सकती है तो इतनी ही मदद करे कि उसका जो पावना मिल मालिक के जिम्मे है और सरकार को किसान द्वारा जो देय धन है वह अगर बराबर है तो उसको मुल्तवी करे । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया ।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, जो बजट हाउस में पेश है वह ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से सरकार को कोई मुबारकबाद देने की जरूरत हो । लेकिन ऐसा भी नहीं है जिसे बहुत घटिया किस्म का बजट समझकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय । इस सूबे की तरक्की के वास्ते बजट के अन्दर काफी रुपया रखा गया है, बिजली बढ़ाने के लिये, सड़कों के बनाने के लिये, सिंचाई की तरक्की के लिये काफी पैसा रखा गया है और कोशिश जरूर इस बात की गई है कि जितनी जल्दी हो सके इस सूबे को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश की जाय । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार के हाथ में या किसी भी व्यक्ति के हाथ में इतना अधिकार कभी नहीं होता कि जिनका उपयोग करके वह मनमाने अपने ख्वाब की पूर्ति कर सकें । यह सरकार चाहती है, इसमें कोई शक नहीं, जितनी मुमकिन हो उतनी सूबे की तरक्की कर सकें और हम सब चाहते हैं कि हमारी भी तरक्की जितनी हो सकती हो ज्यादा से ज्यादा हो । लेकिन देखना यह है कि हमारी स्टेट के पास जो साधन हैं उनके अन्दर वह बात मुमकिन भी है कि नहीं ।

एक बात कई दोस्तों ने कही कि बजट समाजवादी नहीं है । समाजवादी बजट कोई भी सूबे की सरकार पेश कैसे कर सकती है ? सवाल यह है कि किसी भी स्टेट की कुछ सीमायें हैं । जमींदारी के खत्म करने की बात थी या सीलिंग लगाने की बात थी वह इस सरकार ने किया । अब सरकार के पास बाकी क्या है जो वह इस सूबे को सोशलिस्ट समाज की ओर अग्रसर करा सके ? जो कुछ है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है । सेंट्रल गवर्नमेंट की पालिसी ऐसी है या नहीं जिससे देश के समाज का निर्माण सोशलिस्ट ढांचे में ढल सके, उसे भी एग्जामिन कर लिया जाय ।

मरकज की जो पालिसी है मेरे नजदीक तो वह मिली जुली पालिसी है, न कैपिटलिस्ट इकोनामी है, न सोशलिस्ट इकोनामी है । वह लंगड़ी इकोनामी है या स्वस्थ इकोनामी है इसे हमें देखना है । उसे समाजवादी इकोनामी का नाम दे दिया जाय तो वेल एंड गुड । अगर ऐसा नहीं है तो समझना पड़ेगा कि आखिर वह चीज है क्या ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक कारखाने बनाने का सवाल है सेंटर कुछ लाइसेंस देती है प्राइवेट सेक्टर को और कुछ पब्लिक सेक्टर को । पब्लिक सेक्टर क्या चीज है ? वह जनता का सेक्टर थोड़े ही है । कोआपरेटिव बेसिस पर आधारित कोई सेक्टर थोड़े ही है। उसमें भी जो काम होता है वह गवर्नमेंट के जरिये होता है । गवर्नमेंट के खजाने से पैसा जाता है । उसका नुकसान और नफा गवर्नमेंट को होता है । अब देखना यह है कि यह चीज समाजवाद के ढांचे में आती है या नहीं । उसकी वर्किंग से गवर्नमेंट की ताकत बढ़ सकती है, उसका रोग बढ़ सकता है। अगर वह देश को समाजवाद की ओर ले जा सकते हैं तो ले जा रहे होंगे । वैसे मेरी समझ में मंजे हुये राजनीतिक, समझे और सुलझे हुए दिमाग के राजनीतिक, जिन्होंने देश को समाजवाद की ओर ले जाने के लिये कुछ तपस्यायें की हैं, वे तो ले जा सकते हैं, वर्ना ये सरकारी मुलाजिम मेरी राय में नहीं ले जा सकते । यह चर्चा उठाना कि यह समाजवादी बजट नहीं है, इस हाउस का वक्त खराब करना है ।

एक बात और सोचनी है जो कई बार हमारे सामने आ चुकी है । वह यह है कि जितने हमारे सूबे में निर्माण के काम बढ़ते जा रहे हैं उतने ही हमारे सूबे के अन्दर जरायम बढ़ते चले जा रहे हैं । अब सवाल यह है कि निर्माण के कार्य बढ़ने में तथा जरायम बढ़ने में कोई रिश्ता तो नहीं है । अगर ऐसा है तो हमारे कंट्रोल के बाहर की बात है । अगर ऐसा नहीं है तो सोचना पड़ेगा कि ज्यों-ज्यों हम प्रगति की तरफ जा रहे हैं, निर्माण के काम बढ़ाते जा रहे हैं। एम्प्लायमेंट बढ़ाते जा रहे हैं त्यों-त्यों क्या वजह है कि उसी रेट से हमारे सूबे में जुर्म भी बढ़ते जा रहे हैं ? क्या इसे बजट की खराबी कही जा सकती है ? नहीं। हो सकता है कि बजट के जो प्राविजन्स हैं उनको लाने वाली जो मशीनरी है, इसमें कोई दोष हो, इस पर गौर करना चाहिये ।

एक बात और है । वह यह है कि सबसे बड़ी जरूरत जो सूबे की है करप्शन को शेल्व करने की, उसे प्यार करने की और जनता में करेक्टर को बिल्ड करने की, इस सम्बन्ध में मैंने बहुत ढूंढ़ा लेकिन कोई स्कीम गवर्नमेंट ने नहीं रखी जिससे ऐडमिनिस्ट्रेशन को प्योरिफाई करने की कोशिश की गयी हो। अगर हो तो मेरी जानकारी में नहीं है । इतने बड़े खर्च का लेन-देन, जिसके लिये बड़ा कर्जा लेने की जरूरत पड़ती हो, बड़े-बड़े टैक्सेज लगाने की जरूरत पड़ती हो. .

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा। ४ बजा है। कार्य स्थगन का प्रस्ताव अब सदन के समक्ष आयेगा।

इलाहाबाद नगर पुलिस द्वारा लाठी तथा गोली चलाने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद

श्री अध्यक्ष---कार्य-स्थगन प्रस्ताव, जैसा कि मैंने आज पूर्वाह्न बतलाया था, विभिन्न दलों से आया था, उसमें प्रमुख स्थान मैंने माननीय नेता, विरोधी दल, श्री यादवेन्द्रदत्तजी के प्रस्ताव को दिया है। माननीय दुबे जी ....।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आपसे प्रार्थना हमारी यह है कि अच्छा होता कि मन्त्री जी का बयान इस सम्बन्ध में हो जाता जिससे कि हम लोगों को और भी जानकारी हो जाती।

श्री अध्यक्ष---माननीय पांडेय जी, पहले प्रस्ताव तो सदन के सामने आ जाय ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ता हूं कि प्रस्ताव तो मैं पढ़ चुका हूं।

श्री अध्यक्ष---आप अपनी स्पीच के बाद प्रस्ताव रख दीजियेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, प्रयाग में जो गोलीकांड हुआ, उस घटना की जो मुझे जानकारी है, उससे मैं इस सदन को संक्षेप में परिचित करा देता हूं। एक फारूख नाम के लड़के को पुलिस ने पकड़ा। यह स्पष्ट नहीं है कि किस आरोप में उसे पकड़ा लेकिन उसे पकड़ कर पुलिस कोतवाली ले गयी और वहां थर्ड डिग्री मेथड्स जिनको कहते हैं उनको इस्तेमाल करके उस लड़के को इतना पीटा कि उसकी मरणावस्था हो गयी। पुलिस का यह भी एक रवैया रहता है कि जब किसी की मरणावस्था हो जाती है तो अपने सिर पर बला को न ले, वह उसे जेल भेज देती है। चुनान्चे वह उस लड़के को जेल ले गयी। पहले तो जेल के अधिकारियों ने उसे लेने से इन्कार किया। उन्होंने सोचा कि यह बला अपने सिर पर कौन ले। अब आप सोचें कि एक आदमी मरणावस्था में है लेकिन उसकी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं। किसी तरह से पुलिस उस लड़के को जेल में दाखिल करने में सफल हुई परन्तु उसकी चिकित्सा की वहां भी व्यवस्था नहीं हुई। उस लड़के को इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उसकी मृत्यु हो गयी। बाद में उसकी स्त्री पुलिस के पास गयी कि उसका शव उसे दे दिया जाय। पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं बताया कि आखिर वह है कहां। किसी तरह से यह समाचार फैल गया कि वह जेल भेजा गया था। जब वह वहां गयी तो वहां भी उसको शव मिलने में बड़ी दिक्कत हुई। इस पर लोगों में उत्तेजना फैल गयी और भीड़ इकट्ठी हो गयी। अब इतनी बड़ी घटना होती है, एस० पी० और डी० एम० शहर में मौजूद हैं परन्तु घंटों बाद घटनास्थल पर आते हैं और आने के साथ ही जनता की भीड़ जो इकट्ठी है उसको सान्त्वना देने का प्रयास किये बिना सीधे कोतवाली में जाते हैं और उस भीड़ पर अश्रु गैस छोड़ने का आर्डर दिया जाता है। श्रीमन्, जरा विचार करें, इसमें दो, तीन बातें उठती हैं। यह मैं मान लेने को तैयार हूं कि किसी जुर्म में वह आदमी पकड़ा गया होगा। ठीक है, पुलिस को पकड़ने का अधिकार है। परन्तु जुर्म में पकड़े जाने के बाद भी मानवता के तकाजे से कोई वंचित नहीं होता। परन्तु इसके बावजूद भी पुलिस ने अत्यन्त बर्बरतापूर्ण तरीके से उसको पीटा।

श्रीमन्, यह थर्ड डिग्री मैथड जो पुलिस द्वारा चालित है यह मैं समझता हूं कि जनतन्त्र में अशोभनीय है और इस आदरणीय सदन में बार-बार मांग हुई है और सरकार ने अपने ढंग पर आश्वासन भी दिया है लेकिन आज तक वह इसको रोकने में सर्वथा असमर्थ रही है। उसका छोटा सा रूप आज के प्रश्न में आया जब माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी उत्तर दे रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि हसनगंज की पुलिस ने एक औरत को पीटा। जांच होने पर घटना सही साबित हुई। हम आशा करते थे कि कड़े से कड़ा कदम लिया जायगा लेकिन केवल उसके करेक्टर रोल में एंट्री हुई। मैं जानना चाहता हूं कि किसी की इज्जत, किसी का स्वाभिमान पुलिस के कर्मचारी के करेक्टर रोल में एंट्री होने के बराबर होता है। अगर आप उसको एक्जेम्पलरी पनिशमेंट दिये होते तो भविष्य में किसी को साहस नहीं हो सकता था कि इस तरह का बरबर्तापूर्ण व्यवहार करे। श्रीमन्, दंड मनुष्य की गलती के अनुरूप होना चाहिये। पुलिस की गलतियों पर आज परदा डाला जाता है और गलती के अनुरूप दंड नहीं दिया जाता है और उसी का परिणाम होता है कि पुलिस को प्रोत्साहन मिलता है कि वह इस तरह का बरबर्तापूर्ण व्यवहार करे। मैं जस्टिस मुल्ला के स्ट्रिक्चर को जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर पास किया है और जिसके लिये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक अपील की है, सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह सारी घटना उसकी सत्यता को प्रमाणित करती है। मैं, श्रीमन्, आपकी अनुमति से उसको पढ़ देना चाहता हूं कि :— "No lawless group whose crime record is anywhere near that of the Police Force." इस सूबे में कोई भी जुर्म करने वाला गैंग ऐसा नहीं है जो पुलिस के संगठित जुर्म के ऊपर जा सकता हो। श्रीमन्, यहीं तक नहीं पुलिस वाले फाल्स ऐवीडेंस तक दिलाते हैं।

श्रीमन्, आप सोचें कि अगर किसी पत्नी का पति मर जाय और वह भी पुलिस की बरबर्ता से मर जाय और उसको उसका शव तक न दिया जाय तो क्या यह मानवता के परे व्यवहार नहीं है? भीड़ इकट्ठी होती है, उसको सान्त्वना देनी चाहिये थी लेकिन नहीं दी गयी।

स्वाभाविक है कि भीड़ उत्तेजित हो गई और पथराव हुआ। इस पर पुलिस द्वारा टीयर गैस फेंकी गई तो भीड़ और भी उत्तेजित हो गई तब फायरिंग हुआ। कई राउन्ड फायरिंग के हुए, श्रीमन्। लाठीचार्ज हुआ और १२ घंटे तक करफ्यू लगा रहा। यह दो बातों का द्योतक है कि या तो पुलिस का अन्याय भीषण था जिससे जनता प्रतिशोध में भरी हुई थी और अन्याय पर परदा डालने का स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया या स्थानीय अधिकारी इस प्रकार की परिस्थिति को कंट्रोल करने में असमर्थ थे और शासन की अपात्रता को साबित किया। जब १२ घंटे तक करफ्यू लगाना पड़ा तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जनक्षोभ कितना प्रबल रहा होगा और यह सत्य है कि पुलिस के अत्याचार बरबर्तापूर्ण रहे होंगे।

मुझे सूचना मिली है कि दो सब-इन्स्पेक्टर जो दोषी पाये गये उनको सस्पेंड किया गया है; लेकिन निश्चय पूर्वक नहीं जानता, मुख्य मन्त्री जी इस पर प्रकाश डालें। लेकिन मैं पूछता हूं कि आदमी की हत्या कर डालते हैं शासन के बल पर और सस्पेंशन के बाद मुकदमा चलाया गया, चार्जशीट दी गई या जेल भेजे गये, इसके बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं है। इस प्रकार का लीनियेंसी का व्यवहार पुलिस के साथ यदि शासन का होगा तो मैं आपसे स्पष्ट कह देता हूं कि यह पुलिस हमारे और आपके सब के सर पर सवार हो सकती है। हमें सोचना होगा, सारे सदन के माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा, कि आखिर इस बीमारी की दवा क्या है, किस ढंग से इसको कंट्रोल किया जाय। यह बात सही है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की आवश्यकता है। परन्तु यह भी सही है कि सुरक्षा के नाम पर पुलिस को अत्याचार और अनाचार करने का अधिकार नहीं है, डिपार्टमेंटल प्रेस्टिज के नाम पर उसके कुकृत्यों पर पानी फेरने का अधिकार सरकार को नहीं है। दोनों के बीच में एक रास्ता ढूंढ़ने की आवश्यकता है। पुलिस कमीशन बैठा। उसने एक रिपोर्ट दी। परन्तु उसमें जो भी मौलिक सुझाव पुलिस की सत्ता के मद को दूर करने के लिये दिये गये हैं उन पर क्या किया गया? केवल एलेक्शन के जमाने में आपने पांच रुपये उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। मैं तनख्वाह बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन उनकी अनुशासनहीनता और निरंकुशता को रोकने की आवश्यकता है। उसके लिये मार्ग ढूंढ़ने की आवश्यकता है। अगर रोकी न गयी, तो रोग बड़ा भीषण है और मैं देख रहा हूं कि यह रोग धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा है। केवल मुल्ला जी का ही जजमेंट नहीं, कई जजमेंट हैं, कितने ही स्ट्रिक्चर्स पास हुए। पिछले सदन के समय में कई माननीय सदस्यों ने पुलिस के ऊपर हाईकोर्ट के जजमेंट में स्ट्रिक्चर्स के ऊपर प्रश्न उठाये, परन्तु सरकार की ओर से बराबर उत्तर आया कि वह विचाराधीन हैं। मैं दोषी हूं, परन्तु मेरे दंड को विचाराधीन करके गोल कर दिया जाता है। इससे इसका कर्व नहीं होगा।

देहरादून की घटना सब को याद होगी। एक पुलिस सब-इन्स्पेक्टर ने एक पासी को मारते मारते मार डाला। इस सदन में सेक्शन ५२ के अन्तर्गत प्रश्न उठाया गया। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सस्पेंड करने जा रहे हैं। जो पुलिस की ओर से जवाब दिया गया था वह सुनने लायक था। या तो मेरी बुद्धि समाप्त हो गयी थी या लिखने वाले की बुद्धि समाप्त हो गयी थी। रिपोर्ट थी कि वह आदमी कुएं में कूद कर मरा है। मेडिकल रिपोर्ट का कहना है कि उस पर मार के चिन्ह हैं। मैं यह भी मान लूं कि वह कुएं में कूद गया, लेकिन क्यों? इसलिये कि उसको इतना मारा कि घबड़ा कर वह कुएं में कूद पड़ा। इस प्रकार की हत्याएं प्रदेश में होती आयी हैं। इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से करबद्ध प्रार्थना और आग्रह करूंगा कि जो कांड हुआ है, प्रयाग में, इसकी खुली न्यायिक जांच होनी चाहिये कि जो आदमी मारते मारते मार दिया गया, उसकी जिम्मेदारी कांस्टेबिल्स पर है, सब-इन्स्पेक्टर पर है, एस० पी० पर है, डी० एस० पी० पर है, किस पर है? और जो परिस्थिति पैदा हुई जिसके कारण करफ्यू लगाना पड़ा, ऐसी स्थिति क्यों खड़ी हुई और भविष्य में इस स्थिति को कैसे रोका जा सकता है इसके लिये न्यायिक जांच, खुली जांच की मैं मांग करता हूं। दूसरे इस सम्बन्ध में, इसको रोकने के लिये मैं यह सुझाव देता हूं कि इस प्रकार की घटना जहां भी पुलिस के द्वारा

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

या किसी अन्य शासनाधिकारी के द्वारा घटित हो, उसको एग्जेम्प्लरी पनिशमेंट मिलनी चाहिये। ला डिलेड के बजाय जस्टिस स्विफ्ट और शार्ट होना चाहिये जिससे लोगों के मन में भय हो कि हम सत्ता के बल पर, यूनिफार्म के बल पर जन साधारण के साथ अत्याचार और अनाचार और नियमों को समूलोंघन नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ मैं यह जो कामरोको प्रस्ताव है सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं: "इलाहाबाद नगर पुलिस द्वारा शान्तिपूर्ण जनता पर अमानुषिक लाठी एवं गोली वर्षा से प्रदेश की जनता में क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इलाहाबाद की जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। पुलिस द्वारा दमन चक्र चल रहा है, एवं तथ्यों को छिपाया जा रहा है। इस विषम परिस्थिति, जो इस सरकार की लापरवाही एवं अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों से उत्पन्न हुई है, पर विचार करने हेतु सदन अपनी आज कार्यवाही स्थगित करता है।"

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार के लिये और विशेषकर जनतांत्रिक सरकार के लिये कभी भी यह खुशी की बात नहीं हो सकती कि कहीं व किसी समय उसको जनता के ऊपर या उसकी भीड़ के ऊपर गोली का इस्तेमाल करना पड़े। परन्तु कभी-कभी मान्यवर, परिस्थितियां विवश कर देती हैं और सरकार को अपने कठोर कर्तव्य का पालन करना पड़ता है.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उसके लिये शर्म खाइये।

श्री नवल किशोर—आप सुनिये। शर्म पता नहीं किसको खानी पड़े।

तो मान्यवर, इलाहाबाद में जो गोलीकांड हुआ उसके सम्बन्ध में सरकार के पास जो सूचना है वह मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, १० अप्रैल, १९६२ को शाम को लगभग ७ बजे इलाहाबाद में कोतवाली की पुलिस ने ५ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो एक सार्वजनिक स्थान पर मानसरोवर सिनेमा वाली सड़क के चौराहे पर डन्डे से लड़ाई कर रहे थे। अभियुक्तों को १२ अप्रैल को एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और १३ तारीख को वह जेल भेज दिये गये। अभियुक्तों में से एक की, जिसका नाम फारूक था, १४ तारीख की सुबह को लभगग ६ बजे जेल में मृत्यु हो गई। यह सूचना मिलते ही तुरन्त एक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को जांच (Inquest) करने के लिये नियुक्त किया गया और लाश को शव परीक्षा (postmortem) के लिये भेज दिया गया। उसी दिन शाम को ८ बजे मृतक की विधवा कोतवाली पर आई और उसने यह शिकायत की कि उनके पति की मृत्यु जेल में इस कारण हुई कि कोतवाली के दो सब-इन्स्पेक्टरों ने उनको जोर से मारा था। उस समय कोतवाली के सामने एक भीड़ जमा हो गई और भीड़ के आदमियों की यह मांग थी कि उन दोनों सब-इन्स्पेक्टरों को फौरन जेल भेज दिया जाय और मृतक की लाश बिना शव परीक्षा के दे दी जाय। मृतक की विधवा ने बहादुरगंज चौकी के दो इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध लिखित शिकायत दी। इस समय तक एस० एस० पी० मौके पर पहुंच चुके थे और उन्होंने भीड़ को लाउड स्पीकर पर यह बतलाया कि एक मैजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले की जांच शुरू हो गई है और उपरोक्त शिकायत मिलने पर सब-इन्स्पेक्टरों को मुअत्तल करके उनको लाइन वापस बुला लिया गया है। परन्तु भीड़ शान्त नहीं हुई और शीघ्र ही लगभग १,००० के हो गई तथा उसने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। वह लोग कोतवाली पर ईंट और पत्थर बरसाने लगे। बहुत समझाने पर भी न माने। इसलिये शाम को साढ़े ९ बजे के लगभग सिटी मैजिस्ट्रेट ने उस भीड़ को गैरकानूनी घोषित कर दिया और लाउडस्पीकर पर यह चेतावनी दी कि अगर वह तितर-बितर नहीं हुई तो शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका भी कुछ असर नहीं हुआ और ईंटें फिकती रही जिससे करीब २५ पुलिस के आदमियों व अधिकारियों, जिनमें सिटी मैजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, के चोटें आयीं। इसके बाद टीयर गैस का प्रयोग किया

गया और फिर कई दफा लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन भीड़ तितर-बितर नहीं हुई और ईंटें बरसाती रही। इस समय हालत नाजुक हो गई थी।

जिलाधीश व अतिरिक्त जिलाधीश ने मोटर पर कोतवाली पहुंचने की कोशिश की परन्तु भीड़ ने उनके ऊपर भी ईंटें फेंकी और उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया। भीड़ इस समय बहुत हिंसात्मक हो गई थी और एक पुलिस की ट्रक को, जो कोतवाली के सामने खड़ी थी, आग लगा दी और एक फायर ब्रिगेड को भी जलाने की कोशिश की। कोतवाली के टेलीफोन मेंस को उन लोगों ने तोड़ दिया। जब सब प्रयत्न असफल रहे तो गोली चलानी पड़ी। कुल १४ राउन्ड फायर किये गये जिससे ८ आदमियों के चोटें आयीं। इनमें से ३ के चोटें अधिक आई थीं। जिनके चोटें आई थीं उनको पुलिस ने अथवा भीड़ के कुछ आदमियों ने अस्पताल पहुंचा दिया और जैसा कि अभी ज्ञात हुआ, यह खेद की बात है श्रीमन्, कि उनमें से दो की मृत्यु हो गई।

गोली चलाने से भीड़ तितर-बितर हो गई परन्तु छोटे-छोटे गुट बनाकर लोग इधर-उधर २ बजे रात तक घूमते रहे। फौरन दफा १४४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये कि ५ से ज्यादा आदमी इकट्ठे न हों, कोई हथियार लेकर न निकले, आदि। उस रात और कोई घटना नहीं घटी परन्तु १५ तारीख को ९–१० बजे सुबह के बीच फिर एक छोटी सी भीड़ कोतवाली के सामने जमा हो गई और ईंटें फेंकने लगी। अतिरिक्त जिलाधीश और सिटी मैजिस्ट्रेट फौरन मौके पर पहुंच गये और स्थिति पर काबू पाया। कल शाम तक कुल ४८ व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। स्थिति पर पूरा काबू है लेकिन कुछ तनाव चल रहा है जिसके कारण कल रात शहर में करफ्यू भी लगाना पड़ा।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि पुलिस के जरिये गोली चलाने के मामले की जांच की जाय और आयुक्त इलाहाबाद मंडल इस मामले की जांच करें। जहां तक फारूक की मृत्यु के कारण का प्रश्न है एक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट इसमें जांच (Inquest) कर रहे हैं और पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध जो एलीगेशन्स हैं उनकी जांच सी० आई० डी० को दे दी गई है।

मान्यवर, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने वाक़यात रखे उनसे नेता विरोधी दल इस पर जरूर विचार करेंगे कि जितनी कार्यवाही करने की आवश्यकता थी उसमें सरकार ने देरी नहीं की और जिला अधिकारियों ने, जो भी वह तुरन्त कदम उठा सकते थे, उठाये। जो वाक़यात थे वह मैंने हाउस के सामने रख दिये हैं, मैं चाहता हूं कि इन वाकयात की रोशनी में यह सदन इस विषय पर विचार करे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाश पोस्ट मार्टम के लिये भेज दी गई है। वह कृपया बतायेंगे कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट उनके पास आ गई है तो उसमें क्या लिखा है?

श्री नवलकिशोर—मैं आपकी आज्ञा से अभी बतला चुका हूं कि जो फैक्ट्स हमारे सामने थे वह हमने सदन के सामने रख दिये। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा था कि वह और जानकारी कुछ करेंगे तो और मालूमात उनके पास होगी। लेकिन इस पर आप बहस आज ही चाहते थे तो जो फैक्ट्स अभी तक मालूम हो सके हैं वह मैंने आपके सामने पेश कर दिये।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जो सवाल अभी माननीय नेता विरोधी दल ने पूछा है उसके विषय में मुझे यह कहना है कि मेरे पास उसके उपरान्त जो इत्तला आई है वह यह है कि जिस मैजिस्ट्रेट ने मृतक व्यक्ति के सम्बन्ध में इन्क्वायरी की थी, वह इन्क्वायरी इस विषय में नहीं थी कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। जो मेडिकल रिपोर्ट है वह भी वह बता नहीं सकी। इसलिये उसका भेजा इत्यादि अभी कैमिकल एग्जामिनर को डाक्टर ने भिजवाया है। उसके उपरान्त यह कहा जा सकेगा कि किन कारणों से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह घटना तो इलाहाबाद शहर के लिये कोई नई घटना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर सामने बैठे हुये हंस रहे हैं। यह बहुत लज्जा की बात है। उनसे मैं तो यह आशा करता था कि वह इलाहाबाद नगर में चलते और जिस प्रकार से छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर पुलिस ने गुंडागर्दी करके गोली चलाई है और जिस प्रकार से लाल जी नाम के आदमी को और १२, १२ और १४, १४ वर्ष के लड़कों को गोली का शिकार होने पर अस्पताल में रखा गया है उसको चल कर वे देखते। मैं यहां पर उस बात की पुनरावृत्ति करने नहीं आया हूं। मैं अभाग्यवश उस दिन इलाहाबाद में नहीं था। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के कारण हमारे नगर में यह पहला गोलीकांड नहीं हुआ। दो मर्तबा ही नहीं बल्कि ४ मर्तबा इस सरकार के साथ पुलिस की सांठ-गांठ होने की वजह से होता है। हमारे नगर में मंत्रियों की भरमार है। हमारे नगर के ही प्रधान मंत्री भी नागरिक हैं। वहां पर इस प्रकार की गुंडाशाही पुलिस के द्वारा हो, एक नहीं रोज इस प्रकार की गुंडागर्दी हो तो यह खेद की बात है। सरकार चाहती है कि वहां पर चुनाव में जिस तरह से लड़ाई होती है उसी प्रकार हो और जिस प्रकार से पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके चुनाव को लड़ा गया उसी प्रकार से आजकल वहां पर होता है। इसी प्रकार से चुनाव में भी दोषारोपण होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। यह घटना चुनाव से संबंधित है। सरकार ने वहां की जनता को बहकाने के लिये बीसियों हथकंडे लगाये लेकिन फिर भी वहां की जनता ने आपके विरोधियों को चुन कर यहां भेजा है। जनता को गोली और दंगे से दबा कर सरकार इस स्थान पर बैठी नहीं रह सकती। इस प्रकार की घटनायें वहां रोज होती हैं। यह फारूक नाम का आदमी १० तारीख को पकड़ा जाता है और शायद चार, पांच आदमी उस रोज हवालात में पहुंच गये। उसी दिन उसकी स्त्री और महतारी थाने में ले जायी गयी और उन लोगों के सामने जिस बर्बरता से उसके बुरे स्थानों को कुचल कर मारा गया और उसकी महतारी को चार, पांच बजे थाने से निकाल दिया गया उसे सब जानते हैं। उसके अधमरा हो जाने के बाद १३ तारीख को उसका चालान नैनी जेल भेजा जाता है जिसका उसके परिवार को कोई पता नहीं रहता। १३ की शाम को या १४ की सुबह उसकी मृत्यु होती है और उसका पता उसकी स्त्री और महतारी को प्रातः चलता है। जेल से उसे एक पत्र भेजा जाता है कि फारूक की लाश ले जाओ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहूंगा कि इस प्रकार एक नहीं हजारों आदमी पुलिस द्वारा मार कर गंगा या अन्य नदियों में बहा दिये जाते हैं और उनके वारिसों को कोई पता नहीं चलता। अगर उनके लिये कोई आवाज उठाता है तो अंग्रेजी जमाने से ज्यादा जुल्म उस पर होता है। उसकी महतारी और स्त्री को कहा जाता है कि उसका शव ले जाओ और वे बेचारी, गरीब परेशान होती हैं। वे गरीब परिवार की हैं। उसने खबर पाने पर दौड़ना शुरू किया, मोहल्ले वालों को कहा कि मेरा लड़का कोतवाली में बन्द था लेकिन खबर आयी है कि उसका शव ले जाओ। उसे मार डाला गया। मैं दुर्भाग्य से उस दिन वहां नहीं था, विन्ध्याचल गया था। लोग उसके साथ कोतवाली जाते हैं और वहां उसकी स्त्री अपने पति की लाश की मांग करती है। उसे बजाय लाश देने के या पूरी सूचना देने के उसके साथ जो व्यवहार किया गया उसे सब जानते हैं। चौक में कोतवाली है जी० टी० रोड पर। लोग इकट्ठे थे। पुलिस ने खड़े हुए लोगों को उत्तेजना दी और बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी गिरफ्तारी या लाठी चार्ज के गोली चला दी। मैं अस्पताल गया था वहां केवल ८ आदमी पड़े थे जो गोली के शिकार थे। एक भी पुलिस वाला वहां नहीं था। दो बच्चे थे जिनके सीने पर गोली लगी थी। यह प्रजातंत्र की सरकार के लिये लज्जा की बात है। मैं जोशखरोश में नहीं बोल रहा, लेकिन जिस प्रकार सरकार ने पुलिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बढ़ावा दिया है उसकी अगर रोकथाम न हुई तो याद रखिये कि नगर की बात आज सारे देश को मालूम हो गयी है, और वहां के लोग किस प्रकार से इस सरकार से असन्तुष्ट हैं यह जाहिर है। हो सकता है कि सरकार चुनाव में जीतकर बहुमत में यहां पर बैठी हो लेकिन जिस प्रकार से चुनाव जीते गये हैं वह सब को मालूम है। लेकिन उसके बाद इस प्रकार से पुलिस को बढ़ावा देकर प्रदेश में जो अराजकता सरकार पैदा कर रही है वह बहुत शर्म की बात है। मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पुलिस को दिये गये इस बढ़ावे को वह रोके वरना एक नगर में नहीं पूरे प्रदेश में एक दिन जल्दी ही आयेगा जब अराजकता फैल सकती है। इसलिये मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि मामले को तोड़-मरोड़ कर रखने से अब काम चलने वाला नहीं है क्योंकि जैसा आदरणीय दुबे जी ने कहा कि फारूक नाम का आदमी था उसको पकड़ा गया और उसके साथ में उसके बाद जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया, यानी उसको अधमरा करके जेल में भेजा गया यह बिलकुल अमानुषिक राक्षसी व्यवहार है। जिस अधिकारी ने इसे किया है उसे पूरे रूप से सजा मिलनी चाहिये, क्योंकि अगर यह नहीं होता है कि उसका असर सारे प्रदेश पर पड़ सकता है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि बिलकुल गोली चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर ठीक से प्रबन्ध किया गया होता तो सारी स्थिति काबू में आ सकती थी। कहा गया कि पुलिस वालों की मोटर जला दी गयी। मैं यह मानता हूं कि एकाध जगह पर ईंटे बाजी हुई लेकिन जितनी ईंटेबाजी या ऐसी चीजें कही जाती हैं अगर वह होती तो उसमें २, ४ पुलिस वाले घायल होते। अगर किसी ने ऐसा किया था तो उसको पकड़ा जाता, उसकी रोकथाम होती और जनता भाग जाती, लेकिन वह नहीं हुआ। १८ राउन्ड फायर किये गये। इसकी जांच कौन करेगा? मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच निष्पक्ष रूप से करवावे। यह प्रजातांत्रिक कहलाने वाली सरकार है?

वहां एक खास किस्म का मुकदमा बनाया जा रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि एक प्रकार से गठबन्धन की बात बनायी जा रही है कि ५ आदमी लड़ रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया। यह बात नहीं है। बात सीधी सी यह है कि लोग किसी इल्जाम में पकड़े गये हैं लेकिन लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। एक आदमी जेल में था। उसका नाम था रशीद। उसके भी हाथ पांव टूटे हुये हैं। इसी से ३ दिन पहले कोतवाली के बगल में एक लोहे के व्यापारी को बुरी तरह से मारा गया। इस समय हमारे नगर में विद्यार्थियों का इम्तिहान है, जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि उपमंत्री जी ने कहा वहां कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लगाया गया और उसका मतलब यह है कि वहा आतंक बढ़ेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां कर्फ्यू फौरन हटा लिया जाय क्योंकि इसका किसी पोलिटिकल पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है। पुलिस के द्वारा अत्याचार हुआ है इसकी किसी प्रकार से जांच होनी चाहिये और मैं चाहूंगा कि हाई कोर्ट के द्वारा इसकी जांच हो। इन शब्दों के साथ मैं राजा दुबे जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया है उसको मैं चाहूंगी कि सदन दो हिस्सों में बांट कर विचार करे। यह जो घटना १४ तारीख को इलाहाबाद में हुई, दो बजे दिन को, दो व्यक्ति मेरे पास भागते हुए आये और उन्होंने कहा कि मोहल्ले में एक बड़ी दुखद घटना हो गयी है। मैंने पूछा, क्या हुआ? किसी की क्या हत्या हो गयी, मार-काट हुई? तो मालूम हुआ कि हां, फारूक नाम का लड़का, २३–२४ साल का, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। शायद कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में कहीं किसी के यहां चोरी हुई थी, उसके सिलसिले में पुलिस वालों ने उसकी ससुराल में छापा मारा और यह लड़का वहां ससुराल गया हुआ था ४–५ व्यक्तियों के साथ, उसको पकड़ लिया गया—जो उन व्यक्तियों ने मुझसे कहा वह मैं बता रही हूं—और जब उसको कोतवाली ले जाया गया और वहां पर कुछ उसे मारा-मारा गया तो अधिक चोट आयी। उसके बाद जेल में उसकी मृत्यु हुई है।

[श्रीमती राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

उन्होंने कहा कि हम यह समझते हैं बहिन जी, कि उसकी लाश दिलवाने में आप हमारी मदद करें। मैंने कहा कि मैं पूछूंगी कि मामला क्या है। मैंने नैनी जेल टेलीफोन किया और पूछा तो वहां जेलर ने बताया कि मृत्यु हो गयी है और अब लाश पोस्ट-मार्टम के लिए जा रही है, उनके रिलेटिव्स से कह दीजिये कि २ घंटे के बाद लाश मिल जायगी, वहीं अस्पताल में चले जायं। मैंने उन्हें समझा कर भेजा और यह सांत्वना दी कि अगर इस तरह की बात हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए मैं आगे बात-चीत करूंगी।

उन्होंने कहा कि अभी तो 'गुरु' नहीं हैं इलाहाबाद में, क्या हम पी० एस० पी० वालों के पास जायं? मैंने कहा कि आपकी इच्छा की बात है, पी० एस० पी० या किसी के पास जायं, लेकिन इस मामले की ठीक से जांच हो और शान्तिमय तरीके से जो किया जा सकता है वह हमें करना चाहिये। उसके बाद अगर आपको लाश नहीं मिलती है तो फिर आप मेरे पास आइयेगा, मैं उसके लिये प्रयत्न करूंगी। लेकिन उसके बाद मैंने सुना कि वे लोग कुछ पी० एस० पी० के कार्यकर्ताओं के पास गये, क्योंकि गुरु उस समय विंध्याचल में थे। पी० एस० पी० के कार्यकर्ता बड़े उत्तेजित हुए और उन लोगों के साथ चल दिये, साथ में और लोग भी थे, लेकिन वह लोग भी गये और वहां पर नारे लगाने लगे कि "लाश देनी चाहिए और मिलनी चाहिए"। जिस स्त्री का पति मारा गया था उसको ले गये और खूब जोर जोर से कहा कि खूब चिल्लाओ। काफी शोर मचाने लगे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के अत्याचार किये हैं उनको लाइन हाजिर करने की बात की जा रही है और उसके लिए उन्हें सजा दी जा रही है—इस तरह का एलान हुआ और भीड़ को तितर-बितर करने की बात की गयी, लेकिन लोग बढ़ते गये, भीड़ तितर-बितर नहीं हुई। ऐसी हालत में फिर जब काफी वायलेंट होने की बात पैदा हुई तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

मैं यह समझती हूं कि हमारे शहर में इस तरह की जो बातें होती हैं, उसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारे विरोधी दल के नेता लोगों की भी होती है, क्योंकि आज इलाहाबाद के अन्दर चीप लीडरशाही बढ़ती चली जा रही है और आये दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और अक्सर हमारे पास जब कोई व्यक्ति ऐसी घटनाओं को लेकर आते हैं और जब हम शान्तिमय तरीके से, कानूनी ढंग से अफसरों से और व्यक्तियों से बात करके उसका निपटारा कराने की बात करते हैं उस वक्त हमेशा होता है कि अगर वह किसी विरोधी दल के नेता के पास पहुंचे और वह फौरन कोतवाली पहुंच गये और उसकी शक्ल कुछ की कुछ हो जाती है।

कहा गया कि कर्फ्यू क्यों लगाया गया और इस तरह से आतंक की बात क्यों आयी? मैं आपका ध्यान, सदन में जब यह प्रश्न उठा है और यह एक गम्भीर प्रश्न है, उस ओर दिलाती हूं कि अभी कुछ महीने पहले इलाहाबाद में ऐसी ही एक घटना सिनेमा हाउस में हुई थी। एक क्रिश्चियन लड़का मारा गया, उसे पुलिस ने पीटा था, उस समय कोई इस तरह की बात नहीं हुई और न आन्दोलन उठाया गया और न इस तरह का जलूस निकाला गया। इसके पहले और भी दो-तीन घटनाएं हुई हैं, लेकिन चूंकि यह व्यक्ति मुसलमान था और मुसलमानों में जैसी की एक भावना होती है और उसका हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं विरोधी दल के लोग, उन्होंने इसलिए उस माब के अन्दर जिसमें अधिकांश ऐसे लोग थे जो मुसलमान थे उनके अन्दर कम्युनल फीलिंग फैलाने का प्रयत्न किया। इसलिए आवश्यक हो गया कि कड़ाई के साथ उसका मुकाबला करें और उस माब को शान्त करने की कोशिश करें।

इसीलिये यह किया गया क्योंकि चारों तरफ से उस समय माब में यह आवाज आ रही थी कि हमें जबलपुर बनाना है या क्या करना है, तो जब इस तरह की बातें हो रही थीं उस हालत में हमारे अधिकारीगण करते क्या। यह बात सही है और मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि पुलिस वाले इस तरह से मारपीट करें। जो सजा देनी हो वह कानून के अन्दर दी जाय। अगर कोई चोर है, बदमाश है तो उसको पकड़ने का अधिकार अधिकारियों को है लेकिन इस प्रकार अमानुषिक

ढंग से मारना और मार डालना, यह अधिकार सरकार को पुलिस के हाथ में या किसी भी अफसर के हाथ में नहीं देना चाहिये। इसलिये अगर जांच होती है तो इस पर ठंडे दिल से विचार होना चाहिये और आइंदा के लिये इस प्रजातन्त्र में कम से कम हम अपनी पुलिस के सामने यह बात रखें कि इस प्रकार से जनता को अमानुषिक ढंग से न पीटा जाय क्योंकि अक्सर यह होता है कि बहुत से मामलों में बेगुनाह लोग भी पकड़ लिये जाते हैं और वह भी उसी पिटाई में आ जाते हैं। तो इन सब बातों की ओर ध्यान देना है।

इंगलैण्ड की पुलिस लोगों का पथ-प्रदर्शन करती है, मित्र की तरह व्यवहार करती है। पुलिस के सामने एक आदर्श होना चाहिये और उसके लिये हम उचित व्यवस्था करें, उनको उचित इंस्ट्रक्शन्स दें कि यह तो बन्द होना ही चाहिये, इस तरह से मार-मार कर लोगों को खत्म न किया जाय। लेकिन जब साथ ही साथ विरोधी दल के लोग जनता को उकसा कर स्थिति से फायदा उठाना चाहते हैं और इस तरह से माब को वायलेंस के लिये भड़काते हैं, इसकी भी मैं तीव्र निन्दा करती हूं। और मैं चाहूंगी कि आइन्दा से ऐसी चीज न होने पाये। इलाहाबाद में जब-जब घटनायें हुईं उसमें विरोधी दल के लोगों का काफी हाथ रहा। उनके बड़े नेता उसमें भले ही न हों लेकिन दूसरी तरह के कार्यकर्ता उसमें जरूर रहते हैं। इसलिये इलाहाबाद के जो विरोधी दल के नेतागण यहां पर बैठे हैं मैं उनसे भी अपील करूंगी कि वह शहर में जाकर शांति कायम रखने में सरकार की मदद करें न कि जो स्थिति भड़क रही है उसको भड़काने में मदद करें। मैं जानती हूं कि वहां के पी० एस० पी० के जो नेतागण यहां पर बैठे हैं वह काफी समझदार हैं और वह इसमें हमारी मदद करेंगे। मैं इस बात का जरूर समर्थन करती हूं कि इसकी जांच हो क्योंकि जांच करते समय इन सब बातों पर हम विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचेंगे। विरोधी दलों के मुकाबले में प्रजातन्त्र की हमें ज्यादा चिन्ता है, क्योंकि बाद को हमें ही जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। इसलिये मैं चाहती हूं कि हमारी पुलिस शुद्ध हो जोकि उचित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके और सरकारी नियमों का अधिक से अधिक पालन करें। और जांच तो इस मामले की होनी ही चाहिये। इन शब्दों के साथ में चाहूंगी कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को दो हिस्सों में बांट दिया जाय। इस शब्द का तो मैं विरोध करती हूं कि शांतिमय जनता के ऊपर गोली चलाई गई। वह शांतिमय लोग नहीं थे और न शांतिमय तरीके से कार्य ही कर रहे थे। इन शब्दों का मैं विरोध करती हूं लेकिन पुलिस ने लाक-अप के अन्दर जो मार-पीट की और जो जान चली गई उसकी अवश्य निन्दा करती हूं।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन ने जिन्होंने अभी अपना भाषण दिया, कुछ बातें कहीं। उन्होंने मसले को कुछ उलझा दिया। विरोधी दल और सरकारी दल के दर्मियान झगड़ा है और इस वजह से यह चीज हो गई। इसको सुनकर मुझे अफसोस हुआ चूंकि मैं इस मसले को इस शक्ल में देखता नहीं कि विरोधी दल भड़का रहा है किसी को और सरकारी दल कुछ प्रजातंत्र की रक्षा कर रहा है हर वक्त। मैं समझता हूं कि यह सवाल न सिर्फ हमारा है बल्कि आपका भी है। और मुझे अफसोस हुआ यह देख कर कि एक आदमी मारा जाता है, पुलिस मार देती है, आप तस्लीम करते हैं चूंकि आपने, आपके अफसरों ने कहा कि दो सब-इंस्पेक्टर्स हैं जिनको लाइन में भेज दिया गया है, उनको सजा दी जायगी, तो आप तस्लीम करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से उनको हटाया जा रहा है। एक आदमी मार दिया जाता है, उसके बाद शहर में एक हैजान पैदा होता है, उसके बाद गोली चलती है और यहां लोग जब इस बात को उठाते हैं कि इस पर बहस हो तो आप खामोश बैठे रहते हैं, आपके दिल में परेशानी नहीं पैदा होती है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए कहा जाता है कि—"eternal vigilence is the price of freedom" लेकिन जब विजिलेंस की बात कोई होती है तो आप खामोश हो जाते हैं। हमारे कांग्रेसी भाइयों का यह फर्ज था कि वे मंत्रिमंडल के पास पहुंचते और कहते कि इसकी जांच की जाय

[श्री जेड० ए० अहमद]

और इसके ऊपर बहस हो लेकिन चूंकि आप सरकार की गद्दी पर बैठे हुए हैं इसलिए नीचे का दारोगा या नीचे का आफिसर जो चाहे करे, आप अपना फर्ज यही समझते हैं कि जैसे भी हो उसकी रक्षा करें। मैं समझता हूं कि इस तरीके से प्रजातंत्र की रक्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। प्रजातन्त्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है। जब कोई ऐसा सवाल आता है तो आपको खुद इस बात को खड़े होकर कहना चाहिये क्योंकि आप इस सदन के कस्टोडियन हैं और यह इस सदन का डेमोक्रेटिक राइट है। मैं समझ ता हूं कि मुख्य मंत्री की तरफ से ही इस तरह का प्रस्ताव आना चाहिये कि इसके ऊपर बहस हो और जो लोग दोषी हों उनको सजा मिले।

हमारे भाई और दोस्त नवल किशोर जी ने वही ट्रेडिशनल बात कह दी कि कोई भी सरकार यह पसन्द नहीं करती कि गोली चले किन्तु, यहां 'किन्तु' पर आकर बात उलट गयी। जब यह सवाल आया तो कहा गया है कि हमें दुख है, वही फार्मूले वाली बात कि, हमें दुख है। अगर आपके दिल में दुख होता तो उस दुख का इजहार होता। दो आदमी मारे गये, और जब विरोधी दल की तरफ से इस पर बहस की मांग की जाती है तो कोई मुस्करा रहा है, कोई देख रहा है। बदकिस्मती से आज हमारे हिन्दुस्तानियों का दिल सख्त हो गया है। यहां पर इंग्लैण्ड की मिसाल पेश की गयी। यह सही है कि हमारी डेमोक्रेसी इंगलिश पैटर्न पर चल रही है लेकिन अगर इंगलैण्ड में ऐसी चीज हुई होती तो पार्लियामेंट के अन्दर और पूरे मुल्क के अन्दर एक तूफान मच जाता। लोगों पर गोली चली, पुलिस ने डंडों से मार-मार कर दो आदमियों को मार दिया और आप यहां सदन में बैठे मुस्करा रहे हैं। नया राज्य है, नया तरीका होना चाहिये, नया स्टैंडर्ड, नया पैमाना होना चाहिये। जब नीचे का आफिसर कोई गलती करता है तो ऊपर का आफिसर उसे प्रोटेक्ट करता है और ऊपर के आफिसर को मंत्री प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जब मांग की जाती है कि कोई हाई कोर्ट का जज इसकी जांच करे तो आप घबड़ाते क्यों हैं? आखिर यह घबड़ाहट क्यों? यह तो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि नीचे के आफिसर का बचाव ऊपर का आफिसर करता है और इस तरह से उसकी कोई गलती साबित नहीं हो पाती है। हम तो यही मांग करते हैं कि कोई ऐसा हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दीजिये जिसमें हमारा आपका सबका विश्वास हो। आखिर हम कमिश्नर पर विश्वास कैसे करें, क्योंकि वह भी तो उसी नौकरशाही का ही एक भाग है? अगर आप प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं तो आप इस मांग को मान लें कि इसकी जांच के लिये हाई कोर्ट का कोई जज मुकर्रर हो।

यह सवाल जो उठा है इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना है और मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि वे इस मांग को मान लें और हाई कोर्ट का एक जज जांच के लिये मुकर्रर करें। एक नया ट्रेडिशन बनाइये, यह नया स्टेट है, एक नया तरीका इस्तेमाल किया जाय, यह आप कर लें तो आप की शान होगी। अगर आप इधर या उधर करके लोगों को दबा लें और जनता वायलेंट हो तो लोगों के दिल में विश्वास नहीं पैदा होता है। आप पुलिस अफसरों को बचा करके प्रजातन्त्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं और न पुलिस आफिसर ही सरकार की रक्षा कर सकते हैं। आप को बचाना जनता के ही हाथ में है।

यह कहा गया कि पी० एस० पी० के लोगों ने वहां की जनता को भड़काया। मैं समझता हूं कि जब लोग पी० एस० पी० वालों के पास गये तो उन्होंने उनकी बात सुनी और डेमोक्रेसी के अन्दर जो उनको राइट है उस फर्ज की उन्होंने अदायगी की। इसके लिये तो आपको उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहिये कि कम से कम उन्होंने जनता के दुख दर्द को सुना तो। यही तरीका है जिस से हम डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकते हैं बजाय इस के कि हम कहें कि पी० एस० पी० ने ऐसा कर दिया और यह कर दिया। मैं कहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो क्या होता बस रिपोर्ट में खानापुरी हो जाती कि वह लोग चोर थे और आपस में लड़ गये एक जख्मी हो गया और उसके बाद मर गया किस्सा खत्म। लाश को गायब कर दिया जाता।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप के जरिये से मैं बहुत नर्मी के साथ मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस पर गौर करें। इस से उन की शान बढ़ेगी। अगर वह इस बात को मानेंगे कि वहां एक स्वतन्त्र इन्क्वायरी हो और एक हाईकोर्ट का जज उसमें हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा सदन और कांग्रेस के भाई भी इस का समर्थन करेंगे और हम सब मिलकर इस किस्म की कार्यवाही को खत्म करेंगे जो अक्सर हमारे पुलिस के अफसर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्री जी नये रास्ते पर चलकर जनता की और डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने दोनों पक्षों की ओर से हुये कुछ भाषणों को सुना और उन के सुनने के बाद मेरे मन में भी आया कि मेरे मन में जो खयालात पैदा हुये हैं वह मैं सदन के सामने पेश करूं। अभी मेरे साथी श्री जेड० ए० अहमद ने फरमाया कि माननीय मुख्य मंत्री जी को चाहिये कि वह इस मामले में एक हाई कोर्ट के जज के द्वारा इक्वायरी करवायें। कोई हर्ज की बात नहीं है मांग तो ठीक ही मालूम होती है लेकिन वह किस चीज की इन्क्वायरी कराना चाहते हैं। इस में दो वाकयात हैं एक तो वह जो १० व ११ तारीख को हुआ और दूसरा वाकया वह है जिस का ताल्लुक गोली चलने से है। वह किस चीज की जांच कराना चाहते हैं ?

अनेक सदस्य---दोनों की।

श्री बृजभूषणशरण---दोनों की नहीं हो सकती। सब से पहले यह मालूम करना चाहिए....

(व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि सब से पहले यह मालूम होना चाहिये कि १० तारीख को जब सड़क पर लाठी डंडे से दंगा हुआ (व्यवधान) अभी जो माननीय उप गृह मंत्री जी ने कहा है कि उनकी गिरफतारी इसलिये हुई थी कि वह लोग बाजार में चौराहे पर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---यह बहुत गलत बात है, एक सदस्य जब बोल रहे हैं और वह अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उनकी बात सुन तो लीजिये उन्हें कहने दीजिये। आप जोश न दिखायें बल्कि गम्भीरता से उनकी बात सुनें। अभी एक माननीय सदस्य स्वयं कह रहे थे कि उस विषय पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये तो उनकी बात भी आप गम्भीरता से सुनें।

श्री बृजभूषणशरण---मैं यह कह रहा था कि अभी माननीय उप गृह मंत्री जी ने कहा कि १० तारीख को सड़क पर चौराहे पर दंगा हो रहा था और उस सम्बन्ध में लोग वहां गिरफ्तार किये गये और उसके बाद उन को ले जाकर हवालात में बन्द कर दिया गया। कायदा यह है कि जब किसी को हवालात में बन्द किया जाता है तो बन्द करते वक्त रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज होती है और उस में लिखा जाता है कि बन्द होने वाले के शरीर पर क्या-क्या चोटें हैं और उसको हवालात में रखने के २४ घंटे के अन्दर रिमान्ड के लिये मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसके बाद वह पुलिस कस्टडी से जेल कस्टडी में जाता है वहां पर भी उस के शरीर की चोटों का इन्दराज होता है। सवाल यह है कि जब वह रिमान्ड नहीं हुआ तो वह १० से १३ तारीख तक कहां और किस कानून के अन्दर रखा गया एक तो सवाल यह है। और उसके बाद फिर यह भी पता लगाना चाहिये कि जब वह जेल में दाखिल हुआ तो जेल के रजिस्टर में क्या लिखा है इस बारे में कि वह शरीर पर क्या कपड़े पहन कर आया और उसके शरीर पर क्या चोटें थीं ? क्या निशान थे ? क्या यह सब उस रजिस्टर में मौजूद है ? अगर यह चोटें रोजनामचे में और जेल रजिस्टर में हैं तो फिर पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है यह तो माननीय उपगृह मंत्री जी को मालूम होना चाहिये था क्योंकि यह ३-४ दिन की बात हो गई।

[श्री बृजभूषण शरण]

दूसरे हमें सजा की (पनिशमेन्ट की) जो थ्योरी है उसको भी समझना चाहिये। किसी खतावार को सजा क्यों दी जाती है? क्यों यह कानून बना है? क्यों कि एक आदमी जब जुर्म करता है तो उसके विरुद्ध प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। कत्ल किया जाता है तो उससे प्रतिशोध की भावना पैदा होती है। जहां तक इन्साफ का सम्बन्ध है उसके लिये कई चीजें हैं। अव्वल तो यह कि सजा खतावार को मिलना चाहिये। दूसरों को उससे इबरत होना चाहिये और प्रतिशोध शान्त होना चाहिये। मामूली तरीका यह था कि चौराहे पर लड़ाई हो रही थी उस पर ५ आदमियों को पकड़कर हवालात में बन्द किया गया। क्या वजह है जब रिपोर्ट की गई कि इन आदमियों को हवालात में चोटें आयी हैं और उसमें मर गया तो क्यों दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया? क्यों नहीं उनको फौरन हवालात में बन्द किया गया जिस तरह से एक साधारण नागरिक को किया जाता है? जो कानून जनता पर लगता है वही कानून पुलिस पर भी लगना चाहिये था। अगर ऐसा होता तो प्रतिशोध की भावना ठंडी हो जाती और कभी यह नौबत न आती कि लाठी डंडा अश्रु गैस और गोली चलानी पड़ती। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा जैसा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी जी ने कहा उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें इलाहबाद की नार्मल लाइफ का रोटीन बन गई हैं। इसलिये हाई कोर्ट के जज से जांच करायें या न करायें मगर जो कानून का साधारण तरीका है जो साधारण जनता के लिये बरता जाता है वही पुलिस अफसर पर भी लागू किया जाय और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस मर्ज का इलाज होने वाला नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो काम रोको प्रस्ताव सदन में पेश है जिस पर चर्चा हो रही है जिसमें बताया गया कि फारूक नाम का व्यक्ति ५ आदमियों के साथ गिरफ्तार किया गया और जेल में उसकी मृत्यु हो गई यह एक ऐसी दुखद घटना है जिसको लेकर उस पक्ष के लोगों का कहना है कि हमने प्रजातंत्र की रक्षा इस घटना के बाद की। मैं आपके द्वारा कुछ तथ्यों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी माननीय उप-मंत्री जी ने कहा कि फारूक नाम का जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जिसकी जेल में मृत्यु हो गई उसकी पहले भी पुलिस खोज कर रही थी और उस पर चोरी का इलजाम आयद था। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि जब उसके ऊपर चोरी के इलजामात आयद थे और वह जुर्म उसके ऊपर साबित था तथा पुलिस उसकी खोज कर रही थी तो फिर उसको दफा १६० और १८८ ताजीरात हिन्द में क्यों गिरफ्तार किया गया? ये दफायें तो कहीं पर झगड़ा होता है तब पुलिस शान्ति स्थापित करने के लिये लगाती है। मैं समझता हूं अगर उसके ऊपर चोरी का जुर्म था तो यह गिरफ्तार जो किया गया वह इस बात का सबूत है कि पुलिस से उससे पहले से कुछ ऐसी स्थिति पैदा थी, इस तरह की आपस में बदगुमानी थी जिससे पुलिस के दरोगा बहादुरगंज के चाहते थे उस आदमी को गिरफ्तार करना और उन्होंने एक झूठा मुकदमा बना करके उसे मानसरोवर सिनेमा के चौराहे पर गिरफ्तार किया। अगर माननीय मंत्री जी के बयान को पढ़ा जाय और उस पर विचार किया जाय तो यह बात साबित होगी कि अगर झगड़ा न होता तो बहादुरगंज के दो पुलिस दारोगा जो मौके पर एकाएक पहुंच जाते हैं और गिरफ्तार करते हैं ऐसी परिस्थिति एकाएक आ करके पेश न हुई होती। इसलिये मैं कहता हूं इसके पीछे एक साजिस है और आपस में झगड़ा है जिसको लेकर पुलिस ने बदला लेने के कारण इस तरह का कार्य किया है।

दूसरी चीज है आज जनतंत्र की दुहाई दी जाती है। इसी मानसरोवर सिनेमा के पास अभी कुछ साल पहले एक घटना हुई जिसमें मृत्यु हुई, नाबालिग लड़कों को तथा निहत्थे पुरुषों को फायरिंग का शिकार बनाया गया। उस समय इसी सदन में यही माननीय मुख्य मंत्री थे और इन्हीं के राज्य में ऐसा हुआ, और उसके बाद यह दूसरी घटना होती है। उस वक्त भी हमारे माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी मुख्य मंत्री थे।

उधर के लोग ऐसी घटनाओं के होने पर भी यह कहते हैं कि वे जनतंत्र के प्रहरी हैं, यह कहां तक न्यायसंगत है ?

हमारी एक माननीय सदस्या ने इंग्लैंड का उदाहरण दिया। किसी भी सभ्य मुल्क में अगर इस तरह की घटना होती है जहां पर दो-दो आदमी मारे जाते और वहां पर सदन के नेता सदन में बठ कर हंसते हों तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है ? मैं मांग करता हूं इस सदन से जो साढ़े ७ करोड़ जनता का प्रतिबिम्ब है कि आज उसे ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा कि कमिश्नर से अगर जांच कराई जाती है जो इस राज्य का एक बड़ा ओहदेदार है तो सत्य पर पर्दा डाला जायगा। इससे पहले कोई जुडिशियल एंक्वायरी बैठे साढे ७ करोड़ जनता की रक्षा करने की सांस भरने वाली कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिये और हाई कोर्ट के जजेज से जांच करानी चाहिये, तब जाकर प्रजातंत्र की रक्षा होगी। अगर इंगलैन्ड में ऐसा कांड होता तो जैसा जेड० ए० अहमद साहब ने कहा वहां पर पार्लियामेन्ट की दीवारें बोलने लगतीं, वहां पर कोई पार्लियामेन्ट का सदस्य चुप नहीं रहता ; लेकिन यहां तो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। वह तो सोचते हैं कि इस तरह की रोजमर्रा घटनायें हुआ ही करती हैं जनता को वे जानते ही हैं। जब चुनाव आयेगा तो वोटों की चोरियाँ करा दी जायंगी और किसी तरह से फिर वे शासनारूढ़ हो ही जायंगे। इस तर्क पर यह सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। इस सरकार को सोचना चाहिये कि ३६ परसेंट वोट लेकर आज वह इस गद्दी पर बैठी हुई है। आज जनता जागरुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य विषय पर आयें।

श्री नरसिंहनारायण—मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। यह बड़ी ही दुखद घटना है इसे मामूली तरीके से हमको नहीं सोचना चाहिये। सरकार के आदेश में साफ है कि कर्फ्यू लगाया गया है। दो-दो आदमियों की मृत्यु हुई। आज भी स्थिति गंभीर है। आज जो अखबारों में छपा है उसे पढ़ कर इस सदन को शान्ति के साथ इस घटना पर विचार करना चाहिये। हमारी पहली मांग यही है कि कैबिनेट इस्तीफा दे। इससे जनतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। दूसरी मांग यह है कि वे हाई कोर्ट के जजेज जो अब सरकारी ओहदों पर न हों रिटायर हो गये हों उनको बिठा कर उनकी अध्यक्षता में निष्पक्ष जांच कराई जाय तब तो सही तरीके से पता चल सकेगा कि वास्तविकता क्या है ? तो जो काम रोको प्रस्ताव दिया था विरोधी दल के नेता ने तथा मैंने, इन शब्दों के साथ में उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर—मैं यह सुझाव देना चाहता था कि दस-दस मिनट जो लोग व्याख्यान दे रहे हैं उससे यह अच्छा होता कि सवाल होते जिनमें बहुत से आदमी हिस्सा लेते। यही परिपाटी सदन की रही है व्याख्यान देने की परिपाटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह सम्भव नहीं है।

श्री विश्वनाथ (जिला मिर्जापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस विषय पर एक अन्य दिशा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज लोकतन्त्र के लिये एक चुनौती हमारे सामने है। एक निरीह व्यक्ति की हत्या होती है और विपक्ष के लोग अपनी नेतागिरी को तेज करने के लिये उसकी आड़ लेकर तरह तरह का हंगामा और शोरगुल करते हैं। पहले तो हुल्लड़बाजी और निरंकुशता को प्रोत्साहन दिया जाता है और उसमें जब कोई खतरे की बात आती है तो विपक्ष के आदमी तो लुक छिप जाते हैं और एक निरीह आदमी जिसकी जान निकल जाती है उसके सिर पर अपनी-अपनी टोपियां दे कर लोग अपने-अपने शहीद का मजार सजाने निकलते हैं।

[श्री विश्वनाथ]

यह चीज ऐसी कि किसी न किसी दिन हमारे लिये बहुत ही भयानक हो सकती है। आज हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिये पुलिस की घटना जो हमारे सामने रखी गयी है वह केवल विपक्ष के इन कारनामों की वजह से आरम्भ हो रही है। दूसरी तरफ तरह तरह के क्राइम्स कहीं कत्ल, कहीं चोरी, कहीं डकैती बढ़ते जा रहे हैं। इस सब की जड़ में जो बातें आ रही हैं उसकी तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि अगर लोकतंत्र को स्वस्थ रखना है तो विपक्ष के नाम पर या विपक्ष की अन्य पार्टियों के नाम पर जो गुन्डेबाजी और हुल्लड़बाजी हो रही है उसको और इन अराजक तत्वों को सामने रख कर इनका इलाज करने की उन्हें सोचना चाहिये। ये अपनी बातों को तो सौ बार कहें लेकिन दूसरे की बात जिसके लिये आप अपील कर चुके हैं कि शान्ति के साथ सुनें मगर वे सुनने को तैयार नहीं होते। उसके लिये भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर दूसरे के लिये आदर्श की बात कहते हैं तो स्वयं अपने में भी उसे लाने की चेष्टा करें।

इस घटना को ले कर अभी बड़े जोरों के भाषण हुये। लोगों ने चुनाव की चर्चा की और विषयों की चर्चा की। हमने यह भी सुना कि नयी चीजें, नये रास्ते और नये ढंग की बातें सोची जायं। हमारी स्वस्थ परम्परायें जो चिर नवीन हैं जो कभी पुरानी नहीं होतीं उसमें कोई अस्थायी बात का नारा लगाना केवल एक बनावटी बात है उसमें कोई सत्यता नहीं है। जब हम देखते हैं कि किसी पूंजीवादी इशारे पर अपना एक अलग ही रंग पीताम्बरी रूप धारण करता जा रहा है तो मुझे यह कहना पड़ता है कि अगर हमारे सिर पर खून सवार नहीं है तो हमें अधिक से अधिक शिष्ट, गम्भीर और नियम का पाबन्द होने की चेष्टा करनी चाहिये। शिकायत करना तो आसान है मगर किसी चीज को समझ कर अमल में लाना जरा मुश्किल बात होती है।

अधिक न कह कर मैं केवल इतना कह दूं कि अगर केवल बोलने के लिये बोलने की बात है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लोकतन्त्र में सहायक किसी भी सुन्दर व्यवहार को पुष्ट करने की बात आये तो मालूम पड़ेगा कि चाहे हम प्रगति का नाम लेते हैं चाहे हम भारतीय संस्कृति और सर्वहारा वर्ग का पक्ष ले कर बोलते हैं, लेकिन जो गाड़ी हमारी चल रही है उसके आगे रोड़ा अटकाना उसके बैलों को भड़काना यह कोई उचित बात नहीं है। तो ये परस्पर विरोधी बातें समझ में नहीं आती हैं। एक तरफ तो ये बुर्जुवा प्रवृत्ति के हामी हैं और दूसरी ओर ये सर्वहारा वर्ग की वकालत करते हैं। इस तरफ हमें ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं कि जहां तक हो शान्ति और गम्भीरता के साथ अपनी बात कहें और दूसरों की सुनने की चेष्टा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस इलाहाबाद की घटना को अकेली घटना के रूप में न देखकर बल्कि जो पुलिस की परम्परा रही है और सरकार की प्रवृत्ति रही है कि वह अपने अधिकारियों की पुष्टि करती है, अपने अधिकारियों की रक्षा करती है चाहे वे जितना बड़ा गुनाह करें, उसके अन्तर्गत इस घटना को देखा जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं, कि अगर पुलिस का रिकार्ड अच्छा होता, अगर सरकार की यह प्रवृत्ति न रही होती कि वह अपने अधिकारियों के पक्ष का समर्थन करती तो इलाहाबाद की जनता ने जो किया है वह अशोभनीय है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिये था। परन्तु सदन के इस ओर बैठने वाले या उस ओर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पुलिस किस तरह से थर्ड डिग्री मैथड्स का प्रयोग करती है।

आज इस घटना के साथ ही साथ एक बुनियादी प्रश्न उपस्थित है कि कोई चाहे किसी जुर्म में पकड़ गया हो उसको थाने में ले जाकर बुरी तरह से पीटने का पुलिस को क्या अधिकार

हैं ? कोई भी वर्ष ऐसा नहीं जाता है कि सदन के सामने २—३ घटनायें ऐसी न आती हों जिनमें कहा गया हो कि पुलिस ने मारते-मारते अभियुक्त को मार डाला। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि शायद ही कोई दिन बीतता हो, वह इस प्रदेश के थानों में और खास तौर से ग्रामीण थानों में कोई न कोई व्यक्ति मारा न जाता हो, चाहे कम या ज्यादा लेकिन मारा जरूर जाता है। बुनियादी प्रश्न यह निश्चित करने का है कि क्या यह तरीका ठीक है और इसको बंद करने के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठाने वाली है। लेकिन यदि सरकार इस ढंग को गलत मानते हुये भी इसको रोकने के लिये कोई प्रबंध नहीं कर सकती है या नहीं करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में जनता के पास क्या मार्ग है, कौन सा रास्ता वह अपनाये। आज यह कहा जाता है कि जनता ने गुंडागर्दी की, और गुंडागर्दी का विरोधी दल पोषण करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब अन्याय होता हो और उसको रोकने के लिये कोई सरकार के पास साधन न हो या वह असमर्थ हो तो ऐसी दशा में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना गुन्डागर्दी नहीं है बल्कि न्याय के लिये लड़ना है।

यह घटना जो इलाहाबाद में हुई है यदि उसके विरोध में कोई प्रदर्शन न हुआ होता, गोली इत्यादि न चली होती तो क्या परिणाम होता? एक आदमी मर जाता और कोई सुनवाई नहीं होती और कोई नतीजा नहीं निकल सकता था। जैसा कि हमारे जेड० ए० अहमद साहब ने कहा, कि अगर पी० एस० पी० का इसमें हाथ है तो उसकी निन्दा नहीं की जा सकती है। आप इतने दिनों से शासनारूढ़ हैं, स्वतन्त्रता मिलने के बाद १५ साल से आप देश पर शासन कर रहे हैं, आपने पुलिस को सुधारने के लिये क्या किया १५ साल बाद भी आपकी पुलिस की यह हालत है और हर एक को यह विदित है कि ग्रामीण थानों में लगभग प्रतिदिन ऐसा होता रहता है। यदि इसको रोक दिया जाय तो पुलिस का भ्रष्टाचार ७५ से लेकर ८० प्रतिशत तक समाप्त हो जायगा। आज जो पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसका मुख्य कारण है कि उनको मारने और पीटने की एक तरह से छूट मिली हुई है। हम गांवों में रहते हैं। सैकड़ों आदमी हमारे पास आते हैं, कहते हैं साहब, हम मुकदमा लड़ने से नहीं डरते हैं, हम वहां निपट लेंगे, लेकिन किसी तरह से जान बचाइये, थाने ले जायेंगे तो मारेंगे और उसी मार के डर की वजह से सैकड़ों रुपये वहां वसूल हो जाते हैं, और प्रतिदिन यह काम चलता है। मैं इस बात का दावा करता हूं कि यदि कोई निष्पक्ष जांच की जाय तो यह बात प्रमाणित हो सकती है कि इसी मार की बदौलत आज थाने वाले सैकड़ों और हजारों रुपये कमाते हैं और यही भ्रष्टाचार का मूल कारण है। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि इसको हम एक अलग घटना के रूप में अगर देखेंगे, तब तो अवश्य हमको इलाहाबाद की जनता की त्रुटि मालूम होगी। लेकिन जो पुलिस की परम्परा और जो अपनी सरकार की प्रवृत्ति है उसको देखते हुये, हम इलाहाबाद की जनता को बधाई देने के लिये तैयार हैं।

श्रीमन्, पूज्य महात्मा गांधी का चित्र हमारे सामने है। उन्होंने कहा था कि कोई अनीति और अन्याय हो तो उसको अहिंसात्मक ढंग से रोकने की कोशिश की जाय। यह मैं जरूर कहूंगा कि हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। अहिंसा का रास्ता ही उत्तम है। लेकिन उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा था कि अगर अहिंसा का पालन आप नहीं कर सकते हैं तो कायरता से कहीं अच्छा है कि हिंसा के मार्ग को अपनाया जाय। मैं अब भी हिंसा के मार्ग का अनुमोदन नहीं करता हूं, लेकिन आप जरा सोचिये कि वह जनता क्या करे? सरकारी पक्ष के लोग तो सहायता करेंगे नहीं। दुख है कि विरोधी पक्ष के लोग भी कोई अहिंसात्मक ढंग नहीं निकाल पाये हैं जिससे कि वह सरकार को मजबूर करें कि इस तरह के थर्ड डिग्री मेथड्स न इस्तेमाल हों। तो जब कोई तरीका नहीं है तो एक नेताविहीन जनता गुस्से में आकर जो कुछ कर सकती है वही उसने इलाहाबाद में किया और मेरी आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि इस श्रृंखला को, पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी हो और उत्तर में उसका जवाब दिया जाय, इस चक्र को

[श्री भानुप्रतापसिंह]

रोकने के लिये केवल एक ही उपाय है कि सरकार विश्वास प्राप्त करे, जनता का विश्वास प्राप्त करे।

जिस समय कहा गया था कि जांच हो रही है, अगर विश्वास होता जनता को, और पुरानी बातें जो इस तरह का आश्वासन देकर भुला दी गईं, यह परम्परा इस सरकार की न होती तो जनता वहां से लौट जाती। लेकिन हमारी तो यही परम्परा रही है कि घटना हो जाने के बाद अगर किसी तरह से भीड़ चली गई, तो उसके बाद वह घटना भी भुला दी जाती है। यदि उस परम्परा को तोड़ना है, इस दूषित चक्र को रोकना है तो यह आवश्यक है कि न्यायिक जांच कराई जाय। आखिर उसमें नुकसान ही क्या है? कोई माननीय मुख्य मन्त्री जी तो वहां उपस्थित थे नहीं, पुलिस मन्त्री जी तो वहां उपस्थित थे नहीं, और वह किसी तरह से भी दोषी नहीं हैं। अगर वह साबित भी हो जाय कि पुलिस की गोली गलत चली, या वहां के दरोगा ने लड़के को मारते-मारते मार डाला, तो इस सरकार पर तो उस का कोई भी लांछन नहीं आता। सम्बन्धित कर्मचारियों को सजा दी जा सकती है, उससे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मैं समझता हूं कि उससे जनता में उसके प्रति विश्वास पैदा होगा और इस तरह के दो चार उदाहरण हो जाने के बाद जनता यह समझने लगेगी कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन होता है उसमें कुछ तथ्य होता है। आज तो सरकार की बातों पर विश्वास नहीं होता है और उस विश्वासहीनता के ही कारण ऐसी घटनायें होती हैं। अतः मेरा अन्त में यही माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाय। आखिर जांच होगी और उसमें मान लीजिये कि उन्हीं की बात सच निकली तो उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही। हर हालत में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन इस मामले को अगर इस तरह से दबा दिया गया तो यही बात फिर होगी और यह चक्र चलता रहेगा तथा इसका दुष्परिणाम बराबर सामने आता रहेगा।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, १० तारीख को इलाहाबाद में जो घटना हुई उसके बाद जो थाने के सामने प्रदर्शन हुये और दुखद घटना हुई, उसके लिये सदन के दोनों पक्षों को अवश्य खेद होगा। प्रदेश के किसी कोने में यदि कहीं पर शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है तो यह कोई सुखी होने वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन बुनियादी प्रश्न तो यह है कि क्या इस प्रदेश के अन्दर पुलिस की आवश्यकता है या नहीं? यदि ऐसा समझा जाता है कि जनतन्त्र की रक्षा के लिये पुलिस की आवश्यकता नहीं है, तो यह सदन सर्वोच्च शक्ति अपने में रखता है, क्यों न वह इस बात का फैसला करे कि थानों की जरूरत नहीं है और पुलिस की जरूरत नहीं है। अभी हाल में एक पुलिस कमीशन नियुक्त किया गया था जिसमें सभी पक्षों के लोग उपस्थित थे। उन्होंने एकमत से इस बात की सिफारिश की थी कि पुलिस की संख्या के अन्दर वृद्धि होनी चाहिये।

श्रीमन, इस बात को मानना पड़ेगा कि नियन्त्रण की जरूरत है। वह नियन्त्रण या तो वाह्य होगा या आन्तरिक होगा। जब आन्तरिक नियन्त्रण होता है तो वह अपने ऊपर होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर नियन्त्रण करने में विफल होता है तो फिर वाह्य नियन्त्रण होकर रहता है। इसलिये सवाल यह होता है कि समाज को हम कहां ले जाना चाहते हैं। मैं यह मानता हूं कि यह हमारे लिये कोई शोभा की बात नहीं है कि पुलिस को पावर देना पड़े और हमारे देश के अन्दर फौज हो किन्तु यदि देश की स्थिति ऐसी हो जाय कि जब फौज की आवश्यकता न रहे और न पुलिस की आवश्यकता हो तो वह देश के लिये शुभ दिन होगा। लेकिन किसी आदमी के हाथ में यदि हम सत्ता देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं तो वह इसलिये भरोसा करते हैं कि उससे शांति और व्यवस्था की सुरक्षा हो। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि यदि आज पुलिस की आवश्यकता है तो वह इसलिये कि आये दिन कहीं कत्ल होते हैं तो कहीं पर डकैती होती है लेकिन अगर एक दो घटनाओं को लेकर यह दावा किया जाने लगे और कहा जाने लगे कि गवर्नमेंट को विश्वास प्राप्त

नहीं रहा और जनता उनके साथ नहीं रही चूंकि एक घटना हो गई तो यह उचित बात नहीं है। मैं यह मान लेता हूं कि पुलिस इंसपेक्टर से गलती हुई और यह भी मान सकता हूं कि एक जगह आग लग गई या रेल के अन्दर दुर्घटना हो गई लेकिन उसके बाद कोई जिम्मेदार व्यक्ति यह मांग करे कि गवर्नमेंट को इसी प्रश्न पर इस्तीफा दे देना चाहिये तो क्या यह जनतन्त्र परम्परा के अनुकूल होगा?

डाक्टर जेड० ए० अहमद ने एक सवाल सदन के सामने रखा कि यहां पर इस प्रकार के जो कांड हैं वह इस पक्ष के लिये या उस पक्ष के लिये विवाद के प्रश्न नहीं हो सकते। इस सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री इस प्रदेश के एक-एक नागरिक के जीवन और माल की रक्षा के लिये उतने ही चिन्तित हैं जितने कि विरोधी पक्ष में आये अल्पमत के लोग अपने को दुखी होने का दावा करते हैं। जो लोग हार गये हैं वे लोग क्या इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे भी जनता के हमदर्द हैं (व्यवधान) या जो यहां पर जीत कर आये हैं वे ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस प्रकार की बातें जनतन्त्र की परम्पराओं के अनुकूल नहीं कही जा सकतीं।

सवाल यह है कि यह घटना हुई और यह उनको मालूम है कि १० तारीख की घटना के बाद अगर शक्ति का दुरुपयोग पाया गया तो उस सब-इंसपेक्टर को लाइन हाजिर किया गया। १० तारीख की घटना के बाद यदि यह पाया जाता है कि उसमें अतिशय शक्ति का प्रयोग किया गया है, शक्ति का दुरुपयोग किया गया है और उस सब-इंसपेक्टर ने अत्याचार किया है तो उसको सजा मिलेगी। इस सदन के नेता और गवर्नमेंट किसी कर्मचारी को, जो जनता के अधिकारों का हनन करता है, शक्ति का दुरुपयोग करता है, किसी तरीके से पनाह देने के लिये तैयार नहीं है। कोई साल नहीं जाता जिसमें बहुत से कर्मचारियों को बरखास्त न किया जाता हो। हर साल बहुत से कर्मचारियों को सजा दी जाती है। यहां पर इस बात को कहना कि आई० जी० पुलिस या कमिश्नर, बड़े लोग इसीलिये बैठे हुये हैं कि वह अपने से नीचे वाले मातहतों की गलतियों को माफ करेंगे तो यह इस सदन की आकांक्षा के अनुकूल नहीं है। अगर कोई अधिकारी इस भावना से चलता है कि ऊपर वाले मातहतों की गलतियों की रक्षा करेंगे तो कोई सरकार चल नहीं सकती है। इलाहाबाद में जो गोलीकांड हुआ और उसमें जो मृत्यु हुई उसके लिये कहा गया कि जांच होनी चाहिये ....

(व्यवधान तथा हंसी)

श्री अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य समझते हैं कि इस प्रकार से हंसने पर सदन की मर्यादा बढ़ती है ?

श्री बनारसीदास—जब किसी तर्क से काम नहीं चलता है, जहां कोई दलील नहीं होती है तो इसी प्रकार के प्रश्न हुआ करते हैं। जो व्यक्ति अपने पक्ष को रखने के लिये कटिबद्ध है इस तरह स कटाक्षों से विचलित नहीं हुआ करता, जो लोग जनतन्त्र की डींग मारते हैं, जो कहते हैं कि ३४ परसेंट के मत से हम यहां आये हैं, उनको चेतावनी देकर कहता हूं कि अब जनता पूरी तरह से सचत हो गई है। सन् १९५७ में जहां हमने १४४ सीटें लूज की थीं हमने वहीं ८५ सीटें जीती हैं। आपने धोखा देकर जो सीटें जीत ली हैं हमारी चुनौती है कि सीधी टक्कर में कांग्रेस से आप कोई भी मुकाबला कर लीजिये।

श्री उग्रसेन—अभी इतना हारने के बाद भी चुनौती देते ही जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप चेयर को ऐड्रेस कीजिये।

श्री बनारसीदास—मुझे उग्रसेन जी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वह तो एक ऐसी परम्परा पर चल ही रहे हैं जिसमें किसी डिसेंसी और डिकोरम के लिये कोई स्थान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब वह हो गया। मैंने तो कह ही दिया। आप अपना भाषण कीजिये।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जितने जोश के साथ विरोधी दल के नेता बैठ रहे थे उससे यह बिल्कुल यकीन हो जाता है कि वास्तव में जनतन्त्र में उन्हें वह आस्था नहीं है जो होनी चाहिये।

श्री उग्रसेन—आप जनन्तत्र का आदर करना पहले सीखिये फिर दूसरों को सिखाइये।

श्री बनारसीदास—हम जनतन्त्र क्या जानते ही नहीं हैं? उस पर चल रहे हैं। आज गोलियों की बातें की जाती हैं। हमने स्वयं गोलियों का सामना किया है और गोलियों का सामना करके इधर बैठे हैं। उसी को सह करके हमने आजादी हासिल की है और जो आज नये नये राजनीति में आकर विरोधी दल के नेता बनकर बैठे हैं.....

श्री अध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी से मैं कहूंगा कि आप सदन में बोल रहे हैं एक व्यक्ति से नहीं। आप सिर्फ चेयर को ऐड्रेस कीजिये किसी दूसरे के लिये न कहिये।

श्री बनारसीदास—माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग छोटी-मोटी घटनाओं को लेकर उत्तेजना पैदा करें कि तुम थानों पर जाकर ढेले फेंको और कानून को अपने हाथ में ले लो और चाहेंगे कि मुख्य मन्त्री आदेश दे दें थानेदार को कि तुम हाथ जोड़कर थाने को फिर उन गुंडों के हाथ में उनके हवाले कर दो, तो फिर सदन में कामरोको प्रस्ताव आयेगा। साथ ही यह भी होगा कि जो गुंडे लोग हैं फिर सारे शहर में निकल पड़ेंगे और लोगों को लूटेंगे, मारेंगे और शांति खतरे में पड़ जायगी। फिर कामरोको प्रस्ताव आयेगा कि पुलिस ने सतर्कता से काम नहीं लिया, उत्तेजित जनता को रोका नहीं गया और कम से कम फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिये इस कामरोको प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आज सवाल यह नहीं कि हम जांच नहीं कराना चाहते हैं। कमिश्नर से जांच करायी जा रही है। यह सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी है और सदन के द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर क्यों शिकायत की जाती है? क्या दुरुपयोग होगा? कोई अधिकारी यदि दोषी पाया जायगा तो उसे अवश्य दंड दिया जायगा।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—कितना समय माननीय मन्त्री जी के लिये दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—आप मालूम होता है कि नियमों को नहीं देखते। उसमें यह है कि माननीय मन्त्रियों के लिये १५ मिनट दिया जाता है।

श्री बनारसीदास—जब तर्क नहीं होता श्रीमन्, तो इसी तरह से रोकने का प्रयत्न किया जाता है। हर बात में, मैं कह रहा था कि हाईकोर्ट द्वारा जांच की मांग करना, वैसे मांग बुरी नहीं है लेकिन उसके लिये यह भी सोचना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि पुलिस को डिमार-लाइज किया जाय या हम चाहते हैं कि वह एक एफेक्टिव वीपन बनकर रहे। अगर यह होगा तो जब जरूरत पड़ेगी और जब पड़ी है तब-तब सरकार ने इंक्वायरी कराने में कोताही नहीं की है लेकिन मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि इसे राजनीतिक शस्त्र न बनावें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस विषय में वादविवाद बहुत हो गया है। जो फंडामेंटल प्रश्न है वह यही है कि जुडीशियल इंक्वायरी करवायी जाय। मुख्य मन्त्री जी उसे स्वीकार करते हैं या नहीं यह बात पहले स्पष्ट हो जावे, तो अच्छा रहेगा ....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कामरोको प्रस्ताव के जो मूल सिद्धान्त हैं वह सरकार मान चुकी है। इस सरकार ने माना कि गोली चली। इस सरकार ने माना कि मृत्यु हुई और पुलिस कर्मचारियों से बहुत ज्यादा गलती हुई और

इसलिये वह कमिश्नर से इंक्वायरी करा रहे हैं। विरोधी दल की केवल एक मांग है कि वह इंक्वायरी कमिश्नर के बजाय एक हाई कोर्ट का जज क्यों न करे? श्रीमन्, जब मुख्य मन्त्री का कमिश्नर पर विश्वास है, कमिश्नर भी उनका है, हाई कोर्ट का जज उनका है, उस पर विश्वास है तो क्या आपत्ति है कि हाई कोर्ट के जज से कराने में हिचकिचाते हैं।

श्रीमन्, मुल्ला जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एक आर्गेनाइज्ड गुंडा है, जिस किसी केस को चाहे, झूठे को सत्य कर दे और सच्चे को झूठा साबित कर दे। मेरी उनसे दो-चार दिन हुये काफी हाउस में बातचीत हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि मुल्ला जी, आपकी यह राय कैसी बनी? उन्होंने कहा कि २५ हजार क्रिमिनल केस मैंने किये हैं और पुलिस के हथकण्डों से मैं वाकिफ हूं। एक पुलिस अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस थी और यह हमारी एक आजादी की पुलिस है। आजादी की पुलिस में अध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि यहां एक दूसरे का कितना निकट सम्बन्ध है। यह भी जानते हैं कि आज मुख्य मन्त्री के चपरासी से लेकर पूरा स्टाफ, हर एक अपने को मुख्य मन्त्री या होम-मिनिस्टर समझता है। पुलिस से एक काम कराइये, दो काम कराइये तो फिर पुलिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, गलत काम को भी सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, यही इलाहाबाद की इंक्वायरी में हो रहा है। मुख्य मन्त्री पुलिस के खिलाफ एक सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। क्या वजह है कि जनता के व्यक्ति इस तरह मारे जायं और जैसा उपमन्त्री जी ने कहा कि वह चोर था। जिसके लिये इतनी भीड़ उभड़ आये, वह चोर था? अध्यक्ष महोदय, पुलिस और वहां की जनता ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहां पर कहा जाता है कि पुलिस पर ईंट बरसा रही थी जनता और पुलिस वाले वहां पहुंच गये और ईंट बरसाने के बाद जनता पुलिस को अपने साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाने ले गयी। डी० एम० आते हैं। क्या उनके ऊपर कोई आक्रमण होता है? तो क्यों गोली चलाई गई है, क्यों आदमी मारे गये। जैसा कि देहरादून के माननीय सदस्य ने कहा था क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया? क्यों इतने दिन बाद तक जो कुछ हुआ उसकी जानकारी हासिल की गई? इन सब बातों के लिये आवश्यक है कि उसकी इंक्वायरी के लिये हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर कर दें तो सदन की इच्छा पूरी हो जाय, लेकिन मुख्य मन्त्री जी से मैंने पहले भी प्रार्थना की थी, उनके पास काम बहुत है, सारे प्रदेश का कार्य चलाना है। तीसरे चौथे दिन ऐसी घटनायें होंगी, पुलिस की व्यवस्था को वह नहीं सम्भाल पायेंगे। उनके पास प्लानिंग है, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन है, रोज गोलियां चलेंगी। राष्ट्रपति ने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत ने इतनी गोलियां नहीं चलाई जितनी इस समाजवाद की स्थापना करने वाले लोग चला रहे हैं। मैं पढ़ दूं "बार बार की गोलाबारी से निश्चय होता है कि स्वयं राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को इस आम असन्तोष का उल्लेख करने को मजबूर होना पड़ा जब नवम्बर, १९६० में उन्होंने कहा था कि आजादी के बाद भारत में उससे ज्यादा बार गोलीबारी हुई है जितनी कि साम्राज्यवादी शासनकाल में हुई थी।" जब राष्ट्रपति की धारणा है कि पुलिस रोज ऐसा करती है और उन गोली चलाने वालों की हम रक्षा करें, तो किस लिये? केवल इसलिये कि उनके द्वारा विरोधी दल के लोगों को तंग किया जाय, यही मकसद है।

मैं मुख्य मन्त्री जी से कहता हूं कि आपकी नीति अच्छी है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द लगे हुये हैं, ये आपके आई० जी० जब तक हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पुलिस में विश्वास नहीं रहा, जिस तरह से एस० सी० मिश्रा में विश्वास था, जो छोड़ कर आबू चले गये हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप चाहे किसी मिनिस्टर को बढ़ा लें या ४-५ डिप्टी मिनिस्टर्स को बढ़ा लें क्योंकि जब आप पुलिस पर हावी हो जायेंगे तभी पुलिस सही रास्ते पर आयेगी। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह विभाग स्वयं ले लिया है लेकिन फिर भी वह इसको कन्ट्रोल नहीं कर पाये। तो आखिर पुलिस क्या करेगी और इस देश और प्रदेश का क्या होगा, यह भगवान ही जानता है। इन शब्दों के

[श्री नेकराम शर्मा]

साथ में आपके द्वारा प्रार्थना करता हूं कि विरोधी दल की इस मांग को मान लीजिये। सारी बातें तो आपने मान ही ली हैं। आप कमिश्नर से इंक्वायरी कराना चाहते हैं और हाईकोर्ट के जज द्वारा इंक्वायरी हो, यह विरोधी दल की मांग है। इसमें आपको क्या परेशानी है? अगर पुलिस ने गलत काम किया होगा तो उनको सजा मिलेगी। इससे आप पर जनता का विश्वास ही बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ में पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को सरकार मान ले।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा नहीं होता परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को इस गोलीकाण्ड का जिम्मेदार ठहराया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस पर कुछ गर्व हुआ कि इलाहाबाद की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने, जिनको यह कहा गया कि वह नेता विहीन थे, जनता की रक्षा करने की कोशिश की। इलाहाबाद के साथियों को मैं ही नहीं जानता, उन को इधर के बैठने वाले शायद न जानते हों लेकिन उस तरफ बैठने वाले जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं उनको इलाहाबाद में उन साथियों का सहयोग रहा है। वहां के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता हैं उनकी बड़ाई करते हुये उधर के लोग कभी थकते नहीं थे, फर्क केवल इतना है कि वह उन कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं बल्कि इन कुर्सियों पर बैठे हैं। तो इन कुर्सियों पर बैठने से मैं समझता हूं वह कोई दोषी नहीं हो गये। यदि उन्होंने प्रजा की रक्षा करने के लिये कोई आवाज उठायी तो इससे वे दोषी नहीं ठहराये जा सकते और न वह भड़काने वाले हो सकते हैं। मैं स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूं कि उस तरफ के बैठने वाले लोग जितना अपने को जिम्मेदार समझते हैं उससे कम जिम्मेदार इधर के बैठने वाले अपने को नहीं समझते। अगर यह भावना हमारे दोस्तों को थोड़ी भी होती तो मैं समझता हूं कि बहुत से मामले इतना नहीं बढ़ते।

मैं तो ऐसा समझता हूं कि माननीय बी० बी० शरण जी ने और बहन राजेन्द्रकुमारी ने जो कुछ भी कहा उससे कुछ अधिक विरोधी दल की तरफ से नहीं कहा जा रहा है। मैं समझता हूं मोटी मोटी दो तीन बातें हैं। आखिर वह आदमी पकड़ कर जेलखाने में बन्द हुआ, उसके पहले पुलिस हवालात, कोतवाली में बन्द किया गया, कागजों से ऐसा मालूम होता है हालांकि नवलकिशोर जी के कागजों से ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि वह दो-तीन दिन पुलिस कस्टडी में रहा। तो किस कानून के अन्तर्गत उसको वहां रखने की इजाजत थी? किस मैजिस्ट्रेट ने कस्टडी में रखने के लिये रिमान्ड दिया था और किस जुर्म में उसको वहां तीन दिन रख कर क्वैश्चन करने की जरूरत थी। जैसा कि नवल किशोर जी ने बताया, जो जुर्म उस पर लगाया गया वह कोई ऐसा जुर्म नहीं था जिसमें तीन दिन बाहर रखकर इन्टेरोगेट करने की जरूरत पड़ी। बड़ी कामनसेन्स की बात है कि क्यों तीन दिन तक बाहर रहा, इसकी जानकारी सदन को करानी चाहिये। दूसरी बात यह कि जब वह जेलखाने में गया तो वहां से निकलने से पहले क्या इस बात की जानकारी किसी डाक्टर ने की कि वह क्या बीमार पड़ा और किस कारण उसकी मौत हुई। आज यह रिपोर्ट माननीय सदन के समक्ष रखने में क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं रखी गई? मेरी तबीयत नहीं करती कि मैं इस गवर्नमेन्ट को दोषी करार दूं लेकिन अगर किसी निष्पक्ष आदमी के सामने यह बात रखी जाय तो क्या वह यह नहीं समझेगा कि कोई शह दी जा रही है, कुछ बात दबायी व छिपायी जा रही है? मैं समझता हूं कि यह बात नहीं होनी चाहिये।

मैं यह भी कह दूं कि आखिर इलाहाबाद शहर है। माननीय नेकराम शर्मा ने चर्चा की कि माननीय राष्ट्रपति ने कहा है कि आजादी हासिल होने के बाद गोली चलाने का एक रिवाज-सा हो गया है, बहुत गोलियां चलती हैं। तो क्या मैं यह समझूं कि इलाहाबाद में यह रिवाज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ ज्यादा कर दिया गया है। प्रधान मंत्री के जन्म स्थान होने के नाते में समझता हूं कि उसे ज्यादा पवित्र रहना चाहिये। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री अपनी जिम्मेदारी इसमें नहीं समझते कि आज माननीय प्रधान मंत्री के घर में गोली चले और गोली चलने के बाद सारे संसार में इसकी चर्चा हो रही होगी। हम तो यहां बैठ कर बड़े संयम के साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सारे संसार में इसकी चर्चा हो रही होगी। इस वक्त जो मांग की जा रही है उस मांग को स्वीकार करने में सरकार को रत्ती भर भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। क्या कठिनाई है अगर जुडिशियल इनक्वायरी की मांग की जाती है कि हाई कोर्ट का एक जज इनक्वायरी करे? दो जाने गयीं और सरकार के ऊपर यह आरोप है, सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह आरोप है कि निरीह लोग गोली से मरे। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर उस जनता ने कहा क्या था? पी० एस० ी० ने अगर किसी बात को उभाड़ा, उनको कुछ सिखलाया तो उस जनता ने कहा क्या था, यह माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी बगल में बैठने वाले राज्य मंत्री जी बतलायें।

जनता ने केवल यही कहा था कि हमें लाश दे दीजिये, जनता ने पुलिस वालों से अपनी इज्जत, पगड़ी या नौकरी दे देने के लिये नहीं कहा। अगर आपके घर का एक आदमी मर जाय और उसके लिये कहा जाय कि लाश दे दीजिये तो उसका जवाब क्या मिला, गोली। जैसा कि राजेन्द्र कुमारी व बी० बी० शरण जी ने कहा था, और उनकी बात मानकर उनको लाश दे दी गयी होती या संयम के साथ उनको लाश दने का इन्तजाम किया गया होता तो कम से कम यह बात नहीं होती। या कम से कम यही बात उनसे कह दी गयी होती कि मोटर से लाश फलां जगह पहुंचा दी गयी है, भीड़ यहां से चली जाय, तो मैं समझता हूं कि गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एक उदाहरण याद पड़ता है कि माननीय खाद्य मंत्री जी जब मथुरा में बृजलाल जी के घर में चाय पीने के लिये गये तो हजारों आदमियों की भीड़ ने उनको चारों ओर से घर लिया और नारे लगाने लगी। नारे लगाने वालों में से सोशलिस्ट पार्टी के एक आदमी ने जो शायद डाक्टर थे, उनको एक चपत लगा दी। भीड़ नारे लगाने लगी कि उस आदमी को हमारे सामने पेश किया जाय। वहां बी० एम० चतुर्वेदी, नामक एक बहुत ही समझदार मैजिस्ट्रेट थे जिन्होंने भीड़ से कहा कि मैं उस आदमी को लाने के लिये तैयार हूं लेकिन क्या कोई नेता ऐसा है जो उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले? सवाल यह है कि अगर वह आदमी इस समय भीड़ के सामने आयेगा तो उसकी जान नहीं बच सकेगी। श्रीमन्, उस आफिसर ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ सारी दुर्घटना को बचा लिया। ऐसे मौके पर एक्जीक्यूटिव के लिये, शासनाधिकारियों के तीव्र बुद्धि से काम लेने की जरूरत पड़ती है। शासनाधिकारियों को किसी भी झगड़े से बचा लेना और सरकार को बदनाम होने से बचा लेना उन्हीं अधिकारियों को शह व बल देता है। इससे प्रजातन्त्र को बल मिलता है।

यह बात मैं कोई जोश में नहीं कह रहा हूं लेकिन आज इस सरकार को इस बात को स्वीकार करने में रत्ती भर भी संकोच न करना चाहिये कि एक अच्छे जज के द्वारा जुडीशियल इन्कवायरी हो। विरोधी दलों की ओर से कोई ऐसी मांग नहीं है कि इस मांग को सरकार मानने में असमर्थ हो तो सरकार इस्तीफा दे। सभी भाई लोगों की राय यह है कि आज जो यह पहला कामरोको प्रस्ताव आया है कि प्रयाग में गोली चली और ऐसे वक्त में गोली चली जब कि गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे मामले पर अगर सरकार जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग को स्वीकार करेगी तो इससे हम समझते हैं कि सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सरकार को जो काम करने हैं उसमें सरकार को मदद मिलेगी। मैं चाहूंगा कि सदन एक बार फिर हमारे उन साथियों को धन्यवाद दे जिन्होंने इलाहाबाद में उस जनता को उभारते हुए भी उस रास्ते पर रखा जो किसी रास्ते पर भी जा सकती थी, उनको रोककर सिर्फ इस बात तक ही सीमित रखा कि हमारी लाश दे दो मैं समझता हूं कि हमार वह साथी बधाई के पात्र हैं।

(मुख्य मंत्री के बुलाये जाने पर)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, जो जुडीशियल इन्क्वायरी की बात....

श्री अध्यक्ष—जो कुछ कहा गया है सब के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी कहेंगे।

श्री उग्रसेन—आप उनसे जवाब तो दिलवा दें।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि परसों एक दुखद घटना इलाहाबाद में ऐसी हुई जिसमें अधिकारियों को गोली चलाने की आज्ञा देनी पड़ी। जो वाकयात अभी तक हमारे समक्ष आये हैं वे उपमंत्री गृह ने सदन के सामने रख दिये हैं। मेरी इच्छा तो यह थी कि आज इस सदन में इस विषय पर विचार-विनिमय न हो, मुझे थोड़ा और समय मिले जिससे कि मैं दो तीन प्रश्न जो मेरे मन में स्वतः उठे उनके बारे में भी मैं पहले जानकारी प्राप्त कर लूं और तब अपना निर्णय इस सदन के समक्ष इस इन्क्वायरी के विषय में और घटना के विषय में घोषित करूं परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा न हो सका। जो घटना इलाहाबाद में परसों घटी है और जो चीजें अभी तक मेरे सामने आई हैं उनके विषय में अभी सदन में अपनी राय न दूंगा क्योंकि मैंने, जैसा कि अभी उप मंत्री ने बताया है, इस विषय की इन्क्वायरी के लिये कमिश्नर को कार्य सुपुर्द किया है कि वह शीघ्र ही इस घटना की इन्क्वायरी करके सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, हम लोगों की सम्मिलित मांग को माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया है और स्पष्ट कहा है कि हमने अभी इस पर विचार न करके इस विषय को कमिश्नर के सुपुर्द किया है। अतः मुझे दुख है कि हमारी सम्मिलित मांग को स्वीकार न करने के कारण हमें सदन का त्याग करना पड़ रहा है।

श्री उग्रसेन—मेरी भी सुन ली जाय। सरकार ने हमारी दो मांगें स्वीकार नहीं की हैं। एक तो सरकार ने जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग स्वीकार नहीं की और न सरकार ने इस्तीफा ही दिया है। लेकिन मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि आगे के लिये सरकार एक कानून बनवा दे कि गोली केवल उन स्थितियों में ही चलाई जाय जब कि जनता भी हथियार बन्द हो कर हमला करे अन्यथा गोली हरगिज न चले।

श्री अध्यक्ष—आप जा रहे हैं या—

श्री उग्रसेन—इन शब्दों के साथ हमारा दल भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता है।

(विरोधी दल के समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं अभी यह कह रहा था कि क्यों मैं अभी वाकया के संबंध में अपनी राय नहीं देना चाहता। जो वाकयात अभी मेरे सामने आये हैं उनसे मेरे हृदय में कुछ बातों के संबंध में संशय पैदा हुआ है इसलिये शीघ्र ही मेरे सामने वे सारे तथ्य आयें, मैंने आदेश दिये कि कमिश्नर इस विषय में शीघ्र ही जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट दें। और ऐसी जो चीजें मेरे दिल में पैदा हुई हैं उनका उत्तर यदि कमिश्नर की रिपोर्ट से मुझे मिल जाता है तो मुझे उस कार्य के करने में कोई दिक्कत न होगी जिसके विषय में सदन के सामने विरोधी दल के नेताओं ने कई बातें कहीं हैं। यह सरकार कभी भी इस बात में यकीन नहीं करती कि निहत्थे लोगों पर गोली चलायी जाय। इसका यह विश्वास नहीं है कि इस प्रकार की घटनायें हमारे बीच में हों और इस तरह से निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का अवसर अधिकारियों को मिले। परन्तु यह सरकार इस बात में भी यकीन करती है कि यदि घटनायें ऐसी हों जिनके ऊपर अधिकारी काबू न पा सकें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और घटनाओं के अन्तर्गत ऐसे काम किये जा रहे हों जिनमें सरकारी प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, कर्मचारियों पर हमला किया जा रहा हो, उनकी मोटरें तोड़ी जा रही हों, सरकारी बसें जलायी जा रही हों और जो माब बराबर इन बातों को घंटों तक करता रहे तो सरकार ने यह अधिकार भी अधिकारियों को अवश्य दे रखा है कि वे अपना डिस्क्रीशन इस्तेमाल करके उस आखिरी शस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके द्वारा माब डिस्पर्स किया जा सकता है। जो घटनायें हुई हैं, जो बातें हमारी नजरों के सामने से गुजरी हैं उसमें यह बात सामने आयी है कि जो दुर्घटना हो गई थी उसके बाद जो कार्य हुए कोतवाली के सामने जिसमें २५ अधिकारियों और सिपाहियों तथा जिलाधीश को चोटें आयीं, जिलाधीश की मोटर तोड़ी गई, तो यह अवसर ऐसा था जो कि किसी भी अधिकारी के दिल में यह चिन्ता पैदा कर सकता था कि जब ऐसी घटनायें हमारे बीच में हो रही हैं तो वह इस बात का प्रबन्ध करें कि घटना आगे न बढ़ने पाये। तो इस सिलसिले में जो कार्य हुआ है, जो गोली चली है, वह दुखद बात है। कमिश्नर इसकी जांच करेंगे और मुझे विश्वास है कि वे बातें कमिश्नर की जांच से निकलेंगी जिनकी तरफ हमारा ध्यान आमंत्रित किया गया है।

यों तो जैसा सदन को बताया जा चुका है कि वह दो इंस्पेक्टर्स जिनके बारे में शिकायत की गई कि उन्होंने फारूख को जब वह थाने में था बहुत मारा, उनको मुअत्तल कर दिया गया, लाइन हाजिर कर दिया गया और वह कार्यवाही जो फौरी उस समय हो सकती थी, वह की गई। आखिर को कोई अधिकारी जिसके बारे में शिकायत सरकार या जनता के सामने आती है वह भी तो कानून के तहत में यह अधिकार रखता है कि उसकी बात को सुना जाय। उसे गोली से तो मारा नहीं जा सकता। डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन के मातहत सरकारी कर्मचारियों को कुछ अधिकार दे रखे हैं। जो दोषी कर्मचारी होता है उसके साथ कानून के जरिये से ही कोई कार्यवाही कर सकते हैं। जो कानून के जरिये से शीघ्रातिशीघ्र कानूनी कार्यवाही उन दो अधिकारियों के बारे में की जा सकती थी वह चीज की गई। और जो जेल में फारूक भेजा गया तथा कई घंटों के बाद भेजा गया, जैसा कि प्रत्यक्ष मालूम देता है कि कानून के विरुद्ध उन इन्सपेक्टर्स ने कार्य किया, १० तारीख को पकड़ा गया और १३ को भेजा गया, तो यह गलत बात लगती है और ऐसा लगता है कि जब कमिश्नर इसको देखेगा तो स्वतः इस विषय में अपनी राय देगा। तो कमिश्नर की रिपोर्ट से जो गलती होगी, जाहिर हो जायगी। आज यह कहना कि सिर्फ हाई कोर्ट का जज निष्पक्षता से जांच कर सकता है और कमिश्नर जो हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह पाता है और उन्हीं व्यक्तियों में से होता है जिनमें से हाई कोर्ट के जज बनते हैं, उन पर विश्वास न किया जाय, ऐसा मानकर यह सरकार काम नहीं कर सकती है। जिस युग में हम रह रहे हैं आज उन पर अगर विश्वास न किया जाय, बराबर अविश्वास प्रकट किया जाय, यह कहां की जनतांत्रिक परम्परा है ?

मुझे बड़ा ताज्जुब और दुख हुआ जब जेड० ए० अहमद साहब यहां नई नई परम्पराओं की चर्चा कर रहे थे। आखिर उनकी पार्टी ने थोड़े ही समय के लिये एक दफा केरल में सरकार बनाई और उसमें ४, ५ मर्तबा ऐसे अवसर आये जब उस सरकार को गोली चलानी पड़ी और विरोधी पक्षों की तरफ से जुडीशियल इंक्वायरी की मांग हुई, लेकिन उस मांग को केरल की सरकार ने स्वीकार नहीं किया, यद्यपि इस सरकार ने जब जब आवश्यकता हुई जुडीशियल इंक्वायरी की मांग को माना है और आज्ञा प्रदान की है। और उस जुडीशियल इंक्वायरी का नतीजा क्या निकला। जिस इलाहाबाद के मानसरोवर कांड की मांग की गयी उसमें हाई कोर्ट के जज ने इंक्वायरी की। नतीजा यही निकला कि फायरिंग जस्टीफाइड थी और उचित फायरिंग की गयी। कानपुर में जुडीशियल इंक्वायरी की गयी और वहां भी यही नतीजा निकला कि फायरिंग जो की गयी वह उचित थी, जस्टीफाइड थी। जुडीशियल इंक्वायरी से सरकार भागती नहीं है। लेकिन यह जो कांड हुआ है यह कोई इतना बड़ा कांड नहीं हुआ है। कानपुर का कांड बड़ा था। सरकारी कर्मचारियों तथा पुलिस के कर्मचारियों पर तरह तरह के चार्जेज व आरोप

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

लगाये गये थे जैसे रेप किया और जब जुडीशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो उसमें पुलिस की कार्यवाही, उन अधिकारियों का आर्डर जिन्होंने फायरिंग के लिये कहा था, प्रापर माना गया। तो जुडीशियल इंक्वायरी की मांग से भागता कौन है? लेकिन जब यह कार्य कमिश्नर के सुपुर्द किया गया है और वे वाकयात हमारी नजर में आ जाते हैं जिनकी यहां चर्चा की गयी है, तो मैं नहीं समझता कि कमिश्नर ऐसा इंप्रापर आदमी है जो इंक्वायरी नहीं कर सकता।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि कोई राजनीतिक दल या सार्वजनिक कार्यकर्त्तागण कानून को अपने हाथ में लेंगे और थाने पर धावा करेंगे, थाने पर जाकर सरकारी संपत्ति को तोड़ेंगे तो चाहे जितने बड़े वे नेतागण हों, सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी और अधिकारीगण वह कार्यवाही करेंगे जो अधिकार कि उनको कानून के अन्तर्गत प्राप्त हैं। किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं दे रखा है कि वह कानून का उल्लंघन करे, बल्कि उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभायें। यहां जो अधिकारी हैं कानून में प्रदत्त अधिकार को ईमानदारी से बरतता है तो कमिश्नर के सामने वह इंक्वायरी में जा सकता है और उससे कांड के विषय में कोई भी इंक्वायरी की जा सकती है। मैं इस परम्परा को जो आज हमारे विरोधी दल के नेताओं ने यहां रची है, इसको मैं जनतांत्रिक परम्परा के विरुद्ध मानता हूं। आखिर को ये विरोधी दल के नेता क्या चाहते हैं? यह चाहते हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी अपराधी भी हो तो कानून में जो अधिकार उसे दिया हुआ है कि वह अपनी सफाई दे सकता है, उसे वह अधिकार भी यह सरकार न दे और वैसा बर्ताव यह सरकार करे जो रूस में वहां के कर्मचारियों के साथ वर्ता जाता है। हमने गणतंत्र की परम्पराओं को अपनाया है और उसके द्वारा प्राप्त किये हुए अधिकारों को अपने अधिकारियों द्वारा सम्पन्न कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी अधिकारी अपने उस अधिकारों का दुरुपयोग करे जो उसे कानून के तहत मिला है। जो उसका दुरुपयोग करता है यह सरकार उसे सजा देगी, चाहे वह सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वह जेल में सुपरिंटेंडेन्ट हो या सिविल सर्जन हो। जिसने १०, १२ घंटे तक पोस्ट मार्टम नहीं किया, जिसे हम भी गलत मानते हैं। मुझे अवसर ही नहीं दिया जाता कि मैं इन बातों की जानकारी प्राप्त कर लूं। पहले से ही फैसला दिया जाता है।

मेरे कानों में जो बातें आई हैं सदन में, मैं उनको रखूंगा। जो नेता प्रजा समाजवादी दल के वहां से चुन कर आये हैं मेरे कान में यह बात डाली गयी है कि उनके छोटे भाई उस सारे झुन्ड के अगुवा थे, उसे बहका रहे थे और आगे बढ़ने के लिये तथा उलटी सीधी बातें करने के लिये कह रहे थे। और आज जब सदन में वे बातें रखी जाती हैं तो कुछ माननीय सदस्य उसे सुनने के लिये तैयार नहीं। यह एक दुर्भाग्य की बात है और गणतन्त्रीय परम्पराओं के विरुद्ध है। एक कांड हुआ है, सरकार उसकी इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार है। यदि इन्क्वायरी का रिजल्ट ऐसा असंतोषजनक हो जिसे हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य मंजूर न करें तो हम जुडीशल इन्क्वायरी भी कराने के लिये तैयार हैं। हम उससे भागते नहीं हैं। बराबर जब जब जुडीशल इन्क्वायरी की मांग आयी है तो जब भी उचित समझा गया है उस पर विचार किया गया है और जुडीशल इन्क्वायरी करायी गयी है····

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त हुआ और अब सदन कल ११ बजे तक के लिये स्थगित होता है।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१६ अप्रैल, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १०-११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

हैवी इलेक्ट्रिकल मैनूफैक्चरिंग प्लान्ट (Heavy electrical manufacturing Plant)

कथित कारखाना भारत सरकार सोवियत सहयोग से उत्तर प्रदेश में हरद्वार के समीप स्थापित कर रही है । उक्त कारखाने में बिजली उत्पादन करने वाले बड़े-बड़े यंत्रों का निर्माण होगा और इसकी लागत लगभग ४० और ५० करोड़ रुपये के बीच होगी । इस कारखाने को स्थापित करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार ने एक मेसर्स हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड नाम से कम्पनी बनाया है । इस कारखाने की स्थापना से उत्तर प्रदेश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा ।

उक्त फैक्ट्री के लिये लगभग ८,०८१ एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क देना स्वीकार किया है जिस पर लगभग ३७ या ३८ लाख रुपया व्यय आंका गया है । लगभग ८१ एकड़ भूमि छोड़ कर, बाकी का अर्जन हो गया है और भूमि हेवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है । बाकी ८१ एकड़ का अर्जन हो रहा है और उसे भी जल्द दे दिया जायगा । पूरब में यह प्रोजेक्ट अपने किस्म का सबसे बढ़ा होगा ।

भूमि का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है और भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो रहा है । राज्य सरकार ने और अन्य सुविधायें जो आवश्यक होंगी जहां तक सम्भव है उपलब्ध करने को कहा है ।

अभी यह ज्ञात नहीं है कि कब तक यह कारखाना बनकर चालू होगा ।

एन्टीब्याटिक्स प्लान्ट (Antibiotics Plant)

इस कारखाने को लगभग १५ करोड़ की लागत से भारत सरकार ने सोवियत सहयोग से ऋषिकेश में स्थापित करने का निश्चय किया है ।

वर्तमान स्थिति में दवाओं के प्रयोग में antibiotics का विभिन्न रोगों की चिकित्सा है । भारत में अनुमानतः दवाओं पर कुल व्यय में से ५० प्रतिशत व्यय फैक्ट्री की स्थापना पर होता है । अतः इस जनता जनार्दन के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है । इस कारखाने में कुल लगभग ३०० टन antibiotics प्रति वर्ष का निर्माण होगा जिसमें पेन्सीलीन, स्ट्रेप्टो माइसीन निस्टलीन इत्यादि शामिल है ।

उक्त कारखाने के लिये आवश्यक भूमि में से लगभग ८२० एकड़ भूमि राज्य सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध की और लगभग ८३ एकड़ और भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही । राज्य सरकार ने अन्य आवश्यक सुविधाओं जहां तक संभव है उपलब्ध करने को कहा है ।

कारखाने का निर्माण प्रारम्भ हो रहा है और संभवतः १९६४ तक यह कारखाना बनकर चालू होगा ।

फर्टीलाइजर प्लान्ट (Fertilizer Factory)

यह फैक्ट्री भारत सरकार द्वारा जापानीज सहयोग से लगभग १९ करोड़ की लागत से स्थापित हो रही है । इससे लगभग ८०,००० टन नाइट्रोजन प्रति वर्ष उत्पादित होगा ।

पहले गोरखपुर में इस फैक्ट्री को स्थापित करने का निश्चय हुआ था । परन्तु भारत सरकार यह निश्चय बदलने का विचार कर रही है । राज्य सरकार ने ऐसा न करने के लिये अनुरोध किया है और अन्य स्थान जैसे वाराणसी इत्यादि का सुझाव दिया है और कहा है कि किसी भी हालत में राज्य सरकार इस फैक्ट्री को उत्तर प्रदेश से जाने देना नहीं चाहती है । यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां भी उचित समझा जाय इस फैक्ट्री का निर्माण बहुत आवश्यक है और हर सुविधा यहां उपलब्ध हो सकती है । फिर भी सरकार ने गोरखपुर में लगभग १,००० एकड़ भूमि के अर्जन हेतु लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति जारी कर रखा है । भारत सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं किया है ।

डाइजल लोकोमोटिव प्लान्ट (Diesel Locomotive Plant)

यह प्लान्ट भारत सरकार की रेलवे मिनिस्ट्री के अन्तर्गत स्थापित होगा । जुलाई, १९६१ में भारत सरकार ने लिखा था कि इसके पहले कि उक्त प्लान्ट को मरूआडीह (वाराणसी) में स्थापित करने का अंतिम निर्णय लिया जाय राज्य सरकार यह आश्वासन दे कि वक्त प्लान्ट के लिये आवश्यक भूमि और बिजली उपलब्ध होने में कोई दिक्कत न होगी । इस पर राज्य सरकार ने उत्तर में कहा कि वाराणसी में बिजली व भूमि उपलब्ध करने में कोई अड़चन नहीं होगी और यह अनुरोध किया कि भारत सरकार अपना अंतिम निर्णय राज्य सरकार को सूचित करे । इस दिशा में अभी तक कोई अंतिम निर्णय भारत सरकार ने नहीं दिया है । राज्य सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि यह प्लान्ट भी उत्तर प्रदेश (वाराणसी) में स्थापित हो ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

पुलिस लाइन रक्षक कक्ष, लखनऊ में हुई चोरी की घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक ३ अप्रैल, १९६२ को पुलिस लाइन लखनऊ में क्वार्टरगार्ड के पास की तिजोरी से ६१,५१८ रु० ५२ न० पै० गायब पाये गये । सूबेदार श्री सत्यदेव सिंह (सब-इंसपेक्टर) जो पुलिस लाइन में वेतन लाने और बांटने का कार्य करते हैं, और जिनके पास लाइन में अन्य धनराशि का चार्ज भी रहा करता था, पुलिस कर्मचारियों के समस्त वेतन, जिसकी धनराशि ८७,०२१.५४ न० पै० थी, पुलिस आफिस से दिनांक २-४-१९६२ की शाम को लेकर और क्वार्टरगार्ड की तिजोरी जो जमीन म गड़ी थी, उसमें रक्खा । वहां पर एक संत्री ड्यूटी पर सदैव रहता है । बहुत से कर्मचारियों को दिन भर अपनी ड्यूटी पर रहना पड़ता है अतएव वेतन का भुगतान रात में किया गया । २ अप्रैल, १९६२ को भी सूबेदार श्री सत्यदेव सिंह को कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रात्रि तक करना पड़ा और फिर तिजोरी बन्द करके घर चले गये । दूसरे दिन १२ १/२ बजे के लगभग ड्यूटी पर एक संत्री ने देखा कि तिजोरी का ताला खुला हुआ है । उसने सूबेदार श्री सत्यदेव सिंह को सूचना दी । श्री सत्यदेव सिंह वहां आये और यह मालूम हुआ कि तिजोरी में रखी धनराशि में से ६१,५१८ रु० ५२ न० पै० की धनराशि कम थी । सूचना पर अधिकारीगणों ने भी निरीक्षण किया और मुकदमा थाना हसनगंज में धारा ३८०/४०९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया । संबंधित गार्ड तथा सूबेदार श्री सत्यदेव सिंह मुअत्तल कर दिये गये ।

दूसरे दिन ४ अप्रैल, १९६२ को यह केस सी० आई० डी० को सौंप दिया गया । घटना स्थल के निरीक्षण और प्रारंभिक विवेचन से इस घटना को करने का संदेह श्री सत्य देव सिंह सूबेदार पर ही हुआ, अतः इस सूबेदार से सी० आई० डी० अधिकारियों द्वारा पूंछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार किया और रुपया बलिया जिले अपने घर भेजना बतलाया । छानबीन करने पर सूबेदार के भाई हरदेव सिंह की निशान देही पर तथा अन्य साक्षीगणों के सामने ६०,००० रुपये ग्राम गंगहारा, थाना कोतवाली, जिला बलिया की आबादी से दूर जमीन खोदकर बरामद हुए । यह बरामदगी दिनांक ६/७ अप्रैल, १९६२ की रात्रि में हुई । सूबेदार और श्री हरदेव सिंह दोनों ही गिरफ्तार किये जा चुके हैं । शेष रुपये के बारे में श्री सत्यदेव सिंह से पूंछताछ पर मालूम हुआ कि ३२५ रुपये के लगभग वह खर्च कर चुके हैं और शेष रुपये के बारे में बताया कि उन्होंने नहीं लिये । यह प्रतीत होता है कि संत्री जो रात्रि को और दूसरे दिन १२ १/२ बजे ड्यूटी पर थे ताले की जांच नहीं की और इस आरोप पर उन्हें निलम्बित कर दिया गया है । इस विषय में अभी आगे जांच जारी है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २४ पर)

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

मलिन बस्ती क्षेत्रों के सुधार और निपातन, उनके निवासियों के पुनर्वासन और ऐसे क्षेत्रों के किरायेदारों के निष्कासन से संरक्षण की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी तथा शेष धाराएं उस दिनांक से प्रचलित होंगी जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चि करे तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चि किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:—

(क) "मध्यस्थ" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इस रूप में नियुक्त किया हो;

(ख) "भवन" में कोई संरचना या विनिर्माण अथवा उसका कोई भाग भी सम्मिलित है, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिये हो और किसी भी सामग्री से बना हो, किन्तु इसके अन्तर्गत भवन में स्थित संयन्त्र या मशीनें नहीं हैं;

(ग) "निपातन क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो धारा १० के अधीन इस रूप में घोषित किया जाय ;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी है से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिये जो उसमें निर्दिष्ट किया जाय इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त करे;

(ङ) भवन के संबंध में प्रयुक्त "विनिर्माण" में विस्तार, परिवर्तन या पुनः विनिर्माण भी सम्मिलित है;

(च) अध्यासी में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(१) कोई व्यक्ति, जो तत्समय किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में जिसका किराया दिया जाता हो या देय हो, किराया या किराये का कोई भाग स्वामी को दे रहा हो या उसका देनदार हो,

(२) स्वामी, जो अपनी भूमि या भवन में अध्यासीन हो अथवा अन्य रूप से उसे काम में लाता हो,

(३) किसी भूमि या भवन का किरायेदार, जो किराया देने से मुक्त हो,

(४) लाइसेंस ग्रहीता, जो किसी भूमि या भवन में अध्यासीन हो, तथा

(५) कोई व्यक्ति जिस पर किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अध्यासन के लिये स्वामी को क्षतिपूरक देने का दायित्व हो ।

(छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो स्वयं अपनी ओर से अथवा अपनी तथा दूसरों की ओर से या अभिकर्त्ता अथवा न्यासधारी के रूप में किसी भवन या भूमि का किराया पाता हो या पाने का हकदार हो अथवा जो उस दशा में इस प्रकार किराया पाता या पाने का हकदार होता जब भवन अथवा भूमि किरायेदार को किराये पर उठायी गयी होती;

(ज) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(झ) "मलिन बस्ती क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो धारा ३ के अधीन इस रूप में घोषित किया गया हो;

(ञ) "मलिन बस्ती निपातन" का तात्पर्य किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में भवनों को पूर्ण या आंशिक रूप से गिराकर अथवा उन्हें हटाकर उक्त बस्ती क्षेत्र की सफाई करने से है और उस क्षेत्र में विद्यमान भवनों या भूमि में सुधार कार्य करना भी उसमें सम्मिलित है;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; तथा

(ठ) मलिन बस्ती क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के संबंध में प्रयुक्त "सुधार कार्य" में निम्नलिखित कार्यों में से कोई एक या अधिक करना सम्मिलित है, अर्थात् :—

(१) आवश्यक मरम्मत;

(२) संरचना संबंधी परिवर्तन;

(३) प्रकाश की व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश करना भी है, और जल-सम्भरण की व्यवस्था;

(४) सड़कों, पार्कों तथा खुली या ढकी हुई नालियों का निर्माण;

(५) शौचालयों की व्यवस्था करना;

(६) अतिरिक्त या सुधरे हुए स्थायकों (fixtures) अथवा साज-सामानों की व्यवस्था करना;

(७) प्रांगण बनाना या उनमें खड़ंजा लगाना;

(८) कूड़ा हटाना; और

(९) कोई अन्य कार्य, जिसमें किसी भवन या उसके किसी भाग को गिराना भी सम्मिलित है, जो सक्षम प्राधिकारी की राय में ऊपर उल्लिखित कोई कार्य करने के लिये आवश्यक हो ।

अध्याय २

मलिन बस्ती क्षेत्र

मलिन बस्ती क्षेत्र का घोषित किया जाना ।

३—(१) यदि सक्षम प्राधिकारी का, ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हो या अन्य रीति से उसके पास हो, किसी क्षेत्र के संबंध में यह समाधान हो जाय कि उस क्षेत्र में अधिकतर भवन—

(क) जीर्णावस्था, अतिसंकुलता, ऐसे भवनों के दोषपूर्ण विन्यास या प्ररचना, पथों की संकीर्णता या उनके दोषपूर्ण विन्यास, वातायान, प्रकाश या स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के अभाव या इनमें से एकाधिक दोष होने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सदाचार के लिये हानिकारक है; या

(ख) मानव निवास के लिये अन्यथा किसी प्रकार से अनुपयुक्त हैं,

तो वह (सक्षम प्राधिकारी) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर ऐसे क्षेत्र को मलिन बस्ती क्षेत्र घोषित कर सकता है ।

(२) यह अवधारित करने में कि कोई भवन मानव निवास के लिये अनुपयुक्त है या नहीं, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा:—

(क) आवश्यक मरम्मत की मात्रा;

(ख) स्थायित्व;

(ग) नमी की मात्रा;

(घ) प्राकृतिक प्रकाश और वायु की उपलब्धता;

(ङ) जल-सम्भरण;

(च) शौचालय, जल-निकासी तथा स्वच्छता संबंधी प्रबन्ध;

(छ) भोजन का संग्रह रखने, भोजन तैयार करने और पकाने तथा क्षेप्य पदार्थ और जल के निस्तारण करने की सुविधायें,

और यदि भवन उपर्युक्त किसी एक या अधिक बातों में इतना दोषपूर्ण हो कि उस दशा में वह अध्यासन के निमित्त यथोचित रीति से उपयुक्त न हो तो वह पूर्वोक्त रूप से अनुपयुक्त समझा जायेगा ।

अध्याय ३

मलिन बस्ती का सुधार

मानव निवास के निमित्त अनुपयुक्त भवनों का सुधार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

४—(१) यदि सक्षम प्राधिकारी का, ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य रीति से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि मलिन बस्ती क्षेत्र में कोई भवन मानव निवास के लिये किसी प्रकार से अनुपयुक्त है या उस क्षेत्र की किसी भूमि पर कोई सुधार कार्य अपेक्षित है तो वह—सिवाय उस दशा में जब उसकी राय हो कि उचित व्यय से भवन इस प्रकार उपयुक्त बनाये जाने योग्य नहीं है या भूमि में अपेक्षित सुधार उचित व्यय से नहीं किया जा सकता है—यथास्थिति, भवन या भूमि के स्वामी पर नोटिस तामिल कर सकता है जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाय कि वह पैंतालीस दिन से अन्यून ऐसे उचित समय के भीतर

जो नोटिस में उल्लिखित किया जाय या जो समय समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जाय भवन को मानव निवास के लिये उपयुक्त बना दे या नोटिस में उल्लिखित सुधार कार्य भूमि पर करे । नोटिस में उन बातों का भी उल्लेख होगा जिनसे वह भवन सक्षम प्राधिकारी की राय में मानव निवास के लिये उपयुक्त हो जायेगा तथा भूमि पर अपेक्षित सुधार कार्यों और उन बातों या सुधार कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत का भी उसमें उल्लेख होगा ।

स्पष्टीकरण—१—यह अवधारित करने में कि भवन को उचित व्यय से मानव निवास के लिये उपयुक्त बनाया जा सकता है या नहीं अथवा भूमि पर अपेक्षित सुधार कार्य उचित व्यय से किया जा सकता है या नहीं, भवन को इस प्रकार उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक कार्यों या भूमि पर किये जाने के लिये अपेक्षित सुधार कार्य की अनुमानित लागत का तथा कार्य समाप्त हो जाने या सुधार कार्य किये जाने के पश्चात् भवन या भूमि के अनुमानित मूल्य का ध्यान रखा जायेगा ।

स्पष्टीकरण—२—इस उपधारा के प्रयोजन के लिये किसी भवन को मानव निवास के लिये उपयुक्त बनाने के संबंध में 'उचित व्यय' से तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो भवन के मूल्य के ५० प्रतिशत से अधिक न हो ।

(२) इस उपधारा के अधीन स्वामी पर नोटिस तामील करने के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी उसकी प्रतिलिपि की तामील किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी कर सकता है जिसका भवन या भूमि में स्वत्व हो, चाहे वह पट्टेदार या बंधकधारी के रूप में हो या अन्य रूप में ।

उस नोटिस का कार्यान्वय जिसमें सुधार कार्यों का किये जाने की अपेक्षा की गयी हो ।

५—(१) यदि धारा ४ के अधीन दिये गये नोटिस का अनुपालन न किया जाय तो सक्षम प्राधिकारी नोटिस में निर्धारित या समय-समय पर उसके द्वारा बढ़ाये गये समय के व्यतीत हो जाने के पश्चात् उन समस्त या किन्हीं बातों को, जो नोटिस के अनुसार किये जाने के लिये अपेक्षित हो, स्वयं कर सकता है या ऐसे माध्यम से करा सकता है जिसे उसने तदर्थ प्राधिकृत किया हो ।

(२) इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी व्यय—जिनके अन्तर्गत मांग के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ऐसी दर से ब्याज भी है, जो नियत की जाय—यथास्थिति, भवन या भूमि पर प्रथम भार होंगे और सक्षम प्राधिकारी उन्हें भवन या भूमि के स्वामी से, जैसी भी दशा हो, मालगुजारी के बकाये के रूप में, ऐसी किस्तों में जो नियत रीति से निर्धारित की जायं वसूल कर सकता है:

प्रतिबंध यह है कि जब वह स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि :

(क) वह (स्वामी) किराया केवल किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्त्ता या न्यासधारी के रूप में प्राप्त कर रहा है; और

(ख) उसके पास, सक्षम प्राधिकारी की कुल मांगें पूरी करने के लिये उस अन्य व्यक्ति के हिसाब में पर्याप्त धनराशि नहीं है,

तो उक्त स्वामी का दायित्व उस कुल धनराशि तक सीमित होगा जो उसके पास अभिकर्त्ता अथवा न्यासधारी के रूप में हो ।

(३) यदि भवन का स्वामी उस व्यक्ति से भिन्न हो जो उस भूमि का स्वामी हो, जिस पर भवन हो, और इस धारा के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया व्यय इन दोनों व्यक्तियों से वसूल किये जाने योग्य हो, तो वह व्यय उन व्यक्तियों से उस अनुपात में वसूल किया जायगा जो सक्षम प्राधिकारी भूमि तथा

भवन के आनुपातिक मूल्य को तथा ऐसे अन्य तथ्यों को जो नियत किये जायं, ध्यान में रखकर, अवधारित करे ।

सुधार-कार्य आदि के अनुरक्षण व्यय भवन के अध्यासियों से वसूल किये जायेंगे

६—यदि धारा ४ और ५ के उपबंधों का अनुसरण करके किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में किसी भवन में सुधार-कार्य किये गये हों, तो ऐसे सुधार कार्यों के अनुरक्षण के संबंध में या उन सुख-सुविधाओं के उपभोग के संबंध में, जो ऐसे कार्यों से संभव हुई हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया व्यय भवन के अध्यासी से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा। जब अध्यासी एक से अधिक हों, तो प्रत्येक (अध्यासी) को जितना लाभ पहुंचा हो और उसका जितना उपकार हुआ हो उसे ध्यान में रखकर सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अध्यासी से वसूल की जाने वाली धनराशि अवधारित करेगा ।

७—कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, जो नियत रीति से प्राप्त की जायेगी, किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में स्थित किसी भूमि पर न तो किसी नये भवन का निर्माण करेगा और न उक्त भूमि में विद्यमान किसी भवन में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन करेगा ।

मानव निवास के लिये अनुपयुक्त भवनों को गिराने का आदेश देने का सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

८—(१) यदि सक्षम प्राधिकारी को ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, समाधान हो जाय कि मलिन बस्ती क्षेत्र में कोई भवन मानव निवास के लिये अनुपयुक्त है और उचित व्यय से उपयुक्त बनाये जाने योग्य नहीं है तो वह भवन के स्वामी पर और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसके बारे में उसे जानकारी हो कि उसका भवन में पट्टेदार, बंधकधारी या अन्य रूप में स्वत्व है, नोटिस तामील करके उससे नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर यह बताने के लिये कहेगा कि भवन को गिराने का आदेश क्यों न दिया जाय।

(२) यदि वह व्यक्ति, जिस पर उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो, सुनवाई का तथा यदि कोई साक्ष्य हो तो उसे प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् भी, नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान करने में असमर्थ रहे कि गिराने का आदेश न्यायपूर्ण और उचित नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी उन मामलों को छोड़कर जो उपधारा (३) के अधीन आते हों, अथवा जिनके लिये इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो, भवन या उसके किसी भाग को गिराने का ऐसा आदेश देगा, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वय के लिये आवश्यक समझे ।

(३) उस दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गई है, उपधारा (१) के अधीन नोटिस का अनुसरण करके किसी भवन को गिराने का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस दशा में पारित नहीं किया जायेगा जब उन व्यक्तियों में से जिन पर उक्त नोटिस तामील किया गया हो कोई व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित हो और—

(क) वह सक्षम प्राधिकारी का इस बात का समाधान कर दे कि गिराने का आदेश न्यायपूर्ण और उचित न होगा; या

(ख) उसे इस बात का वचन दे कि वह :

(१) ऐसी अवधि के भीतर जिससे सक्षम प्राधिकारी सहमत हो, भवन से सम्बद्ध ऐसे सुधार-कार्य करेगा जिससे उस प्राधिकारी की राय में भवन मानव निवास के उपयुक्त हो जायेगा; या

(२) भवन को मानव निवास के लिये तब तक काम में न लायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह समाधान हो जाने पर कि भवन उस प्रयोजन के लिये उपयुक्त बना दिया गया हो, दिये गये वचन को समाप्त न कर दे ।

(४) जब—

(१) उपधारा (३) में उल्लिखित कोई वचन न दिया गया हो; या

(२) उक्त वचन दिया गया हो किन्तु कोई सुधार-कार्य जिसके संबंध में वह वचन हो, उल्लिखित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समाधान के अनुसार न किया गया हो; या

(३) भवन का उपयोग किसी भी समय वचन की शर्तों का उल्लंघन करके किया गया हो,

तो सक्षम प्राधिकारी उस भवन को गिराने का आदेश दे सकता है जिसके संबंध में उपधारा (१) के अधीन नोटिस तामील किया गया हो और भवन के अध्यासी को आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर —जो आदेश के तामील होने के दिनांक से पैंतालीस दिन से कम न होगी—उसे खाली करने का आदेश दे सकता है और उसके स्वामी को, भवन खाली करने के लिये स्वीकृत अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसे छः सप्ताह के भीतर गिराने का आदेश दे सकता है ।

गिराने का आदेश दिये जाने पर अनुसरणीय प्रक्रिया

९—(१) यदि धारा ८ के अधीन भवन को गिराने का आदेश दिया गया हो और व तदर्थ निर्दिष्ट समय के भीतर खाली न किया जाय या न गिराया जाय, तो सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति उसे खाली करवा तथा गिरवा सकता है । सक्षम प्राधिकारी भवन को खाली कराने और गिराने के प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो ।

(२) उपधारा (१) के अधीन गिराये गये भवन के मलवे को सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच सकता है और उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि से भवन के गिराने के व्यय की पूर्ति हो गई समझी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन का स्वामी नीलाम के पूर्व मलवे को या उसके किसी भाग को उठाना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को, उसके द्वारा नियत अवधि के भीतर, भवन को गिराने का समस्त व्यय चुका कर उसे उठा सकता है ।

अध्याय ४

मलिन बस्ती निपातन और पुनः विकास

किसी मलिन बस्ती क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार

१०—यदि सक्षम प्राधिकारी का, किसी मलिन बस्ती क्षेत्र या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि उस क्षेत्र के अधिकतर भवन ऐसे हैं कि वे मानव निवास के उपयुक्त नहीं बनाये जा सकते या उस क्षेत्र की भूमि पर अपेक्षित सुधार-कार्य वहां वर्तमान भवनों को गिराये बिना नहीं किये जा सकते, तो वह सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके उस क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित कर सकता है ।

कारण बताने के लिये नोटिस

११—सक्षम प्राधिकारी, धारा १० के अधीन किसी क्षेत्र के निपातन क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर, जो उस क्षेत्र के, जिसे निपातन क्षेत्र विज्ञापित करने का प्रस्ताव हो, किसी भवन का स्वामी या अध्यासी हो, एक नोटिस तामील करेगा या तामील करायेगा जिसमें यह प्रकट किया जायेगा कि उस क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव हैं और उसमें उससे यह भी कहा जायगा कि वह नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर, जो तीस दिन से कम न होगी, यह कारण बताये कि प्रस्तावित आदेश क्यों न दिया जाय । इस धारा के अधीन नोटिस सरकारी गजट और दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा ।

आपत्तियों का निस्तारण

१२—(१) धारा ११ के अधीन प्राप्त किसी आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् करेगा ।

(२) यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय करे कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह क्षेत्र को निपातन क्षेत्र घोषित कर देगा और यह निर्णय करेगा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उक्त क्षेत्र के किन भवनों को गिराया जाय ।

(३) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (२) के अधीन आदेश की एक प्रति ऐसे विवरण-पत्र के साथ जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी, तुरन्त राज्य सरकार को भेजेगा:—

(१) उन व्यक्तियों की संख्या जो धारा ११ के अधीन जारी किये गये नोटिस के दिनांक पर, उस क्षेत्र को भवनों में अध्यासीन थे, जिसे निपातन क्षेत्र विज्ञाप्ति करने का प्रस्ताव हो;

(२) उस क्षेत्र के जिन भवनों को गिराना हो उसके आवश्यक ब्योरों सहित उनके स्वामियों के नाम, और

(३) वे भवन और भूमि जिन्हें क्षेत्र के पुनः विकास के लिये अर्जित करना आवश्यक हो ।

(४) राज्य सरकार या तो आदेश की पूर्णतया या ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुये जो वह न्याय पूर्ण और समुचित समझे, पुष्टि कर सकती है या आदेश को रद्द कर सकती है ।

(५) यदि राज्य सरकार आदेश की पुष्टि करे तो आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और वह प्रकाशन के दिनांक से प्रवर्ती होगा ।

मलिन बस्ती निपातन आदेश

१३—(१) सक्षम प्राधिकारी धारा १० तथा १२ के उपबंधों के अनुसार किसी मलिन बस्ती क्षेत्र के निपातन क्षेत्र घोषित किये जाने तथा धारा १२ की की उपधारा (५) के अधीन उस आदेश के प्रवर्ती हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उक्त क्षेत्र के संबंध में एक मलिन बस्ती निपातन आदेश देगा जिसमें यह आज्ञा होगी कि उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो आदेश की तामील के दिनांक से तीस दिन से कम न होगी, ऐसे समस्त भवनों को, जिन्हें धारा १२ के निर्णय के अनुसरण में गिराना होगा, यथास्थिति, उक्त भवनों के स्वामी या अध्यासी खाली कर दें तथा उसमें स्वामी के लिये यह निदेश भी होगा कि वह उन भवनों को, उस दिनांक से, जब तक आदेश के अनुसार उनका खाली किया जाना अपेक्षित हो, छः सप्ताह के भीतर अथवा ऐसी अधिक अवधि की समाप्ति के पूर्व जो सक्षम प्राधिकारी मामले की स्थिति को देखते हुए निर्दिष्ट करें, गिरा दे ।

(२) यदि भवन का स्वामी या अध्यासी उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसे खाली न करें, तो सक्षम प्राधिकारी उसे खाली करवायेगा तथा वह तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो।

(३) यदि कोई भवन उपधारा (१) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने के पूर्व न गिराया जाय, तो सक्षम प्राधिकारी उसमें प्रवेश कर सकता है तथा उसे गिरा सकता है और उसके मलवे को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच सकता है तथा उसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि से भवन के गिराने के व्यय की पूर्ति हो गई समझी जायेगी :

यदि मलवे की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से भवन गिराने तथा मलवे की बिक्री पर हुआ व्यय काट लेने के बाद कुछ शेष बचे तो उसका भुगतान नियत रीति से भवन के स्वामी को कर दिया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भवन का स्वामी नीलाम के पूर्व मलवे को या उसके किसी भाग को उठाना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को, उसके द्वारा नियत अवधि के भीतर भवन को गिराने का समस्त व्यय चुका कर उसे उठा सकता है।

(४) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिरा दिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक वास-स्थान अर्पित करेगा।

निपातन क्षेत्र की भूमि का पुनः विकास करने की अनुज्ञा देने से इन्कार करने का अधिकार

१४—यहां आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, उस दिनांक से जब से किसी क्षेत्र में मलिन बस्ती निपातन आदेश प्रवर्ती हो, कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसरण से अन्यथा या उसके लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना उस क्षेत्र में न किसी भूमि पर कोई निर्माण करेगा और न किसी भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत करेगा।

निपातन क्षेत्र में भूमि का पुनः विकास

१५—(१) सक्षम प्राधिकारी निपातन क्षेत्र में स्थित किसी भूमि या भवन के जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित करना अभिप्रेत न हो, स्वामी के प्रार्थना-पत्र पर, उसे, ऐसी शर्तों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए जो नियत किये जायं, उस भूमि पर नये निर्माण या उस भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत करने की अनुज्ञा देगा।

(२) यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र का निस्तारण उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर न करे तो भूमि पर निर्माण अथवा भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत करना चाहने वाला उसका स्वामी, अपने ऐसा करने के अभिप्राय की सूचना देने वाले दूसरे नोटिस के सक्षम प्राधिकारी पर तामील किये जाने के पन्द्रह दिन के पश्चात् तथा ऐसी शर्तों तथा विनियमों के जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा अनुमोदित किये जाने की दशा में आरोपित किये जा सकते तथा भवनों के निर्माण से संबद्ध किसी विद्यमान विधि के अधीन रहते हुए, उस भूमि पर नये निर्माण अथवा उस भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत कर सकता है।

निपातन-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग का पुनः विकास करने का सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

१६—(१) जब मलिन बस्ती निपातन आदेश के अनुसार किसी भूमि पर से भवन हटा दिये गये हों, तो सक्षम प्राधिकारी उस क्षेत्र में, ऐसे समस्त भवनों के, जिनके सम्बन्ध में धारा १२ के अधीन गिराने का निर्णय किया गया हो, गिरा दिये जाने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, उस क्षेत्र की या उसके किसी भाग की ऐसी भूमि का पुनः विकास करने का निश्चय कर सकता है, जो वह भूमि न हो जिसका पुनः विकास आदेश के दिनांक पर भूमि या भवन का वह स्वामी जिसे ऐसा करने का हक हो, धारा १५ के उपबन्धों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार कर चुका हो अथवा कर रहा हो।

(२) यदि सक्षम प्राधिकारी ने उपधारा (१) के अधीन भूमि का पुनः विकास करने का निश्चय किया हो, तो यथासम्भव, निश्चय के दिनांक से दो वर्ष के भीतर ऐसा करना उसका कर्तव्य होगा।

(३) यदि सक्षम प्राधिकारी उक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर भूमि का पुनः विकास करने में असमर्थ हो या असफल रहे तो वह राज्य सरकार को अपनी असमर्थता या असफलता के कारणों की सूचना देगा। तदुपरान्त राज्य सरकार भूमि का पुनः विकास, ऐसी अवधि के भीतर पूरा किये जाने की अपेक्षा कर सकती है, जिसे वह तदर्थ निश्चित करे।

अध्याय ५

भूमि का अर्जन

भूमि अर्जित करने का राज्य सरकार का अधिकार

१७—(१) यदि सक्षम प्राधिकारी का ऐसी सूचना के आधार पर, जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि किसी मलिन बस्ती क्षेत्र या निपातन क्षेत्र में किसी भूमि का भवन अथवा दोनों का अर्जन करना, उस क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में सुधार कार्य करने या भवन गिराने के आदेश को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये या किसी निपातन क्षेत्र के पुनः विकास या मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वासन के प्रयोजन के लिये आवश्यक है तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस आशय का अपना अभिप्राय घोषित कर सकता है।

सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, भूमि या भवन के स्वामी पर और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि उसका ऐसी भूमि या भवन में स्वत्व है, नोटिस तामील करेगा या तामील करायेगा, जिसमें उससे इस बात का कारण बताने के लिये कहा जायगा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उक्त भूमि या भवन को क्यों न अर्जित कर लिया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में प्रस्तुत की गई किसी आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति से करेगा जो नियत की जाय।

(३) तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, उस भूमि या उन भवनों के सम्बन्ध में जिसे या जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित करने का प्रस्ताव हो, अपनी सिफारिशें राज्य सरकार के पास निर्णयार्थ भेजेगा।

(४) यदि सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त होने पर, राज्य सरकार यह निश्चय करे कि ऐसी भूमि या भवन का अर्जन, इस अधिनियम के

प्रयोजनों के लिये, लोक हित में आवश्यक है, तो वह इस आशय की घोषणा सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा करेगी। घोषणा का प्रकाशन समस्त संबद्ध व्यक्तियों के लिये पर्याप्त नोटिस होगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर, उसमें उल्लिखित भूमि या भवन प्रकाशन के दिनांक से सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में पूर्णरूप से निहित हो जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि, सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराना

१८—(१) यदि कोई भूमि या भवन इस अधिनियम के अधीन अर्जित किया गया हो तो राज्य सरकार उसे सक्षम प्राधिकारी को, उस पर कोई सुधार-कार्य करने या भवन गिराने का आदेश कार्यान्वित करने अथवा पुनः विकास या मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वासन के प्रयोजन के लिये या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिये, उपलब्ध करायेगी और तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार उपलब्ध करायी गयी भूमि या भवन का उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को उस उपलब्ध करायी गयी भूमि पर किन्हीं मकानों का निर्माण किया गया हो तो उन्हें, जहां तक ऐसा करना संभव हो, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, उस क्षेत्र में गिराये गये भवनों के अध्यासियों को सबसे पहले प्रविष्ट किये जाने के लिये अर्पित किया जायेगा।

प्रतिकर का भुगतान

१९—(१) प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी भूमि या भवन अथवा उसमें कोई स्वत्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का हकदार होगा और प्रतिकर का भुगतान उसे राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से किया जायेगा।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को उस व्यक्ति के प्रति दायित्व से जो ऐसा भुगतान पाने का विधितः अधिकारी हो, पूर्णरूप से मुक्त करेगा, किन्तु इससे प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी ऐसे अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे इस प्रकार भुगतान किया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो।

प्रतिकर का अवधारण

२०—(१) इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में प्रतिकर के रूप में देय धनराशि, धारा १७ की उपधारा (४) के अधीन घोषणा के प्रकाशन के दिनांक से ठीक पहले के लगातार पांच वर्षों की अवधि में ऐसी भूमि या भवन से वास्तव में प्राप्त शुद्ध औसत मासिक आय के सौ गुने के बराबर होगी।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित शुद्ध औसत मासिक आय की गणना अनुसूची में दी गई रीति और सिद्धांतों के अनुसार की जायेगी।

(३) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय, उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय अस्थायी रूप से अवधारित करेगा और भूमि या भवन के स्वामी पर और उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक नोटिस और भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय, जो उसके द्वारा अस्थायी रूप से अवधारित हो, का ज्ञापन तामील करेगा या तामील करायेगा, जिससे कि यदि उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस में उल्लिखित दिनांक तक की जा सके।

(४) उपधारा (३) के अधीन नोटिस के अनुसरण में की गई प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी, आपत्ति-कर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् करेगा।

(५) यदि उपधारा (३) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसरण में भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय के अस्थायी अवधारण के विरुद्ध कोई आपत्ति नोटिस में निश्चित अवधि के भीतर न की जाय, या यदि आपत्तियां की गयी हों तो उपधारा (४) के अधीन जब उनका निस्तारण हो जाय तो सक्षम प्राधिकारी भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय जो उसने अन्तिम रूप से अवधारित की हो, सरकारी गजट में प्रकाशित करके घोषित करेगा।

(६) उपधारा (५) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये शुद्ध औसत मासिक आय के अन्तिम अवधारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस (अवधारण) के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त (कमिश्नर) को या ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा न्यायालय को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे।

(७) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय अवधारित करेगा, और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा तथा उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

प्रतिकर का विभाजन

२१—(१) यदि धारा २० के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि में अनेक व्यक्ति स्वत्व रखने का दावा करें, तो सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों का जो उसकी राय में प्रतिकर पाने के हकदार हों तथा उनमें से प्रत्येक को देय धनराशि का अवधारण करेगा।

(२) यदि प्रतिकर या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में अथवा इस बारे में कि किन व्यक्तियों को प्रतिकर या उसका कोई भाग देय है कोई विवाद उठे तो सक्षम प्राधिकारी उक्त विवाद को मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता है।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

(३) मध्यस्थ, उपधारा (२) के अधीन अभिदिष्ट विवाद का निर्णय करने में, यथाशक्य लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के भाग ३ के उपबन्धों का अनुसरण करेगा।

प्रतिकर का भुगतान करना या उसे न्यायालय में जमा करना

२२—(१) सक्षम प्राधिकारी, प्रतिकर की धनराशि के अन्तिम अवधारण के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से प्रतिकर की धनराशि का भुगतान, उन व्यक्तियों को जो उसे पाने के हकदार हों, करने का प्रस्ताव करेगा और उसका भुगतान करेगा।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

(२) यदि वे व्यक्ति जो, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ द्वारा अवधारित प्रतिकर के हकदार हों, उसे स्वीकार न करें या उसके विभाजन के बारे में कोई विवाद उठे तो सक्षम प्राधिकारी उसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जमा कर देगा और वह न्यायालय इस प्रकार जमा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में उस रीति से कार्यवाही करेगा जो लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ३२ तथा धारा ३३ में दी हुई है।

अध्याय ६

मलिन बस्ती क्षेत्रों में किरायेदारों का निष्कासन से संरक्षण

मलिन बस्ती क्षेत्रों में किरायेदार, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाले जायेंगे

२३—(१) मलिन बस्ती क्षेत्र में किसी भवन या भूमि से किसी किरायेदार को निकालने की किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन यहां आगे की गई व्यवस्था से अन्यथा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि धारा ३ के अधीन घोषणा प्रचलित रहे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात हो।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित डिक्री या आदेश, उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् निष्पादित किया जा सकता है।

(३) उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा और उसमें ऐसे विवरण दिये होंगे, जो नियत किये जायं।

(४) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, प्रार्थी और किरायेदार को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और मामले की परिस्थितियों के सम्बन्ध में ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उपयुक्त समझे, यदि उसकी राय हो कि डिक्री या आदेश का निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन को निष्फल कर देगा या उसके लिये हानिकारक होगा तो प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है, किन्तु अन्य सभी दशाओं में वह उसे स्वीकार कर सकता है।

(५) यदि सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञा देने से इन्कार करे तो वह इस प्रकार इन्कार करने के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलभ्य करायेगा।

अपील करने का अधिकार

२४—धारा २३ की उपधारा (४) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त को अथवा ऐसे अधिकारी या न्यायालय को जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी विधि-न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी।

अध्याय ७

विविध

प्रवेश तथा निरीक्षण का अधिकार

२५—(१) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा ३ के अधीन मलिन बस्ती क्षेत्र की या धारा १० के अधीन निपातन-क्षेत्र की घोषणा जारी किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति—

(क) ऐसे क्षेत्र के किसी भवन या भूमि पर, सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना, जांच, निरीक्षण, मापन, मूल्यांकन अथवा सर्वेक्षण करने या कोई ऐसा कार्य करने के अभिप्राय से प्रवेश कर सकता है जो आवश्यक हो और जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन प्राधिकृत हो;

(ख) ऐसे क्षेत्र में अथवा उस क्षेत्र के किसी भवन या भूमि के भीतर स्थित किसी नाली, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप (cesspool) पाइप, मलनाले या मोरी का निरीक्षण कर सकता है और, यथास्थिति, उक्त नाली, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप, पाइप, मलनाले या मोरी से उत्पन्न किसी कंटक (nuisance) को रोकने या हटाने के प्रयोजन के लिये स्वमति से जमीन खुदवा सकता है;

(ग) ऐसे क्षेत्र में तल मालूम करने अथवा किसी मीटर को हटाने, उसकी जांच करने, उसका परीक्षण करने, उसे बदलने या पढ़ने के लिये निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण कर सकता है;

(घ) किसी द्वार, फाटक या अन्य अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिये किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है :—

(१) यदि वह इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन, प्राधिकृत प्रवेश करने के प्रयोजन के लिये उसका खोला जाना आवश्यक समझे; और

(२) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो अथवा उपस्थित रहने पर ऐसे द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करें;

(ङ) ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि पर, सहायकों या कर्मकारों सहित या उनके बिना इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तदन्तर्गत बने नियमों के द्वारा या उनके अधीन प्राधिकृत किसी निर्माण-कार्य के पचास गज के भीतर उसमें कोई मिट्टी, कंकड़, पत्थर या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन के लिये अथवा उस कार्य तक पहुंचने के लिये, या उससे सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन के लिये, प्रवेश कर सकता है।

(२) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (१) के अधीन प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत हो, किसी भूमि में प्रवेश करने के पूर्व उसमें प्रवेश करने का प्रयोजन बतलायेगा और, स्वामी या अध्यासी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, उतनी भूमि को घेर देगा जितनी उस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।

(३) इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन, प्राधिकृत कोई भी प्रवेश सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच ही किया जायेगा।

(४) इस अधिनियम में की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए किसी भवन या भूमि में उसके अध्यासी, या यदि कोई अध्यासी न हो तो उसके स्वामी, की सम्मति के बिना साधारणतया प्रवेश नहीं किया जायेगा और, यथास्थिति, उक्त अध्यासी अथवा स्वामी को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय का, कम से कम चौबीस घंटे पूर्व, लिखित नोटिस दिये बिना उसमें प्रवेश नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निरीक्षण किया जाने वाला स्थान पशुओं का छादक (शेड) या शौचालय, मूत्रालय अथवा निर्माणाधीन कोई कार्य हो तो ऐसा नोटिस देना आवश्यक न होगा।

(५) उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, इस धारा द्वारा प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करते समय, यथासमय, कोई क्षति न पहुंचने देगा।

(६) यदि इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते समय कोई व्यक्ति किसी भवन या भूमि को क्षति पहुंचाये तो क्षति की पूर्ति प्रारम्भ में यथास्थिति, भवन या भूमि को उसी दशा में पुनः लाकर की जायेगी जिसमें वह इस धारा के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी।

(७) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उस भवन या भूमि की दशा, जिसे इस धारा के अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाई गई हो, उस दशा में नहीं लाई जा सकती जिसमें वह इस धारा के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी, तो वह उसके लिये प्रतिकर की समुचित धनराशि अवधारित करेगा और ऐसे भवन या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी या दोनों को उसका भुगतान करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्वामी या अध्यासी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर की धनराशि से सहमत न हो डिवीजन के आयुक्त को अपील कर सकता है जो सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा। आयुक्त का निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

निकालने के अधिकार का प्रयोग केवल सक्षम प्राधिकारी करेगा

२६—यदि सक्षम प्राधिकारी का, भवन के स्वामी के अभ्यावेदन पर या किसी ऐसी अन्य सूचना के आधार पर, जो उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि भवन के अध्यासियों ने, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन करके उसे खाली नहीं किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा अध्यासियों को ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर निकालने का निदेश दे सकता है जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो और तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश देने कोपूर्व सक्षम प्राधिकारी भवन के अध्यासियों को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगा।

मलिन बस्ती क्षेत्रों से क्षोभकर या घृणास्पद व्यापारों को हटाने का अधिकार

२७—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि कोई व्यापार किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, नैतिकता या सुरक्षा की दृष्टि से क्षोभकर अथवा घृणास्पद है, तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस आशय की घोषणा कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर सक्षम प्राधिकारी, घोषणा में उल्लिखित व्यापार करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसे लिखकर निदेश देगा कि वह मलिन बस्ती क्षेत्र से उस व्यापार को निदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर हटा ले।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (२) के अधीन दिये गये निदेश में उल्लिखित समय के भीतर किसी मलिन बस्ती क्षेत्र से व्यापार न हटाये तो सक्षम प्राधिकारी उसे हटवायेगा और तदर्थ वह ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक हो।

आपत्तियों को सुनने तथा उनका निस्तारण करने के लिये अधिकारियों तथा प्राधिकारियों का अधिकार तथा अनुसरणीय प्रक्रिया

२८—किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, जो इस अधिनियम के अधीन कोई जांच कर रहा हो या किसी आपत्ति की सुनवाई कर रहा हो, जहां तक वे प्रवृत्त हो सकें, दीवानी न्यायालय के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय।

अपील

२९—(१) इस अधिनियम में व्यक्तरूप से की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस आदेश या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी या न्यायालय को, जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे, अपील कर सकता है।

(२) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपील लिखित याचिका द्वारा की जायेगी तथा उसके साथ उस आदेश या निदेश की एक प्रतिलिपि भी होगी जिसके विरुद्ध अपील हो।

(३) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपील की गयी हो तो अपीलीय प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश अथवा निदेश के प्रवर्तन को ऐसे यथोचित समय के लिये और ऐसी शर्तों पर, जो उचित समझी जायं, रोक सकता है।

(४) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील को सुनने तथा उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को दीवानी न्यायालय के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह अपील सुनने और उसका निस्तारण करने के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(५) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत की जाय तो जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील की सुनवाई कर सकता है या वह उसे अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) को सुनवाई के लिये भेज सकता है।

राज्य सरकार का पुनरीक्षण अधिकार

(६) राज्य सरकार किसी समय या तो स्वयं या उसे तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति, प्राधिकारी, अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निस्तारित किसी मामले के अभिलेख को, किसी दिये गये आदेश या निदेश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश अथवा निदेश दे सकती है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार कोई ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं देगी।

शास्तियां

३०—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का उल्लंघन करके कोई कार्य करे या धारा १४ अथवा १५ के अधीन आरोपित किसी निर्बन्धन

या शत अथवा निपातन क्षेत्र के पुनः विकास की किसी योजना का उल्लंघन करके कोई कार्य प्रारम्भ करे या प्रारम्भ कराये तो वह कारावास दण्ड का भागी होगा जिसकी अवधि ३ मास तक हो सकती है या अर्थदण्ड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्डों का भागी होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहे पचास रुपये से अधिक न होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

३१—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय व्यवसाय चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक था तथा उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और धारा ३० के अधीन दंडनीय होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार का यथोचित प्रयास किया था तो वह इस उपधारा की किसी बात से दण्ड का भागी नहीं माना जायेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के निदेशक (डाइरेक्टर), प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य किसी अधिकारी की सहमति या निन्हुति (connivance) से हुआ है अथवा उसकी ओर से उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और दण्ड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये :

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय (body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ (एसोसियेशन) भी हैं, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य, फर्म के साझीदार से है।

कुछ दशाओं में भवन गिराने का आदेश

३२—(१) यदि धारा १४ तथा १५ के अधीन आरोपित किसी निर्बन्धन या शर्त या किसी निपातन क्षेत्र के पुनः विकास की योजना का उल्लंघन करके अथवा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का उल्लंघन करके किसी भवन का विनिर्माण आरम्भ किया गया हो अथवा हो रहा हो अथवा पूरा हो चुका हो, तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अन्य उपाय के अतिरिक्त जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन उसे उपलब्ध हो, यह आदेश दे सकता है कि उस विनिर्माण को उसका स्वामी दो मास से अनधिक ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, गिरा दे और स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी ऐसे माध्यम से, जिसे वह तदर्थ प्राधिकृत करे, स्वामी के व्यय पर विनिर्माण को गिरवा सकता है।

(२) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन विनिर्माण गिरवाने में ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक समझा जाय।

(३) स्वामी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

३३—(१) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का परीक्षण न करेगा।

अभियोजन के निमित्त सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति

(२) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये अभियोजन सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ (ऐक्ट संख्या ९, १९०८) के कतिपय उपबन्धों की प्रवृत्ति

३४—इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ तथा १२ के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत अपील, प्रार्थना-पत्र और आपत्तियों से सम्बन्धित कार्यवाहियां भी हैं, प्रवृत्त होंगे।

प्रतिनिधान का अधिकार

३५—सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य किसी अधिकार का प्रयोग, ऐसे मामलों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जो उसमें उल्लिखित हो।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

३६—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

सक्षम प्राधिकारी आदि लोक-सेवक होंगे ऐक्ट सं० ४५, १८६०

३७—सक्षम प्राधिकारी और इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इंडियन पीनल कोड, की धारा २१ के अर्थ में, लोक-सेवक (Public Servant) समझा जायगा।

अधिनियम अन्य विधियों को अभिभूत करेगा

३८—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध और तदन्तर्गत बनाये गये नियम प्रभावी होंगे।

नियम बनाने का अधिकार

३९—(१) राज्य सरकार, सरकारी बजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्

(क) सक्षम प्राधिकारी के नोटिसों, आदेशों तथा अन्य कारणों के प्रमाणीकरण की रीति,

(ख) किसी मलिन बस्ती क्षेत्र के पुनः विकास के लिये योजनायें तैयार करना और सी योजनाओं में सम्मिलित किये जाने वाले विषय,

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये व्ययों को, धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन भूमि के स्वामियों और भवनों के स्वामियों से जिस अनुपात में वसूल किया जा सकता है, उसे अवधारित करने के सिद्धान्त,

(घ) प्रतिकर के भुगतान की प्रक्रिया तथा रीति,

(ङ) प्रपत्र जिसमें तथा रीति जिसके अनुसार धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जायेंगे और ऐसे प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में लिये जाने वाले शुल्क,

(च) इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये नोटिसों, आदेशों या निदेशों को तामील करने की रीति, और

(छ) कोई अन्य विषय जिसे नियत करना हो या जो नियत किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्खे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा निष्प्रभावन (annulment) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या निष्प्रभावन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अनुसूची

[धारा २० देखिये]

शुद्ध औसत मासिक आय अवधारित करने के सिद्धान्त

१—मलिन बस्ती क्षेत्र या निपातन क्षेत्र में किसी भवन या भूमि का औसत मासिक सकल किराया, उस सकल किराये का साठवां भाग होगा जो धारा १७ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व लगातार पांच वर्षों की अवधि में उसके स्वामी को वास्तव में प्रोद्भूत हुआ हो।

२—औसत मासिक सकल किराया अवधारित करने में सक्षम प्राधिकारी या वह अधिकारी, जिसे वह तदर्थ अधिकृत करे, ऐसे अवधारण के लिये स्थानीय जांच कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो, सम्बद्ध नगरपालिका या अन्य स्थानीय-प्राधिकारी की सम्पत्ति-कर-निर्धारण पुस्तिकाओं से ऐसे उद्धरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियां जिनमें उस भूमि या भवन का किराया मूल्य दिया हो, प्राप्त कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में ऐसी अन्य सूचना प्राप्त कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

३—धारा २० की उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये शुद्ध औसत मासिक आय, पैरा १ में दी गई रीति से अवधारित औसत मासिक सकल किराये की र[illegible] प्रतिशत होगी। औसत मासिक सकल किराये के शेष चालीस प्रतिशत पर, शुद्ध औसत मासि[illegible] आय अवधारित करते समय विचार नहीं किया जायेगा जबतक कि उसे स्थानीय प्राधिकारी को देय सम्पत्ति-कर, आयकर, समाहरण व्यय, अशोध्य ऋण, भवन की मरम्मत तथा अनुरक्षण और अन्य आनुषंगिक व्ययों के मध्ये छोड़ दिया जायेगा।

४—यदि कोई भूमि या भवन अथवा उसका कोई भाग अनध्यासित रहा या उसके सम्बन्ध में कोई किराया उक्त पूरे पांच वर्षों में अथवा उसके किसी भाग में स्वामी को प्रोद्भूत न हुआ हो, तो ऐसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग का सकल किराया, उस किराये के आधार पर अवधारित कया जायेगा जो, उस भूमि या भवन के खाली रहने की अवधि में यथास्थिति, उस भूमि या भवन के पास-पड़ोस की उसी प्रकार की अन्य भूमि या भवन से प्राप्त हुआ हो।

उद्देश्य और कारण

लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आकर बसने, बड़ी संख्या में विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने तथा कई अन्य बातों के परिणामस्वरूप नगरों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। किन्तु नए मकानों का निर्माण उस गति से नहीं हुआ है जिस गति से शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ है कि कम किराया दे सकने वाले बहुत से व्यक्ति बहुत घनी बसी हुई मलिन बस्तियों में टूटी-फूटी झोपड़ियों या जीर्णशीर्ण मकानों में अमानवीय तथा त्रासजनक दशा में रह रहे हैं। इन मलिन बस्तियों में न्यूनतम नागरिक सुख-सुविधाओं तथा सामुदायिक सुविधाओं का भी नितांत अभाव है तथा ये रोग, अस्वस्थता, अनैतिकता, अपराध, बाल अपराध आदि के उत्पादन केन्द्र हैं। अतएव उनमें सुधार करने या उन्हें गिराने और मलिन बस्तियों के निवासियों को उचित वातावरण में फिर से बसाने की आवश्यकता है। इस समस्या को हल करने में मुख्य कठिनाई यह है कि इन मलिन बस्ती क्षेत्रों का अर्जन करने में व्यय बहुत अधिक होता है। मलिन बस्तियों के निवासियों का इन क्षेत्रों के स्वामियों द्वारा जो उत्पीड़न होता है उसकी ओर भी सरकार का ध्यान गया। अतएव, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मलिन बस्तियों के सुधार, अर्जन या गिराने तथा ऐसे क्षेत्रों में निष्कासन के मामलों में उत्पीड़न से किरायेदारों का संरक्षण करने की व्यवस्था करने के लिये एक व्यापक मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार और निपातन अधिनियम बनाया जाय। तदनुसार यह विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है।

विचित्र नारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २४ पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पतियों के अपव्यय को रोकने और हस्तान्तरण को विनियमित करने के अभिप्राय से अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था करने के लिये ;

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने और हस्तांतरण को विनियमित करने के लिये अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था की जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा अवधि

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियय, १९६२ कहलायेगा :

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

(३) इसके प्रचलित होने के दिनांक से दो वर्ष समाप्त होने पर यह प्रभावी न रहेगा, सिवाय ऐसी बातों के सम्बन्ध में जिन पर उक्त समाप्ति के पूर्व कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो और यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ इस अधिनियम की समाप्ति पर इस प्रकार प्रवृत्त होगी मानो यह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।

अधिनियम की प्रवृत्ति

२—आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये यह अधिनियम ऐसी समस्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं पर प्रवृत्त होगा जिनकी सकल वार्षिक आय १,२०० रुपये या उससे अधिक हो:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के सम्बन्ध में जिसकी सकल वार्षिक आय १,२०० रुपये से कम हो, इस बात का समाधान हो जाने पर कि उसकी सम्पत्तियों का अपव्यय हो रहा है, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह घोषित कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस संस्था पर आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे, और तत्पश्चात वे उपबन्ध उस संस्था पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जिस प्रकार वे १,२०० रुपये या उससे अधिक की आय वाली संस्था पर प्रवृत्त होते हैं।

परिभाषाएं

३—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "अपव्यय" का तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो कि सम्बन्धित हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के उद्देश्यों या परम्पराओं के अथवा उसकी आय के अनुरूप न हो,

(ख) "आयुक्त", "सहायक आयुक्त" तथा "अनुसन्धान अधिकारी" का क्रमशः तात्पर्य धारा ४ के अधीन नियुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, तथा अनुसन्धान अधिकारी से है,

(ग) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

(घ) "न्यासधारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय से है चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो जिसमें किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था का प्रशासन निहित हो और उसमें वह अथवा व्यक्ति निकाय भी सम्मिलित है, जो इस प्रकार उत्तरदायी हो मानों वह न्यासधारी है,

(ङ) "मठ" का तात्पर्य ऐसे मठ से है जो हिन्दू विधि के अन्तर्गत मठ समझा जाय,

स्पष्टीकरण—जब किसी मठ का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बाहर हो किन्तु उस मठ के पास ऐसी सम्पत्तियां हों, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हों, तो इस अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार प्रवृत्त होंगे कि उनका प्रभाव मठ की उत्तर प्रदेश में स्थित सम्पत्तियों पर ही पड़े।

(च) "मन्दिर" का तात्पर्य ऐसे स्थान से है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक उपासना स्थल के रूप में किया जाता हो तथा जो सार्वजनिक धार्मिक उपासनास्थल के रूप में हिन्दू जाति अथवा उसके किसी वर्ग की, अथवा उसके हित, समर्पित किया गया हो अथवा उक्त जाति या धर्म द्वारा अधिकार स्वरूप इस उपयोग में लाया जाता हो,

(छ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है, और

(ज) "हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसे मठ या मन्दिर से है जो धार्मिक उद्देश्य से सार्वजनिक प्रयोजन के लिये स्थापित है या भविष्य में स्थापित किये जायें और इसके अन्तर्गत ऐसी समस्त चल अथवा अचल सम्पत्ति भी आती है जो किसी मठ या मन्दिर की हो अथवा उसके अनुरक्षण या सुधार के लिये अथवा उसमें परिवर्द्धन या उपासना के लिये अथवा उससे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्त के लिये दी गई हो अथवा निबद्ध (endowed) की गई हो और इसमें मठ या मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां, वस्त्र, आभूषण व श्रृंगार साधन इत्यादि भी सम्मिलित हैं किन्तु इसमें ऐसे निजी धर्मार्थ मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें जनता का हितबद्ध न हो;

अध्याय २

प्रशासकीय संगठन

आयुक्तों, सहायक आयुक्तों तथा अनुसन्धान अधिकारियों की नियुक्ति

४—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार—

(क) आयुक्तों,

(ख) सहायक आयुक्तों, तथा

(ग) अनुसन्धान अधिकारियों

की नियुक्ति कर सकती है और उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके भीतर वे इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे।

(२) राज्य सरकार आयुक्तों को अपने-अपने अधिक्षेत्रों में अनुसन्धान अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रतिनिहित कर सकती है।

(३) आयुक्त धारा ८ के अधीन अपने समस्त या किन्हीं अधिकारों को अपने अधीन काम करने वाले किसी सहायक आयुक्त को प्रतिनिहित कर सकता है।

ऐक्ट ४५, १८६०

(४) प्रत्येक आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसन्धान अधिकारी इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (public servant) समझा जायेगा तथा होगा।

ऐक्ट ५, १८९८

(५) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसन्धान अधिकारी के अधिकार वही होंगे जो कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट में निहित होते हैं, अर्थात्:

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना तथा शपथपूर्वक या प्रतिज्ञान सहित उसका बयान लेना तथा स्थानीय निरीक्षण करना,

(ख) लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना,

(ग) साक्षियों का बयान लेने, लेखा की परीक्षा करने तथा स्थानीय निरीक्षण करने के लिये कमीशन जारी करना।

आयुक्त, आदि का हिन्दू होना

५—प्रत्येक आयुक्त, सहायक आयुक्त तथा अनुसन्धान अधिकारी ऐसा व्यक्ति होगा जो हिन्दू धर्म का अनुयायी हो।

अध्याय ३

सम्पत्ति अपव्यय निवारण

धार्मिक संस्थाओं का सर्वेक्षण

६—(१) जब राज्य सरकार को या किसी आयुक्त को यह आशंका हो कि उसके अधिक्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की, जिसकी सकल वार्षिक आय उसे १,२०० रुपये या अधिक प्रतीत हो, सम्पत्ति के अपव्यय किये जाने की सम्भावना है, तो वह अनुसन्धान अधिकारी को उक्त हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था का यहां की गई व्यवस्था के अनुसार सर्वेक्षण का निदेश दे सकता है।

(२) अनुसन्धान अधिकारी, उक्त सर्वेक्षण पूरा करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र एक विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा, और उसे आयुक्त को प्रस्तुत करेगा:

(क) वर्तमान न्यासधारियों तथा प्रबन्धक के नाम तथा न्यासधारी और प्रबन्धक के पद के उत्तराधिकार अथवा नियुक्ति से सम्बन्धित ब्योरे,

(ख) संस्था की अथवा उसके आधिपत्य में चल तथा अचल सम्पत्ति के, जिसमें नकदी, भण्डार, रत्नाभूषण, सोना, चांदी तथा मूल्यवान् पाषाण आदि भी हैं, ब्योरे तथा उनका प्राक्कलित मूल्य,

(ग) संस्था की राज्य सरकार के तदर्थ अनुदेशों के अनुसार निर्धारित सकल वार्षिक आय,

(घ) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (२) के खंड (ग) के अधीन सकल वार्षिक आय का निर्धारण संस्था के न्यासधारियों तथा प्रबन्धकों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् किया जायेगा, किन्तु उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अनुसन्धान अधिकारी की उपपत्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अन्तिम होगी।

(४) उपधारा (३) के अधीन अनुसन्धान अधिकारी की उपपत्तियों से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, नियत अवधि के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकता है।

(५) जब अनुसन्धान अधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण या आयुक्त के निर्णय से यह पाया जाय कि उक्त संस्था की सकल वार्षिक आय बारह सौ रुपये से कम है किन्तु राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था की सम्पत्ति का अपव्यय हो रहा है तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके यह घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस संस्था पर प्रवृत्त होंगे और तत्पश्चात् वे उपबन्ध उस संस्था पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे धारा २ में निर्दिष्ट किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था पर प्रवृत्त होते हैं।

सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिये पूर्व अनुमोदन आवश्यक

७—(१) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था की सम्पत्ति का हस्तान्तरण वैध नहीं होगा जब तक कि उक्त संस्था पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर न प्राप्त कर ली गई हो कि हस्तान्तरण आवश्यक अथवा संस्था के लिये लाभदायक है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "हस्तान्तरण" में किसी चल सम्पत्ति का जैसे भोग, प्रसाद तथा इसी प्रकार की किसी वस्तु का, रूढ़िगत उपयोग या वितरण सम्मिलित नहीं है।

(२) आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध, आदेश की तारीख से तीस दिन के अन्दर, अपील उस जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज) के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसके अधिक्षेत्र के भीतर संस्था का मुख्यालय अथवा सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो, और अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

आयुक्त के सामान्य अधिकार

८—आयुक्त को अपने अधिक्षेत्र में स्थित किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के विषय में जिसके सम्बन्ध में धारा ६ के अधीन कार्यवाही करने का निदेश दिया गया हो, निम्नलिखित अधिकार होंगे:—

(क) प्रवेश के समय, स्थान और रीति के सम्बन्ध में संस्था के रूढ़िगत निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, संस्था के भूगृहादि अथवा उससे सम्बद्ध किसी उपासनास्थल में प्रवेश करना;

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्ति का तथा उससे सम्बद्ध सभी अभिलेखों तथा लेख्यों का निरीक्षण करना;

(ग) संस्था की निधि, सम्पत्ति अथवा आय के सम्बन्ध में, ऐसे प्रतिवेदन, विवरण, लेखे या अन्य सूचना ऐसे समय और आकार में मांगना जिसका वह निदेश दे;

(घ) न्यासधारियों अथवा प्रबन्धक के पास की आवश्यकता से अधिक निधि के किसी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा प्रतिभूति में जमा किये जाने का निदेश देना;

(ङ) संस्था की तथा उसके आधिपत्य में सम्पत्ति के संरक्षण के लिये कार्यवाही करना, जिसमें उसके रत्नाभूषणों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबन्ध करना भी सम्मिलित है, परन्तु इस प्रकार नहीं कि न्यासधारी प्रशासन के अधिकार से वंचित हो जाय;

(च) संस्था के लिये गत (lost) किसी सम्पत्ति की वसूली के लिये कार्यवाही करना;

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (घ), (ङ) या (च) के अधीन अन्तिम आदेश देने के पूर्व आयुक्त सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देगा।

न्यासधारी आदि द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य करने से इन्कार करने पर शास्ति

९—यदि कोई न्यासधारी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक या अभिकर्ता अथवा हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध अन्य कोई व्यक्ति—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों के पालन करने से इन्कार करे या उनकी उपेक्षा करे या उनका पालन न करे, अथवा इस अधिनियम के अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डाले, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन मांगे गये प्रतिवेदन, विवरण, लेखे या अन्य सूचना देने से इन्कार करे अथवा देने में उपेक्षा करे अथवा न दे,

तो वह न्यासधारी, प्रबन्धक, अधिकारी, सेवक, अभिकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति अभियोजन का पात्र होगा और सिद्ध-दोष पाये जाने पर एक मास तक के साधारण कारावास से या अर्थ दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दंडित किया जायगा।

सरकारी अधिकारियों द्वारा लेख्यों की प्रतिलिपियां अथवा उनके उद्धरण का निःशुल्क दिया जाना

१०—समस्त सरकारी अधिकारी, जिनके संरक्षण में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था से अथवा उसकी किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख, रजिस्टर, प्रतिवेदन, अन्य लेख्य हों, उनकी प्रतिलिपियां अथवा उद्धरण, जिनकी आयुक्त, सहायक आयुक्त या अनुसन्धान अधिकारी अपेक्षा करे, निःशुल्क देंगे।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण

११—(१) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अन्तर्गत बने किन्हीं नियमों के अधीन किये गये अथवा किये गये प्रकट होने वाले किसी कार्य के लिये, यदि वह सद्भावना से और अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन आरोपित कर्तव्यों के निष्पादन अथवा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में किया गया हो, किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही का भागी न होगा।

(२) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के कारण अथवा इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बने किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गयी अथवा की जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात से हुई अथवा संभावित किसी हानि, अथवा हुई या संभावित किसी क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध न तो कोई वाद चलाया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

न्यायालय में आदेशों आदि के विरुद्ध अपील

१२—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार, आयुक्त अथवा सहायक आयुक्त या अनुसन्धान अधिकारी द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति अथवा दिये गये आदेश, किये गये निर्णय, की गयी कार्यवाही, अथवा की गयी किसी अन्य बात के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील ऐसी विज्ञप्ति, आदेश, निर्णय, कार्यवाही अथवा अन्य बात की तिथि से तीस दिन के अन्दर की जा सकेगी।

निदेश देने का अधिकार

१३—समय-समय पर राज्य सरकार आयुक्त को नीति के प्रश्नों पर ऐसे लिखित सामान्य अथवा विशेष निदेश दे सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के अन्तर्गत उचित समझती है और आयुक्त अपने कर्तव्यों के पालन में उनका अनुसरण करेगा।

व्यावृत्ति यू० पी० ऐक्ट १६, १९३९

१४—इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसी हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था पर प्रवृत्त न होगी जिस पर यूनाइटेड प्राविन्सेज श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ऐक्ट, १९३९ प्रवृत्त होता हो।

नियम

१५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(१) धारा ६ के अधीन सर्वेक्षण करने से सम्बन्धित विषय,

(२) धारा ७ के अधीन प्रस्तावित सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिये स्वीकृति देने या ऐसी स्वीकृति देने से इनकार करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(३) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा ८ में उल्लिखित अधिकारों का आयुक्त द्वारा उपयोग किया जायेगा,

(४) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रखे जाने वाले विवरणों, विवरणियों (returns), रजिस्टरों तथा अन्य प्रपत्रों (forms) के आकार तथा वह रीति जिसके अनुसार वे रखे जायेंगे,

(५) लेख्यों का निरीक्षण तथा उनके निरीक्षण के लिये लगाये जाने वाले शुल्क,

(६) प्रमाण-पत्रों, आदेशिकाओं तथा नोटिसों के जारी किये जाने के लिये लगाया जाने वाला शुल्क,

(७) प्रमाणित प्रतिलिपियों का दिया जाना तथा उनके लिये लगाये जाने वाले शुल्क,

(८) न्यासधारियों या हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था के प्रशासन से सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट, विवरणियां, लेखे अथवा अन्य सूचना।

(९) आयुक्त को अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया।

निबन्धों का विधान मंडल के सदनों के समक्ष रखा जाना

१६—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्खे जायंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा निष्प्रभावना (annulment) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या निष्प्रभावन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य तथा कारण

राज्य में हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के समुचित प्रबन्ध तथा नियंत्रण के निमित्त विधायन के प्रश्न पर सरकार गत कुछ वर्षों से विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश मन्दिर तथा धार्मिक निबन्ध (प्रशासन) विधेयक, १९५५, विधान सभा में १९ अगस्त, १९५५ को पुरःस्थापित किया गया था, परन्तु बाद में वह व्यपगत हो गया। तब से नीति विहीन व्यक्ति इन संस्थाओं की अचल और चल सम्पत्तियों का हस्तांतरण तथा प्रतिस्थापन करते आ रहे हैं। उक्त विधेयक शीघ्र ही फिर से पुरःस्थापित किया जाने वाला है, परन्तु अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अधिनियमितियों के कारण इस विधेयक के फिर से पुरःस्थापन में कुछ समय लग जाने की सम्भावना है। क्योंकि हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों का और अधिक व्यय नहीं होने दिया जा सकता था और इन संस्थाओं की सम्पत्तियों के संरक्षण और सुरक्षित अभिरक्षा के लिये तथा भावी हस्तांतरण के प्रतिषेध के लिये तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रही है, उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० में उक्त सम्पत्तियों के अपव्यय के निवारण के निमित्त अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

लक्ष्मी रमण आचार्य,
समाज कल्याण मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४८ एल० ए०—१९६२—८४५।